खण्ड-290, अंक-8
बुधवार, 13 श्रावण, शक संवत् 1893
(4 अगस्त, 1971 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 290 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	८९१–८९५
प्रश्नोत्तर	८९५–९२३
सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा जीप से दिल्ली चलने की घोषणा के संबंध में औचित्य का प्रश्न	९२३
परिवहन मंत्री से संबंधित प्रश्न संख्या ४ व ५ के विषय में चर्चा की मांग ..	९२३
श्री उमाकान्त बाजपेयी की दिल्ली में गिरफ्तारी के संबंध में सूचना (जारी) ..	९२४
नागरिक परिषद् में गोलमाल के सम्बन्ध में जानकारी	९२४
एक व्यवस्था के प्रश्न में दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर आपत्ति ..	९२४–९२५
बंगला देश को मान्यता देने के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	९२५–९२६
नियम ५१ व ५६ के अन्तर्गत सूचनाओं को अल्प सूचित प्रश्नों के अन्तर्गत स्वीकार करना	९२६
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के संबंध में जानकारी (जारी) ..	९२६–९२७
श्री उमाकान्त बाजपेयी की दिल्ली में गिरफ्तारी के संबंध में सूचना ..	९२८
१९७१–७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १२—गांव सभाएं और पंचायतें (स्वीकृत)	९२८–९७५
नियम ५६ तथा ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	९७५
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के संबंध में जानकारी ..	९७५–९७७
प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ के प्रकोप से हुई क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा (जारी)	९७७–९८४
विभिन्न समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में सूचना	९८४
प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ के प्रकोप से हुई क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा (जारी)	९८४–१००२
श्री उमाकान्त बाजपेयी की रिहाई के संबंध में सूचना	१००२
प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ के प्रकोप से हुई क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा	१००२–१००५
नत्थियां	१००५–१०१२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ४ अगस्त, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६२

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री

ए० सी० माइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
(बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वंश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बदायूं)
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गगा सिंह, श्री

गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जयदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जय नारायन सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्त, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रतापनारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री

बदन सिंह श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदनमोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहरलाल, श्री
मजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीरसिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
राम कुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरण, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री

रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पांडेय, श्री
राम शिरोमणि, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्रफीक खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालूराम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पाण्डेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेरअली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शोभनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नूबाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीरामसिंह, श्री

सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुउल्ला, श्रीमती
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

पंचायतीराज मंत्री श्री बसवेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

४ अगस्त, १९७१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला इलाहाबाद के रिंग गोदाम की तलाशी तथा सीलबन्दी

**१—श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री जे० एन० सिन्हा (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १७ जुलाई, १९७१ को इलाहाबाद स्थित रिंग गोदाम की किसी उच्चाधिकारी द्वारा तलाशी ली गई है तथा उस गोदाम को सील बन्द करा दिया गया है? यदि हां, तो वह अनियमितताएं तथा शिकायतें क्या हैं जिनके कारण गोदाम को बन्द कराया गया है?

सिंचाई मंत्री (श्री रामलखन)—

जी हां। एक शिकायती पत्र के आधार पर अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई यांत्रिक मंडल, इलाहाबाद द्वारा रिंग्स प्रबन्ध के चार स्टोर्स में ताला लगा कर सील किया गया है क्योंकि जिन सहायक अभियन्ता के चार्ज में यह स्टोर थे उनके विरुद्ध जाली सामान मंगाने, पाइप व मोबिल आयल बेंचने, ठेकेदारों से २० प्रतिशत जबरदस्ती वसूल करने तथा १५ लाख रुपये का जाली भुगतान करने के गम्भीर आरोप शिकायती पत्र में थे।

श्री जे० एन० सिन्हा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब सहायक अभियन्ता के खिलाफ १५ लाख रुपये के गबन करने का मामला ज्ञात हुआ तब आपने उनको निलम्बित किया या नहीं ? कौन से अधिकारी उस मामले की जांच कर रहे हैं और क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीरबहादुर सिंह---

यह मामला आडिट सैल को दिया गया है। जब जांच हो जायेगी तब कार्यवाही की जायेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

क्या माननीय मंत्री जी इतने गम्भीर आरोप को ध्यान में रखते हुए मामले को सीधे पुलिस को सुपुर्द करेंगे ?

श्री रामलखन---

यह शिकायती-पत्र गुमनाम था, आरोप गम्भीर था इसलिये उस पर कार्यवाही कर दी गई। किसी के नाम से पत्र नहीं था इसलिये पुलिस को देने की जरूरत नहीं थी।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिकायती पत्र कब मिला, जांच कब प्रारम्भ हुई और कौन से अधिकारी इस जांच को कर रहे हैं, क्योंकि यह १५ लाख रुपये के गबन का गम्भीर मामला है ?

श्री वीरबहादुर सिंह---

शिकायती पत्र मंत्री जी को १८ जून, ७१ को प्राप्त हुआ है और इसकी आडिट सैल द्वारा जांच कराई जा रही है।

श्री रामगोपाल संड---

श्रीमन्, कौन से अधिकारी जांच कर रहे हैं इसका उत्तर नहीं आया ?

श्री वीरबहादुर सिंह---

एक आडिट सैल बना हुआ है उसके द्वारा जांच कराई जा रही है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

ये जो १५ लाख के गबन का जिक्र यहां किया गया है वह गबन एकमुश्त हुआ था या अलग अलग टुकड़ों में हुआ था ?

श्री रामलखन---

यह तो जांच के बाद बतलाया जा सकेगा। एक मुश्त गबन नहीं हुआ होगा। डिफरेन्ट टाइम्स में हुआ होगा।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आडिट सैल की रिपोर्ट कब तक आ जायेगी।

श्री रामलखन---

जल्द ही मंगाने का प्रयास किया जायगा।

श्री वंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

आडिट में तो आप तब देते हैं जांच करने के बाद । चार्ज एस्टैब्लिश करके मुकदमा चलाने वाली स्थिति में सहायक अभियन्ता है तथा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर का भी आडिट होता है। उनको मालूम होगा, वे क्या करते रहे ?

श्री रामलखन—

जैसे ही शिकायती पत्र शासन के सामने आ गया मुख्य अभियन्ता को लिख दिया गया कि वह गोदाम सील कर दिया जाय और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

जो पन्द्रह लाख रुपये की गबन की बात है उसको अगर ये स्वीकार करते हैं और उसके बाद आडिट सैल की बात करते हैं तो इतने गम्भीर मामले को पुलिस को देने में इनको क्या आपत्ति है ?

श्री रामलखन—

मैंने पहले ही निवेदन किया कि यह कार्यवाही एक गुमनाम पत्र के आधार पर की गई है। क्योंकि आरोप गम्भीर था इसलिये उचित समझा गया कि इसकी पहले छानबीन करा ली गई थी कि उसमें वास्तविकता है या नहीं ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, यह गबन कितने सालों से चल रहा है और कब से गवर्नमेंट की नोटिस में है ?

श्री रामलखन—

यह पत्र गुमनाम प्राप्त हुआ है। इसमें कोई तिथि नहीं दी गई है। गोलमाल लिखा हुआ है कि इतने रुपये का गोलमाल हुआ है।

विकास क्षेत्र स्याना में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत सड़क निर्माण

**२—श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बेरोजगारी दूर करने के क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत इस वर्ष निर्वाचन क्षेत्र स्याना में स्याना-बेरा फिरोजपुर मार्ग तथा खानपुर मड़कऊं गेसुपुर मार्ग को पक्का निर्माण कराने की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

सामुदायिक विकास राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

जिलाधिकारी के प्रस्तावानुसार विकास क्षेत्र स्याना में स्याना बेरा फिरोजपुर मार्ग के निर्माण का कार्य वर्ष १९७१–७२ के क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत लिया गया है। खानपुर-मड़कऊं-गेसुपुर मार्ग के अगले वर्ष के प्रोग्राम में लिये जाने की संभावना है।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन भागों को क्रैश प्रोग्राम में इस वर्ष लिया गया है यदि उनमें से कुछ मार्ग ऐसे हों जिनमें लैण्ड एक्वीजीशन वगैरह में कठिनाई हो तो क्या वह खानपुर-मड़कऊ-गेसूपुर मार्ग को इस वर्ष लेने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत निर्माण होने वाली सड़कों का चयन जिलाधिकारियों के संरक्षण में विधायकों द्वारा प्रत्येक जिले में किया जाता है । जो सड़क प्रश्न के अधीन है उसका भी चयन इन्हीं के जिले से होकर आया है इसलिए यदि कोई संशोधन आवश्यक हो तो वह जिला द्वारा ही आना उपयुक्त होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जवाब पूरा है।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, क्रैश प्रोग्राम में सड़कों की बात दी गयी है, नहर की बात दी गयी है, कुछ गन्धों की बात दी गयी है, तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आपकी कौन-सी एजेन्सी होगी जो इस काम को चलायेगी—पी० डब्लू० डी०, इर्रीगेशन या कोई और दूसरा विभाग?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब सदन में पहले दिया जा चुका है।

श्री रामकुमार (जिला कानपुर)—

अभी मंत्री जी ने बताया कि प्रत्येक जिले में जिलाधीश और विधायकों के परामर्श से इस प्रकार की योजना बनी है। तो हमारी सूचना को सही मानकर कि कानपुर जनपद में इस प्रकार की योजना पहले तो जिलाधीश ने बनायी लेकिन जब केन्द्रीय सरकार से पुनः वापस गयी तो विधायकों से परामर्श नहीं लिया, तो यदि परामर्श नहीं लिया और वहां भेज दी हो तो क्या मंत्री जी पुनर्विचार के लिए उसे वापस करेंगे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

इस आशय के समाचार कुछ जिलों से मिले हैं और शासन की ओर से यह आदेश दिया गया है कि जहां कहीं भी विधायकों से राय ली गयी हो वहां फिर से राय लेकर भेजा जाय।

बुन्देलखण्ड तथा पहाड़ी जिलों के लिये विकास बोर्ड बनाने की मांग

**३—श्री रामसागर (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश बुन्देलखंड तथा पहाड़ी जिलों के लिये कोई विकास बोर्ड बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उस योजना में विभागशः कितना धन खर्च किया जायगा और किस-किस मद में?

मख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बुन्देलखंड के लिए कोई विकास बोर्ड बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र के लिए पर्वतीय विकास परिषद् पहले से ही कार्य कर रही है। पर्वतीय विकास परिषद् द्वारा कोई धन व्यय नहीं किया जाता।

सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लिये स्थान सुरक्षित करने की कथित योजना

**४—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि क्या इस सरकार ने भारत संविधान के अनुच्छेद १६ (४) के अनुसार पिछड़े वर्ग को राज्याधीन सेवाओं में स्थान सुरक्षित करने की कोई योजना बनाई है? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो कब तक उसे कार्यान्वित करेंगे?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती हमीदा हबीबुल्ला)—

सरकारने इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई है। संविधान के अनुच्छेद १६(४) के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण अनिवार्य नहीं है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संविधान के अनुच्छेद १६ (४) के मुताबिक पिछड़े वर्ग के लिए यह डायरेक्टिव प्रिन्सिपल ले डाउन कर दिया गया है कि सरकारी नौकरियों में रिजरवेशन के लिए सरकार कानून बनाएगी, यदि इस आर्टिकिल का ऐसा मंशा है तो सरकार को यह कानून बनाने में क्या दिक्कत है और क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि तामिलनाडु और आन्ध्रप्रदेश में ७० परसेन्ट रिजर्वेशन पिछड़े वर्ग के लिए कर दिया गया है ?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

श्रीमन्, ऐसा तो कहीं नहीं है, कि बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए अलग से कोई कानून बनाया जाएगा।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार की ओर से क्या कोई ऐसा सर्वे या मूल्यांकन कराया जा रहा है कि पिछड़ी हुई जातियों के कौन-कौन से वर्ग जिनका प्रतिनिधित्व राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। यदि इस प्रकार का सर्वे या मूल्यांकन नहीं कराया है तो संविधान के आर्टिकिल १६(४) के आशय को समझते हुए क्या निकट भविष्य में वे इस प्रकार का सर्वे या मूल्यांकन कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जायेगा।

श्री हिम्मत सिंह—

संविधान के आर्टिकिल १६(४) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि जिन पिछड़ी हुयी जातियों का प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में समुचित नहीं है उनको प्रतिनिधित्व दिलाने की व्यवस्था करे। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़ी हुई जातियों का राजकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व समुचित है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

संविधान में सभी को समान अधिकार दिये गये हैं, किसी को विशेषाधिकार दिया जाये, ऐसी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

संविधान का आर्टिकिल १६(४) इस प्रकार है :—

"इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य के पिछड़े हुये किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिए उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी।"

तो इस अनुच्छेद में यह चीज अनिवार्य नहीं है, यह प्रोविजन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वे ऐसा कर सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मन्त्री जी ने संविधान का अनुच्छेद १६(४) पढ़ा है ? उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा कोई कानून नहीं है।

श्री ओमप्रकाश सिंह—

आप कृपा करके बैठ जायें, मैंने भी थोड़ा-सा अध्ययन किया है।

श्री शिवराज सिंह—

क्या यह सही है कि गत वर्ष जब बी० के० डी० और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी तो उस समय मन्त्रिपरिषद् के एक सदस्य ने सरकार को इस प्रकार का एक प्रस्ताव निश्चित रूप से बनाकर भेजा था हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

विभिन्न प्रस्ताव और सूचनाएं आती रही हैं, परन्तु जिस निश्चित प्रस्ताव के बारे में माननीय सदस्य ने कहा उसकी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

मन्त्रिपरिषद् की कार्यवाही इस हाउस के प्रति जिम्मेदार नहीं होती है और वह तो गुप्त रहती है। मन्त्रिपरिषद् के किसी सदस्य ने क्या सजेशन दिया और मन्त्रिपरिषद् ने उस पर क्या कार्यवाही की, वह प्रश्न यहां नहीं पूछ सकते जब तक कि मुख्यमन्त्री या मन्त्रिपरिषद् के सदस्य खुद ही न कहना चाहें। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं होता है।

श्री शिवराज सिंह—

विधायक की हैसियत से मन्त्रिपरिषद् को कोई सजेशन दिया जा सकता है, वैसे ही वह सुझाव भी दिया गया था।

श्री हिम्मत सिंह—

संविधान के अनुच्छेद १६(४) के अन्तर्गत क्या सरकार किसी ऐसे कमीशन या समिति का गठन करेगी जो यह देखेगा कि कौन-कौन सी जातियों को, जो कि पिछड़ी हुयी हैं, राज्याधीन सेवाओं में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

एक आदेश दिया गया। राज्यपाल महोदय की ओर से एक पत्र है, जो कि अंग्रेजी में है, अगर आप कहें तो मैं उसे पढ़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर पत्र अंग्रेजी में है तो आप उसे न पढ़ें, अगर उसका रूपान्तर कर सकें तो ठीक है।

श्री ओमप्रकाश सिंह—

पहले दो लिस्टस बनी हुई थीं।पिछड़ी हुयी जातियों की सूची दी गयी थी और यह कहा गया था कि उनको सर्विसेज में वरीयता दी जानी चाहिए। उनको एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स में भी निःशुल्क शिक्षा व वजीफा दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रश्न के बारे में मैं निवेदन कर दूं कि अपेक्षा की जाती है, यद्यपि अनिवार्य नहीं है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से अपेक्षा है कि यदि वह चाहे तो पिछड़ी हुई जातियों के लिए कुछ उपबन्ध कर सकती है। यह अनिवार्य नहीं है। यह साफ है और मैंडेटरी नहीं है। इसलिये यह बात जैसी थी वैसी मैंने आपके सामने रख दी। अब आप प्रश्न करें।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

जब पिछड़े वर्ग और संविधान के सम्बन्ध में प्रश्न आयें तो मुख्य मन्त्री जी को सदन में उपस्थित होना चाहिये, क्योंकि यह लोग जवाब नहीं दे पाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

जवाब तो दे रहे हैं। एक अनिवार्य और दूसरे ऐच्छिक।

श्री कृष्णानन्द राय—

आपको कहना पड़ता है।

श्री रामकुमार शास्त्री—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि उन्होंने पिछड़ी जातियों के बारे में तो उत्तर दे दिया लेकिन अगली जातियों को क्या सुविधायें हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न नहीं समझा।

श्री रामकुमार शास्त्री—

मैं मुख्य मंत्री जी से पूछ रहा था कि उन्होंने पिछड़ी जातियों के बारे में बतला दिया है लेकिन जो कथित अगली जातियां कही जाती हैं और उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो उनको क्या सुविधायें हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न दूसरा है।

श्रीमती हमीदा हबीबुल्ला—

उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ मैं समझ सकी हूं इसका जवाब शायद इससे मिल जाय।

(व्यवधान)

संविधान में अनुसूचित जातियों की सूची दी गई है, पिछड़ी जातियों की सूची नहीं है। भारत सरकार ने ऐसी कोई सूची तैयार नहीं की है। पिछड़ी जातियों की सूची बनाने का प्रयत्न किया जाय तो कठिन होगा कि कौन कौन जातियां ली जायं। समाज जिनको पिछड़ी जाति समझता है वह आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। इस तरह की सूची आर्थिक पहलू सामने रखकर बनाई जाय तो आधे से ज्यादा प्रदेश की जनता इसमें आ जावेगी। इतनी बड़ी जनता को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती।

श्री रूप नाथ सिंह यादव—

पिछड़े वर्ग की जनता के प्रतिनिधियों ने सूची बना दी है उसके अनुसार नौकरियों में विशेष अवसर क्या उनको दिये जावेंगे। इनकी आबादी प्रदेश में ६० प्रतिशत है। प्रदेश में १६००० गजटेड अफसरों में वह केवल १ प्रतिशत हैं और हरिजन २ प्रतिशत हैं। तो क्या असमानता दूर कराने के लिये सरकार की कोई नीति है कि पिछड़े समाज के लोगों को उठाने के लिये कुछ व्यवस्था करेगी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

सुझाव पर विचार किया जावेगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (क) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बांसी तहसील बस्ती नें राप्ती नदी पर सोनखर-टंडिया बांध का टूटना

*१—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के बांसी तहसील में राप्ती नदी के उत्तरी किनारे पर बनी हुई सोनखर टंडिया बांध टूट गया है? यदि हां, तो सरकार उस बांध को बनवाने अथवा मरम्मत करवाने में क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम लखन—

प्रश्न का पहला भाग

जी हां, यह गांव १९७० की बाढ़ में कई स्थानों पर कट गया।

प्रश्न का दूसरा व तीसरा भाग

बांध नदी के मियन्डरिंग क्षेत्र में है और इसके कटने की आशंका सदा बनी रहेगी। तकनीकी दृष्टि से यह बांध सफल सुरक्षात्मक उपाय नहीं प्रदान कर सकता अतः इसकी मरम्मत पर व्यय करना उचित नहीं है।

बस परमिटों का दुरुपयोग

*२—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित) तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, अप्रैल, १९७१ में व्यक्तिगत बसों को जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने जो परमिट दिया उसके दुरुपयोग के रोक-थाम के लिये बस्ती तथा गोन्डा जिले की पुलिस और आर० टी० ओ० ब्रांच, गोरखपुर के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई इसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

परिवहन मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने मार्च-अप्रैल, १९७१ में ७९ यात्री बसों के अस्थाई परमिट जारी किये।

यह परमिट चैत रामनवमी मेला के यात्रियों को ढोने के लिये, रिजर्ड पार्टियों के लिये और बारात इत्यादि के लिये दिए गये थे। विभिन्न अधिकारियों द्वारा की गई चेकिंग इत्यादि का विवरण संलग्न तालिका में है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १००६ पर)

श्री रामकरन सिंह—

तालिका में जो कहा है मंत्री जी ने वह मुझे तो मिली नहीं है जिससे सप्लीमेन्ट्री कर सकूं?

(संलग्न तालिका भी पढ़ी गयी)

श्री रामकरन सिंह—

क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बतलायेंगे कि जिलाधीश प्रतापगढ़ ने बसों को जो परिमिट दिये तो उसमें रोडवेज विभाग के अधिकारी की संस्तुति थी या रीजनल ट्रान्सपोर्ट आथारिटी की संस्तुति थी या उन्होंने अपने मन से परमिट दिये ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रतापगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ८० परमिट देने का अधिकार आर० टी० ओ० से वे रखा है। उसी के अधीन यह परमिट देते हैं।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

८० परमिट देनें का अधिकार जिलाधीश को होता है लेकिन साथ ही जिलाधीश को यह आदेश होते हैं कि परमिट देते समय जनरल मैनेजर, रोडवेज से इस बात की संस्तुति प्राप्त कर लें कि रोडवेज अपनी बस चलाने में सक्षम नहीं हैं और तभी प्राइवेट बसों को परमिट दिये जाते हैं। क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिलाधीश ने जनरल मैनेजर रोडवेज से इस प्रकार की संस्तुति प्राप्त कर ली थी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने विभागीय अधिकारी से नहीं पूछा था।

श्री रामकरन सिंह—

उत्तर से सम्बन्धित। मंत्री जी ने यह बतलाया कि रोडवेज के अधिकारियों से जिलाधीश ने नहीं पूछा। जिलाधीश को परमिट देने का अधिकार है लेकिन रोडवेज के अधिकारियों की भी कंसेट लेना जरूरी है। अगर जिलाधीश ने कन्सेन्ट नहीं ली और अपने मन से परमिट दिये तो क्या जिलाधीश के खिलाफ कोई कायवाही की जायगी ? ५४ जिले हैं। और कही किसी कलक्टर ने ऐसा नहीं किया। तो क्या इसकी जांच आप करवायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो बतला रहे हैं कि नियमानुसार परमिट देना उनका कर्त्तव्य है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश को कितने दिनों तक का परमिट देने का अधिकार था और कितने दिनों के लिये परमिट दिया गया था ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, यह अलग अलग अवधि के लिये देते हैं। किसी को पांच दिन के लिये, किसी को दस दिन के लिये, किसी को १५ दिन के लिए।

श्री रामचरण त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

मंत्री जी के उत्तर से विदित है कि प्राइवेट बसों को परमिट मिलते हैं। पांच दिन के लिये अगर परमिट मिला तो दस दिन के लिये या पन्द्रह दिन के लिये भी उसका प्रयोग करते हैं। जब माननीय सदस्यों का यह रुख देख रहे ह कि जिलाधीशों द्वारा अनियमितताय की जा रही हैं तो क्या जिलाधीश से यह अधिकार वापस ले लिया जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जितने दिन के लिए परमिट दिया जाता है, हम यह आशा करते हैं कि उतने ही दिन बस चलाना चाहिए। अगर गलत तरीके से कोई ज्यादा दिन बस चलाता है तो उनके खिलाफ कायवाही होती है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

यह देखते हुए कि रामनवमी का बहुत बड़ा मेला लगता है जिलाधीश को ८० परमिट इश्यू करने की अनुमति दी गयी है। गोंडा, देवरिया और बस्ती जिलो से काफी यात्री इस मेले में जाते हैं। तो क्या इन तीन जिलों के जिलाधीशों को भी परमिट इश्यू करने की अनुमति मंत्री जी देंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस पर विचार किया जायेगा।

ठेकेदारों के भुगतान

*३—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माणमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की गोरखपुर गोला रोड पर सन् १९६४ ई० में उक्त सड़क की भराई एवं कुटाई का कार्य कितने कन्ट्रेक्टरों को दिया गया था ? इनमें कितने लोगों का भुगतान हो गया तथा कितने के अवशेष हैं ? अवशेष रहने के क्या कारण हैं ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राज बिहारी सिंह)—

८ ठेकेदारों को १२ ठेके दिये गये। सभी का भुगतान हो चुका है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनको ठेका कब कब दिया गया और भुगतान कब कब हुआ ?

श्री राज बिहारी सिंह—

एक कोठे का दिया गया २७-५-६४ को, एक को १३-३-६४ को, एक को १२-१-६४ को, एक को १२-१-६४ को, एक को १२-१-६४ को, एक को १२-१-६४ को, एक को १-४-६४ को, एक को १-९-६४ को। भुगतान इन तारीखों में किया गया है —६-१०-७० ३०-४-६५, २३-४-६५, १०-८-६४, २१-२-६४, २९-१०-६५, २८-८-६५, २८-१-६५, १२-११-६४, १२-१२-६४, २०-२-६५।

लेम्ब्रेटा, वेस्पा स्कूटरों का विधायकों तथा अधिकारियों में आवंटन

*४—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ मार्च, १९६९ से १ मार्च, १९७१ तक लैम्ब्रेटा एवं वेस्पा स्कूटरों का प्रत्येक तिमाही में राजकीय कोटा कितना-कितना था और उसके कोटे के वितरण में से कितने स्कूटरों का आवंटन किस-किस विधायक के लिये किया गया तथा कितने स्कूटरों का आवंटन किस-किस अधिकारी को किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना तालिका† १, २ और ३ में दी गई है, जो संलग्न है।

---

†छापी नहीं गई।

श्री नौनिहाल सिंह---

जो सूचना दी गई है इसको देखने से पता चलता है कि सरकारी कोटे में १०१० स्कूटर आये और जो तालिकायें दी गयी हैं इनमें २३५ स्कूटर माननीय सदस्यों को एलाट हुये हैं और २९२ आफिसर्स को। तो बाकी ४९३ स्कूटर किनको एलाट किये गये?

श्री बलरामसिंह यादव---

जितनी सूचना हम से मांगी गई थी वह इसमें दी गई है, कुछ प्राइवेट लोगों को भी दिये गये होंगे। कुछ लोकल बाडीज को दिये गये होंगे।

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)---

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, भूतपूर्व मन्त्री के पुत्र श्री कीर्तिरमण आचार्य को जो स्कूटर एलाट हुआ वह किस आधार पर हुआ, क्या उनके मन्त्री होने के कारण दिया गया?

श्री उपाध्यक्ष---

किस आधार पर दिया जाता है, केवल यह बता दें।]

श्री बलराम सिंह यादव---

आवश्यकता के आधार पर दिया जाता है।

श्री धर्मवीर---

स्कूटरों तथा कारों के आवंटन के लिये क्या कोई कमेटी बनी हुई है, या मन्त्री जी स्वयं आदेश देते हैं?

श्री बलरामसिंह यादव---

जब माननीय चरण सिंह जी की संविद सरकार थी तो उसके पूर्व कोई कमेटी नहीं थी, मन्त्री जी स्वयं ही एलाट करते थे, लेकिन एस० बी० डी० के समय में जब चौधरी चरण सिंह मुख्य मन्त्री हुए तो, उस समय उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उसके बाद माननीय गुप्ता जी के मन्त्रि-मन्डल के समय उसमें माननीय शर्मा जी परिवहन मन्त्री थे और वह भी अपने डिस्क्रीशन से ही डिस्ट्रीब्यूट करते थे कोटे का। इसके बाद रामजीलाल सहायक परिवहन मन्त्री हुए, उन्होंने समिति बनाई थी, उसके बाद श्री आचार्य जी परिवहन मन्त्री हुए तो वह फिर अपने डिस्क्रीशन से डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। अब तब से वैसे ही चला आ रहा है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, जो उन्होंने शान्ति प्रपन्न जी की चर्चा की है, लक्ष्मी रमण जी व रामजी लाल सहायक का नाम लिया, उस समय कमेटी थी तो उन कमेटीज को भंग कर दिया गया था या उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया, कोई आदेश आदि देकर या उनको भंग किये बिना ही ऐसा कार्य उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था?

श्री बलराम सिंह यादव---

इसके लिये तो मुझे सूचना की आवश्यकता होगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि समितियां हैं किन्तु निष्क्रिय हैं।

श्री नौनिहाल सिंह---

क्या यह सही है कि इस कोटे में से किसी किसी विधायक को दो-दो और तीन-तीन स्कूटर्स वेस्पा दिये गये हैं?

श्री उपाध्यक्ष---

आवश्यकतानुसार वह बता चुके हैं, इसलिये यह हो गया ।

श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली)---

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों के कितने प्रार्थना पत्र अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनको अभी तक एलाट नहीं किया गया है ?

(उत्तर न मिलने पर)

श्री त्रिवेणी सहाय---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, सीधा साधा प्रश्न था कि किन-किन लोगों ने कई कई साल से अप्लीकेशन्स दे रखी हैं, लेकिन उनको नहीं मिला है, यह वह बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, वह फिर पूछ सकते हैं ।

श्री राम प्रसाद---

क्या परिवहन मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने विधायकों के प्रार्थना पत्र उनके यहां पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनको अभी तक एलाट नहीं किया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव---

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है लेकिन यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो उन्हें लिस्ट दिखा दी जायगी ।

श्री सौनिहाल सिंह---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या एक से अधिक एलाट करने के शासन के आदेश हैं ? यदि नहीं, तो जिनको २-२, ३-३ एलाट हो गये हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव---

इस तरह का कोई नियम नहीं है कि एक विधायक को एक ही मिले ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

जो कमेटी पिछले मुख्य मन्त्रियों के समय में वितरण के लिए बनाई गई थीं वे आपके समय में काम कर रही है किसी आदेश के अन्तगत या जबानी ?

श्री बलराम सिंह यादव---

इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

करीब १,००० स्कूटर्स का कोटा था, उसमें से अधिकारियों और विधायकों को ५०० दिये गये, बाकी स्कूटर्स और लोगों को दे दिये गये हैं, ऐसा आपके उत्तर से मिलता है तो शेष कोटे को बाकी लोगों को देने के लिए या केवल अधिकारियों और विधायकों को ही देने के लिए था ?

श्री बलराम सिंह यादव---

विधायकों और अधिकारियों के अलावा पब्लिक मैन लोकल बाडीज, यूनिवर्सिटीज आदि को---इस सबको दिया जाता है ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि ऐसे कितने विधायक हैं जिन्होंने साल भर पहले ऐप्लीकेशन दे रखी थी और उन्हें स्कूटर नहीं दिया गया, जो अलाटमेंट हुआ है उसमें बहुत से विधायक हैं जिनकी ऐप्लीकेशन्स पैंडिंग हैं अब नहीं दिया गया, जैसे मैंने डेढ़ साल में तीन ऐप्लीकेशन्स दीं लेकिन अभी नहीं मिला, तो चार--पांच सौ जो बाकी रह गये थे उनमें विधायकों को क्यों नहीं दिया गया ? ऐसे काफी विधायक होंगे जिनकी ऐप्लीकेशन्स एक साल से पड़ी हैं, उनकी नहीं मिल पाया।

श्री बलराम सिंह यादव---

मैं, मान्यवर, प्रयत्न यह कर रहा हूं कि अब तक जिन विधायकों को अलाटमेंट हो चुके हैं उनको न दे कर जो माननीय सदस्य जिनको नहीं मिल पाये ह, भविष्य में प्रयत्न किया जायगा कि उनको अलाटमट किया जाय।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि विधायकों के एक वर्ष से जो प्रार्थना पत्र पड़े हैं उन्हें स्कूटर नहीं दिया गया, जिन गैर सरकारी लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया उनको माननीय मन्त्री ने स्कूटर की परमिट दे दी? यदि हां, तो कैसे दी गई?

श्री बलरामसिंह यादव---

यह मेरे समय का है नहीं। उस समय जो आवश्यकता समझी होगी उस आवश्यकता के आधार पर दिया होगा।

श्री विश्वनाथ कपूर---

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि जुलाई, १९७१ में जिन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया उनको माननीय मन्त्री ने दे दिया ?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)---

मैं आपके जरिये माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कारण कोई भी हो वह कमेटी निष्क्रिय हो गई है, लेकिन क्या उनको उस कमेटी को पुनर्जीवित करने में कोई आपत्ति है यानी उस कमेटी को रिवाइव करने में कोई आपत्ति है, क्योंकि वह इन आपत्तियों और ऐतराजों से बच जाते हैं?

श्री बलराम सिंह यादव---

मैं खुद ही उसको रिवाइ करने के लिए विचार कर रहा हूं।

श्री विश्वनाथ कपूर---

मेरा प्रश्न यह है कि जो वर्षों से विधायकों के प्रार्थना-पत्र स्कूटरों के लिये पड़े हैं उनको परमिट नहीं दी गई है और जुलाई, १९७१ जिसे एक महीना भी नहीं हुआ है, लोगों ने प्राथना पत्र दिय, एसे गैर सरकारी लोगों को परमिट दे दी, तो किन कारणों से ?

श्री बलराम सिंह यादव---

मैंने जो भी दिये हैं कायदे से दिये हैं, उन विधायकों को दिये हैं जिनको नहीं मिला था, सरकारी कर्मचारियों को दिये गये हैं, इसके अलावा कुछ गैर सरकारी लोगों को भी दिये गय होंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

माननीय परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि जिन आदमियों को उन्होंने अपने कार्यकाल में स्कूटर या कारें दी हैं, क्या उनकी ऐप्लीकेशन्स प्राप्त हो कर रजिस्टर में पंजीकृत की गई थीं या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की कोई व्यवस्था उनके यहां है या कभी कोई आदमी आया कभी वे दिया ?

श्री बलराम सिंह यादव---

फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का आधार आज दिन तक कभी फालो नहीं किया गया। हमारे यहां जो भी ऐप्लीकेशन्स आई हैं उनको बाकायदा रजिस्टर में दर्ज किया गया है और वह मेनटेंड है।

(प्रश्न ५ पुकारने के बाद)

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

मैं पूछना चाहता हूं कि विरोधी दल के विधायकों को जुलाई के महीने में दिया है या नहीं ?

श्री बलरामसिंह यादव---

जुलाई के महीने म विरोधी दल के लोगों को भी दिये गये हैं।

विधायकों को कार तथा स्कूटरों के परिमट

*५---श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर) तथा श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)---

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि फरवरी, १९६९ से ३० अप्रैल, १९७१ तक किन-किन विधायकों को एक से ज्यादा मोटर कार या स्कूटर के परमिट दिये गये और किन-किन को मोटर कार व स्कूटर दोनों के परमिट दिये गये ?

श्री बलराम सिंह यादव---

सूचना तालिका १, २ और ३ में संलग्न है ।

(देखिये परछी "ख" आगे पृष्ठ १००७ पर)

श्री उपाध्यक्ष---

सब का लिस्ट में है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

इसे, श्रीमन्, पढ़वाया जाय। हमें कैसे मालूम होगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो बहुत लम्बी लिस्ट है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

एक वाली को न पढ़वायें, दो और तीन को पढ़वा दीजिये ।

श्री शिव कैलाश---

इसका जवाब ही नहीं दिया गया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि माननीय मन्त्री जी पहले उन नामों को पढ़ दें...

श्री उपाध्यक्ष—

आपको सवाल नहीं करना है तो हम आगे बढ़ते हैं...(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, हम लोगों की इसमें दिलचस्पी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतलायेंगे कि जिन लोगों को दो-दो और तीन-तीन मोटर कारें और स्कूटर्स दिये गये हैं उनके बारे में यह जांच करवायेंगे कि वे मोटर कारें और स्कूटर्स इस समय भी उनके पास हैं?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इसकी जांच करवा ली जायगी।

श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

मान्यवर, इस प्रश्न में हम लोगों का न्याय निहित है...

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री शिवप्रसाद पांडिया—

निवेदन करना है...

श्री उपाध्यक्ष—

निवेदन नहीं करना है.....(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। इस सारे सदन की यह दिलचस्पी है और सदन के बाहर के लोगों की भी दिलचस्पी है कि कौन-कौन ऐसे विधायक हैं जो एक से अधिक दो-दो, तीन-तीन और छः-छः तक मोटर कारें और स्कूटर्स लिये हुये हैं। इसमें नाम छुपाने की जरूरत नहीं है आप उसे पढ़वा दें क्योंकि कुछ विधायकों को छः छः एलाट किये गये हैं और कुछ ऐसे भी विधायक हैं जिनको एक भी नहीं मिला है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया उस लिस्ट को पढ़कर सुनवा दें।

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि हमारे बारे में जो जानकारी उन्होंने दी है कि मैंने दो गाड़ियां ली हैं, उसका क्या आधार है? और आपने इसे चेक क्यों नहीं करवाया? यह बिलकुल झूठा जवाब दिया जा रहा है। अतः आप इस पर क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप कैसे कह सकते हैं कि झूठा जवाब दिया जा रहा है?

श्री बलराम सिंह यादव---

मान्यवर, इसमें ऐसा है कि श्री अनन्तराम जायसवाल एम०एल०ए० के नाम दो मोटरें एलाट हुयीं---एक १९६९ के कोटे में हुई जो कि एम्बेसेडर कार है और दूसरी एम्बेसेडर कार नवम्बर, १९६८ और जनवरी, ७० के तिमाही के कोटे में एलाट हुई। इसके लिये जो आदेश हुये थे उनके नम्बर भी मेरे पास हैं। पहली वाली एम्बेसेडर का आदेश नम्बर ५४९९/पी० सी० ओ०, दिनांक ११ सितम्बर, १९६९ है और दूसरी का ५९१०-पी०सी०ओ०, दिनांक १५ अक्तूबर, १९७० है। तो, मान्यवर, उनके नाम से दो गाड़ियां एलाट की गई थीं किन्तु माननीय सदस्य ने केवल एक ही गाड़ी परचेज की थी। डीलर से जब रिपोर्ट मांगी गई तो उससे साबित हुआ कि श्री जायसवाल ने एक ही गाड़ी की डिलीवरी ली है और दूसरी गाड़ी की डिलीवरी नहीं ली है...

श्री अनन्त राम जायसवाल---

माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब उनको जानकारी है कि मैंने एक ही गाड़ी ली है तो उन्होंने अपने जवाब में कैसे दो गाड़ियों का उल्लेख क्यों किया? (व्यवधान) मान्यवर, सवाल आप देख लें कि उसमें क्या पूछा गया है....

श्री उपाध्यक्ष---

सवाल यह है कि क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि फरवरी, १९६९ से ३० अप्रैल, १९७१ तक किन-किन विधायक को एक से ज्यादा मोटर कार या स्कूटर के परमिट दिये गये और किन-किन को मोटर कार व स्कूटर के परमिट दिये गये?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

तो यह सवाल तो बिलकुल साफ है.....

श्री उपाध्यक्ष---

उसमें परमिट की बात है कि किन-किन को एक से अधिक परमिट दिये गये।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी उन सब लोगों के नाम पढ़ने की कोशिश करेंगे जिनको कि एक से अधिक मोटर कारें और स्कूटर्स दिये गये हैं?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री लक्ष्मण स्वरूप---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९७० के टैक्सी कोटे में एक ही व्यक्ति की फेमिली को ५ मोटर कारें दी गई हैं जो कि कामर्शियल मोटर कार के नाम से लखनऊ में विख्यात हैं?

श्री बलराम सिंह यादव---

टैक्सी की तो मुझ से कोई सूचना पूछी नहीं गयी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि ऐम्बेसेडर कार दी जाती हैं। इन्होंने पूछा कि क्या ऐसी ५ कारें दी गयीं? उत्तर आना चाहिये कि दी गयीं। टैक्सी तो बात की बात है तो यह तो उत्तर गलत हो गया।

श्री लक्ष्मण स्वरूप---

कामर्शियल वालों को ५ कारें दी गयी हैं जुलाई १९७० में, मेरी जानकारी है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप दूसरा सवाल कर सकते हैं, इससे कैसे उठता है ?

श्री विश्वनाथ कपूर---

तालिका जो मंत्री जी ने दी है उत्तर में उसमें श्री भानुप्रताप सिंह एम०एल०ए०, बरेली वाले, उनको ६ गाड़ियां दी हैं---नवम्बर-जनवरी, १९७१ में फियेट; फरवरी-अप्रैल, १९७० में फियेट; सितम्बर-नवम्बर, १९६९ में लैम्ब्रेटा; सितम्बर-नवम्बर, १९७० में वेस्पा; सितम्बर-नवम्बर, १९६९ में लैम्ब्रेटा; सितम्बर-नवम्बर, १९७० में वेस्पा। तो उनको ६ गाड़ियां किस आधार पर आपने दी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

आधार तो उन्होंने पहले ही बतलाया।

श्री बलराम सिंह यादव---

यह मेरे समय की बात नहीं है कि किस कारण से उस समय दी गयी होंगी। उस समय जो गवर्नमेंट रही होगी उसने दी होंगी। मैं इतना बतला सकता हूं कि माननीय सदस्य ने जो डिलीवरी ली है डीलर के यहां से वह केवल एक फियेट और एक वेस्पा की ली है।

श्री रामकुमार (जिला कानपुर)---

सदन के अधिकांश सदस्यों की रुचि को देखते हुये माननीय मंत्री एक से अधिक स्कूटर और कार के परमिट जिन सदस्यों को अलाट हुये हैं उनके नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

समय इसमें ज्यादा लगेगा।

श्री बंशीधर पांडेय---

इस बात को देखते हुये कि परिवहन मंत्री जी ने जिस तरह से जवाब दिया है वह सरकार का जवाब नहीं था, बल्कि व ऐसी बातें कर रहे थे कि "मेरे समय का नहीं है" तो सरकार एक होती है, मंत्री बदलते हैं। सरकार की ओर से यह बात हुई चाहे मंत्री कोई रहे हों तो सरकार की ओर से उनका उत्तर आना चाहिये। यह अयोग्यता से उन्होंने जवाब दिया। मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि परिवहन मंत्री जी के अधिकार को काट कर एक कमेटी बना दी जाय जिसके अध्यक्ष मुख्य मंत्री रहें तो क्या उनको स्वीकार होगा ? एक कमेटी बना दीजिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

सरकार का जो कोई सदस्य है उसके अधिकार को काटने की बात नहीं हो सकती, परन्तु अधिकार डेलीगेट किये जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह अच्छा है कि कमेटियां बना दी जायं और उनके माध्यम से ये बटवाये जायं।

श्री मोतीलाल देहलवी---

मान्यवर, हमारे प्रश्न के कई उत्तर माननीय मंत्री जी नवम्बर ४ के प्रश्न पर दे गये हैं। उन्होंने क प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि आवश्यकता के आधार पर यह २-२, ३-३, ४---४ कार, स्कूटर के परमिट दे दिये गये जबकि एक एक साल से विधायकों की दरख्वास्तें पड़ी हैं, उन पर गौर तक नहीं किया गया। तो, मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके पास आवश्यकता को जानने का माध्यम क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मेरा जहां तक विश्वास है कि मोतीलाल जी देहलवी को स्कूटर मिल चुका है । जहां तक आवश्यकता को नापने का सवाल है कोई बैरोमीटर तो इसके लिये होता नहीं है । हमेशा से लोग दरख्वास्तें देते हैं और अपनी आवश्यकता रखते हैं और एप्रोच करते हैं, उस समय कहते हैं तो जिसकी आवश्यकता उचित समझी जाती है उसको वे दिया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, प्रश्न संख्या ५ आप देखने का कष्ट करें । इसमें बिलकुल साफ है । क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि फरवरी, १९६९ से ३० अप्रैल, १९७१ तक किन किन विधायकों को एक से ज्यादा मोटर कार या स्कूटर के परमिट दिये गये और किन-किन को मोटर कार व स्कूटर दोनों के परमिट दिये गये ? सवाल साफ है इसमें जरा भी अनिश्चितता की गुंजाइश नहीं है । इसी तरह से जवाब भी आना चाहिये । मैं समझता हूं कि आप भी इससे इत्तिफाक करेंगे कि निश्चित जवाब देना चाहिये । गलत जवाब देना जैसा कि हमारे केस में है कहां तक उचित है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आवंटन आपको दो का किया गया था लेकिन आपने एक ही कार ली ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

सवाल बिलकुल साफ है । इसमें आवंटन का सवाल कहां से आ गया ? मुझे शक है कि हाउस को गुमराह करने के लिये ऐसा जवाब दिया गया है । मुझे याद है कि अगस्त में हमने परमिट लिया है । इसलिये दुबारा एलाट करने का प्रश्न नहीं उठता है । सवाल कुछ पूछा जाय और जवाब कुछ दे दिया जाय और आपका संरक्षण मिल जाय तो कहां तक उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपको भी संरक्षण है । आपको जो यह कह रहे हैं, प्रश्नकर्ता आवंटन शब्द लिख दिये होते तो आप की बात सही होती । मंत्री जी ने बता दिया कि आपने एक ही कार ली ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, यदि मैं यहां न होता ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब आप आते तो प्रश्न करते । आवंटम के हिसाब से सवाल का जवाब दिया है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाकर आपके जरिये प्रश्न करना चाहता हूं कि जब नियम यह है कि एक आदमी को दो साल के अन्दर दूसरा परमिट नहीं दिया जा सकता है, तो जब एक परमिट अनन्तराम जी को मिल चुका था तो किस आधार पर उनको दूसरा परमिट दिया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न ऐसा है कि इसका जवाब दिलाया जा सकता है ।

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, अब इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है । मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि पहले आपने एप्लाई किया होगा और उस समय डिलीवरी नहीं ले पाये होंगे तो दुबारा दरख्वास्त दी होगी ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह जवाब काल्पनिक है, असंतोषजनक है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि जायसवाल जी की यह बात ठीक है कि उनके नाम में दो परमिट दिखाये जाने से यह भ्रांति फैल सकती है कि उन्होंने दो गाड़ियां लीं। वास्तविकता यह है कि परमिट भले ही दो बार लिया हो किन्तु गाड़ी एक ही बार ली हो।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

परमिट दोबारा लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह जानबूझकर इस तरह का झूठा जवाब इस सदन में दिया गया है। इसी की तो हैरत है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह भी हो सकता है। लेकिन अब तो वह देख लेने की बात है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अक्सर ऐसा हुआ कि एक बार परमिट दिया गया। अब उसमें टाइम दिया रहता है कि इतने दिनों के अन्दर इस गाड़ी की डिलीवरी ले लेनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के पास रुपया नहीं होता या और कोई बात होती है और वह उस वक्त के अन्दर डिलीवरी नहीं ले पाता और उसको फिर से परमिट लेने की आवश्यकता होती है और उसको दूसरा परमिट दे दिया जाता है। इस प्रकार से दूसरी बार परमिट दिये जाने से मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं दिखायी पड़ती है। जायसवाल जी के बारे में जब कहा जाता है कि दो परमिट दिये गये लेकिन यह सिद्ध है कि उन्होंने गाड़ी एक ही ली, अब इससे कुछ भ्रांति फैल सकती है। उस भ्रांति के कारण उनको जो क्षोभ हुआ है, मैं उसको स्वाभाविक समझता हूं और मैं उसके लिये खेद प्रकट करता हूं क्योंकि ऐसा कोई इरादा परिवहन मंत्री जी का नहीं था। अब यह बात स्पष्ट हो गयी, मेरा ख्याल है अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह गयी है।

श्री विश्वनाथ कपूर---

उपाध्यक्ष जी, इसी तरह के एक सवाल के जवाब में विधान परिषद् में माननीय मंत्री जी ने कहा था...

श्री उपाध्यक्ष---

आप यह लिखकर भेज दीजिये, मैं देख लूंगा। आप कौंसिल का उल्लेख क्यों कर रहे हैं ?

श्री विश्वनाथ कपूर---

श्रीमन्, यह एक बहुत गम्भीर आरोप है, इसके ऊपर आप चर्चा की आज्ञा दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

आप इसको लिख कर दे दें। अगर शर्तें पूरी हो जायगी तो उसको स्वीकार कर लिया जायगा। और जितने माननीय सदस्य हैं वे तो सब संतुष्ट हैं, केवल आप ही इसको कह रहे हैं।

(कई सदस्यों के खड़े हो कर कहने पर कि हमको संतोष नहीं है।)

श्री विश्वनाथ कपूर---

इतने माननीय सदस्य खड़े हैं, इन सबको संतोष नहीं है।

[४ अगस्त, १९७१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[विस्तृत होने के कारण निरस्त]

जिला कानपुर के बिल्लौर से मंगलपुर तक प्राइवेट लारियों के परमिट

*२—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत बिल्हौर से मंगलपुर तक चलने के लिये प्राइवेट लारियों को परमिट दिया गया था और इस समय उक्त रूट पर परमिट होने के बावजूद कोई भी लारी नहीं चल रही है ? यदि हां, तो क्या स्वीकृत लारियों को स्वीकृत स्थान तक अभी तक न चलाये जाने के संबंधमें कार्यवाही की जायेगी और उनके लाइसेंस (परमिट) रद्द किये जायेंगे और भविष्य में शीघ्र बिल्हौर से मंगलपुर लारियां चलाये जाने की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, बिल्हौर से मंगलपुर के पूरे मार्ग (६०.८ किलोमीटर) के लिये २ परमिट संभागीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा दिये गये हैं किन्तु मार्ग के एक आंशिक भाग (१६ किलोमीटर रसूलाबाद से झींझक तक) की सड़क ठीक होने के कारण गाड़ियां पुरे मार्ग पर नहीं चलती। इस कठिनाई के कारण संभागीय परिवहन प्राधिकारी कानपुर न परमिट होल्डरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी है । चूंकि यह अराष्ट्रीयकृत मार्ग है, भविष्य में इस पर शासन की ओर से बस चलाने की व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि रसूलाबाद से झींझक—मंगलपुर के मार्ग पर यात्रियों की भारी भीड़ होती है और लारियां कम है, जनता को यातायात के लिए दिक्कत हो रही है, ऐसी स्थिति में क्या माननीय मंत्री जी रसूलाबाद से मंगलपुर मार्ग पर और गाड़ियां बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

लारियां बढ़ाने का अधिकार तो आर० टी० ए० को होता है। अगर इस तरह का कोई प्रार्थना-पत्र या सूचना सरकार के पास आयेगी कि वहां पर सवारियां अधिक हैं तो हम आर्डर तो नहीं कर सकते, आर० टी० ए० कमेटी को हम सजेस्ट जरूर करेंगे कि वहां पर कुछ व्यवस्था कर दी जाय।

*३—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या २ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

बस्ती और हरैया के बीच राजकीय बस व बलगाड़ी में भिड़न्त

*४—श्री सुखपाल पांडय तथा श्री राम करन सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ९ अप्रैल, १९७१ को बस्ती और हरैया के बीच राजकीय मार्ग पर राजकीय बस और बैलगाड़ी में भिड़ंत हो गई जिसके कारण तीन आदमी तुरन्त मर गये और दो व्यक्ति घायल अवस्था में जिला अस्पताल बस्ती में भरती किये गये ? यदि हां, तो मृतकों की क्षति पूर्ति के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां । तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और तीन व्यक्ति घायल हुये थे ।

प्रत्येक मृतक के उत्तराधिकारियों को एक-एक हजार रुपये की अन्तरिम सहायता (Ex-gratia compensation) हेतु भुगतान के आदेश कर दिये गये हैं।

जिलाधीश बस्ती की जांच रिपोर्ट एवं संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् उक्त मृतकों के उत्तराधिकारियों को समुचित मुआवजा देने के प्रश्न पर निणय लेना संभव होगा ।

यमुना परियोजना पर कार्य करने वाली हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी को धन का भुगतान

*५—श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री को यह मालूम है कि हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को जो यमुना परियोजना पर कार्य कर रही है लगभग चौदह करोड़ रुपये का कुल पेमेंट किया जा चुका है जब कि कार्य कुल पचास प्रतिशत हो पाया है ?

श्री राम लखन—

दिनांक ३१-३-७१ तक किये गये कार्यों के लिये ठेके में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार हिन्दुस्तान कांट्रक्शन कम्पनी को कुल १८.४३ करोड़ का भुगतान किया जा चुका है और लगभग ७५ प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है ।

उपरोक्त धनराशि में २.२९ करोड़ रु० का वह भुगतान भी शामिल है जो ठेकेदार कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार किया गया है।

मुरादाबाद की तहसीलों में राजकीय ट्यूबवल तथा कुएं

*६—श्री रियासत हुसैन

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में हर तहसील में कितने-कितने राजकीय ट्यूबबेल हैं और तहसील मुरादाबाद व ठाकुरद्वारा में वित्तीय वर्ष १९६९-७० और १९७०-७१ में कितने-कितने कुयें बनाये गये ?

श्री राम लखन—

इनकी संख्या निम्न प्रकार है:—

तहसील का नाम		कूपों की संख्या
१—मुरादाबाद	..	.. २८
२—ठाकुरद्वारा	..	.. १२
३—अमरोहा	..	.. १५२
४—बिलारी	..	.. १९६
५—सम्भल	..	.. २५८
६—हसनपुर	..	.. ८०
	योग	.. ७२६

मुरादाबाद तहसील में वर्ष १९६९–७० में २ नलकूप और ७०-७१ में १ नलकूप बनाया गया। ठाकुरद्वारा तहसील में वर्ष १९६९–७० में कोई नलकूप नहीं बना। किन्तु १९७०–७१ में इस तहसील में ४ नलकूप बनाये गये।

*७—श्री रियासत हुसैन—

[५वें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देहरादून में गंगा नदी के पुल से मृतकों को ले जाने पर टैक्स

*८—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को विदित है कि देहरादून में गंगा नदी के पुल पर मृतकों को ले जाने पर भी टैक्स है ? यदि हां तो क्या सरकार इसे तुरन्त बन्द करेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री महमूद अली खां)—

देहरादून में गंगा नदी पर कोई पुल नहीं है।

*९—श्री महराम सिंह—

[५वें बुधवार के प्रश्न संख्या २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फर्रुखाबाद-छिबरामऊ रोड का खराब होना

*१०—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में फर्रुखाबाद छिबरामऊ–सार्वजनिक निर्माण विभाग का रोड जहांनापज से बगारना तक खराब हालत में है ? क्या इसे ठीक कराने के लिये सरकार तुरन्त आदेश देगी ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां, इस सड़क की हालत संतोष जनक नहीं है। समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसकी मरम्मत की जाती है।

*११—श्री महराम सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने पर के कारण निरस्त]

*१२—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[६ठें बुधवार के लिये स्थगित]

जनपद प्रतापगढ़ में लिफ्ट नहरें

*१३—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में कौन-कौन सी नई माइनर नहरें खोलने का कार्य-क्रम शासन के विचाराधीन है ?

श्री राम लखन—

प्रश्नगत जिले में निम्नलिखित लिफ्ट नहरों के बनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है :—

१—ढकवा पम्प नहर
२—जुरियामऊ पम्प नहर
३—मिश्रीपुर पम्प नहर
४—मानिकपुर पम्प नहर

यमुना परियोजना में ठेकेदारों को अनिवार्य एक्सकेवेशन की छूट दिया जाना

*१४—श्री गोविन्द सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना परियोजना से सम्बन्धित सुरंग की खुदाई में ठेकेदार को ओवर एक्सवेकेशन की कितनी छूट है ? क्या यह सही है कि इस परियोजना में नियमानुसार छूट से भी अधिक एक्सवेकेशन किया गया और उसका अतिरिक्त भुगतान ठेकेदार को किया गया ?

श्री राम लखन—

प्रश्न का प्रथम भाग

न्यूनतम प्रस्तावित सेक्शन को प्राप्त करने के लिये अनिवार्य ओवर एक्सकेवेशन के सामान्य परिस्थितियों में छूट के लिये एक पेमेन्ट लाइन निर्धारित की जाती है। यमुना परियोजना के अनुबन्धों में यह लाइन 'मिनिमम एक्सकेवेशन लाइन" से १५ सेन्टीमीटर पीछे निर्धारित की गई है और ठेकेदार को खुदाई का भुगतान सामान्य स्थितियों में इस लाइन तक किया जाता है।

अनुबन्धों में टनल की खुदाई के ओवर एक्सकेवेशन की छूट एवं नियंत्रण के लिये मूल प्राविधान की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है।

प्रश्न का द्वितीय भाग

यह कथन सही नहीं है कि ओवर एक्सकेवेशन जो कि नियमानुसार छूट से भी अधिक था उसका भुगतान ठेकेदार को किया गया।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०११ पर)

जलोत्सारण एवं बाढ़ सम्बन्धी योजना का मास्टर प्लान

*१५—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड के सन् १९७० के निर्देशानुसार राज्य सरकार अपनी बाढ़ संबंधी योजनायें तयार कर रही हैं ? यदि हां, तो ये योजनायें कौन-कौन हैं और प्रत्येक योजना का अनुमानित लागत खर्च कितना-कितना है तथा जून सन् १९७१ तक उपरोक्त निदेशन के अनुसार क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राम लखन—

केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की १४ नवम्बर, १९७० को हुई बैठक में निर्देश दिये गये थे कि प्रदेश भर की जलोत्सारण एवं बाढ़ संबंधी योजनाओं का मास्टर प्लान दो वर्ष में तैयार कर लिया जाय जिसमें योजनाओं की प्राथमिकता भी दर्शायी जाय। इसमें से वर्ष १९८० तक इतना कार्य सम्पन्न कर लिया जाय जिससे कम से कम ५० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्र की रक्षा हो सके। माटर प्लान बनाने के लिये ९३ लाख रुपये की लागत का एक प्राक्कलन बना लिया गया है। इस प्राक्कलन की जांच हो रही है।

*१६—श्री मंजूर अहमद—

[५वें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*१७—श्री मंजूर अहमद—

[५वें बुधवार के प्रश्न संख्या १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*१८—श्री गंगा प्रसाद—

[५वें बुधवार के प्र० सं० ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१९—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[६ठें बुधवार के लिये स्थगित]

जनरल मैनेजर, रोडवेज के कार्यालय में कंडक्टरों के पद पर नियुक्त व्यक्ति से लिपिकों का कार्य लेना

*२०—श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनरल मैनेजर रोडवेज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं, जिनकी भर्ती कन्डक्टरों के पदों पर की गई थी परन्तु कार्यालय में लिपिकों का कार्य कर रहे हैं ? उनकी संख्या क्या है तथा कौन-कौन कन्डक्टर कितने समय से लिपिकों का कार्य कर रहे हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनरल मैनेजर रोडवेज, लखनऊ, के कार्यालय में किसी कन्डक्टर से लिपिक का कार्य नहीं लिया जा रहा है।

परिवहन विभाग, लखनऊ, में जूनियर बुकिंग क्लर्क्स की परीक्षा

*२१—श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग लखनऊ रेन्ज में अभी हाल में जूनियर बुकिंग क्लर्कों की कोई परीक्षा हुई है ? यदि हां, तो उस परीक्षा में कितने विभागीय

तथा कितने बाहरी उम्मीदवार सम्मिलित हुये ? उसमें कुल कितने उम्मीदवार सामान्य जाति के तथा कितन हरिजन जाति के थे कितने सामान्य तथा उनमें से कितने हरिजन परीक्षा में उर्तीण हुए ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, दिनांक १८ अप्रैल, १९७१ को एक लिखित परीक्षा लखनऊ क्षेत्र में हुई थी। इसमें १९६ विभागीय तथा ५८२ बाहरी उम्मीदवार शामिल हुये थे। इन उम्मीदवारों में ६५६ सामान्य जाति के तथा १२२ हरिजन थे। इस परीक्षा में १०७ सामान्य जाति के तथा १० हरिजन जाति के उम्मीदवार उत्तीर्ण हुये।

*२२–२३—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता—

[७वें बुधवार के ता० प्र० सं० १–२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२४—श्री विजय बहादुर सिंह—

[५वें बुधवार के ता० प्र० सं० १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहायक अभियन्ताओं की उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति

*२५—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि निकट भविष्य में कुछ सहायक अभियन्ताओं को पदोन्नत करके अधिशासी अभियन्ता बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो पदोन्नत करने में वरिष्ठता को आधार माना गया है या अन्य कोई आधार ?

श्री रामलखन—

जी हां। कुछ सहायक अभियंताओं को अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत करने का प्रस्ताव है। ये प्रोन्नतियां तदर्थ रूप से सहायक अभियन्ताओं की अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के लिये उपयुक्तता को ध्यान में रखकर की जायेंगी।

बहराइच जिले में राजकीय नलकूप लगाने की योजना

*२६ –श्री वासुदेव सिंह (जिला बहराइच)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में वर्ष १९७१-७२ में कितने राजकीय नलकूप लगाये जाने की योजना है और क्या इसके अन्तर्गत हटवा, गोपाल, पयागपुर, काशीजोत, इमलियागंज में भी नलकूप लगाये जायेंगे ?

श्री राम लखन—

प्रश्न का प्रथम भाग :

वर्ष १९७१–७२ में बहराइच जिले में पांच नलकूप लगाये जाने की योजना है।

प्रश्न का द्वितीय भाग :

जी नहीं।

*२७—श्री वासुदेव सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के कैसरगंज, बहराइच, नानपारा तहसीलों में लगे हुए राजकीय नलकूपों के द्वारा प्रत्येक तहसील के जन्तर्गत वर्ष १९७०–७१ में कितने एकड़ की सिंचाई की गई एवं उपरोक्त तीनों तहसीलों के राजकीय नलकूपों का प्रत्येक तहसीलों का प्रति घंटा पानी का एवरेज क्या है ?

श्री राम लखन—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०१२ पर)

*२८—श्री राम लाल राही—

[५वें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अल्मोड़ा के देवीधूरा-धूनाघाट स्वीकृत मोटर मार्ग पर निर्माण-कार्य

*२९—श्री हरीसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के देवीधूरा-धूनाघाट मोटर मार्ग, जो सरकार द्वारा नांन प्लान में स्वीकृत है, और जिसका निर्माण कार्य १७ अगस्त, १९७० को तत्कालीन वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उद्घाटन भी सम्पन्न हो चुका है, का कार्य कब तक प्रारम्भ होगा तथा कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री महमूद अली खां—

यह निर्माण कार्य इस वर्ष के अन्त तक प्रारम्भ होने की आशा है और इसे पूर्ण करने में लगभग चार वर्ष लगेंगे ।

अल्मोड़ा-लोहाघाट मार्ग का निर्माण

*३०—श्री हरीसिंह विष्ट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अल्मोड़ा-लोहाघाट मोटर मार्ग, जिसका कुछ भाग मोरनौला से देवीधुरा तक बनाना अभी शेष है, के बनने की निकट भविष्य में कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री महमूद अली खां—

मोरनौला-देवीधुरा मार्ग के बनाने की अभी कोई योजना नहीं है ।

प्रदेश में राजकीय नलकूप योजना तथा इलाहाबाद में नलकूप

*३१—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष १९७१-७२ में कितने राजकीय नलकूप बनाने की योजना है और उनमें इलाहाबाद को कितन नलकूप आबंटित किये गये हैं ?

श्री राम लखन—

प्रश्न का प्रथम भाग

वित्तीय वर्ष १९७१-७२ में अभी ५४२ नलकूपों का जिलेवार वितरण स्वीकृत किया गया है ।

प्रश्न का दूसरा भाग

३० राजकीय नलकूप इलाहाबाद जिला के लिये आबंटित किये गये हैं ।

*३२—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ अप्रैल, सन् १९७० से ३१ मार्च, सन १९७१ तक कुल कितने नलकूप बहादुरपुर, ब्लाक फूलपुर ब्लाक, जिला इलाहाबाद में लगाये गये और उनमें कितने असफल हुए , और सरकार उनको सफल बनाने की क्या कायवाही कर रही है ?

श्री राम लखन—

प्रश्न का प्रथम भाग

वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में ११ नलकूप बहादुरपुर ब्लाक तथा १४ नलकूप फूलपुर ब्लाक (इलाहाबाद जिला) में छिद्रित किये गये ।

प्रश्न का द्वितीय भाग

उनमें से एक नलकूप असफल रहा । इसके पुनः छिद्रण करने की कार्यवाही प्रस्तावित है।

*३३–३४—श्री निर्भय नारायण सिंह—

[५वें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या १४–१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३५—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[५वें बुधवार के ता० प्र० सं० २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मेरठ मेडिकल कालेज के निर्माण में भ्रष्टाचार की जांच

*३६—श्री मंजूर अहमद तथा श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का ८ जून, १९७० का पत्र जिसमें मेरठ मेडिकल कालेज की इमारत के बनाने में भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम लखन—

केवल श्री मंजूर अहमद का पत्र दिनांक ८ जून, १९७० का प्राप्त हुआ । शिकायतों की जांच कराई गई और वे सही नहीं पायी गईं ।

*३७—श्री रामलगन दुबे—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जनपद , गोरखपुर के विकास क्षेत्र, लक्ष्मीपुर में रोहिन नदी के कटाव से फसल को क्षति

*३८—श्री रामलगन दुबे—

क्या सिंचाई मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के विकास क्षेत्र लक्ष्मीपुर में ग्राम दशरथपुर के पास नदी रोहिन के कटाव से गई गांवों की खेती प्रतिवर्ष बरबाद हो जाती है तथा पिपर वाले गांव की आबादी के भी बरबादी की स्थिति आसन्न है ? यदि हां, तो कटाव से ग्रामीणों की आबादी एवं कृषि के लिये सरकार शीघ्र कौन सी व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री रामलखन—

जी हां । फिलहाल कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री गंगा प्रसाद—

[५वें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

२—श्री गंगा प्रसाद—

[५वें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रतापगढ़ रोडवेज डिपो में बसों की संख्या तथा उनकी चालन क्षमता

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि प्रतापगढ़ रोडवेज डिपों में कुल कितनी बसें हैं और उनमें से कितनी बसें काम में नहीं आ रही हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

राजकीय रोडवेज, प्रतापगढ़ डिपों में कुल ४४ बसें हैं जिनमें से ९ बसें काम में नहीं लाई जा रही हैं । इस डिपो पर शेड्यूल्ड आपरेशन के लिये ३४ बसों की आवश्यकता है ।

४—श्री प्यारे लाल—

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि प्रतापगढ़ रोडवेज की ऐसी कितनी बसें हैं जो बसों के लिये निर्धारित मील अथवा किलोमीटर पूरा चल चुकने के बाद भी प्रयोग में लायी जा रही है और क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

राजकीय रोडवेज, प्रतापगढ़ में केवल तीन बसें हैं जो निर्धारित ४,८०,००० किलोमीटर पूरा करने के बाद भी चलाई जा रही हैं क्योंकि वे अभी यांत्रिक दृष्टि से चलाने योग्य पाई गई हैं ।

५—श्री श्याम लाल कनौजिया—

[५ वें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

६—श्री नत्थाराम रावत—

[५वें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोंडा-उतरौला सड़क का पुनर्निर्माण

७—श्री दीप नरायन बन (जिला गोंडा)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद, गोंडा के गोंडा-उतरौला रोड का जीर्णोद्धार शासन द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री महमूद अली खां—

जनपद गोंडा में गोंडा-उतरौला मार्ग के ११ मील से मील २३ तक का पुनर्निर्माण तथा सुधार कराया जा रहा है । कार्य जून, १९७२ तक पूर्ण होने की आशा है ।

जनपद गोंडा में इटियाथोक-विशेषगंज सड़क का निर्माण

८—श्री दीपनरायन बन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, गोंडा में इटियाथोक से विशेषगंज जो मार्ग खरगपुर होते हुए जाता है उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेकर निर्मित कराने की योजना है ? यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं । ऐसी कोई योजना नहीं है ।

गवर्नमेंट रोडवेज, देहरादून के अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण

६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० गवर्नमेंट रोजवेज, देहरादून क्षेत्र में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो दिनांक ३१ मई, १९७१ तक भी स्थाई घोषित नहीं किये गये और क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

देहरादून रीजन में कर्मचारियों की कुल संख्या १४८२ है जिसमें ६४१ स्थायी किये जा चुके हैं । शेष ८४१ कर्मचारियों का स्थायीकरण, पदों के स्थायीकरण के पश्चात् विचार किया जा सकेगा ।

सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा जीप से दिल्ली चलने की घोषणा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

एक औचित्य का प्रश्न है । श्रीमन्, कल शाम को भी और आज सुबह भी हमने सुना, सत्तारूढ़ कांग्रेस की एक जीप में दो लाउडस्पीकर बंधे हुये हैं और यह ऐलान हो रहा है कि माननीय पंडित कमलापति त्रिपाठी, मुख्य मंत्री, का यह आदेश है कि यहां के जितने मंत्री हैं वह सब रोडवेज की स्पेशल बसेज में जनता को ६ तारीख को दिल्ली ले जायं बंगला देश की मुक्ति के सिलसिले में प्रदर्शन के लिये । तो क्या बंगला देश की लड़ाई दिल्ली में आ गयी है ? फिर तो ज्यादा अच्छा यह होता कि सारी बसें पूर्वी बंगाल चली जातीं और वहीं बस जाते तो देश का फायदा होता ।

परिवहन मंत्री से संबंधित प्रश्न संख्या ४ व ५ के विषय में चर्चा की मांग

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज जो दो प्रश्न परिवहन मंत्री के थे उन दोनों प्रश्नों पर इस माननीय सदन के सदस्यों की जो दिलचस्पी उसमें प्रतीत हुई और आवंटन में भी कुछ गलत और सही ऐसी बात प्रतीत हुई तो सभी माननीय सदस्य बैठे हैं वह उसमें दिलचस्पी रखते हैं । मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि नियम ५२ के अन्तर्गत दो घंटे की चर्चा का समय दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक प्रश्न के ऊपर इतनी बात हुई है । आधा घंटे की चर्चा के बारे में मैं विचार करूंगा । आप लिख कर दे दीजियेगा ।

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

आधा घंटे में तो लिस्ट भी नहीं पढ़ी जा सकती ।

(व्यवधान । श्री नित्यानन्द स्वामी और श्री रामगोपाल संड एक साथ बोलते रहे ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उमाकान्त बाजपेयी की दिल्ली में गिरफ्तारी के संबंध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

एक सूचना मुझे देनी है कि आप ही के दल के माननीय उमाकान्त बाजपेयी, विधान सभा के सदस्य दिल्ली में गिरफ्तार हुये। यह तार आया है। और तिहार जेल में वह बन्द हैं। एक दिन की सादी कैद उनको हुई है। धारा १८८ के अन्तर्गत वह गिरफ्तार हुये थे। यह सूचना मैं सदन को देता हूं।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, इस सदन ने ३० मार्च को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया था कि बंगला देश को मान्यता दी जाय। कल माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी, हमारे नेता भी वहां गिरफ्तार हो गये हैं। आपके पास तार आता होगा। बाजपेयी जी के सम्बन्ध में आपने तार पढ़ा। परसों आपने कुछ और सदस्यों के गिरफ्तारी की सूचना दी। तो जब इतना शान्तिपूर्ण सत्याग्रह चल रहा है इन्दिरा जी के हाथ मजबूत करने के लिये तो क्या कोई स्मरण-पत्र मुख्य मंत्री जी ने बंगला देश को मान्यता देने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को पुनः भेजा है? यदि नहीं तो क्यों? आप माननीय मुख्य मंत्री जी से इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो प्रस्ताव के बारे में कहा, उसका तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने जबाव दिया है।

(व्यवधान)

नागरिक परिषद् में गोलमाल के संबंध में जानकारी

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, कार्यकारी अध्यक्ष, नगररिक परिषद ने मुख्य मंत्री को लिखा है कि चूंकि नागरिक परिषद् में बड़ा गोलमाल है तो या तो मंत्री जी इस्तीफा दे दें या मैं कार्य नहीं करूंगा और यहां बंगला देश की बात चल रही है....इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री क्लीयर कर दें कि क्या पोजीशन है?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपने कह दिया।

एक व्यवस्था के प्रश्न में दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर आपत्ति

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, यह है कि इस सदन के अन्दर यह परिपाटी पड़ती जा रही है कि एक ही समय पर एक व्यवस्था के प्रश्न पर दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है। तो, श्रीमन्, आप इस पर अपनी व्यवस्था दें कि क्या एक ही व्यवस्था के प्रश्न पर एक से अधिक व्यवस्था के प्रश्न उठाये जा सकते हैं? नियम ३०० के अन्तर्गत सरकार से जब कोई सदस्य जानकारी मांगने के लिये अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाये तो उस पर ऐसा औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो क्या इस प्रकार की परिपाटी सदन के अन्दर पड़ना नियम के अनुरूप है?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शिवराज सिंह ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है....

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

कृपया मेरी बात भी सुन लें। माननीय शिवराज सिंह ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया ३०० (१) के अन्तर्गत। एक दिन पहले भी उन्होंने इस प्रकार का प्रश्न उठाया था। पता नहीं वह कैसे इस प्रकार नीति अख्तयार कर रहे हैं। ३०० (१) के बाद नियम ३०० (२) भी है उसको भी जरा पढ़ लिया जाय। उसमें है कि कोई सदस्य कार्य की एक मद समाप्त होने पर और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच में औचित्य का प्रश्न उठा सकता है। जैसे हमारे कुछ विधायक दिल्ली में गिरफ्तार हो गये। सदस्यों के गिरफ्तार होने से सदन के कार्य में अव्यवस्था पैदा होती है तो वह प्रश्न नियम ३०० (२) के अन्तर्गत उठाया जा सकता है। हमारे सत्तारूढ़ दल के विधायक भी दिल्ली में ९ तारीख को बुलाये गये हैं। इस कारण यह नियम ३०० के अन्तर्गत बीच में औचित्य का प्रश्न उठाया गया। आप चाहें तो नियम देख लें कि सदन के सदस्यों को यह पूर्ण अधिकार है कि जिस प्रश्न पर चाहें औचित्य का प्रश्न उठा सकते हैं और केवल अध्यक्ष यह विनिश्चय करेंगे कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं। तो इस पर हम लोगों का अधिकार था, इसलिये वह उठाया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने ३०० का उल्लेख किया है जो इससे सम्बन्धित है उसके (२) में यह है कि "औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे यदि वह सदन में व्यवस्था बनाये रखने या सदन के समक्ष कार्य विन्यास के सम्बन्ध में हो।" तो नियम सदन का बिल्कुल साफ है। नियम के अनुकूल हम आचरण करें यही होना चाहिये।

बंगला देश को मान्यता देने के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन् आपने एक बार पहले भी व्यवस्था दी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप मेरे अधिकारों को क्यों समेट रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा निवेदन यह है कि पहले ऐसा प्रस्ताव इस सदन में पास किया गया है कि बंगला देश को मान्यता तुरन्त दी जाय लेकिन इस समय जो केन्द्रीय सरकार का ट्रेंड है वह ऐसा है कि वह मान्यता नही दे रही है। हमारे मुख्य मन्त्री जी ९ तारीख जो प्रदर्शन करने के लिये दिल्ली जायेंगे तो क्या वह इस सदन की भावनाओं को वहां पर व्यक्त करेंगे और सदन की इच्छाओं के अनुरूप मांग करेंगे कि बंगला देश को तुरन्त मान्यता दी जाय? और यदि नहीं करते तो मैं निवेदन करूंगा कि इस सदन की भावनाओं को वह व्यक्त न कर के सदन का तिरस्कार करेंगे। इस सदन की भावनाओं को सदन के नेता द्वारा संसद के सामने व्यक्त करना आवश्यक है। तो क्या ९ अगस्त को माननीय कमलापति जी इस सदन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए वहां यह कहेंगे कि इस सदन का यह मत है और उनका भी मत है कि बंगला देश को तुरन्त मान्यता दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

आप तो कार्यमंत्रणा समिति में थे। अगर आप ऐसा महसूस करते थे तो कहते। आप इस को फिर से दें आपने केवल कहने के लिये यहां कह दिया। अब हम आगे चलते हैं.....

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, अब परिस्थिति बदल गई है.... (व्यवधान)

नियम ५१ व ५६ के अन्तर्गत सूचनाओं को अल्प-सूचित प्रश्नों के अन्तर्गत स्वीकार करना

श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी)---

उपाध्यक्ष जी, मैं एक दूसरे प्रश्न की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि जब आप यहां नियम ५१ के अन्तर्गत प्रश्न या कार्यस्थगन प्रस्ताव लेते हैं तो बहुत से मामलों में आप कह देते हैं कि आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें या ऐसा ऐसा कर लीजिये और अल्पसूचित भी यदि मंजूर हो जाते हैं तो वह आते नहीं और दो एक प्रश्न अल्पसूचित की जगह तारांकित कर दिये गये.....

श्री उपाध्यक्ष---

कहीं भूल से हुआ होगा.....

श्री बंशीधर पांडेय---

जिन बातों को अध्यक्ष आसानी से कहते हैं और मान लेते हैं उसका पालन तो होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर अल्पसूचित प्रश्न होता है तो सरकार को भेजते हैं तो १५ दिन, नियम के हिसाब से स्थगन जांच के लिये सरकार लेती है और वह अल्पसूचित में भी लग जाते हैं लेकिन अगर उत्तर तुरन्त रहता है तो वह फौरन दिला देते हैं। जो माननीय सदस्य यहां के किसी निर्देशन को लिख देते हैं तो मैं स्वीकृति दे देता हूं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राम बिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

उपाध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिससे करोड़ों लोगों का सम्बन्ध है...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

मैं निवेदन करूंगा के इसके बारे में आप चर्चा न करें, मैंने इसको देख लिया है.....

(व्यवधान)

श्री राम बिलास पांडेय---

मेरा निवेदन आप सुन लें.....

श्री उपाध्यक्ष---

यह आपका कौन सा है ? कहीं पर आप के हस्ताक्षर हैं ? मैं निवेदन करूंगा कि आप अभी इस प्रश्न को न उठावें तो अच्छा है आज इस पर बात कर लें और उसके बाद आप उठाना चाहेंगे तो उसमें कोई बाधा न होगी....

श्री राम बिलास पांडेय---

माननीय वित्त मंत्री जी ने जनता के बीच में अपने भाषण में यह बात कही है.....

श्री उपाध्यक्ष---

आप बात कर लें।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, इसमें बड़ा स्पष्ट आरोप है आप इस को पढ़कर तो सुना दें। वित्त मंत्री जी का जो भाषण हुआ है, वह समाचार-पत्रों में भी आया है.....

श्री उपाध्यक्ष---

आप उसको न उठायें, बात करने के बाद यह प्रश्न उठाना चाहेंगे तो उठाया जायगा।

श्री कृष्णानन्द राय---

इसमें बड़ा झंझट हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर हमें बहस करनी पड़ेगी।

हम जांच कर लें कि इस अखबार की खबर सही है या नहीं। मैं उस स्थिति को बताऊंगा। अगर आप सन्तुष्ट न हों और प्रश्न उठाना चाहते हों तो मैं रुकावट नहीं डालना चाहता।

श्री वंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

इसे कब लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं बात कर लूंगा। अगर उस बात से आप संतुष्ट नहीं होते हैं और आपको अगर वह स्वीकार नहीं होगा और आप कुछ कहना चाहेंगे तो वह लिया जायेगा।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, जिन प्रश्नों के बारे में आपने कहा है उसमें पन्द्रह दिन का समय मिलता है। परन्तु दो दो तीन तीन महीने हो गये वह प्रश्न नहीं आये।

श्री उपाध्यक्ष---

किसी भी प्रश्न पर दो महीने नहीं हुये। एक प्रश्न बताइये। दफ्तर से फाइल आ जाय तब मैं बताऊंगा। यदि इस सम्बन्ध में अधिकारी दोषी पाये जायेंगे तो उनको कहूंगा।

श्री उमाकान्त बाजपेयी की दिल्ली में गिरफ्तारी के संबंध में सूचना (क्रमागत)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिल गोंडा)—

बंगला देश के बारे में श्री उमाकान्त बाजपेयी की गिरफ्तारी की सूचना दे दी गई है जब कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि हमारे दल के कई एम०एल०ए०—पालीवाल साहब—गये हुये हैं और वहां की पुलिस ने बुरी दरह से घसीटकर उनको मोटर पर चढ़ाया। उनके साथ अत्याचार किया गया। यह वहां की परिस्थिति है। यहां के एम०एल०एज० के साथ वहां की पुलिस इस तरह का दुर्व्यवहार कर रही है। उमाकान्त बाजपेयी गिरफ्तार हुये हैं, छोड़ दिये गये। मैं इतना चाहता था कि अभी-अभी इन्दिरा कांग्रेस ने तय किया है कि दिल्ली जाकर बांगला देश की मान्यता के लिये सवाल खड़ा करेंगे या भारतीय जनसंघ के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसी लहजे में आपकी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि ९ तारीख को जो पैम्फलेट छपा था उसमें यह तय था कि ९ तारीख को वहां पर प्रदर्शन करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जो भावनायें व्यक्त.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो रहा है। आपके नित्यानन्द स्वामी और रामगोपाल संड में ध्यान आकृष्ट कर दिया है। आप कृपा करके आसन ग्रहण करें। आगे का काम चलने दीजिये।

१९७१—७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १२—गांव सभाएं और पंचायतें

सामुदायिक विकास राज्यमंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १२....

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या इससे संबंधित साहित्य बंट गया है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, पिजन होल में साहित्य रख दिया गया था सम्भवतः किसी सदस्य को न मिल पाया हो।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं जा रहा हूं। अगर वहां साहित्य होगा तो ले आऊंगा। अगर नहीं है तो मैं माननीय मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की नोटिस लीजिये।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वष में अनुदान संख्या १२—गांव सभायें और पंचायतें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,१८,९९,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

उपाध्यक्ष जी, प्रस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष ७१—७२.....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)––

एक निवेदन करना है, श्रीमन्। इस समय जिला परिषदों का जो कि इनके विभाग में है, सामुदायिक विकास विभाग में आता है, सारा प्रशासन ठप्प है। आज हमारी विधान सभा के सम्मुख जिला परिषदों के कर्मचारी भूख हड़ताल कर रहें हैं और सारे प्रदेश में जिला परिषद् के कर्मचारी आज काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी अपने भाषण में यदि जिला परिषद् के कर्मचारियों की मांग को मानने के बारे में भी घोषणा कर दें ताकि भूख-हड़ताल समाप्त हो जाय तो हम ग्रान्ट ही नहीं पास कर देंगे बल्कि उनको बधाई भी देंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह––

श्रीमन्, अपने पिजन होल में मैंने इतना कागज पाया और वहां जो कर्मचारी हैं, उनसे मैंने पूछा तो पता लगा कि आज कोई इस प्रकार का साहित्य, जैसा कि मंत्री जी ने कहा, नहीं रखा गया है। इसलिये मैं इनके विरुद्ध विशेषाधिकार की नोटिस आपको देता हूं, आप इनके खिलाफ कार्यवाही करें। अब मैं इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि जब नियमों में इस बात की व्यवस्था है कि बजट से सम्बन्धित साहित्य कम से कम एक दिन पूर्व बट जायगा तो....

श्री उपाध्यक्ष––

कौन सा नियम है ?

श्री कल्पनाथ सिंह––

अब तक यह परम्परा रही है।

श्री उपाध्यक्ष––

इन नियमों में मुझे कहीं भी पढ़ने को नहीं मिला।

श्री कल्पनाथ सिंह––

आपके ज्ञान को तो मैं चैलेन्ज नहीं कर सकता लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि साहित्य बट जाय.....

श्री उपाध्यक्ष––

यह औचित्य का प्रश्न है।

श्री कल्पनाथ सिंह––

तो उसी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप इस पर व्वयस्था दे दें और सरकार को डाट दे कि आज आपका यह बजट पेश नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष––

यह औचित्य का प्रश्न निस्संदेह है और साहित्य मिल जाना चाहिये। अगर नहीं मिला है तो यह अनुचित है।

श्री गोपीनाथ दीक्षित––

माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष १९७१–७२ में २,३०,१९,५०० रु० मतदेय तथा २००० रु० भारित की धनराशियों की कुल व्यवस्था है। इसमें से १,११,२०,००० रु० मतदेय तथा २००० रुपया भारित की धनराशियां प्रथम पांच महीनों के लिये, अप्रैल से अगस्त, लेखा अनुदान द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। अब सात महीनों में होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु प्रस्तुत १,१८,९९,५०० रु० की धनराशि की नितान्त आवश्यकता है। इस

[श्री गोपीनाथ दीक्षित]

धनराशि में योजनेत्तर और योजनागत दोनों प्रकार के व्यय है। इस वर्ष के कुल अनुमानित व्यय में पिछले वर्ष के व्यय से २०,८६,००० रु० धनराशि की वृद्धि अन्तर्निहित है। इस वृद्धि का कारण अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन वृद्धियां अन्तरिम सहायता तथा निर्वाचन व्यय में बढ़ोत्तरी है।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में सत्ता के विकेन्द्रीकरण सिद्धान्त को स्वीकार करके पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना हुई थी। हमारे प्रदेश में ७२,२९२ ग्राम सभायें, ८७०७ न्याय पंचायतें, ६५७ क्षेत्र समितियों तथा ५१ जिला परिषदें हैं। इन पंचायतों के चुनाव १९६०-६१ में हुये थे। अब दिसम्बर-जनवरी में पुनः चुनाव होने जा रहे हैं। यह पंचायतें सत्ता विकेन्द्रीकरण की प्राथामक इकाई हैं। यह पंचयातें ग्रामीण स्वशासन और प्रजातांत्रिक व्यवस्था की अधारशिला है। इन पंचायतों के द्वारा ही हमने गांवों को स्वावलम्बी बनाने की कल्पना की है और इन्हीं पंचायतों द्वारा ग्रामवासियों में उत्पन्न संगठन शक्ति का उपयोग करके गांवों के सर्वांगीण विकास को कार्यान्वित करना चाहते हैं। मान्यवर, पंचायतों की उपयोगिता को दृष्टि में रखकर मैं पंचायत राज विभाग के अनुदान को स्वीकार करने की सदन से प्राथना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

संशोधन-माननीय कल्पनाथ सिंह।

श्री कल्पनाथ सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या-१२ के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)---

सामुदायिक विकाश मंत्री जी ने जो पढ़ा है उसमें राज्यपाल की सिफारिश का इस्तेमाल नहीं किया, आपकी आज्ञा से बजट पेश किया गया है। तो आप उसे फिर से पढ़वा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

राज्यपाल की सिफारिश से लिखा है।]

श्री राम करन सिंह---

उन्होंने कहा है कि आपकी आज्ञा से बजट प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

तो मैं फिर से पढ़ देता हूं। मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १२-गांव सभायें और पंचायतें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति क लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,१८,९९,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री कृष्णानन्द राय---

यह बजट दो बार पेश हो गया एक बार आपकी आज्ञा से और दूसरी मर्तबा राज्यपाल की सिफारिश से। यह सरकार तो अयोग्य सिद्ध हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

उस सिफारिश के अन्तर्गत ही आता है। अगर सिफारिश नहीं है तो आता नहीं होगी।

*श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं सोच रहा था कि सामुदायिक विकास मन्त्री जी के भाषण से इस सदन को कुछ प्राप्त होगा, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ कि ७२,२९२ गांव सभायें हैं और इतनी जिला परिषदें हैं और इतनी क्षेत्र समितियां हैं। यह सुनकर मुझे कष्ट हुआ जब मन्त्री जी ने कहा कि पंचायती संस्थाओं के हाथ मजबूत करने के लिये यह आवश्यक है कि उनके चुनाव करा दिये जायें। आपको याद होगा कि सबसे पहले इस प्रदेश में सन् १९४९ में गांव पंचायतों के चुनाव हुये थे। उस समय जिला बोर्ड काम कर रहे थे। उस के पश्चात् श्री एस० के० डे, जो उस समय केन्द्र में मन्त्री थे, की सिफारिशों के आधार पर, कमेटियों की सिफारिशों के आधार पर और जो पंचायत परिषद् बने, उनकी सिफारिशों के आधार पर, सारे हिन्दुस्तान में आल-इंडिया पैटर्न पर जिला परिषदों की स्थापना करने की कोशिश की गयी। यह सब पंचायत राज की कल्पना के अनुसार किया गया। पंचायत राज, श्रीमन्, आप देखें, त्रि-स्तरीय बन गया—गांव सभा, क्षेत्र समिति और जिला परिषद्। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ जाता है कि कभी-कभी जैसे शैतान भी कुरान की कसम खाता है, वह स्थिति इस सरकार के बारे में है। जो सरकार इसके पूर्व इन जिला परिषदों को समाप्त कर चुकी हो और वह सरकार इस बात का दावा करे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा है यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मन्त्री जी अपने जवाब में यह कहना पसन्द करेंगे कि उस समय मुख्य मंत्री इनके नहीं थे, लेकिन, श्रीमन्, जो कैबिनेट बनी हुयी थी उसके अन्दर तो इनके मन्त्रियों का बहुमत था। सरकार इनडीकेटी थी, सिर्फ उसके हैड चौधरी चरणसिंह थे। इनके ऊपर मेरा यह आरोप है और सीधे-सीधे यह कहना है कि इन्होंने प्रजातन्त्र का गला घोंटा है, इन्होंने प्रजातन्त्र की हत्या की है, पंचायती राज की कल्पनाओं की इन्होंने हत्या की है और गांधी जी के राम राज की हत्या की है। श्रीमन्, जो कुछ पंचायत राज होता है, यह बजट पेश करता है सदन के सामने। तो मैं कहता हूं कि इनकी गर्दन शर्म से झुक जानी चाहिये थी। पहले इनको जिला परिषदों के चुनाव कराने चाहिये थे तब सदन में आना चाहिये था, अन्यथा इस बजट को पेश नहीं करना चाहिये था। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज अगर जनता के सहयोग की बात कही जाती है तो श्रीमन् देखें कि इसका कुछ कारण है। आज जनता के प्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में अन्तर्द्वन्द बना हुआ है। श्रीमन्, मैं इस सिलसिले में यह बतलाना चाहता हूं कि जब पिछली सरकार थी तो उस सरकार के एक मंत्री ने एक सेमिनार का उद्घाटन किया। यह सेमिनार अक्तूबर, १९६९ को हैदराबाद में हुआ था। उस सेमिनार की प्रोसीडिंग्स में यह है कि आज जनता और सरकारी कमचारियों के बीच एक खाई पड़ी हुई है। सर्वप्रथम आज जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी यह समझता है कि अशिक्षित अथवा अर्धशिक्षित अथवा आर्थिक दृष्टि से कमजोर अथवा सामाजिक दृष्टि से कमजोर लोग जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं तो अधिकारी के अन्दर सुपीरियारिटी की भावना प्रकट होने लगती है, उसी तरह दूसरी तरफ हीनता की भावना पैदा होने लगती है चाहे आर्थिक असमानताओं के कारण हो या सामाजिक मान्यताओं के कारण हो। इसके कारण जो चुने हुये प्रतिनिधि और अधिकारीगण थे उनमें खाई थी लेकिन फिर अधिकारियों को जिला परिषदों में उनको सुपरसीड करके शासन करने का अवसर दे दिया इन अधिकारियों को फिर से गलत काम करने का मौका दे दिया। मैं जिस जिले से आता हूं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षन नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

वहां एक ए० डी० एम० (पी०) हैं उन्होंने एक बी० डी० ओ० को मुअत्तिल कर दिया। कहा जाता है कि चार्ज यह था कि उसने अमुक दिन अमुक जगह पर जाकर चार्ज नहीं लिया। सरकार के यहां से भी इसका अनुमोदन हो गया। फिर श्रीमन्, आप देखें कि वह बी० डी० ओ० कहता है कि मुझको इस प्रकार का कोई आदेश प्राप्त ही नहीं हुआ तो फिर से दुबारा रिवाइज्ड आर्डर भेजा गया जिस पर पिछली तारीख में दस्तखतें होती हैं, आगे की तारीख में कर दिया जाता है। मैं यह नहीं समझता कि अगर उसकी जगह जन-प्रतिनिधि होता तो वह ऐसा काम करता उसकी इस प्रकार की कार्यवाही पर अवश्य रोक लग जाती। लेकिन श्रीमन्, वह बी० डी० ओ० आज भी ज्यों का त्यों मुअत्तल है। यह अफसरशाही के कुकृत्यों का जीता जागता उदाहरण है। कुकृत्य किसके साथ, नौकरशाही के साथ। वह भी गजटेड अफसर हैं। श्रीमन्, आप और फरमायें कि इस सरकार की हालत क्या है और क्यों उन्होंने चुने हुये प्रतिनिधियों को समाप्त कर सीधे-सीधे अपने हाथ में अधिकार लेना चाहा।

जिस ब्लाक में मैं रहता हूं वहां आदेश हुआ कि बी० डी० ओ० ट्रान्सफर होकर जायेगा। मैंने सुना कि वह दूसरे जगह पहुंचा भी लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा वैसे ही आदेश मिला कि तुम इस ब्लाक पर नहीं रहोगे और उसका दूसरे ब्लाक पर स्थानान्तरण कर दिया गया और वहां सरकारी खर्च पर दूसरा बी० डी० ओ० पोस्ट कर दिया गया। यह दूसरा नमूना है पंचायती राज का जिसकी ये कल्पना करते हैं।

श्रीमन्, एक और तीसरा उदाहरण देखें। आज उसी जिले में एक पंचायत अधिकारी स्थानान्तरित किया जाता है और जहां का तहां उसको पोस्ट कर दिया जाता है। यह सारी कलायें इस बात की द्योतक हैं कि ये प्रजातांत्रिक जीवन में, प्रजातांत्रिक पद्धति में और उसकी उपयोगिता में विश्वास नहीं रखते। इसीलिये जो सिफारिशें थीं कि जिला स्तर पर न्याय व्यवस्था और सामान्य प्रशासन की बात छोड़कर विकास सम्बन्धी कार्य जिला परिषदों और उनके अधीनस्थ पंचायती इकाइयों को सौंप दिया जाय, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया।

श्रीमन्, इन्हीं की पार्टी का मुख्य मंत्री महाराष्ट्र में है। वह मेरी पार्टी में नहीं हैं। पहले थे। वहां क्या होता है? महाराष्ट्र में ७० परसेंट स्टेट का रेवेन्यू जिला परिषदों के माध्यम से विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है। इनके यहां भाषण हुआ कि दिसम्बर, जनवरी तक चुनाव करा देंगे। भगवान जाने होगा क्या नहीं। इन्होंने कहा है कि कोशिश की जायेगी। जो बजट पेश किया है और जो साहित्य है उसमें लिखा है कि प्रयास किया जायगा। ये स्वयं निश्चित नहीं है कि चुनाव करा देंगे। ये न 'हां' कहते हैं और न 'नहीं' कहते हैं। यह कहते हैं कि कोशिश की जायेगी। आज इनके यहां जो भी ढांचा है वह सीधा-सीधा अफसरशाही का ढांचा है। अन्यथा जैसा मैंने उदाहरण दिया आप महाराष्ट्र से सीखते। अगर आपको तकलीफ न हो और बेइज्जती महसूस न हो तो गुजरात से सबक सीख लेते। श्रीमन्, वहां भी इनको दिक्कत होती है तो मैसूर से सबक सीख लेते कि वहां पंचायती राज का ढांचा किस प्रकार चलाया जाता है। लेकिन इनका तो इरादा ही नहीं है। मैं इस बात के लिये इनको चार्ज करना चाहता हूं और आपको याद होगा श्रीमन्, इस देश में मान्यवर, एक नेता पैदा हुआ जिसका नाम था डा० राममनोहर लोहिया जिसने यह कहा था कि लोग मेरी बात सुनेंगे, मगर मेरे मरने के बाद। वह यह कहता चला गया कि इस देश में नेतृत्व पैदा होगा और वह नेतृत्व राष्ट्रीय नहीं होगा, अन्तर्राष्ट्रीय नहीं होगा वह ग्राम का नेतृत्व होगा और जब वह होगा तभी देश का सही मानी में विकास हो सकेगा। मैं अगर गलत समझा हूं तो मान्यवर, मुझे सही कर दें। आज उस भावना का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है। आज हिन्दुस्तान की जिंदगी दो हिस्सों में बंटी है—एक शहरी जिंदगी, एक देहाती जिंदगी। देहात वाले को गंवार समझा जाता है। देहात का आदमी कितना ही योग्य क्यों न हो, वह गंवार समझ जाता है। बदकिस्मती आज यह है कि देहाती आदमी भी अपने को शहरी कहने में फख समझता है। देहात में पैदा हुआ व्यक्ति यदि अफसर बनकर शहर

में आ जाता है तो भी देहात को उसी नजरिये से देखता है जिस तरह दूसरे हुक्मरां देखते हैं। इस सरकार ने नया नेतृत्व पैदा करने की दिशा में कोई कदम उठाया ही नहीं। इनका प्रयास यही रहा कि गांव का आदमी इनके शासन की चकाचौंध को न देख पाये। अगर कोई प्रयास किया भी तो कायदे कानून इस तरह के बना दिये कि जिसके कारण उसके अन्दर देश को आगे ले जाने की क्षमता पैदा नहीं हो सकी। मैं इसलिये इस बात को कहता हूं कि जिस देश और प्रदेश में ८५ प्रतिशत जनता देहात में रहती हो, उसके साथ इस प्रकार का रुख अपनाया जाय तो वह किस प्रकार से आपके साथ सहयोग करेगी? आपने कहां कौन-सा उनको अवसर दिया? कहां चुनाव पद्धति में परिवर्तन किया? नहीं किया। अगर इस ओर कुछ करने का सरकार का इरादा ही मुझे मालूम हुआ होता तो मुझे खुशी होती। लेकिन वह भी नहीं है। यह चाहते क्या हैं? लगातार हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप।

गांव पंचायतों से लेकर जिला परिषदों तक में इनका हस्तक्षेप रहता है। गांव में जो चुनाव होते हैं उनमें दलबन्दी उभरती है और उसका असर न केवल उसी वक्त रहता है, बल्कि उसका प्रभाव दूरगामी होता है। काफी दूर तक वह गुटबाजी और पार्टीबाजियां जाती हैं। उनमें बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जाति-बिरादरी का भी स्थान रहता है। हमेशा पुलिस और अधिकारियों का संरक्षण कुछ बड़े लोगों को प्राप्त रहता है। उसका नतीजा यह होता है कि कभी गांव में सिवाय दो-चार लोगों के, जिनको ठेकेदारी प्राप्त रहती है सभापति और सरपंच आदि होने की, उनके अलावा कोई और नहीं आ पाता है। सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि ऐसे ठेकेदारों का आधिपत्य खत्म हो और जनता का नेतृत्व सामने आए, जो नेतृत्व इस मुल्क को सही मानों में अपने हाथों से बनावे और संवारे। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि वह अपनी तरफ से इस बात को कहेंगे, लेकिन मंत्री जी ने नहीं कहा। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार दूसरे अंगों से कुछ दबी हुई है और इसीलिये यहां भी देख लिया जाए मंत्री जी बैठे रह गये और स्टेट मिनिस्टर साहब ने भाषण दे दिया।

आज ब्यूरोक्रेसी की हालत क्या है? जिला परिषद् के प्राथमिक शिक्षक दूरस्थ गांवों में शिक्षा का काम करते हैं और पाठशालायें चलाते हैं और प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष का सरकारी मशीनरी ने बिना किसी आधार के स्थानान्तरण कर दिया है। सिर्फ इसलिये कि प्राथमिक शिक्षकों का संगठन प्रभावहीन बन जाये। उसके ऊपर जो चार्ज लगे हैं जो मैंने सुने हैं बड़े संदिग्ध हैं। पहले यह लगा कि यह फैमली प्लानिंग के काम में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। मुझको पता चला कि सच्चाई यह नहीं है। तो मैं यह चाहता हूं कि मंत्री जी आज तो इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे किन्तु बाद में इसे मालूम कर मुझे एक पत्र लिखकर जवाब दे दें कि मेरी सूचना गलत थी। जिलाधीश महोदय ने उस प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष को स्थानान्तरित किया, इसलिये कि उसन फमली-प्लानिंग का काम नहीं किया। फिर यह चार्ज लगा कि यह तो शराब पीने वाला आदमी है। जाने क्या-क्या चार्ज लगे। कारण एक ही था एस० डी० आईज० लोग जो पास कराने के लिये एक रुपया लिया करते थे, वह उसे बढ़ाकर पांच रुपये लेने लगे थे। तो जब यह एक रुपये से शुरू होकर पांच रुपये और १० रुपये तक गया, तो यह चीज उस अध्यक्ष को अखरी। जब एस० डी० आई० को मालूम हुआ कि वह एक रुपये का भी विरोधी है तो उसने झूठी शिकायतें करना शुरू कर दिया। आज भी प्राथमिक शिक्षक संघ का अध्यक्ष बेचारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाया है, आप देखें। मैंने यह उदाहरण इसलिये दिया कि अगर किसी आई० ए० एस० एशोसिएशन के अध्यक्ष के साथ यह घटना हुई होती तो यह लोग बरदाश्त करते? यह घटना उनके साथ हो नहीं सकती थी। काश अगर, किसी दूसरे लोगों के साथ घटना हुई होती तो यह लोग बरदाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन अफसरशाही का यह तौर तरीका है। कारण क्या है? वह प्राइमरी स्कूल का मास्टर अपनी संस्था का पदाधिकारी होता है, निर्भीक है, इसलिये उसके साथ इस प्रकार की ज्यादती करने की कोशिश की गयी।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

श्रीमन्, आपका ध्यान इस बात की तरफ भी ले जाने की कोशिश करूंगा कि आज पंचायती राज की संस्थाओं में अर्थ व्यवस्था की बहुत बड़ी कमी है। श्रीमन्, संथानम् कमेटी की जो रिपोर्ट आयी अथवा जो १९६३ में स्टडी टीम बनी, पंचायती राज के फाइनेंसेज के सिलसिले में, उन रिपोर्ट्स् के आधार पर, क्या सरकार की तरफ से बताया जायगा कि महाराष्ट्र में पंचायती राज संस्थाओं को कितना पैसा प्राप्त होता है अपनी कारगुजारी के लिये और उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या दूसरी समितियों के अध्यक्ष, इनके वेतन भत्ते क्या हैं और इस प्रदेश के क्या हैं। श्रीमन्, अगर आप देखेंगे तो जो पर कैपिटा खर्चा और इन्कम महाराष्ट्र में है, पंचायती राज संस्थाओं के जरिये, उसका पंचिंग अंश इस प्रदेश में नहीं है। श्रीमन्, अगर आप देखें तो यह बताया जाता है कि जो पर कैपिटा एक्सपेंडीचर है ६०-६१ में उत्तर प्रदेश में वह कहीं .६६, कहीं .०३ और कहीं .४९, इस तरह से है और इसके ठीक बरखिलाफ अगर राजस्थान में देखें तो २.६१, ५.५३, २.८१, ४.४५ इस तरह का है। इसी तरह अगर आप महाराष्ट्र का देखें तो महाराष्ट्र में सारे स्टेट बजट का करीब-करीब ७० फीसदी पंचायती राज की संस्थायें खर्च करती हैं। आपके इस उत्तर प्रदेश में मंत्री जी बतायेंगे कि क्या मुकाबला है। श्रीमन्, लैंड रेवेन्यु का जहां तक ताल्लुक है यह कहा जायगा कि सवा छः एकड़ लगान के हिसाब से लैंड रेवेन्यु काफी हद तक माफ हो चुकी लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल सिर्फ यह है कि जिस समय यह आप कर सकते थे उस समय भी नहीं किया। आज जो बचता है लैंड रेवेन्यु, उसमें आपने पंचायतों को उसका योगदान नहीं दिया।

आज भी आप उस काम को करने के लिये तैयार नहीं हैं वरना आपकी तरफ से इस बात की घोषणा हुई होती कि आप यह काम करने के लिये तैयार हैं। इस बजट में यह भी नहीं आया है कि इस-इस तरह से इन्कम बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। पंचायतों के अन्तर्गत जो बजट साहित्य आप देखेंगे कि आर० एम० पी० को जो काम सौंपा गया था उसमें आपने कह दिया कि उसका पैसा केन्द्रीय सरकार ने देना बन्द कर दिया है इसलिये अब उस पर कोई खर्च नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आखिर आपने केन्द्रीय सरकार को कोई इस प्रकार का प्रस्ताव भेजा कि आर० एम० पी० की जो स्कीमें थीं वह पूरी नहीं हो सकी हैं। हम तो चलो विरोधी पक्ष के हैं किन्तु वहां पर केन्द्र में तो आपके रहनुमा लोग ही थे। अगर उनकी सरकार यहां पर न होती तब तो बात थी किन्तु आपकी ही सरकार वहां पर होते हुये केन्द्रीय सरकार ने उस स्कीम के लिये आपको पैसा देना बन्द कर दिया। श्रीमती सुचेता कृपलानी के जमाने में वह स्कीम चलती रही, अभी तक भी चलती रही। गांवों की सड़कों का विस्तार होता रहा, लोगों को काम मिलता रहा किन्तु इस सरकार के आते-आते आर० एम० पी० के अन्तर्गत मिलने वाली मदद केन्द्रीय सरकार ने बन्द कर दी। नये काम तो आप नहीं ले सकेंगे किन्तु बाकी और जो काम है, उनको पूरा करने के लिये केवल इन्होंने अपने बजट में व्यवस्था की है और उसका कारण आपने यह बताया है अगर आप नहीं करेंगे तो जो किया हुआ काम है, वह सब बेकार हो जायेगा, सिर्फ इतनी सी बात है। उसका मेन्टीनेन्स कौन करेगा। आपने अपने बजट में इस बात की घोषणा क्यों नहीं की और इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया कि आर० एम० पी० की स्कीम्स को चलाने एवं उनके अनुरक्षण में इस पंचायती राज बजट के अन्तर्गत आपको इतने रुपय की और आवश्यकता है। कहीं बजट में इस बात का जिक्र नहीं किया गया और इस बात को खुदा मियां पर छोड़ दिया। आर० एम० पी० की जितनी भी सड़कें, नहरें, पोखरें आदि बनीं, सब अपने-अपने रास्ते पर चलती रही और मिटती रही, लेकिन सरकार को इससे कोई वास्ता नहीं है।

ऋंश प्रोग्राम की चर्चा यहां पर बड़ी जोरों से चल रही है। अगर ऋंश प्रोग्राम चलाना था और वह आर एम० पी० का ही एक अंग हो, तो उसको दूसरा नाम देने की क्या जरूरत है। यह बेकारी दूर कर लेगा आर० एम० पी० नहीं कर सकती थी। किन्तु आपने आर० एम० पी० को बन्द कर दिया और उसके स्थान पर ऋंश प्रोग्राम को ले आये। और इसलिये ले आये

कि इनकी पार्टी गरीबी हटाने के लिये चली थी। इसका मतलब तो यह हुआ कि आर० एम० की जो स्कीम थी वह गरीबी बढ़ाने के लिये की गई थी और इनका क्रैश प्रोग्राम गरीबी हटाने के लिये लागू किया गया गौर अब इससे गरीबी हट जायेगी। मान्यवर, मिलगा, कितना कुल साढ़े बारह लाख। हमारे जिले का जहां तक सवाल है वहां ३० लाख की आबादी है तो मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी किस तरह से उसको दूर करने की योजना सोच रहे हैं। मान्यवर, यही नहीं, आर० एम० पी० के जो स्वीकृत कार्य थे, मेरा सरकार पर यह भी चार्ज है, उनको कसिल कर दिया और दूसरे तरीके से कलेक्टरों के माध्यम से और दूसरे नई-नई स्कीमों को मांगने की इन्होंने साजिश की और जो स्कीमें स्वीकृत थी आज उन पर काम शुरू भी नहीं हुआ था और जो आज भी लिये जा सकते थे उनको लेने में सरकार को क्या कठिनाई है। लेकिन उनका इरादा नहीं है। इरादा यह है कि जनता को दिखाने के लिये और हमको बहकाने के लिये वे यह कहेंगे कि हम साल भर में इस स्कीम के अन्तर्गत एक लाख रुपया खर्च करेंगे और वह काम शुरू होगा फरवरी में, और बाद में कहते हैं कि खर्च नहीं हुआ तो हम क्या करें। यह ठीक उसी तरह से है जिस तरह से कि टेस्ट वर्क्स चला करते थे। अंग्रेजों के जमाने से यह कायदा कानून बना है कि तीन आने में मजदूर क्यों नहीं मिलता, ५ आने में मजदूर क्यों नहीं मिलता उसको बन्द करो। धीरे-धीरे, बढ़ते-बढ़ते किसी तरह वह एक रुपया तक पहुंच पाया और कहा जाता है कि मजदूरी नहीं मिलता। वही स्थिति इस क्रैश प्रोग्राम को करने वाले हैं। यह भी वही बहाना करने वाले हैं कि दिल्ली की सरकार का हुक्मनामा आये। आज तक इनकी स्कीम तैयार नहीं हो सकी और अब यह कहते हैं कि शुरू करेंगे अक्तूबर से। किसके माध्यम से? वही कलेक्टर, वही ए० डी० एम०, वही जिलाधिकारी, पंचायत राज अधिकारी, वही सारे अफसर और कहीं कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा इस बात का कि जनता क्या चाहती है, जनता का पार्टिसिपेशन कैसे हो अगर ये स्कीमें गांव सभाओं के माध्यम से आयी होतीं आप कहते हैं कि मैंने विधायकों से पूछ लिया है। अगर पूछ लिया है तो यहीं क्यों नहीं पूछा? आप तो कहते हैं कि कलक्टर के यहां जाओ, दरबार में, उसकी सिफारिश करो तब यह स्कीम आवेगी। यही विधायकों से पूछना था तो मैं निवेदन करूंगा कि लखनऊ से यों नहीं पूछा, चिट्ठी लिखकर क्यों नहीं पूछ लिया गया। अगर आमने-सामने बात करने में कोई हेठी मालूम होती है? लेकिन विधायकों का सम्मान गिराने के लिये कलेक्टर के दरबार में भेजने का वह दूसरा फैसला किया और भी समझा दिया कि देखो, चाहे यहां आप कितने ही बड़े हों, लेकिन जिले में तुम्हारी वही स्थिति है जो कलेक्टर चाहेगा। आपने कलक्टर को आल-पावरफुल बनाने की कोशिश की है वरन् वहां ऐसा नहीं करना चाहिये था। वरन् गांव सभाओं और क्षेत्र समितियों से कंसालिडेटेड होकर जो स्कीमें आतीं, गांव के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते, बनाते वह और उसको फिर कार्यान्वित करने में उनकी रुचि होती। लेकिन यह ऊपर से चलाया गया। दिल्ली से चला तो वहां अटका और फिर यहां से कलेक्टर के यहां और फिर संशोधन होते-होते साल बीत जायगा और खर्चे का अन्तिम अंजाम क्या होगा? वह आपके सामने आयेगा।

श्रीमन्, एक बड़ी बदकिस्मती यह भी है पार्टीबाजी की। सब लोगों ने यह कहा जयप्रकाश जी को पालिटिक्स से कोई रुचि नहीं है, उन्होंने भी कहा। दूसरे लोगों ने और यहां तक कि कांग्रेस कमेटी, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भी प्रस्ताव पास किया कि पंचायती राज के संस्थानों में नीचे के स्तर पर कोई राजनीतिक स्थिति से चुनाव नहीं होगा। लेकिन मैं इस बात की सफाई देता हूं कि आज प्रदेश के कोने-कोने में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि यह सरकार गांव सभाओं के चुनाव कब करायेगी? जब जिला परिषदों में सारी नामजदगी आपने घृणित तरीके से की हैं, लोगों को रखा गया तब चुनाव कराने का फैसला कब होगा? अगर यह स्थिति नहीं है तो आप सफाई कर दीजिये कि कोई नामजदगी जिला परिषदों की नहीं होगी और कभी भी नहीं होगी और सीधे-सीधे अध्यक्षों का चुनाव किया जायगा। कैसे? जैसे कि जनता का सही माने में सही पार्टिसिपेशन हो सके। जो रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था.....

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इसके पहले जब संविद सरकार थी जब माननीय सदस्य उसके घटक थे, उस समय जिला परिषद् की नामजदगी की गयी थी ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, उस समय की गयी या नहीं की गयी थी। प्रश्न सिर्फ यह है कि आज आपका इरादा इस बात के लिये क्या है। हम पांडेय जी को सूचना के लिये, उनकी तसल्ली और प्रसन्नता के लिये निवेदन कर दें कि प्रदेश भर में संविद सरकार ने कोई नामजदगी नहीं की थी।

श्री शिवकुमार पांडेय—

कुछ लोग चार्ज लेने भी चले गये थे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

प्रदेश भर में कहीं नामजदगी नहीं हुई, (व्यवधान) दूसरी बात यह है एक हमारा इरादा यह था। अगर हम आपके इरादे से चले होते तो गांव सभा के सेक्रेटरी का भी चार्ज लेने लोग गये होते। आपने सारे लोगों को साफ कर दिया था। आज इस प्रदेश में जो नाम जदगी का जिक्र किया अगर ऐसा हुआ हो यह सीधे-सीधे माना जायगा कि जान बूझ कर आपने पंचायती संस्थाओं में पोलिटिकली दखल देने की कोशिश की। आपने कांग्रस के उस प्रस्ताव की अवहेलना की है तो पास हो चुका था कि पंचायती संस्थाओं में पोलिटिकल एक्टीविटीज नहीं की जायेंगी। वैसे ही श्रीमन्, मैं आप से निवेदन कर दूं कि पद्धति यह बनी हुई है कि ब्लाक प्रमुख जिला परिषद् का मेम्बर हो जाता है। वहां तक तो वह पोलिटिकल नहीं होता है। हौर्स ट्रेडिंग उस समय शुरू हो जाती है जब वह चुन कर आ जाता है और किसी पार्टी में चला जाता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि रिपोर्ट में हौर्स ट्रेडिंग अल्फाज इस्तेमाल किये गये हैं। अगर आप इस तरह के गोरख-धंधे के जरिये गांवों की राजनीति को गंदा करना चाहते हैं कि जिला परिषदों में अपने लोगों को नामजद कर दें और उनके माध्यम से क्षेत्र समितियों और गांव पंचायतों को प्रभावित करें तो यह आपका बड़ा कुकृत्य होगा।

श्रीमन्, यह माना जायेगा कि इस सरकार का कतई विश्वास न तो प्रजातंत्र में है और न पंचायती राज में है, प्रजातंत्र में तो इनका विश्वास बिल्कुल नहीं है। दिल्ली की सरकार जहां इनके बड़े-बड़े नेता बैठते हैं, उन्होंने सारे प्रदेश में जहां इनकी सरकारें नहीं थीं उनको तुड़वाने की कोशिश की। कपूर होटल की चर्चा सब लोग अच्छी तरह से सुन चुके हैं। अगर आज जिला परिषदों में इस तरह का कुकृत्य किया गया उपाध्यक्ष महोदय, तो उत्तर प्रदेश की जनता इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उनके इस ढोल को, इस जामे को प्रदेश की जनता उतार फेंकेगी। उसका प्रजातंत्र में यकीन है। मैं निवेदन करना चाहता कि अगर इस तरह के कुकृत्य किये गये तो ये लोग खूनी क्रांति के लिये रास्ता प्रशस्त करेंगे न कि प्रजातंत्र के प्रहरी की शक्ल में।

श्रीमन्, इतना ही नहीं, आप दूसरों के बारे में कुछ कहन और करने से पहले अपने बारे में भी सोच लीजिये। आप में भी उतना ही अन्तर्विरोध जारी है जिस प्रकार के कारनाम दिल्ली में चल रहे। बावजूद मुख्य मंत्री के यह कह देने पर भी कि यह सरकार ७४ तक चलेगी, डिजाल्व नहीं होगी, लेकिन जो राजनीतिक चक्र आजकल चल रहा है उसके अनुसार मुझे विश्वास नहीं है कि यह सरकार इन चुनाव को दिसम्बर और जनवरी तक करा सकेगी। यह चुनाव नहीं कराये जा सकते। तब तक तो शायद उन्हीं क चुनाव शुरू हो जायं।

आज ही आप देखें कि स्वतंत्र भारत में ऐडीटोरियल निकला है। उसमें बड़े-बड़े लोगों का जिक्र हुआ है। उसमें लिखा है कि मुख्य मंत्री जी के खिलाफ साजिश शुरू हो गयी है। न जाने यह बात सही है या गलत है। भगवान करे यह बात गलत निकले। लेकिन जिस तरह की चर्चा और सारी चीजें चल रही हैं उनमें माननीय मंत्री जी प्रदेश की जनता को यह आश्वस्त करायें कि जिला परिषदों में नामजदगी नहीं होगी और चुने हुए प्रतिनिधि ही वहां रखे जायेंगे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत राज की संस्थाओं में ब्लाक स्तर के लोगों की हालत बड़ी दयनीय है, प्रधान की हालत बहुत दयनीय है और दयनीय इस माने में है कि यद्यपि लेखपाल प्रधान के नीचे है, वह गांव समाज को सेक्रेटरी है लेकिन वह उसका आफिसर बना हुआ है, फिर दूसरा उसका आफिसर है ग्राम सेवक। बाकी जो आफिसर है वे तो आफिसर हैं हीं। ऐसा क्यों हो रहा है? यह कमजोरी सिर्फ हुजूर वाला लोगों के बदौलत पैदा हो रही है। मैं चाहता हूं कि उस कमजोरी को दूर कर दिया जाय। अगर मंत्री जी ने यही कहा होता कि उस कमजोरी को दूर कर दिया जायगा, कम से कम उस कमजोरी को तो कबूल किया होता तो मुझे खुशी होती। बहुत से सवाल आते हैं कि गलत पट्टा हो गया। गलत पट्टा कैसे हो गया? क्या प्रधान ने कर दिया? जिस प्रकार से यहां पर किसी एम० एल० ए० को फोड़ने के लिये लालच दिखाया जाता है और अन्ततोगत्वा उसको फोड़ लिया जाता है, उसी प्रकार वहां जो अधिकारी वर्ग है वह धीरे-धीरे प्रधान को लालच देता है ताकि उसकी लार भी चूने लगे और वह भी उनके भ्रष्टाचार में शामिल हो जाय और अपने ऊपर कंट्रोल न रख पाये। उससे कहा जाता है कि सब लोग अपने-अपने लिये कर रहे हैं और उसमें बड़े-बड़े नेताओं के नाम वह लेखपाल और दूसरे लोग गिना देंगे और कहेंगे वाह, प्रधान जी आप ही बड़े दूध के धोये बने हो, इसमें क्या रखा है आप भी अपना काम फिट कर लो। इस प्रकार से उनको भ्रष्ट करने की कोशिश की जाती है। ऐसे कर्मचारियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। पंचायत मंत्रियों की क्या हालत है? पंचायत मंत्री बेचारा। आज भी बहुत से लोग इस प्रदेश के राजनैतिक घरानों से उधर गये हुये हैं और खासतौर पर उनमें से बहुत से लोग तो वह हैं जो आजादी की लड़ाई में हिस्सेदार रहे हैं, वह नहीं पेंशन लेते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं-पंचायत सेक्रेटरी का-तो क्या बुरा करते हैं। लेकिन आज तक लाख कोशिश के बावजूद भी-उन्होंने कहा संविद की सरकार तो संविद की सरकार ने तो जो दिया था वह भी आपने छीन लिया, अगर वही कर दिया होता तो अच्छा होता, लेकिन पंचायत मंत्रियों के बारे में अगर सिर्फ एक बात हमारी मान लें और सारे विरोधपक्ष के लोगों की उसमें सहमति होगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जनता आपकी जय जयकार करेगी अगर आप इस बात की घोषणा कर दें कि पंचायत मंत्रियों को सरकारी कर्मचारी मान लिया जायगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारा फाइनेंशल ऐस्पेक्ट अभी देख डालिये, इसे आप पे-कमीशन को सौंप दीजियेगा जैसे सारे कर्मचारियों का सौंप दिया है, लेकिन पंचायत मंत्रियों के बारे में केवल एक लाइन की घोषणा कर दें कि आज से उत्तर प्रदेश के पंचायत राज मंत्री सरकारी कर्मचारी घोषित किये जाते हैं तो मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूंगा और अगर अभी वह घोषणा कर दें तो मैं अभी बोलना बन्द कर दूं।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर पीठासीन हुये।)

शायद सोच रहे हैं, बाद में कर देंगे। श्रीमन्, और जो दूसरे लोग हैं इसी से संबंधित ब्लाक में वह कुछ सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन जिला परिषद् में जो कर्मचारी हैं उनको आप स्वायत्त शासन के अन्तर्गत माने बैठे हैं। यह कैसा दोहरा स्तर? एक तरफ पंचायती राज और दूसरी तरफ स्वायत्त शासन। तो जिला परिषद् के कर्मचारियों को भी अगर आप सरकारी

[श्री कल्पनाथ सिंह]

कर्मचारी घोषित कर दें, क्योंकि उसमें ज्यादातर तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के ही हैं, मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी राय करके बात कर लें, बड़ा सुन्दर होगा अगर आज इस बात की घोषणा हो जाय ।

श्री कृष्णानन्द राय—

इस बहस की कोई जरूरत नहीं होगी, इस अनुदान को हम अभी पास कर देंगे यदि पंचायत मंत्रियों को और जिला परिषद् के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित कर दें ।

श्री शिवकुमार पांडेय—

आप जब मंत्री थे तो क्यों नहीं घोषणा कर दी ?

श्री कृष्णानन्द राय—

आप इस्तीफा दे दीजिये, हमको उधर बैठने दीजिये । हम घोषणा कर देंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अगर जिला परिषद् के कर्मचारियों के संबंध में आपकी कोई घोषणा हो जाय, नीति विषयक घोषणा, आर्थिक संबंध में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं क्योंकि उसके लिये तो कहेंगे कि वित्त मंत्री से बात करनी पड़ेगी, तो भी मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूंगा ।

एक निवेदन और करना है न्याय पंचायतों के संबंध में क्योंकि बीच में इनका भी महत्वपूर्ण स्थान है। न्याय पंचायतों की दुर्दशा कहत नहीं बन पड़ती है। ऐसी दुर्दशा है कि सरपंच को अगर किसी के ऊपर समन तामील करना हो तो वह खुद ही पहुंच जाय और जब अदालत ही समन लेकर पहुंच जाय तो उस अदालत का क्या होने वाला है, यह आप समझ सकते हैं । कहीं पर बेचारे को गाली मिलती है और कहीं पर कुछ-कुछ प्यार भी मिलता है कि काहे को यह समन लेकर आ गये । कह दिया जाता है कि १,२ रुपया ले लीजिये । अब आप बताइये कि इससे बड़ा अपमान उसका और क्या हो सकता है । इसके लिये कम से कम यह सरकार अगर अपने सम्मान की रक्षा करना चाहती है तो सरकार कम से कम एक चपरासी को दे दे जो समन पहुंचाया करे । होता क्या है । सारा का सारा पैसा जो अदालत पंचायतों से आता है उसका नतीजा क्या होता है । उसका लाभ नहीं होता है । अदालत पंचायतों में अब मुकदमें नहीं जा रहे हैं । बहुत कम जाते हैं । लोगों का विश्वास हट गया है इस बात से कि ये अदालत पंचायतें कुछ उनके लिये लाभ पहुंचा सकती हैं । अगर अदालत पंचायतों के अन्दर घटना भी हुई तो पुलिस पहुंच जाती है और वह पुलिस काग्नीजेंस का मामला हो जाता है । अगर अदालत पंचायत पर उसका विश्वास होता तो इस तरह से न होता। सरपंचों के कारण या और वजह से इतनी गड़बड़ हुई, उसकी व्यवस्था इतनी दोषपूर्ण है इतना दोषपूर्ण तरीका है कि उसके नाते उसको किसी न किसी का संरक्षण मिलना था। अगर अदालत में उसको गाली देना शुरू कर दें तो हमारे लायक दोस्त भी आसानी से कंटैम्पट का मुकदमा चला सकते हैं, लेकिन वह अगर थोड़ा सा वहां से चार कदम के फासले पर हटने के बाद उसको पीटना शुरू करें तब पुलिस नहीं बोलेगी । उसका मजाक होता है । कह दिया कि सरपंच ने आपको गाली दे दी । आप फैसला नहीं कर सके । कहा गया कि साहब क्या बतायें दारोगा जी ? वह कहते हैं कि अपना ही पंचायत राज है । मजाक किया जाता है । उसकी उपेक्षा की जाती है । अगर वह इस बात के लिए कहते हैं कि हमको थोड़ा सुन लीजिये तो उपेक्षा होती है ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

अभी आपने कहा कि अदालत में गाली दे तो कंटेम्प्ट का केस होगा और बाहर देता है तो नहीं होगा । यह मानी हुई कानूनी बात है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट जब वह अपनी ड्यटी डिस्चार्ज कर रहा हो तब भी और बाहर भी जब वह आर्डिनरी सिटीजन होता है तब अगर इस तरह का व्यवहार गाली या पीटने का होता है तो तब भी उसको ३३२ या ३२३ के अन्दर कानूनी अधिकार है । तो क्या सरपंच के लिये यह नियम या कानून बदल जायगा ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

ऐसे ही वकील लोग तो हैं जो उनको सिखा देते हैं, कि जरा बाहर हटकर घटन कीजिये । यही तो मेरा रोना है । जादू हो तो सरपंच चढ़कर बोले । मैं यह कहा रहा था कि पंचायत के सरपंच के लिये माननीय मंत्री जी यह कह दें कि वह पब्लिक सर्वेंट तो मुझे खुशी होगी । अगर इस विषय में मेरी जानकारी माननीय मंत्री जी बढ़ा दें तो मैं अपने को करेक्ट कर लूंगा लेकिन आज उसकी दुर्व्यवस्था की स्थिति की बात कहता हूं । उनकी स्थिति आज बड़ी भयावह हो रही है । पंचायती अदालतों के बारे में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज पंचायती अदालतों की स्थिति सम्भालिये । लोगों के अन्दर यह भावना पैदा होती जाती है कि इन पंचायतों से हमारा फायदा होने वाला नहीं है । पहले लोग पंचायत के सामने झूठ नहीं बोलते थे । लोग ऐसा कहते थे कि यह अदालत नहीं है जहां पर झूठ बोला जाय । यह पंचायत है । पंचायतों में हमेशा सच बोला जाता था, यह मान्यता हमारे गांवों में थी लेकिन वह सब इन के तौर तरीकों के कारण, इन की खींचतानी के कारण, इनकी अनुशासनहीनता के कारण और अन्तरात्मा की पुकार के कारण वह सब मामला भी स्वाहा हो रहा है । वह भी सोच रहे हैं कि यहां भी अब अन्तरात्मा की पुकार आ गई । आज जो अदालती पंचायतें मृतप्राय हो गई हैं उनको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है और इस कार्य के लिये सरकार एक समिति का गठन करे जो उन की सारी हालत की जांच करके सरकार को रिपोर्ट दे जिससे इस प्रदेश में न्याय लोगों को मिले और उनका भला हो सके अन्यथा गांवों में गरीबों को सस्ता न्याय मिलने वाला नहीं है, नहीं है ।

*श्री लाल बहादुर सिंह (जिला वाराणसी)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सामुदायिक विकास मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उस का समर्थन करता हूं । माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कुछ सुझाव तो बहुत अच्छे दिये लेकिन कुछ बातें अतिरंजित कर दीं । यदि वह सदन के कोई नये सदस्य होते तो मुझे कुछ भी न कहना पड़ता लेकिन वह सदन के पुराने सदस्य है और यहां मंत्री भी रह चुके हैं। स्वराज्य के बाद यहां की सरकार ने जो पहला काम किया था वह यही था कि सामुदायिक विकास के अन्तर्गत पंचायत राज कायम किया । जो लोग उस समय रहे होंगे उन में पंचायत राज के प्रति एक भारी उत्साह था लेकिन बाद में इन पंचायतों की वही हालत हुई जैसे गंगोत्री से गंगा जी की धारा निकलती है और वहां से चलकर अनेक नगरों की गन्दगी लेती हुई यहां आ जाती है। यह एक ऐसा विभाग है जिस में अधिक से अधिक जनता के पास जाने का, उस की बातें सुनने का और उस के कामों को देखने का मौका मिलता है । सन् ४९-५० में जब उनका पहले चुनाव हुआ और उन के द्वारा बड़े-बड़े काम किये गये, जो कार्य म्युनिसिपिल बोर्ड और दूसरी संस्थायें नहीं कर सकती थीं बड़े बांध, अस्पताल, सड़क और स्कूल भी उन्होंने चलाये । काम तो बहुत से होते रहे और हुए भी लेकिन जब से संविधान सरकार आई सब काम ठप्प पड़ गया और कोई काम नहीं हुआ । पता नहीं वहां कुछ रहा भी या नहीं । पंचायत मंत्री बेचारे इसीलिए लड़ रहे हैं कि हमें सरकारी नौकर माना जाय, मैं भी उन की इस मांग से सहमत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[[श्री लाल बहादुर सिंह]

हूं उन को जरूर सरकारी नौकर माना जाय क्योंकि उन से आप काम तो बड़ी जिम्मेदारी का लेते हैं, वह जन्म मरण की रिपोर्ट तैयार करते हैं एक आदमी की भी गलत रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो उसका घर, मकान, बगीचा सब गायब हो जाता है। यह बात उन्होंने बहुत ठीक कही लेकिन एक चीज मैं आप की आज्ञा से निवेदन करूंगा कि सामुदायिक विकास के ५ पहलू हैं। एक तरफ तो हमारे देश की राजनैतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था की यह बुनियाद है हमारी ग्रासा सभायें चलती हैं वह हमारा सब से उच्च यूनिट है। उनका चुनाव होता है, यह नहीं कहा जा सकता कि चुनाव में पार्टीबन्दी न होगी, वह तो ऊपर से नीचे तक पहुंच जाती है और हमारे देश में इस को रोका नहीं जा सकता। गांवसभाओं के चुनाव में आप जानते हैं कि पार्टी बन्दी होती है और इसी लिये आप को मालूम है कि कांग्रेस ने प्रस्ताव किया था कि हम गांवसभाओं के चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे और आजतक हम ने अपने उम्मीदवार वह के लिये खड़े नहीं किये। जो लोग व्यक्तिगत तरीके से खड़े हो जाते हैं वह हो जाते हैं लेकिन पार्टी से उन का कोई संबंध नहीं रहता। उसके बाद ब्लाक का चुनाव होता है। उसके बाद जिला परिषद् का चुनाव होता है और उसके साथ ही साथ हमारे यहां जो विधान परिषद् है, पहले तो नहीं थी, लेकिन पांच-छः साल से विधान परिषद् लोगों को वही चुनते हैं, म्युनिसिपैलिटी और बोर्ड की बहुत कम माइनारिटी है। विधान परिषद् में आ सकते हैं। पांचवां पहलू जो कि अदालत पंचायतों का है उसके अधिकार बहुत दिये हैं लेकिन यह सही बात माननीय कल्पनाथ सिंह ने कही कि चौकीदार तक को नहीं बुला सकते। अभी तक कानून में प्रोवाइड है कि चौकीदार सम्मन लेकर जाय। इतना तो अदालत के सरपंच को अधिकार दे दिया जाय कि जब चाहे वह चौकीदार को बुला सकता है। अब ग्राम सभाओं की जो हालत है जिस तरह से आप चुनाव कराये वह तरीका उस समय के लिये तो बेहतर था। लेकिन आज जब कि देश में पार्टीबन्दी का नग्न रूप हो रहा है वह ठीक नहीं है। वह हाउस में हम रोज देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्युनिसिपैलिटीज में हम रोज देखते हैं। जैसी पार्टीबन्दी आज है इसमें गांव सभाओं के चुनाव का तरीका बदलना होगा। लेकिन आज ये गांव सभायें कम्युनिटी डेवलपमेंट की प्रथम सीढ़ी हैं, उससे हम फिसल जायेंगे। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इसको बड़े गौर से सोचें। दूसरे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में देखिये। जिला परिषदों की हालत यह है कि कोई चुनाव द्वारा मेम्बर नहीं होता, डायरेक्ट मेम्बर कोई नहीं आता, जबकि जिला परिषदों में चुने हुए मैम्बर रहते हैं। पता नहीं संविद के जमाने में—मलिखान सिंह बैठे हैं यह लोग क्या सोच थे, ये बतायेंगे जब आप इनको बोलने का मौका देंगे। दूसरी सीढ़ी अपने आप फिजूल आउट हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में पार्टीबन्दी तेजी से शुरू हो जाती है। यह हमारा अनुभव है क्योंकि हम सब विधायक रहे हैं। जब यह कानून नहीं बना था कि विधायक प्रेसिडेंट नहीं होगा। पहले मैं ही होता था ब्लाक का प्रेसिडेंट। वहां तक तो ठीक है कि काम धन्धे की बात होती है। परन्तु संविद के जमाने में इस तरह की गांव सभाओं की हालत हो गई कि वहां कुछ नहीं हुआ सिवाय पार्टीबन्दी के। पहले इतने बड़े-बड़े पुल गांव सभाओं ने बनाये थे आज वहां क्यों हो गया है यही हम सोचते हैं।

श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित (जिला कानपुर)—

मैं ठाकुर साहब से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या संविद सरकार ने कोई आदेश कर दिया था कि वहां कार्य न हो, इसलिये कार्य वहां ठप्प हो गया था

श्री लालबहादुर सिंह—

बड़ी देर होगी, हमको कह ही देने दीजिये। गांव सभाओं की जो इस समय स्थिति है उसमें चुनाव के लिये कोई तरीका बदलना होगा, चाहे पैनल कीजिये, कोई तरीका कीजिये। सरकार इसीलिये आठ दस साल से चुनाव नहीं करा रही है, वह सोच रही होगी। हम जब

ब्लाक में पहुंचते हैं तो वहां अफसरशाही की गूंज आती है । इसमें कोई शक नहीं कि अफसरशाही नहीं है । बीसियों किस्म के निरीक्षक नियुक्त कर दिये हैं । यही पता नहीं चलता कि कौन निरीक्षक क्या काम करता है । एग्रीकल्चर का निरीक्षक ही देखिये । उसको काम तो सब दे दिये लेकिन वह भी अपने जिलास्तर का ही हुक्म मानेगा । आप इसके लिये कैडर बनावें । जो गांव स्तर से लेकर राज्य स्तर तक का कैडर हो । चाहे जिला स्तर का कैडर ए० डी० एम० और कलेक्टर का रखें, लेकिन ब्लाक स्तर पर ऐसे रखें जो उन्हीं के मातहत हो । एक काम आपने अच्छा किया कि ब्लाक प्रमुख को० डी० ओ० की एंट्री देगा, उसके काम के बारे में एफीसियेन्शी के बारे में । लेकिन केवल इससे काम नहीं चलता जब तक कि दूसरे अफसर ऊपर मौजूद हैं । अगर कहीं ए०डी० एम० (पी) से या जिला परिषद् से डिफरेंसेज हो जायं तो बड़ी विषम परिस्थिति पैदा हो जाती है । तो ऐसी हालत में ब्लाक स्तर पर एक कैडर आपको बनाना है । जैसे यह कर दें कि वह एग्रीकल्चर और पंचायतों का काम देख लें, ऐसी कुछ ट्रेनिंग दी जाय ।

श्रीमन्, आजकल छुट्टी और तबादले की ऐसी भरमार है कि किसी-किसी ब्लाक में एक भी आदमी नहीं है । सब छुट्टी लिये लखनऊ दौड़ रहे हैं, कोई किसी एम० एल० ए० के पीछे, कोई किसी मिनिस्टर के पीछे । तो यह स्थिति आज है । अब जिला परिषदों के जिम्मे बहुत बड़े-बड़े काम दे दिये हैं । पहले तो कुछ शिक्षा का, कुछ सड़कों का और कुछ हेल्थ का काम था, लेकिन अब बहुत बड़े बड़े काम दे दिये हैं । अब उस काम के लिए केवल कलेक्टर के भरोसे रहना ठीक नहीं है । कलेक्टर के पास हजार काम हैं । वह कहां तक देखें । नियोजन और कम्युनिटी डेवलपमेंट को कलेक्टर से अलग कीजिये, चाहे आपको कोई दूसरा कैडर बनाना पड़े, ताकि काम तेजी से हो ।

श्रीमन्, गांव सभाओं की जो हालत है उसमें आप कितना आगे चल सकते हैं और कितना पीछे हट सकते हैं, यह मंत्री महोदय खुद जानते हैं क्योंकि वह बहुत पुराने जनसेवक हैं और जनसेवा से ही इतने बड़े पद पर आसीन हैं । तो यह सब देखते हुए हमें सावधानी से काम करना है । जब पंचायतों का चुनाव हुआ तो जो कैम्प हुआ था उनके काम में, उसमें मैं भी इंचार्ज रहा और देखा कि किस कदर लोग आये और किस कदर ट्रेनिंग दी गयी । अभी तक तो ग्रामसभाओं में ऐसे सभापति भी हैं जो छुआछूत में विश्वास रखते हैं । तो कोई सोशल टाइप क्वालीफिकेशन रखिये ऐसे लोग डिस्क्वालीफाई हो जायं ।

श्रीमन्, एक चीज बहुत आवश्यक है । आपको कुछ कम्पलसरी लेबर भी करनी है । चाहे गांव में कलेक्टर रहता हो, चाहे विधायक रहता हो, चाहे मंत्री रहता हो, कोई भी हो, हरएक आदमी को एक-दो दिन कम्पलसरी फिजीकल लेबर जरूर करनी चाहिये, नहीं तो आप कहां से इतना रुपया पायेंगे सब काम करने के लिये । लेकिन वह ऐसा नहीं होना चाहिये जैसे पहले श्रमदान एक मजाक हो गया कि कलेक्टर पहुंचे, फलाने पहुंचे, ढिमके पहुंचे और जितना काम नहीं हुआ उतना भत्ता हो गया । तो यह कम्पलसरी कर दिया जाय कि एक दिन फिजीकल लेबर करना ही है चाहे कोई बड़ा आदमी हो और चाहे छोटा आदमी हो ।

एक हजार आदमियों के रोजगार की आपकी योजना है । आप को इसमें देखना है कि कहीं ४२० के लोग ही न उसमें आ जायं और जिसको जरूरत है वह रह जाय । माननीय मंत्री जी सुन लें, पिछली बार आर० एम० पी० की स्कीम में बहुत घपला हुआ है । आपको चाहिये कि फिर से जांच करायें और जो घपले हुए हैं उनको देखें ।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । समर्थन करने का कारण कुछ नीति विषयक बातें हैं जिनको कि मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । आजादी के बाद हमने विचार किया था कि इस प्रदेश का आधुनिक निर्माण करेंगे और प्रदेश को कई इकाइयों में बांट कर वहां के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ायेंगे तथा गांव का जीवन-स्तर जो नीचा है उसको ऊपर उठायेंगे । हमें अंग्रेजों ने पहले जिला बोर्ड नाम की एक चीज दी थी । यह संस्था गांवों के विकास की ओर ध्यान देती थी । जिला बोर्डों के माध्यम से गांवों की सड़कों का निर्माण हुआ और टूटी हुयी सड़कों को ठीक कराया जाता था। आजाद होने के पश्चात् यह विचार विकसित हुआ और उस आधार पर जिले को ८-८ व १०-१० भागों में बांट दिया । छोटी-छोटी इकाइयों की स्थापना हुई । यह बड़ी अच्छी स्कीम थी । जिस समय इस स्कीम का प्रादुर्भाव हुआ था उस समय प्रदेश की जनता यह सोच रही थी कि अब गांवों में रहने वाली जनता जो ७२-७३ फीसदी है, शहरों के समकक्ष आयेगी, हमारा जीवन-स्तर ऊंचा होगा और हमारे शहर और गांव एक होकर एक इकाई बनेंगे । जनता को यह आशा थी कि शिक्षा सुलभ होगी, शहरों में आ-जा सकेंगे, डाक्टरों की सहायता अच्छी तरह से ले सकेंगे और यातायात के साधन उन्नत होंगे । उसी आधार पर इन विकास क्षेत्रों ने काम किया । प्रथम पंचवर्षीय योजना में और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में गांवों में सड़कें बनीं और गलियों में खड़ंजे बने । धीरे-धीरे विभाग में खर्च बढ़ता चला गया । अब स्थिति यह है कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के अलावा अब इस विभाग का कोई काम नहीं है । न तो यह विभाग यह व्यवस्था कर रहा है कि एक मील सड़क का निर्माण हो और न एक पुलिया के निर्माण की ही व्यवस्था हो रही है । मैं विचार कर रहा था कि मंत्री जी ने इस बजट में ज्यादा रुपया रखा होगा । बजट में २० लाख रुपये की बढ़ोत्तरी दिखायी गयी है । अब बढ़ोत्तरी की बात देखी तो मैंने सोचा कि संभवतः यह अधिक धनराशि निर्माण के काम में आयेगी, लेकिन जब भाषण में सुना कि यह धनराशि तो कर्मचारियों की बढ़ी हुयी तनख्वाह और भत्ते के लिए चाहिये, तो मुझे दुख हुआ । इससे मुझे बड़ी निराशा हुयी । इन विकास क्षेत्रों का निर्माण इस आधार पर हुआ था कि हम गांवों को शहरों और सड़कों से मिला देंगे और हमारे गांव प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे । ग्रामीण जनता यह कल्पना करती थी कि वह अपना जीवन शहरों के समकक्ष व्यतीत करेगी । वह स्थिति आज नहीं है ।

यह प्रदेश बहुत बड़ा है । पूरब के लिए अलग योजना बननी चाहिये क्योंकि वहां पर बाढ़ आती है और अधिक वर्षा होती है, दक्षिण के लिए, जहां पर कि जमीन ऊंची-नीची है नदियों में पानी अधिक है, अलग से योजना बननी चाहिये और उत्तर के लिये भी अलग से योजना बननी चाहिये क्योंकि वहां पर समतल जमीन ही नहीं है बल्कि ऊंची-नीची पहाड़ियां हैं । वहां के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था करनी होगी । हर क्षेत्र की बैकवर्ड स्थिति का अध्ययन करके विकास की योजनायें बननी चाहिये । यही मूलभूत सिद्धांत है । अगर ऐसा विचार नहीं हुआ है, तो अब होना चाहिये । २३ वर्ष हो गये हैं और अभी तक हमारे प्रदेश के गांव बजाय आगे बढ़ने के पीछे ही हटते चले जा रहे हैं । जो सड़कें पहले बनी थीं वे अब समाप्त हो गयी हैं, क्योंकि उनकी मेनटीनेंस की कोई व्यवस्था नहीं की गयी । तो जिन सड़कों के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में पैसा खर्च हुआ वे भी समाप्त हो गयी हैं । अध्यक्ष महोदय, एक बात मुझे पूरब और पश्चिम की दौड़ के बारे में कहनी है । पश्चिम के जिले तो इसलिये विकसित थे क्योंकि वहां पानी की बहुतायत थी । यह स्वाभाविक है कि वहां पर नदियों में पानी है और इसी आधार पर वहां नहरों का भी निर्माण हुआ था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पूर्वी क्षेत्रों में नहरें नहीं हैं और उसी आधार पर उनका विकास हुआ लेकिन पूर्व पश्चिम की दौड़ में मध्य यू०पी० पिछड़ गया। मैं पश्चिमी जिले का रहने वाला हूं, लेकिन जब पूर्वी जिलों में दौड़ा किया तो जिस निष्कर्ष पर पहुंचा उसको शासन को बतलाना चाहता हूं। मैंने देखा कि जिनको पानी मिल गया वह रईस हो गया और जिसको नहीं मिला वह गरीब रह गया। हम लोग देखें कि आज जिसके पास पानी होगा वही ५० मन फी एकड़ पैदा कर सकेगा और जिसके पास नहीं होगा वह १५,२० मन फी एकड़ से अधिक पैदा नहीं कर सकेगा। इसके लिये सदन विचार करे। मध्य यू० पी० के पिछड़ेपन का कारण उसकी असिंचित भूमि है। बरेली में २५ प्रतिशत सिंचाई है, शाहजहांपुर में ३० प्रतिशत है और हरदोई में ३५ प्रतिशत है जबकि सीतापुर में ४५ प्रतिशत है और पिछड़े हुये क्षेत्र आजमगढ़ में ५१ प्रतिशत है, गाजीपुर में ५२ प्रतिशत तथा वाराणसी में ६० प्रतिशत है। मैं यह सब इसलिये बतलाना चाहता हूं कि इसी कारण मध्य यू० पी० बराबर पिछड़ता चला गया। बुन्देलखंड में सिंचित जमीन १० प्रतिशत और जालौन में २५ प्रतिशत है। तो इस आधार पर विचार करना पड़ेगा कि इन जिलों में सिंचाई की व्यवस्था की जाय तभी पैदावार बढ़ेगी। अगर ऐसा न किया गया गया तो किसानों में दो खाई होने वाली हैं। जिस किसान के पास पानी होगा वह धनी होगा और जिस किसान के पास पानी नहीं होगा वह गरीब होगा। गरीब के पड़ोस में रहने वाला रईस होगा। तो मैं इसलिये बतलाना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी विचार करें कि यह जो माइनर इर्रीगेशन का विभाग है इसको कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ रखने का था लेकिन एग्रीकल्चर के साथ जोड़ दिया तो जैसा कि बड़े विभागों में होता है कि बड़ा विभाग छोटे विभाग को खाना चाहता है यहां पर भी ऐसा ही हुआ। आगे यह भी हो सकता है कि सोचा जाय कि सामुदायिक विकास विभाग या ब्लाक की जरूरत नहीं है। इसको एग्रीकल्चर में मर्ज कर दिया जाय। मेरा कहना है कि जो माइनर इर्रीगेशन हैं, जो ट्यूबवेल्स हैं जो पंपिंग सेट्स हैं, वगैरह वगैरह सिंचाई विभाग करता है, एग्रीकल्चर विभाग का काम अच्छे से अच्छा बीज पैदा करना और अनुसंधान करना होना चाहिये जिसके लिए उनके फार्म्स मौजूद हैं लेकिन सामुदायिक विकास का काम जो बी० डी० ओ० के संबंध में है, न दिया जाय।

शासन ने कुछ निर्णय लिये थे १ जनवरी को कि जितने जिला परिषद के कर्मचारीगण हैं उनको पेंशन दी जावेगी। यह संविद सरकार ने लिया था। आप समझते थे कि ५ महीने के शासन में सरकार क्या कर सकती है। ३०० से ऊपर बी० डी० ओ० कन्फर्म नहीं हैं, बी०एल० डब्लू० तो लटक ही रहे हैं। इस विभाग में इस तरह से हो गया है कि सर्विसेज का कहीं ठिकाना नहीं है। इसलिये एक अच्छी योजना बनायी जाय जिससे कर्मचारी अच्छी तरह से काम करें, मंत्री गांव सभाओं को ठीक करें, जो बी० एल० डब्लू० हैं उन्हें भी कुछ इनीशिएटिव मिले कि अगर अच्छा काम करेंगे तो उन्नति होगी। जब तक सर्विसेज को ठीक नहीं रखेंगे तब तक हम विकास नहीं कर सकेंगे। उनकी जो पुरानी मांगे चली आ रही हैं उन पर विचार होना चाहिये। पंचायत मंत्रियों के बारे में शासन ने पहले भी विचार किया था और कुछ फैसला भी किया था। मैं समझता हूं कि यह सरकार भी इस आधार पर विचार कर रही होगी कि उन्हें सुविधा दी जाय। जैसे उनके डी० ए० का सवाल है। पंचायत मंत्री का डी० ए० आधा सरकार से मिलता है और आधा गांव सभा देती है। आधा डी० ए० प्रधान से, गांव सभा से मांगता फिरता है। कर्मचारी प्रधान से कहे कि मुझे डी० ए० दे दो तो यह मुझे पसन्द नहीं आया। मैं समझता हूं मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

जैसा कि मैंने निवेदन किया, जब तक आप प्रदेश को चार भागों में नहीं बांटेंगे तब तक समान रूप से विकास नहीं हो सकता क्योंकि हर क्षेत्र की अलग-अलग समस्यायें हैं। बुन्देलखंड के लिए अलग से सोचना पड़ेगा क्योंकि वहां की अलग स्थिति है। बुंदेलखंड

[श्री मलिखान सिंह]

बोर्ड भी बना हुआ है और उसके लिये केंद्र से भी कुछ रुपया आ रहा है । इसी तरह से पूर्वी जिलों के लिए अलग से विचार करना पड़ेगा । मध्य भाग को सिंचित क्षेत्र बनाने के लिए पंपिंग सेट्स देने पड़ेंगे । पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग से विचार करना पड़ेगा । पश्चिमी जिलों की अलग ही समस्या है । वहां पानी है लेकिन ड्रेनेज की समस्या है । पानी जब अधिक हो जाता है तो सैलाब की समस्या हो जाती है । इसलिये वहां ड्रेनेज की समस्या को हल करने के लिए विचार करना पड़ेगा।

(लाल बत्ती होने पर)

मुझे अभी बहुत सी बातें कहनी हैं । पांच मिनट का समय और और दे दें । अध्यक्ष महोदय में कह रहा था कि यह आवश्यक अध्यक्ष महोदय मैं कह रहा था कि यह आवश्यक है कि हर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखकर हम योजना बनावेंगे तभी हम प्रदेश का विकास कर सकेंगे । एक चीज की सूचना कल्पनाथ सिंह जी को नहीं थी । मैंने उस पर विचार किया था । जिलाधीश के पास इतना काम रहता है कि वह जिला परिषद् की तरफ ध्यान नहीं दे पाता । इसलिये एक एडवाइजरी कमेटी बनायी जाय । उस कमेटी में सदन के सदस्य, एम० एल० सी० और लोक सभा के सदस्य हों । साथ ही सभी दलों के कुछ नामीनेटेड व्यक्ति हों। यह कमेटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बताये कि इस तरह से जिल का विकास हो सकता है । उन सदस्यों में से एक कंनवीनर हो जो मीटिंग बुलाये । इस तरह की योजना थी । लेकिन वह सरकार खत्म हो गयी । कुछ जिलों में वह हो पाया था और कुछ में नहीं इसलिये सदस्यों को उसकी जानकारी नहीं है । चूंकि जिलाधीश अन्य कामों में व्यस्त रहता है और जिला परिषद की तरफ ध्यान नहीं दे पाता इसलिये एडवाइजरी कमेटी बनाने की बात सोची थी । जिलाधीश के व्यस्त होने के कारण होता है कि जो भी राय सरकारी कर्मचारी दे देता है उसी की राय पर काम होता है और इसलिये प्रजातंत्रीय प्रणाली से काम नहीं हो पाता । केवल एक ही पक्ष, सरकारी पक्ष, उनके सामने आ पाता है । उस आधार पर समिति के निर्माण की बात सोची गयी थी । पंचायत राज और सामदायिक विकास विभाग पर प्रदेश की ७२ प्रतिशत जनता का भाग्य निर्भर करता है और आपने इस विभाग के लिये अनुदान कितना दिया है ? हमें इस पर भी गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये । जितना हमारा टोटल बजट है उसका कितने प्रतिशत हम देहातों पर खर्च करते हैं और कितने प्रतिशत हम शहरों पर खर्च कर रहे हैं जब कि देहात में रहने वालों का प्रतिशत शहर में रहने वालों से कई गुना ज्यादा है। चाहे एजुकेशन के नाम पर, चाहे महापालिकाओं के नाम पर, या अन्य तरीकों से जितना पैसा शहरों पर खर्च होता है, उतना गांवों पर खर्च नहीं किया जाता । गांव में अगर आप जायें तो वहां आपको न शिक्षा मिलेगी, न पानी मिलेगा, न सड़कें मिलेंगीं न अन्य सुविधायें जो शहरों में मिलती हैं वह मिल पायेंगी । सड़कें न होने के कारण किसान अपनी पैदा की हुई चीजों को शहरों में नहीं ला पाता । ब्लाक हैडक्वार्टर पर जो प्राइमरी हैल्थ सैंटर होता है, वहां तक पहुंचने के लिये भी वहां साधन नहीं है । तो इन सब बातों पर सरकार को विचार करना चाहिये । यह विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है । जब देहात के लोगों का जीवन स्तर उपर उठेगा, तभी शहर के लोगों की भी आमदनी बढ़ेगी और सम्पूर्ण प्रदेश का विकास हो सकेगा । इसलिये माननीय मंत्री जी अपनी कैबिनेट में इस पर विचार करें । आज जितने अधिकारी हैं वे किंकर्त्तव्य विमूढ़ हो गये हैं । गांव में पार्टी बन्दी बहुत बढ़ गयी है । उसको खत्म करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि चुनाव प्रणाली को बदला जाय । चुनाव प्रणाली ऐसी हो जिससे कम से कम पार्टी बन्दी हो । न्याय पंचायतों का कार्य तथा उनका गठन ऐसा होना चाहिये कि गांव की जनता को वहीं न्याय प्राप्त हो सके, उसे शहरों में आकर इधर-उधर न दौड़ना पड़े और वकीलों

का मुंह न ताकना पड़े । पुराने समय में जैसी गांव पंचायतों और न्याय पंचायतें हुआ करती थीं, उसी ढंग की आज भी हमें बनानी चाहिये । इन सभी महत्वपूर्ण बातों के विचार के लिये पहले संविद सरकार ने एक समिति गठित की थी, वह अपना कार्य नहीं कर सकी क्योंकि सरकार बदल गयी । मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस तरह की कमेटी शीघ्रातिशीघ्र गठित करे जो विचार करके अपनी रिपोर्ट सरकार को दे और ग्राम राज्य का जो स्वप्न हमने देखा था वह साकार हो सके ।

*श्रीमती इन्द्रमोहिनी (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वतूपर्ण अनुदान पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, हमारे प्रदेश में लगभग ८० प्रतिशत जनता गांव में निवास करती है और गांव के रहने वाले अधिक गरीब लोग होते हैं । आज गांव के लोगों की बहुत बुरी हालत है । गांव की हालत इतनी गिरी हुई है कि वहां पर न तो सड़कें हैं, न अस्पताल हैं, न ही शिक्षा का कोई प्रबन्ध है, सड़कों का तो कहना क्या, वहां पर खरन्जे भी नहीं हैं । अगर गांव में जाना पड़े तो नालियों को फांदना पड़ता है । यह सब न होने के लिये मैं दोष सभी सरकारों को देती हूं । आप सन् ६७ से देख लीजिये । सन ६७ से पहले तो कांग्रेस की सरकार थी उसके बाद एस० बी० डी० की सरकार कायम हुई, उसके बाद कुछ समय गवर्नर का शासन हुआ । फिर ६७ में नया चुनाव हुआ, उसके बाद पहले कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद बी० के० डी० और कांग्रेस रही और उसके बाद फिर एस० बी० डी० की सरकार और अब फिर कांग्रेस की सरकार आई है । बीच में चन्द दिनों तक राष्ट्रपति का शासन भी रहा । जो भी सरकारें आती हैं, मेरी समझ में नहीं आता है कि वे ग्राम समाज का एलेक्शन कराने से क्यों घबड़ाया करती हैं । अभी मंत्री जी ने कहा है कि वह आशा करते हैं कि चुनाव दिसम्बर या जनवरी में हो जायंगे । अभी वह आशा ही करते हैं कोई पक्का निश्चय भी उनका नहीं है । इसे जानकर प्रदेश की ग्रामीण जनता को बड़ी निराशा होगी । १३-१४ साल हो गये हैं, लेकिन ग्राम समाज के एलेक्शन नहीं हो पाये । इसका दुष्परिणाम यह है कि जो लोकल प्रधान हैं वे एक तरह से आज फ्यूडल लार्ड बने हुये हैं, इतना ही नहीं और उनके ऊपर सुपर फ्यूडल लार्ड्स बने हुये हैं और यह सुपर फ्यूडल लार्ड्स हैं ब्लाक प्रमुख । मान्यवर, मैं तो देहाती क्षेत्र से आती हूं, वहां पर देखा करती हूं कि ब्लाक से कोई भी अपना काम नहीं करा सकता है जिस समय तक बी० डी० ओ० या प्रमुख साहब की हथेली पर वह कुछ न रखे । मैं इस बात के लिये अपने क्षेत्र के बारे में पूरा यकीन दिला सकती हूं कि वहां पर जनता का कोई भी काम नहीं होता है, बिना रुपया दिये हुये । मुझे और जगहों की तो जानकारी नहीं है लेकिन मुझे विश्वास है कि सभी जगह ऐसे ही होता होगा । यह चीज खत्म होना प्रदेश के हित में बहुत ही आवश्यक है । इसलिये ग्राम समाज के एलेक्शन तुरन्त करा दिये जायें, इसमें देरी न हो जाये ।

श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्या का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, मैं उनसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, वह बार-बार गांव समाज का प्रयोग कर रही हैं, जबकि अब स्थिति यह है कि गांव समाज का कोई अस्तित्व ही नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

आप ठीक कह रहे हैं, मैं क्षमा चाहती हूं, गांव समाज से मेरा मतलब गांव सभा से था। गांव सभाओं के जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक उनकी जो एक प्रकार की जमींदारी बन गई है वह समाप्त नहीं होगी। एक जमींदारी तो सरकार ने खत्म की, लेकिन बड़ा दुःख होता है कि एक दूसरी नयी जमींदारी कायम कर दी गई है। एक दरिद्रता से तो उनका मुश्किल से पीछा छूटा था, अब नया करने की क्या आवश्यकता थी। आप देखिये कि गांव सभाओं में कितनी जमीन वेस्टेड है, जिसके कारण से वह जमीन गरीबों, हरिजनों और भूमिहीनों को नहीं मिली है। उसका उपयोग प्रधान और उसके खानदानी या जिन्होंने प्रधान को पैसा दिया है, वह लोग कर रहे हैं। एक तरफ तो हमारी प्रधान मंत्री का दावा है कि गरीबी हटनी चाहिये, हमें विश्वास है कि कमलापति त्रिपाठी जी के जमाने में बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं कि गरीबी हटाई जाय। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वह तुरन्त ही आदेश दें कि एलेक्शन हों, कोई भी ऐसी वजह नहीं है कि इन्हें दिसम्बर और जनवरी तक के लिये टाला जाये। अभी मंत्री जी ने पक्की तौर पर कहा भी नहीं है कि चुनाव अवश्य ही दिसम्बर, जनवरी में होंगे। अगर लोक सभा के चुनाव, विधान सभा के चुनाव, मिड टर्म पोल एक मास की नोटिस पर हो सकते हैं तो कोई कारण नहीं है कि इनके लिये इतना समय लिया जाये। एलेक्शन होने से नये प्रधान आयेंगे और उनके हाथ से जमीन निकलेगी जो गरीबों और हरिजनों को मिल सकेगी।

एक बात और मैं कहना चाहती हूं, प्रधानों का जो टर्म है वह ५ साल का है, जो कि इस तरह से १३—१४ साल का हो गया है। मैं चाहती हूं कि इसे ५ साल से भी कम कर दिया जाये। प्रधानों को जितना ही कम समय काम करने को मिलेगा, उनको उतना ही ख्याल रहेगा कि वह उन्हें जल्दी ही जनता के सामने जाना है, तो उन्हें जनता के हित का ज्यादा ध्यान रहेगा। उनका कुछ फायदा भी हो सकेगा। दूसरी बात मुझे यह अर्ज करनी थी, प्रमुख को प्रधान भी एलेक्ट किया करता है। लेकिन प्रमुख को एक अधिकार है कि बी० डी० ओ० की रिपोर्ट लिखे। उसके कारण बी० डी० ओ० को प्रमुख की हां में हां मिलानी पड़ती है। प्रमुख जो चाहते हैं, जिस-जिस में जितना रुपया लेना चाहते हैं, वही उसको करना पड़ता है। मेरी अर्ज थी कि बी० डी० ओ० की रिपोर्ट बजाय प्रमुख लिखे, जिलाधीश या कोई और अधिकारी लिखे। आखिर में मैं ज्यादा समय न लेती हुई मंत्री जी से फिर एक बार अर्ज करूंगी कि जिस तरह से भी हो सके इन इलेक्शंस को ज्यादा पोस्टपोन न करें क्योंकि इन्हें पोस्टपोन करते-करते इतना समय हो गया है। वहां पर एक तरह की जमींदारियां कायम हो गयी हैं, उनसे इस प्रदेश की जनता को छुड़ाने की कोशिश करें। जमीन काफी है जो अभी तक बट नहीं सकी है, अगर आगे सीलिंग आयेगी, मैं आशा करती हूं कि आयेगी, तो उसमें क्या जमीनें बट पायेंगी। मैं बड़ी आभारी हूं, आपने समय दिया। धन्यवाद।

*श्री भामी यादव (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास एवं पंचायत राज मंत्री महोदय ने जो यह गांव सभाओं और पंचायतों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश किया है, उसके विरोध में और संशोधन और कटौती के समर्थन में निवेदन करता हूं। श्रीमन, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, इस मुल्क की जनता आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तो उसके सामने यह अरमान था कि जब हमारा मुल्क आजाद होगा तो यहां पर पंचायती राज्य कायम होगा। मैं श्रीमन, यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब मुल्क आजाद हुआ, गांव सभायें बनीं, पंचायतों का गठन हुआ लेकिन २२—२३ साल की सरकारों ने गांव सभाओं, पंचायतों को इतना निर्बल बना दिया कि आज वे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बेकार हो गयी हैं। गांव में गांव पंचायतें हैं, जिला में जिला परिषदें हैं, लखनऊ में असेम्बली है दिल्ली में, केन्द्र में पारलियामेंट है। ये सब पंचायतें हैं, राज्य के ये चार खंभे है, चार पाये हैं। लेकिन सब को सोचना पड़ेगा कि सबसे हमारा बुनियादी अंग गांव पंचायतें होनी चाहिए, वह पाया बिलकुल कमजोर साबित हुआ है। पंचायत बड़ी बुनियादी चीज है पुराने जमाने में पंचायतें इनसे अच्छा काम किया करती थीं। गांव में पंचायतें अपनी नीति और वसूल को चलाया करती थीं। बड़े-बड़े मसलों को हल किया करती थीं। बड़े-बड़े सिंचाई के साधन, पोखरों, मीनाशयों का निर्माण किया करती थीं. सिंचाई के लिये कुयें और पानी पीने के लिए कुएं बनाना, आपस में मिलजुल कर सारी चीजें हुआ करती थीं। हमारी २२–२३ साल की सरकारों ने, केन्द्र की सरकार ने, सूबे की सरकार न, सारे पैसे का दुरुपयोग, पारलियामेंट, असेम्बली और जिला परिषदों में किया लेकिन गांव पंचायतों को कोई भी बल नहीं दिया। यह छिपी हुई बात नहीं है। मैं गांव पंचायत का प्रधान रह चुका हूं, न्याय पंचायत का सरपंच रहा हूं, ब्लाक का प्रमुख रहा हूं इस वक्त इस पंचायत में सदस्य की हैसियत से आया हूं। इस पंचायत में सीधे सादे लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। मंत्रियों के पास सुझाव लेकर जायं तो वहां पर हम लोगों को कोई स्थान नहीं मिलता है। इस तरह से इस विभाग के कर्मचारियों ने गांव पंचायतों के सीधे-साद प्रधानों और सदस्यों के अरमानों को कुचल दिया है और उनके सुझावों को नहीं सुना है मैं साफ बता देना चाहता हूं कि गांव पंचायतों को आज तक क्या मिला। जब ग्राम सभाओं का पहले इलेक्शन नहीं होता था लोग श्रमदान करते थे और श्रमदान से रास्ता बनाते थे, रोड बनाते थे, पुल और पुलिया बनाते थे और इस प्रकार ग्रामों में निर्माण कार्य करके अपने अरमानों को पूरा किया करते थे। लेकिन हाय रे उत्तर प्रदेश की इस सरकार का इन्तजाम, जिसने कि गांवों में हरिजनों के लिये पीने के पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं की है, हन्ड पम्प तक नहीं लगाये। यही नहीं, कोई ट्यूबवेल का उनके लिये इन्तजाम नहीं किया गया। सिंचाई के लिये हमेशा आपके प्रदेश में पूंजीवादी ढांचे का प्रोत्साहन मिला है, समाजवादी ढांचे को कोई प्रोत्साहन आपने नहीं दिया है। इस सरकार को २२–२३ साल हो गये हैं किन्तु आज तक कोई सिंचाई की व्यवस्था इस प्रदेश के गांवों के लिये नहीं की गई है। गांव सभाओं को सरकार की तरफ से कोई बल उनके विकास हेतु नहीं मिला है जैसे सिंचाई के साधन मुहैय्या करना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, सड़कें बनाना, रास्ते बनवाना। मान्यवर, मैं आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूं। वहां के लोग बहुत ही गरीब हैं। जब गांवों का विकास कार्य शुरू हुआ था तो वहां पर पटेल आयोग लागू किया गया और उसके सम्बन्ध में कुछ काम भी वहां पर शुरू हो गया था लेकिन हाय यह उत्तर प्रदेश की सरकार, पूर्वी जिलों में जो पटेल आयोग लागू किया गया था वहां की जनता की जितनी समस्यायें थी, जो पिछड़े हुये लोग वहां पर थे उनके विकास के लिये, वह भी बन्द कर दिया गया। न्याय पंचायतों का जहां तक सवाल है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि आज वहां पर भी कोई व्यवस्था.....

श्री अध्यक्ष––

आप कृपया जरा बैठ जायं। कोरम नहीं है। कोरम पूरा हो जाय तो उसके बाद बोलें।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री भाभी यादव––

श्रीमन्, यह बात मंत्री जी से छिपी नहीं है और किसी माननीय सदस्य से भी नहीं छिपी है चाहे वह सरकारी पक्ष के हों अथवा विरोध पक्ष के कि अधिकांश सभाओं और पंचायतों का जो खर्च है वह बिलकुल नहीं के बराबर हो गया है। उसका क्या कारण है? इसको माननीय मंत्री जी को ढूंढ़ना पड़ेगा। हर माननीय सदस्य ने कहा है कि पिछले चुनाव हुये

[श्री भाभी यादव]

१० साल से ऊपर हो गये हैं और चुनाव का यह तीसरी बार का समय चल रहा है तो मैं तो कहता हूं कि सरकार की जैसी इच्छा, सरकार की जैसी भावना होगी उसी प्रकार से उसका कार्य भी होगा। जैसे कि हमारे देहातों में कहावत है कि जैसे लाल चावल, वैसे घटिया दाल। तो मैं तो कहता हूं कि पंचायतों के चुनाव के लिये लापरवाही न की जाय और यदि जिस पंचायत चुनाव के लिये लापरवाही की जायगी, जिसके लिये सिद्धान्त और विधान बनाने के लिये सरकार को फुरसत न होगी और १०-१२ साल तक उस पर विचार न किया जायगा, तो वह गांव कैसे उत्थान कर सकेगा। अगर आपकी ये गांव सभायें और गांव पंचायतें मजबूत नहीं होती हैं, तो मैं साफ तौर से बता देना चाहता हूं कि जिले की पंचायत से, सूबे की पंचायत से और केन्द्र की पंचायत से चाहे जितना अधिक धन खर्च हो जाय लेकिन गांव कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जहां पर गांव में ८० फीसदी जनता रहती है उसके लिये आपने क्या सोचा है। यह बहाना करने से काम नहीं चलेगा कि हमारी सरकार नहीं थी। थोड़े दिन तक संविद की सरकार थी। मैं तो कहता हूं सारी जिम्मेदारी आपकी २२-२३ सालों में बराबर रही है। आप गांव सभाओं को, गांव पंचायतों को उठाने के लिये सब से पहले कदम उठायें। जितने अन्य विभागों के मंत्री लोग हैं इन सब में और सब विभागों में गांव पंचायतों का काम सबसे महत्वपूर्ण है। आपका सारे विभागों से संबंध है। सारे विभागों के लोगों से संबंध जोड़ कर आपको गांव के लोगों को आगे बढ़ाना है। मेरे इसमें ३-४ सुझाव हैं।

गांव सभाओं के प्रधान और सदस्यों को, जो आपने कानून में अधिकार दे रखा है, आपके सरकारी कर्मचारियों और जितने पदाधिकारी हैं उनको अक्षरशः पालन करना चाहिये और गांव सभा के सदस्यों और प्रधान की प्रतिष्ठा को और उसके हकूक को कायम रखने के लिये, उसके हकों की रक्षा होनी चाहिये, जो कि १२-१३ सालों में उसकी कोई परवाह नहीं की गयी।

गांव सभाओं में जो जमीनें हैं उनको कायदे से भूमिहीनों में वितरण होना चाहिये--- चाहे वह गांव समाज में छूटी हुई जमीन हो, चकबन्दी से कटौती की छूटी हुई जमीन हो, गांव समाज की जमीन हो उसका वितरण हो। उसमें घोर बेईमानी हुई है। सरकारी अफसर और कर्मचारियों ने मनमाने तरीके से पट्टे लिखे हैं। वे पट्टे कैन्सिल होने चाहिये। कायदे से पट्टे हों तो ठीक है और पट्टे पर झूठ-मूठ के विवाद गलत रिपोर्ट के आधार पर नहीं चलने चाहिय।

तीसरा यह है कि गांव सभा के माध्यम से हरिजनों को पानी पीने के कुओं की व्यवस्था जहां पर नहीं है वहां व्यवस्था होनी चाहिये। जिला परिषद और विभाग की ओर से जो पानी पीने के लिये इन्तजाम है उसमें घोर भ्रष्टाचार और बेईमानी हुई है। आप भ्रम न रखें कि गांव सभा और गांव पंचायतों के सदस्य बेईमान होते हैं। यह सही है कि जैसे यहां पर बहुत से घूसखोर हैं जो अधिकारी बन कर वहां बैठे हुये हैं---मैं किसी विशेष के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन छुपी बात नहीं है--उसी तरह से गांव सभाओं और पंचायतों में भी बेईमान हैं, लेकिन वहां कम हैं न्याय पंचायतों और गांव सभाओं में।

दूसरी बात यह बता देना चाहता हूं कि चक छूटे हुये हैं, जमीनें छूटी हुई हैं, चकबन्दी की उनकी जल्द से जल्द पैमाइश करके जो जबरदस्त लोग अपने खेतों में मिला कर जोत लिये है, उसकी अविलम्ब पैमाइश होकर उस गांव समाज की संपत्ति की रक्षा की जाय ताकि गांव सभा के लोग ठीक ढंग से उसका निर्माण कर सकें।

एक सुझाव और यह है कि गांव सभा को इतना मजबूत आप बनावें कि उनको जिला-परिषद् और असेम्बली पार्लियामेंट के लोगों का मुंह देखना न पड़े। नहीं तो गांव सभा

और गांव के अन्य लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विधायक लखनऊ की पंचायत में गया, हमारी समस्या को रखेगा। जिला परिषद् का मेम्बर बनकर गया, जिसमें हमारी समस्या को रखेगा। पार्लियामेंट में हमारे क्षेत्र का मेम्बर गया, पार्लियामेंट में हमारी समस्या को रखेगा। लेकिन हाय रे पार्लियामेंट, हाय रे असेम्बली, हाय रे जिला परिषद, हमारे ऐसे साधारण सदस्य, मैं साफ कहना चाहता हूं कि विधान सभा में तो बोलने की हमारी हिम्मत पड़ जाती है लेकिन मंत्रियों के दफ्तर में जायं या उनके बंगलों पर जायं तो हालत खराब हो जाती है। हमारा दिल नहीं चाहता है कि हम वहां जायं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, जनता से प्रार्थना करता हूं कि विधान सभा में रहते हुये हम जैसे लोगों को इनके बंगलों पर न जाना पड़े। अगर हम सही बात लेकर जाते हैं तो वह भी ठुकरा दी जाती है। गलत बात लेकर जाने का तो सवाल ही नहीं है। उसी की वहां पहुंच हो सकती है जो या तो उनका संबंधी हो, जान पहचान का हो या फिर सदन में ज्यादा हो, हल्ला करता हो। लेकिन हमारे जैसे सीधे आदमी को नहीं जानते हैं।

श्री अध्यक्ष––

आप तो सब से ज्यादा हल्ला कर रहे हैं।
(हंसी)

श्री भाभी यादव––

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे सरकारी पक्ष के सदस्य हों या विरोधी दल के हों या चाहे मंत्री हों, अधिकांश लोग गांवों से ही आये हैं और शहरों से बहुत कम आये होंगे। इसलिये गांव की समस्याओं को ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। गांव सभायें और न्याय पंचायतों के अब तो नहीं के बराबर उनके अधिकार रह गये हैं। हजारों वर्ष के पहले के इतिहास को देखें तो इनकी कितनी अच्छी हालत थी। गांवों की तरफ मंत्री जी को निगाह डालनी चाहिये और हम सब लोग सहयोग देने के लिये तैयार हैं। लेकिन अगर वह दलों के बनने और बिगड़ने को देखते रहें तब तो बात दूसरी है। चाहे कोई एक घंटा ही कुर्सी पर रहे तो वह गरीबों के लिये काम करे और कुर्सी की परवाह न करे। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का घोर विरोध करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)––

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सामुदायिक विकास तथा गांव पंचायतों के संबंध में जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही मंत्री जी ने अनुदान के संबंध में जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं और भाई कल्पनाथ सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका घोर विरोध करता हूं। अभी हमारे एक साथी श्री भाभी ने जो बात सदन के सामने रखी (हंसी) और कहा कि मैं प्रधान भी रहा हूं। यह जान कर मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने अपनी प्रधानी के वक्त में गांव समाज की जमीन हरिजनों में बांटी होगी। इसके साथ ही साथ जो स्कीम बताई है वह बहुत अच्छी है।

श्री भाभी यादव––

मैंने दो हजार बीघा जमीन गरीबों को और गांव समाज की ५० बीघा जमीन हरिजनों को दी।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)––

इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं और साथ ही जब माननीय पंत जी थे और आप भी थे नीताल में जब ग्राम पंचायतों का जन्म हुआ था। उस जमाने में और आज के जमाने में

[श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)]

बड़ा अन्तर है उस वक्त यह सोचा गया था कि गांवों को स्वर्ग बनायेंगे, गांवों का जो सबसे गिरा हुआ तबका है उसको उठाने की कोशिश करेंगे। गांवों का विकास करने के लिये और राम राज्य स्थापित करने के लिये प्रयत्न करेंगे। बहुत से वकीलों को उस समय यह डर हो गया था कि हमारी वकालत ठप्प हो जायगी और किसी हद तक उस समय हुआ भी। जब न्याय पंचायतें ठीक प्रकार से कार्य कर रही थीं तो जिला की अदालतों में बहुत कुछ काम ठप्प हो गया था। वह भी एक जमाना था।

लेकिन आज के जमाने के बारे में एक भाई ने कहा कि गांवों में पार्टीबंदी बहुत बढ़ गयी है। हमें जहां तक याद है, अगर मेरा दिमाग ठीक है, तो हमारी पार्टी ने उस समय यह तय किया था कि गांवों की पंचायतों के लिये हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसलिये नहीं लड़ेंगे ताकि गांवों के लोग अपनी समस्याओं को अपने आप ही तय कर लें। लेकिन उसका दुरुपयोग किया गया और सबसे पहले जनसंघ वालों ने किया उन्होंने धर्म और जाति के नाम पर पार्टीबन्दी शुरू की। उसका नतीजा यह हुआ कि गांवों में घर-घर पार्टीबन्दी हो गयी। अब वहां गरीबों का निस्तारा नहीं है। गरीबों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। जिस गांव का कोई जबरदस्त आदमी है, जिसके पास लाठी डंडा है, वोट उसी को मिलेंगे और चुनाव में वही प्रधान चुना जायगा, दूसरा कोई नहीं चुना जा सकता। माननीय मंत्री जी ने भी घोषणा की है कि उनका चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा किया जायगा। इसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। गांवों की हालत को देखते हुये, वहां की सामाजिक हालत को देखते हुये और मंत्री जी गांव सभाओं का जल्दी से जल्दी चुनाव करा दें तो मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगा। सभी कहते आये हैं कि चुनाव करायेंगे लेकिन १०-१२ साल हो गये चुनाव नहीं हुए हैं। गांवों का सारा काम ही ठप्प पड़ा है। प्रधान का एकतंत्र राज्य वहां चल रहा है। वह जिसको चाहता है जमीन दे देता है। हमारे गांव में चकबंदी हो गयी है। ग्राम समाज में गरीबों के मकान बनाने के लिये जो जमीन छोड़ी गयी थी उस जमीन का नीलाम बड़े लोगों को कर दिया गया है और गरीब उससे वंचित रह गये हैं और वे लोग अब ज्यादा पैसा लेकर उन जमीनों को बेच रहे हैं। उन गरीबों के हाथ बेच रहे हैं जिनको मकान बनाने के लिये जमीन की बहुत आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी इस ओर जरा ध्यान दें और जो जमीन ग्राम पंचायतों की निकली है उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। जो नीलामी उस जमीन की की गयी है, अगर उसको रद्द किया जा सके तो बहुत ही अच्छा हो और उसको गरीबों को दिलाया जा सके तो मंत्री जी की बड़ी कृपा होगी। ग्राम सभाओं में छोटे-छोटे उद्योग हैं जैसे, मछली मारना और सिंगाड़े बोना भी उद्योग है। गांव का प्रधान मनमाने ढंग से उसको बड़े लोगों को दे देता है। जो मछवे जाति के हैं तथा कहार हैं, जिनकी गुजर ही केवल उसी पर होती है उनको ठेका नहीं दिया जाता। इसके कारण वे लोग अपनी रोजी को ठीक प्रकार से चला नहीं पा रहे हैं। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे जब पंचायत राज्य के नियमों को बनायें तो उसमें इस बात का प्राविधान कर दिया जाय कि ठेका उन्हीं लोगों को दिया जाय जो गांवों में उस रोजगार को करते हैं। आज कल समाजवाद का युग है। मंत्री जी भी समाजवाद के ही समर्थक हैं। एक बात की और खुशी है कि माननीय मंत्री जी भी हरिजन हैं। हरिजनों और गरीबों की समस्याओं की ओर वे अवश्य ही देखेंगे और मुझे पूर्ण आशा है कि माननीय मंत्री जी का जो गांवों के बारे में स्वप्न था, वह स्वप्न पूरा हो सकेगा। आज गांवों की क्या हालत है? अध्यक्ष महोदय, यह चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही है। एक विकास क्षेत्र में ८५ से १०० गांव तक होते हैं और १२ लाख रुपया एक योजना में एक विकास क्षेत्र पर खर्च होता है। इस हिसाब से ४८ लाख रुपया एक विकास क्षेत्र पर खर्च हो चुका है। लेकिन किसी भी गांव में एक खरंजा नहीं है, सड़कें नहीं हैं, नालियां नहीं हैं और विद्युत का कोई प्रकाश नहीं है। आखिर यह रुपया कहां गया? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसके लिये एक समिति का गठन करें जो इन तमाम बातों का पता लगाये और इस

की खोजबीन करे कि जब न वहां कोई स्कूल बना, न कोई पंचायत घर है, न पंचायत चौतरा है, न सड़कें हैं तो आखिर यह ४८ लाख रुपया कहां गया ?

आज विकास क्षेत्र के बी० डी० ओ० के पास जो जीपें हैं उनका क्या होता है। उनका इस्तेमाल सब्जी लाने के लिये, उनके लड़कों को स्कूल छोड़ने के लिये और यहां तक कि सिनेमा देखने और शादी व्याह तक में किया जाता है। कितना दुरुपयोग इन सरकारी जीपों का बी० डी० ओ० लोग करते हैं। इस पर मंत्री जी का थोड़ा ध्यान जाना चाहिये। इस समाजवादी युग में जो भी अधिकारी समाज या राष्ट्र का पैसा अपने हित के लिये बरबाद करता है उसको फौरन निकाल देना चाहिये।

इसके अलावा जो यहां के चपरासी होते हैं उनकी तो बहुत ही दयनीय दशा है। वह २४ घंटे उनके बर्तन मांजते हैं, सब्जी भी लायें, उनके बच्चों को स्कूल भी छोड़ें और साथ में सरकारी काम भी करें। अगर नहीं करते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है।

एक बात और मुझे आप से कहनी है। शासन ने जिला परिषद् भंग किये। लेकिन उसके बाद आज तक कोई कमेटी नहीं बनी। कहते हैं जनतंत्र। हम भी कहते हैं समाजवाद। परन्तु आज इतने महीने से निरंकुश शासन जिलाधीश के हाथ में है। उसके लिये आपने सलाहकार बोर्ड भी नहीं बनाया। न बाहरी आदमी को चुनते, अगर एम० एल० ए०, एम० एल० सी० और एम० पी० को ही उसमें रखते तो आज जो वहां शिक्षा की हालत है, जो सड़कों की हालत है, जो वहां के विकास की हालत है वह ऐसी न रहती। मैं चाहूंगा कि जब तक मंत्री जी चुनाव नहीं कराते हैं तब तक सलाहकार समितियों का निर्माण कर दें जिससे कि इन कार्यों की उचित देखभाल हो सके। (लाल बत्ती जलने पर) ५ मिनट का समय, श्रीमन्, मुझे और दे दें।

श्री अध्यक्ष---

दो मिनट हैं आपके।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)---

हमारे प्रधान मंत्री ने हर जिले को एक स्कीम भेजी है और समाजवाद लाने के लिये वह हर आदमी को रोजी देने का प्रयत्न कर रही हैं। जहां सड़कें वगैरह नहीं बनी हैं वहां एक हजार नवयुवकों को रोजी दी जायगी जिससे सड़क निर्माण हो सके और साथ ही जो अविकसित क्षेत्र हैं उनको विकसित किया जा सके। यह हमारे प्रधान मंत्री की देन है। समाजवादी युग लाने के लिये यह प्रथम चरण है।

इसके अलावा, श्रीमन्, विकास क्षेत्र की बात कही जाती है। बुन्देलखंड का क्षेत्र बन गया, पहाड़ का क्षेत्र बन गया, लेकिन पूर्वी विकास क्षेत्र का अभी तक निर्णय नहीं लिया है। इसका निर्णय लें और पूर्वी विकास क्षेत्र का निर्माण करें। साथ ही साथ हर एक गांव में जहां पर हरिजन आबादी है वहां पर पीने का पानी उपलब्ध कराया जाय। यह कलंक आपके शासन पर पिछले २४ साल से लगा हुआ है उसको मिटाने की कोशिश करें। साथ ही जो अनुदान मन्त्री जी ने रखा है उसका समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया।

*श्री रामकुमार (जिला कानपुर)---

माननीय अध्यक्ष, जो भाई कल्पनाथ सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके पहले कि मैं कुछ अपनी बाते कहूं एक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकुमार]

बुनियादी बात की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वह यह है कि इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो स्वराज्य की लड़ाई लड़ी थी उसके गर्भ में एक भावना थी कि स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात् इस देश में और प्रदेश में ग्राम स्वराज्य को स्थापना होगी गांवो में सच्चे माने में स्वराज्य को स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी की कल्पना थी। मुझे खेद है कि २२, २३ वर्ष व्यतीत होने के बाद उस महापुरुष की कल्पना को कार्य रूप में परिणत करने की दिशा में किंचित मात्र भी नहीं बढ़े हैं। जो हमारे गांवों की स्थिति थी, अगर मैं यह कहूं कि स्वराज्य प्राप्ति के पूर्व जो स्थिति गांवों की थी उससे बदतर स्थिति आज है। आज गांवों में कलह, ईर्ष्या, रागद्वेश, बेईमानी, अराजकता का साम्राज्य है। क्या गांवों में स्वराज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने ऐसी ही की थी? मेरा ऐसा विश्वास है कि माननीय मंत्री हमारी इस बात पर स्वयं सहमत होंगे कि जिस प्रकार की कल्पना राष्ट्रपिता ने की थी उसके अनुकूल हमारे गांव बने नहीं है और उत्तरोत्तर दूसरी दिशा की ओर जा रहे है। हमें ऐसा लगता है कि जो हम लोगों की भावना थी ग्राम स्वराज्य की हमारी उपेक्षा के कारण, हमारी कार्य पद्धति के कारण और हमारे दृष्टिकोण के कारण उससे हटते चले जाते हैं और धीरे-धीरे नाम तो समाजवाद का लेते है लेकिन अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहे हैं। माननीय मन्त्री जी आप विचार करें, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी कल्पना थी इस देश के अन्दर पंचायती राज की स्थापना की वह कल्पना ही रह जायगी।

केन्द्रीय सरकार ने भी घोषणा की कि हम पंचायती राज की स्थापना करेंगे और प्रदेशीय सरकार ने भी घोषणा की कि हम पंचायती राज की स्थापना करेंगे और पंचायती राज की स्थापना के तहत में कुछ कमीशन भी बनाये गये और समय-समय पर कुछ कमेटी भी बनीं। इस सम्बन्ध में जो कमीशन बने उनमें बलवन्तराय मेहता कमीशन इस सम्बन्ध में बना था जिसने विस्तार के साथ इस देश में कैसे पंचायती राज सफल होगा उस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट दी थी लेकिन श्रीमन्, यदि आप मुझे क्षमा करें तो मैं यह कह सकता हूं कि उन कमीशन का नियुक्त करना बिलकुल निरर्थक हुआ। उन कमीशन की आख्या पर चलने की चेष्टा इस सरकार ने या पहले की सरकार ने नहीं की। उदाहरण के लिये एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बलवन्तराय मेहता कमीशन ने यह कहा था कि गांवों की आर्थिक समृद्धि के लिये, गांव सभाओं की आर्थिक दशा को मजबूत करने के लिय परमावश्यक है कि उनको लैण्ड रेवेन्यु में राजस्व में २५ प्रतिशत का हिस्सा दिया जाय। लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि बलवन्तराय मेहता कमीशन को बने इतने दिन हो गये, उनकी रिपोर्ट को दिये इतना समय बीत गया लेकिन इस सरकार ने या पहले की सरकार ने विचार करना भी उचित नहीं समझा कि गांव सभाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिये जो ठोस सुझाव दिये थे उन पर विचार करते। इस लिये मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार का विश्वास नहीं रह गया है पंचायती राज में, और यह सरकार प्रपंची पंचायत राज की बात करती है। इसका मतलब तो अधिनायकवाद की तरफ जाने का है जिसकी स्थापना के लिये इस देश में आगे बढ़ रही है। दूसरों की सांठगांठ से, इसके व्यवहार से यह बात साफ हो रही है कि वह उस तरफ जा रही है। मैं कहूंगा कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये निश्चित रूप से कोई .....

डाक्टर श्याम किशोर (जिला सीतापुर)---

अध्यक्ष जी, क्या मैं एक शंका कर सकता हूं कि अभी जो पिछले चुनाव हुये थे उसका ही यह परिणाम घोषित हुआ है और वह क्या केवल एक मखौल ही थे?

श्री राम कुमार---

माननीय सदस्य ने जो चुनाव की बात कही मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। आज चुनावों के बारे में जो सारे देश में चर्चा है वह आप अपनी ही अन्तरआत्मा से पूछिये कि

किस प्रकार की चर्चा है और अन्य देशों के लोगों ने जो चर्चा की है उसको आप जरा देर के लिये अपने ही हृदय से अन्तर्मुखी होकर पूछिये। इसी देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में भी ९ सूबों में उनके दल की सरकार न बन सकी और आपने तो अब रूस और चीन, न मालूम किन-किन देशों से सांठगांठ की है और आपकी प्रगति अब अधिनायकवाद की ओर है और समय आयेगा तो यह बात स्वतः सिद्ध हो जायगी।

तो मैं कह रहा था कि यह हमारी मौलिक इकाइयां हैं जब तक आप इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं बनायेंगे यह उन्नति नहीं कर सकतीं और यह यदि कमजोर रहेंगी तो आप का पंचायत राज सफल नहीं होगा। उसकी ओर इस सरकार का इस बजट के माध्यम से ध्यान नहीं गया। यदि आप इस बजट को पढ़ कर देखें तो उसमें इन गांव सभाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने का लशमात्र प्रयत्न नहीं किया गया है, इनकी योजनायें तो बड़ी लम्बी चौड़ी हैं लेकिन इस ओर इनका ध्यान नहीं गया है।

एक बात मैं गांव सभाओं के विषय में कहना चाहता हूं कि गांव सभाओं और गांव समाज का एकीकरण तो किया गया लेकिन उसकी बुनियाद में ही २ आदमी लेखपाल और पंचायत मंत्री का दोहरा दखल उसमें रख दिया। वह अलग-अलग ढंग से खींचातानी निरन्तर करते रहते हैं। मजाक यह है कि पंचायत राज की संस्था पर ही इस प्रदेश के राजस्व विभाग का विश्वास नहीं है, यहां का राजस्व विभाग इस कोशिश में है कि वह अपनी स्थापना के समय से ही असफल रहें और उनके लिये वह तरह-तरह की बार-बार उलझन पैदा करता रहता है। मैं चाहता हूं कि किसी तरह से उनको संरक्षण प्राप्त हो। एक संरक्षण माल विभाग का है और एक पंचायत विभाग का है। माल विभाग जैसा संरक्षण करता है उसके बारे में क्या कहना है, कैसा भ्रःटाचार वहां है, किस प्रकार के वहां के अधिकारी हैं उस सब के बारे में तफसील में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन वह तौर तरीका, वह तर्ज धीरे-धीरे गांव सभा की पवित्र संस्था में भी प्रविष्ट हो गया है और नतीजा यह है कि जिन बुनियादी उसूलों को लेकर उनकी स्थापना हुई थी उनकी दिशा ही बिलकुल बदल गई और वे दूसरी तरफ जा रही हैं। हम इतनी दूर चले गये कि मौलिक उद्देश्यों से विमुख होकर पंचायत राज की तरफ कदम बढ़ाने का सिलसिला ही हम ने छोड़ दिया। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी खुले दिल से विचार करें कि जब यह दोहरा प्रबन्ध है और राजस्व विभाग के अधिकारियों का जो हस्तक्षेप है वह समाप्त करें और एक अधिकारी के नियंत्रण में उनको दें तभी उनकी प्रगति सम्भव है अन्यथा वह न हो सकेगी।

इसी प्रसंग में मैं इतना और कहूंगा कि कटौती का प्रस्ताव रखते हुये जो माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कहा था कि इन जन संस्थाओं के ऊपर पदाधिकारियों का संरक्षण नहीं है, मैं पुनः उस चीज को कहता हूं कि उनको वह संरक्षण प्राप्त नहीं है। यों तो पंचायत राज ऐक्ट में व्यवस्था है और उनको पबलिक सर्वेन्ट माना गया है लेकिन वह केवल कागज पर लिख दिया गया है और व्यवहार में आज तक वह चीज नहीं हो पायी है। इस दशा में उस से लाभ ही क्या है? मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस तरह के आदेश प्रसारित करें कि राजस्व विभाग के पदाधिकारी इन गांव सभाओं और न्याय पंचायतों का संरक्षण करें। आप स्वयं विचार करें कि यदि गांव के प्रधान, न्याय पंचायतों के सरपंच अपने पद की गरिमा की रक्षा नहीं करेंगे तो उनके द्वारा इन संस्थाओं का कल्याण न हो सकेगा। आज हाकिम परगना की तरफ से उनको हुक्म दिया जाता है कि वह सारे कागज पत्र लेकर उनकी अदालत में हाजिर हो जायं। मैं नहीं समझता, चुनाव हुए, प्रतिनिधि चुने गये। उन चुने हुये प्रतिनिधियों को आपके एस० डी० एम० लिख कर भेज देते हैं कि कागज समेत चले आइये। लज्जा की बात है। शर्म से सिर झुक जाता है। जब इस तरह के आदेश प्रसारित होते हैं उन लोगों के प्रति जो चुने हुये प्रतिनिधि हैं। तो श्रीमन्, इसकी ओर आपका ध्यान जाय। हमारे मंत्री जी इसमें सोचेंगे और कोई न कोई रास्ता निकालेंगे जिससे कि यह अव्यवस्था दूर हो।

[श्री राम कुमार]

श्रीमन्, एक और बात मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं। जहां तक गांव सभाओं के चुनाव की स्थिति है काफी चर्चा लोगों ने की है और बार-बार। चाहे यह सरकार हो और चाहे इसके पूर्व की सरकारें हों हमें ऐसा लगता है कि गांव सभाओं के चुनावों से सब ही की भागने की स्थिति है। मैं यह कहूंगा कि मंत्री जी यह स्पष्ट घोषणा करें चाहें जैसी परिस्थिति हो, गांव सभाओं के चुनाव निश्चित रूप से करा देंगे और समय बांध कर कार्यक्रम शुरू होना चाहिये। पिछली बार तो नामजदगी की तिथि भी निश्चित हो गई थी लेकिन चुनाव नहीं हुये। सन्देह होता है इसलिये कि चुनाव हो सकेंगे या नहीं। लेकिन फिर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि वे इस ओर अवश्य ध्यान दें। श्रीमन्, इसके साथ ही जो जिला परिषदों की समाप्तिकरण का कार्य किया वह अच्छा काम किया। कैसी हालत आपने कर दी? पंचायत राज का धड़ है किन्तु सिर नहीं है। यदि पंचायतीराज पर आपका विश्वास है तो धड़, सिर और पैर पूरे रखते लेकिन आपका तो विश्वास ही नहीं है। इसलिये आपने सिर ही काट दिया पंचायतीराज को और कलंकित कर दिया इस प्रदेश को.....

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

यह चरण सिंह साहब ने किया था।

श्री राम कुमार--

आप उनके साथ ही बैठते थे।

आपने आज पंचायती राज को लुंज पुंज कर दिया। मैं नहीं कहता कि एडवाइजरी कमेटी बना दे जो दो वर्ष का समय ले ले और कहे कि दो वर्ष में गठन करेंगे। यह बहुत ही अनुचित है और इस प्रदेश पर ज्यादती है। आपको अविलम्ब घोषणा करनी चाहिये कि गांव सभाओं का चुनाव करके जिला परिषदों की स्थापना कर देंगे। श्रीमन्, आज जिला परिषदें भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई हैं। जिला परिषदो में जिलाधीश डिक्टेटर का काम करते हैं। उनकी हम कहां तक आलोचना करें। मैं कानपुर के जिलाधीश के कुछ उदाहरण दूंगा। जिस जिलाधीश ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है उसकी तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा। जब से कानपुर की जिला परिषद् जिलाधीश के चार्ज में गई है सर्व प्रथम जो कार्य उन्होंने किया है वह यह कानपुर जिले की जो आयुर्वेदिक रसायनशाला जो तीस साल से चल रही थी और जो निरन्तर लाभ में चल रही थी और जो जिला परिषद् के ३६ औषधालयों को दवा बांटने का कार्य करती थी, उस संस्तुति को माननीय मंत्री जी नोट कर लें। सरकार के बार-बार अनुशंसा के बाद भी, लिखने के बाद भी आपके उस डिक्टेटर जिलाधीश ने उसे तोड़ दिया। उसने आपकी परवाह नहीं की। उससे क्या हुआ? उससे हुआ यह कि जो औषधालयों में दवाइयां जाती थीं उनके लिये कोई विकल्प नहीं रह गया। एक और मजाक है। इसके साथ जो संयोग से भूल गया। जो कच्ची औषधियां रसायनशाला के पास थी वे कच्ची औषधियां देहात के वैद्यों को बांट दी गई हजार-हजार, आठ-आठ सौ रुपये की। वे सड़ी हुई औषधियां हैं। उनसे यह कह दिया कि वे उन औषधियों को कूट कर दें।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मुझे थोड़ा समय और दे दीजिये।

यह जिलाधीश की आज्ञा है और उनके मातहत जो जिला परिषद की दशा है उसकी तरफ मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया। कानपुर जिला परिषद् में जो हुआ है शायद वह सारे प्रदेश में हुआ होगा। चार लाख रुपये था सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिये, कुछ काम करने के लिये, जैसे स्कूल बनना है, मरम्मत होनी है, कुछ ऐसे ही कामों के लिये

था। श्रीमन्, डेढ़ वर्ष हो गया एक पैसा का काम कानपुर जिला परिषद् में नहीं हुआ। वह चार लाख रुपया जब्त हो गया। एक मजाक और है। जिलाधीश टैन्डर मांगते हैं, उनकी साख इतनी उठ गयी है कि कोई टैन्डर नहीं देता है। पांच बार टेन्डर मांगे गये हैं लेकिन किसी ने नहीं दिया। कारण क्या है? कारण भ्रष्टाचार है। वह ठेकेदार अपना पेमेन्ट नहीं करा पाता जो इंजीनियर, ओवरसियर और ए० डी० एम० (पी) को पैसा नहीं दे पाता। नतीजा यह हुआ कि वह चार लाख रुपया वापस हुआ। यही नहीं, ५ लाख रुपया जिला परिषदों के स्कूलों का सामान खरीदने के लिये था, वह नहीं खरीदा गया। ए० डी० एम० (पी) आपने ऐसा बैठा रखा है कि जो निरंकुश है, काम करना नहीं चाहता। बार-बार उसका स्थानान्तरण होता है और रुकता है। पता नहीं क्यों पक्ष किया जाता है ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी का? तो पांच लाख का सामान नहीं खरीदा गया। नतीजा क्या हुआ? स्कूलों में टाट-पट्टी नहीं है, लड़के जमीन पर बैठते हैं, इमारतें गिर रही हैं। यह स्थिति है।

श्रीमन्, भ्रष्टाचार कितना व्यापक है, कानपुर जिले की मिसाल देना चाहता हूं। कानपुर जिले में तीन विकास खंड हैं—डेरापुर, बिल्हौर और मैठा। डेरापुर में लगभग ७०–८० हजार का इम्बैंजिलमेन्ट है, बिल्हौर में डेढ़-दो लाख का और मैठा में करीब ६० हजार का और यह किसी गैर सरकारी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि बी० डी० ओज० के खिलाफ है। यहां किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। किसान के फर्जी दस्तखत करके रुपया ले लिया गया। जब उसके पास रिकवरी गयी तो उसने कहा कि हमने तो ऋण लिया ही नहीं। तो यह हालत है। इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये।

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं। एक पे रेश्नेलाइजेशन कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने बहुत सी सिफारिशें की थी। उनमें अधिकारियों के पक्ष में जो बात थी वह तो मान ली गयी, बाकी नहीं मानी गयीं। एक उदाहरण देना चाहता हूं। विकास खंड में एक प्रगति सहायक नाम का कर्मचारी होता है। उस कमेटी ने संस्तुति की थी कि इसको ए० डी० ओ० ग्रेड दे दिया जाय। वह नहीं हुआ, लेकिन उसी स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेन्ट के जो डी० एस० टी० ओज० हैं जिले में उनको उस कमेटी की अनुशंसा के अनुसार ग्रेड दे दिया गया। तो यह दो तरह का व्यवहार कुछ समझ में नहीं आता।

जहां तक जिला परिषद् के कर्मचारियों का सवाल है, उनकी बड़ी बुरी दशा है। उनके साथ बड़ी ज्यादती है। वह न स्वायत्तशासन के कर्मचारी हैं और न राजकर्मचारी हैं। उनको वह सुविधा भी नहीं मिलतीं जो महापालिका के कर्मचारियों को मिलती हैं। उनके लिये राजकर्मचारियों की तरह घोषणा करनी चाहिये। पंचायत मंत्रियों के लिये जिस तरह से कहा है कि वेतन कमीशन में विचार होगा उसी तरह से मंत्री जी कृपा कर यह घोषणा करें कि जिला परिषद् कर्मचारियों के बारे में भी पे कमीशन विचार करके उचित रिपोर्ट देगी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिवकुमार (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वास्तव में यह ऐसा विभाग है जिसका ग्रामीण जनता से और सारे जनजीवन से बहुत अधिक सम्बन्ध है और सीधा उसको प्रभावित करता है। मैं यहां पर जो इस समय जिला परिषदों की स्थिति है और पंचायत राज विभाग की स्थिति है उसके संबंध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। पिछले दिनों जब जिला परिषदों को तोड़ा गया था तो उनके स्थान पर डिस्ट्रिक्ट्स मैजिस्ट्रेट्स को जिला परिषदों का कार्यभार सौंपा गया था। जिला परिषदों के चुनाव हुये बहुत दिन हो गये थे और उनका समय भी कई बार बढ़ा दिया गया था। उनका कार्य ठीक नहीं था और उनमें भ्रष्टाचार भी व्याप्त था। इन सब बातों को समझ कर जिला परिषदों

[श्री शिव कुमार]

को भंग किया गया था और इस आशा के साथ उनका सब काम जिला मैजिस्ट्रेट्स के सुपुर्द किया गया था कि अब तेजी से काम होगा, हर बात में सुधार आयेगा और स्थिति सुधर जायेगी, लेकिन मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हालत बिल्कुल नहीं सुधरी और हालत और खराब हुयी है। जनता के सहयोग की जो कड़ी थी वह बिल्कुल टूट गयी है। आज हम देखते हैं कि तरह-तरह की शिकायतें ले कर गांव के लोग आते हैं, जनसाधारण के लोग आते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यह एक ऐसा विभाग है जिसका संबंध कृषि से है, सिंचाई से है, शिक्षा से है और इसी तरह से अनेकों विभागों से इसका संबंध है।

मैं आपको अपने जिले का उदाहरण देता हूं। मेरे जिले में राम गंगा नदी है जिस पर कि एक बहुत बड़ा पुल है जो लकड़ी का बनाया जाता है। प्रतिवर्ष वह पुल बरसात में टूट जाता है और पन्द्रह अक्तूबर तक उसको दुबारा नावों से बनाया जाता है। १५ जून से १५ अक्तूबर तक राम गंगा के घाट पर उतराई नावों द्वारा होती है। बजाये १५ जून को टूटने के इस वर्ष वह पुल २५ अप्रैल को ही टूट गया। यह पुल राम गंगा के कोला घाट पर है। यहां पर यातायात अधिक है। जरीमपुर से ढाईघाट तक सड़क है और दूसरी सड़क कलां होती हुयी बदायूं जाती है। मैं चूंकि वहां रहता हूं इसलिये उस पुल की अहमियत को जानता हूं। हजारों बैलगाड़ियां, लहड़ियां तथा अनगिनत पैदल यात्री रोजाना उस पुल से उतरते हैं। आज उस पुल के मैनटीनेन्स की जिम्मेदारी व उसके रखाव की जिम्मेदारी जिला परिषदों पर है। जिला परिषद् ही उस पुल पर यात्री-कर वसूल करती है। अगर आज कोई पब्लिक का आदमी जिला परिषद् का अध्यक्ष होता और वह पुल टूट जाता तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिले में कितना कोहराम मच जाता। अध्यक्ष तो शायद जनता में मुंह दिखाने लायक भी न रहते। हजारों शिकायतों के बावजूद भी जिला परिषद् की तरफ से कोई इन्तजाम वहां पर नहीं हुआ कि दुबारा उस पुल को ठीक करवा देते। लोग बैल-गाड़ियों को उस घाट पर से जिस तरीके से उतारते रहे हैं, उससे जनता को बड़ा कष्ट हुआ है। जिला परिषद ने मनमाने कर भी वसूल किये। यह सब वहां पर हुआ। जिला मजिस्ट्रेट को, जिनको कि ये सारे काम सौंपे गये हैं, इतनी फुर्सत नहीं है कि वे इन सब बातों को देखें, क्योंकि उनके पास तो जिले के प्रशासन का ही इतना कार्य रहता है कि वे सवेरे से शाम तक उसमें व्यस्त रहते हैं और दूसरे कर्तव्यों के पालन का उन्हें समय नहीं मिलता है। फिर जिला परिषद् का तो इतना बड़ा काम है कि अध्यक्ष सवेरे से लेकर रात के १० बजे तक उसमें लगे रहते हैं और पचासों आदमी उनसे मिलने के लिये आते रहते थे। जो सारे मामले उस समय निपट सकते थे वे आज नहीं हो रहे हैं। आज नौकरशाही का बोलबाला है। जो वहां पर पैसा खर्च करे और रिश्वत दे उसका काम तो हो जाता है और जो यह नहीं करता है उसका काम लटका रहता है। पूरी क्लर्कशाही है। ए० डी० एम० (पी०) को और डी० एम० को इतनी फुर्सत नहीं है कि वे सब काम करें।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं पंचायतों के विषय में कहना चाहता हूं। उनकी हालत तो यह हो गयी है कि वे एक बोझ हो गयी हैं। न ही उनकी कोई नीति है और न ही उनकी कोई बड़ी सभा होती है। न्याय पंचायतों की मीटिंग्स होती हैं, मगर कोरम पूरा नहीं होता है। सिवाए इसके कि पंचायत से हेटरी गलत-सलत फर्जी कार्यवाही दर्ज कर दे और झूठे दस्तखत बना दे और कोई काम नहीं होता है। क्षेत्र समितियां बिल्कुल बेकार हो गई हैं उनमें कोरम पूरा नहीं होता है और कोरम के अभाव में मीटिंग मुल्तवी कर दी जाती है और दूसरी मीटिंग जिसमें कोरम का सवाल नहीं होता है कार्यवाही की जाती है और दो चार लोग बैठकर ऐसा कर लेते हैं। सारा शासनयंत्र निरंकुश हो गया है। मेरे जिले में १०० प्राइमरी स्कूल साल भर ऐसे रहे जहां हेडमास्टर नहीं पहुंच सका, ११ जूनियर हाई स्कूल में हेड मास्टर साल भर नहीं गया, ४० कन्या पाठशालाओं में कोई टीचर साल भर नहीं गयी। आपने जिले में तीन-तीन चार-चार बी० टी० सी० के स्कूल खोलकर रक्खे हैं। यह शिक्षा विभाग से सम्बद्ध हैं लेकिन जिला परिषद्

के अन्तर्गत भी आते हैं वहां बहुत से लड़के ट्रेनिंग के लिये लिये जाते हैं लेकिन नौकरी १०, २० से अधिक को नहीं मिलती है। मेरे जिले में ७००, ८०० बी० टी० सी० परीक्षा पास लड़के बेकार बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। आवश्यकता को देखते हुए लड़कों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिये।

श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़)––

कोरम नहीं है।

एक सदस्य––

कोरम है।

श्री शिव कुमार––

श्रीमन्, यह सब बातें हैं। मैं आप से बड़ी नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यह कहा गया था कि जब यह जिला परिषदें नहीं रहेंगी तो एक एडवायजरी कमेटी होगी। अगर वह बन जाती और उसकी मीटिंग महीने में एक बार भी हो जाती तो जनता की शिकायतें दूर की जा सकती थीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फौरन इस ओर कदम उठाये जायं कि क्षेत्र समितियां, पंचायत समितियों के चुनाव कराये जायं और जिला परिषद् के चुनाव कराये जायं और क्षेत्र समितियों वगैरह को बिना बीच में लाये सीधे उसका चुनाव कराया जाय, यह ज्यादा अच्छा होगा। मैं इन शब्दों के साथ अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)––

अध्यक्ष महोदय, आज गांव सभा और पंचायत के विषय में अनुदान मंत्री जी मांग रहे हैं मैं इसका विरोध करता हूं। कारण यह है कि गांव में पंचायत तो रही नहीं। १० वर्ष पहले जो प्रधान चुना गया वही आज भी चल रहा है। शुरू-शुरू में जब इलेक्शन हुए थे तब इन प्रधानों ने कुछ काम किया था लेकिन बाद में इनको भावना बदलने लगी और अब वह एक नये जमींदार की हैसियत से गांव-गांव में पैदा हो गये हैं। उनकी वजह से जो लूट खसोट हो रही है वह किसी से छिपी नहीं है। गांवों में जो तालाब हैं, बंजर जमीन या और भी जो आमदनी के जरिये हैं उन सबसे प्रधान अपनी जेब भर रहे हैं। इस तरह से गांव का जीवन नारकीय हो गया है। उसकी तरफ न तो सरकार का ही और न जिला अधिकारियों का ध्यान जाता है। वहां न कोई अस्पताल है जहां समुचित दवा मिल सके। पन्द्रह-पन्द्रह बीस-बीस मील के घेरे में अस्पताल नहीं है जहां से गांव के गरीब लोगों को दवा मिल सके। उनकी जिन्दगी आज भी पेड़ पत्ती की औषधि के आधार पर ही चल रही है। करीब-करीब २४ साल भारतवर्ष के अन्दर या प्रदेश के अन्दर कांग्रेस का राज्य चला लेकिन गांव के जन-जीवन को उठाने की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया। गांव के गलियारे, सड़कें, रास्ते अस्तव्यस्त और कीचड़ से भरे हुए हैं। इतना ही नहीं अगर गांव का रहने वाला अपना कच्चा माल मंडी ले जाना चाहे तो रास्ता अच्छा न होने के कारण या तो वह माल सड़ जायगा, भीग जायगा या किसी और तरह की हानि उसको उठानी पड़ेगी। स्कूलों की व्यवस्था भी बहुत खराब हो गई है। उन स्कूलों की देखरेख न तो अधिकारी ही करते हैं और न पंचायतें ही। एक स्कूल की चर्चा यहीं सदन में एक क्वैश्चन पूछने पर हुई थी और मंत्री जी ने बतलाया था वह स्कूल पेड़ के नीचे, छप्पर के नीचे लग रहा है। आप देखें कि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है। पेड़ के नीचे बच्चे बैठ नहीं सकते। छप्पर के अन्दर भी बौछारें जायेंगी और बच्चों की किताबें, टाट पट्टी भीग जायंगी। ऐसी स्थिति वहां की है। कौन सा रामराज्य आपका है जिससे गांव के जन जीवन को थोड़ी सी भी सुख शांति मिल सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सजीवन लाल]

गांव ही वह इकाई है जिसका पूरे समाज पर असर पड़ता है। गांव के जरिये ही पार्लियामेन्ट, असेम्बली, जिला परिषद् बनती हैं लेकिन उनकी तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया गया। वहां दस साल से कोई चुनाव नहीं हुआ और इस तरह पंचायतों को पूरी स्वच्छंदता मिल गयी। जैसा कि यहां पहले भी कहा जा चुका है, न पंचायत की मीटिंग, न रबी की मीटिंग और न ही खरीफ की मीटिंग होती है। इन मीटिंग्स में तय होता है कि रबी किस तरह से बोयेंगे, कहां से बीज मिलेगा, कहां से खाद मिलेगी। लेकिन एक भी मीटिंग न रबी की और न खरीफ की बुलाई गई। शुरू-शुरू में तो लोगों की पंचायतों में कुछ श्रद्धा थी भी लेकिन अब कोई श्रद्धा उनकी नहीं रह गयी है। पहले यह ख्याल था कि पंचायतों के जरिये कुछ उन्नति होगी लेकिन कोई उन्नति नहीं हुई। न कोई उद्योग धन्धा है और न कोई दूसरा साधन है। गांव के लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। इसका कारण है कि उनके पुराने उद्योग धन्धे खत्म हो गये और नये खोलने मुश्किल हो गये। गांव के अन्दर बेकारी बढ़ गयी है और आज भी सरकार यह नहीं सोच पाती है कि जो वहां बंजर जमीन, परती जमीन पड़ी हुई है उसके लिये पाताल कुएं बनवा दे जिससे कि वहां की पैदावार बढ़ जाये और जो पढ़े लिखे बेकार और मजदूर लोग हैं उनको काम मिल जाय। अगर आपने इस ओर ध्यान दिया होता तो बेकार आदमियों को काम मिल जाता और बेकारी की समस्या हल हो जाती। जो शहरों के अन्दर पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो नौकरी मिल जाती है, लेकिन गांव का अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसे नौकरी नहीं मिल पाती। इसलिये सरकार की जो ऊसर, बन्जर की परती जमीन पड़ी हुई है उसको तुड़वाने की व्यवस्था करना चाहिये और उसे भूमिहीनों को बांट देना चाहिये। आज गांव में न नलकूपों की व्यवस्था न नहरों की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न सड़कों की व्यवस्था है जिसके कारण गांव के लोग शहर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं।

जहां तक सुरक्षा की बात है, गांव में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। धनीमानी और बड़े-बड़े लोगों की तो कुछ सुरक्षा हो जाती है, लेकिन जो गरीब है उसकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। उसके घरों में आये दिन चोरी और डकैतियां होती हैं, हत्यायें होती हैं, लूटमार होती है। आज शहरों द्वारा गांवों का शोषण हो रहा है। शहरों में तो बिजली, पानी, अस्पताल, शिक्षा, सड़कें, आदि सभी सुविधायें आप दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं, मगर गावों में इनका अभाव है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। इसके लिये यह आवश्यक है कि सरकार गांव में छोटे-छोटे उद्योग धन्धे पनपाये, सड़कों की समुचित व्यवस्था कराये तथा अन्य आवश्यक कार्यों को करे। आज शहरों में तो आधुनिक ढंग की शिक्षा आप दे रहे हैं, मगर देहातों में उसका अभाव है। गांवों में आधुनिक शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये।

मान्यवर, आज सहकारिता के द्वारा भी किसानों को लूटा जा रहा है। रुपया कोई लेता है, नाम किसी का दर्ज कर दिया जाता है, और बेगुनाह, निरीह गरीब आदमी से वसूल किया जाता है। लाखों रुपया सुपरवाइजर लोग खा जाते हैं। जिस बेचारे के पास खाने तक को नहीं होता उसे यह लोग मजबूर करते हैं रुपया देने के लिये, जब कि वह लेता कोई और है।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं। गांव पंचायतों को जीवित रखने के लिये यह आवश्यक है कि वहां पर शीघ्र से शीघ्र इलेक्शन करायें जायं नहीं तो जनता का विश्वास उन पर से हट जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री मुंशीलाल चमार (जिला मैनपुरी)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं आपके माध्यम से यह बतलाना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि विकास खंडों के माध्यम से ही आज हमारे गांव कुछ आगे बढ़े हैं और इनके द्वारा यह स्कीम गांव-गांव में चलायी गयी थी जिससे ग्रामीण काश्तकारों ने काफी लाभ उठाया था। यहां तक मैं आपको बता देना चाहता हूं, पिछली बार जो सरकार बनी थी उसने कुछ विकास खंडों को तोड़ दिया था और उसमें नियम यह था कि जिस तहसील में दो ब्लाक तक होंगे वहां नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जहां पर २ से अधिक होंगे, उनमें से तोड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे जिले मैनपुरी में, कड़हल तहसील में केवल दो ही ब्लाक थे, किन्तु उस पर भी जो बनारस ब्लाक था उसको तोड़ दिया गया था। उसमें ८३ गांव सभायें थीं, जिनको अब तहसील हैड क्वाटर्स से जोड़ दिया गया है। जो तोड़ा गया है उसकी लास्ट गांवसभा रुरुआ थी, जो बरनाल का था और उसके दूसरे सिरे पर जो गांव था वह काजीखेड़ा था जिसका ३० मील का फासला था। जिसको एक गांव से दूसरे गांव को रुरुवा से काजीखेड़ा जाना हो वह पहले २० किलोमीटर चल कर हेडक्वार्टर पर आये, फिर ३० मील वह वहां से चले तब पहुंचे। जब इतना चले तब वहां का आदमी बी० डी० सी० की मीटिंग में शामिल हो सकता है। इसका नतीजा यह हुआ है कि जब से विकास खंड को तोड़ा गया है तब से कभी भी उनकी मीटिंग का कोरम पूरा नहीं हो पाया है, जिससे किसान बेचारे को सहूलियतों से वंचित रहना पड़ता है। इसका नतीजा यह भी होता है कि विकास अधिकारी और प्रमुख अपना मनमाना प्रस्ताव पास करा लेते हैं, मनमाना काम कराते हैं, कोई उसको देखने वाला नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कि जहां पर, जिस तहसील में केवल दो ब्लाक थे, फिर भी वहां ब्लाक तोड़ा गया है, उसको फिर से कायम किया जाये। बरनाल ब्लाक में पहले हमने ६ एकड़ भूमि छुड़वाई थी, जिसकी लाखों रुपये कीमत होती है, वह भी अब निकल गई है। हमारा यह ब्लाक बड़ा प्रगतिशील ब्लाक था, हमारा जिला कृषि में सर्वप्रथम आया था, उसने गेहूं का रिकार्ड उत्पादन करके दिखाया था। अतः मैं पुनः ब्लाक बरनाल को कायम करने का निवेदन करता हूं।

अब मैं अपने भाई कल्पनाथ द्वारा जो बात कही गई है कि हरिजन, गरीब और मजदूर आज सताये जाते हैं, उसका जवाब देना चाहता हूं। पहले जब संविद की सरकार थी, जिसमें वीरेंद्र वर्मा गृह मंत्री थे, तो उनके काल में मेरठ का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मेरठ में ३७ थाने हैं और उनके समय में सब के इंचार्ज एक जाट थे। उनमें केवल एक बेचारा हरिजन था किशनलाल मगन, जिसने दो पदक प्राप्त किये थे, फिर भी उसको एस० आई० एस० में डाले रखा गया, क्योंकि वह हरिजन था। तो जो उन्होंने उनके साथ अन्याय किया है उसका यह उदाहरण है। इसी तरह से यू० पी० के हर लेबिल पर उन्हें २५-२५ साल तक एक पद पर डाले रखा जाता है और उन्हें कोई प्रमोशन नहीं दिया जाता है। यह सब आपके कारनामे इससे जाहिर हो गये हैं कि हरिजन और मुसलमानों ने मध्यावधि चुनावों में हमारी सरकार का भरपूर साथ दिया है। आपने जो गुंडा ऐक्ट बनाया था, वह भी हरिजन और मुसलमानों को सताने के लिए बनाया गया है, जिससे कि हरिजन, गरीब लोग बी०के० डी० के अलावा और किसी पार्टी को वोट न दे सकें। इसी तरह से कानपुर जिले में जितने थाने हैं, उनमें से ७५ प्रतिशत थानों पर जाट इंचार्ज तैनात हैं। वहां पर डेढ़ दो वर्ष की सेवा वाले लड़के को एस० आई० से इंचार्ज बनाया गया है जबकि बहुत से हरिजनों आदि का हक मारा गया है।

अब मैं ग्रामसेवक के ऊपर आता हूं, यह सरकार ३-४ महीने से आई है, ग्रामसेवकों का काम क्या रह गया है, केवल फर्जी नामों कलुवा, मुलुवा, ठलुओं, पर खाद चढ़ा लेना और फिर उनसे कड़ाई से वसूल करना। यह बड़े आदमी ठाकुरों और सिंहों से कुछ बोलते नहीं हैं उनके यहां तो रबड़ी मलाई खाते हैं, केवल हरिजन भाइयों, गरीबों को परेशान करते हैं। उनके नाम में खाद नहीं चढ़ायी जाती है। ग्राम सेवक का तबादला करवा कर मुजफ्फरनगर

[श्री मुंशीलाल चमार]

ले गये, और वह कलुआ, मुलुआ, और टिलुआ के नाम फर्जी खाद चढ़ाई गयी । इन ग्राम सेवकों के द्वारा जो भूतपूर्व सरकारें थीं उन्हीं के द्वारा यह करवाया जा रहा था । इस सरकार को आये हुए तो अभी तीन महीने हुये हैं ।

(इस समय ३ बजकर २० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

पतरौल, सुपरवाइजर और लेखपाल से कहो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन जाओ तो तैयार नहीं होंगे । इस सरकार से पूर्व के जितने ग्राम सेवक हैं बहुत से ऐसे ग्राम सेवक हैं, जिनके भट्ठे चल रहे हैं । ग्राम सेवक का पे स्केल १२० रुपये हैं । लेकिन ग्राम सेवक का भट्ठा चले । पिछली गवर्नमेंट का ग्राम सेवक एक लाख रुपये का भट्ठा चला रहा है । मैं आपके द्वारा बता देना चाहता हूं कि यह दायित्व पुरानी सरकारों का है । कलुआ, मेलुआ और ठिलुओं के नाम फर्जी खाद चढ़ा देना, केवल उन्हीं को उसका श्रेय है जो भाई कल्पनाथ सिंह कह रहे थे । मैं आप के माध्यम से एक बात खास बता देना चाहता हूं । मान्यवर, जब संविद सरकार में हम भी मंत्री थे, स्टेट मंत्री थे, तो हमारे विकास मंत्री मलखान सिंह जी थे और उप मंत्री भारतसिंह चौहान थे । यह रिपोर्ट मंगा कर देख लीजिये कि प्राइमरी अध्यापकों के कितने तबादले हुए और भारतसिंह चौहान ने, बी०डी०ओ० से मिल कर कितनों के तबादले रुकवाये । सैकड़ों तबादले एक दिन में हुए और सैकड़ों तबादले एक दिन में रोके गये, भारतसिंह चौहान उपमंत्री के द्वारा । मैं आपके द्वारा बता देना चाहता हूं कि यह इस गवर्नमेंट का दायित्व नहीं है, पुरानी गवर्नमेंट का दायित्व है । यह गवर्नमेंट तो तीन महीने से पीठासीन हुई है । इसमें कोई दो रायें नहीं हैं । जो कुछ यह कर रही हैं वह सामने आयेगा । जो समाजवाद का नारा है हमारा, वह पूरा हो जायगा अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मजदूरी करने वाले हैं, उनकी मजदूरी तय कर दे कि कोई भी तीन रुपये से कम मजदूरी नहीं देगा और जो देगा उसको जल जाना पड़ेगा । दूसरे यह कि काश्तकारों की पैदा की हुई चीज जो उसे फर्टिलाइजर के लिये, पानी के लिये, आबपाशी के लिये य अपने लड़का लड़की की शादी करने के लिये उसको अपना गल्ला बैसाख की फसल में बेंचना पड़ता है । जून और अप्रैल के महीने में वह चला जाता है, उद्योगपतियों के घर में । वह ६० रुपये क्विंटल बेंचता है उस गल्ले को लेकर पूंजीपति बैठ जाता है और वह उस गल्ले को सौ रुपय क्विंटल में बेंचता है । गरीब काश्तकार जिसने साल भर हल चलाया, खाद और पानी लगाया, उसको एक परसेंट भी फायदा नहीं मिलता और जिस पूंजीपति ने उसको भर लिया उसको ४० रुपये क्विंटल का दो महीने में फायदा मिलता है । हमारी गवर्नमेंट ने जिस तरह से दुकानों पर कीमतों की लिस्ट टंगवायी है, काश्तकारों की पैदा की हुई चीजों की भी लिस्ट हर दूकानदार के यहां टांग दी जाय । वह चाहे कितने दिन रखे रहे लेकिन वह दो रुपये क्विंटल से ज्यादा नफा नहीं ले पायेगा, तो समाजवाद पूरा हो जायगा । जो हमारा बजट आया है, गरीबों के हित में जहां हमारी सरकार योजना चला रही है, उसे हम आगे बढ़ायेंगे । हमारा गरीब मजदूर इससे रोटी खायेगा और समाजवादी नीति अपनायेगा । समाजवादी नीति अपनाने का सबूत मध्यवर्ती चुनाव में मिल चुका है और आगे भी पता चल जायगा । इन शब्दों के साथ जो बजट में अनुदान लाये हैं, उसका पूर्ण समर्थन करता हूं । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि बरनाल ब्लाक डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में पुनः चालू किया जाना चाहिये ।

*श्री गिरजा शंकर तिवारी (जिला बाराबंकी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, यह जो सरकार है और जिसमें हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय मंत्री जी विराजमान हैं, जिन्होंने बजट को पेश किया है आज उनको देखता हूं कि ये गांधी जी की पंचायतों पर यकीन नहीं करते हैं, गांधी जी के देश पर यकीन नहीं करते हैं और सिर्फ इंदिरा गांधी पर ही यकीन करते हैं । इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी पंचायतों, जिला परिषदों और विकास संबंधी समितियों का कोई ध्यान नहीं है । ये लोग प्रजातंत्र पर यकीन नहीं करते हैं, प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं करते हैं । जहां पर इन पंचायतों का चुनाव ५ साल में हो जाना चाहिये था, वहां पर आज १० साल हो रहा है, चुनाव कराने की बात नहीं सोचते हैं, चुनाव कराने की चेष्टा नहीं करते हैं, बल्कि उसमें अमेंडमेंट करके उसके कार्यकाल को बढ़ाना चाहते हैं । मान्यवर, ऐसी सरकार से और ऐसे मंत्री जी से हम क्या विश्वास कर सकते हैं कि ये प्रजातंत्र की प्रथा और उसकी प्रणाली को इस देश में कायम रखेंगे । उनकी नीति ही इस तरह से है जिस तरह से कि मानो ये शासन करने की भावना से ही इस कुर्सी पर बैठें हों । मान्यवर, वह आदमी टिक ही नहीं सकता है जो कि पंचायती राज पर विश्वास न करता हो, यकीन न करता हो, उस पर भरोसा न करता हो । आज ग्राम सभाओं की स्थिति बड़ी भयावह और दयनीय हो गई है । अगर आप उसे ठीक से देखेंगे तो आप पायेंगे और अनुभव करेंगे कि वहां पर आज बेकारी, बेरोजगारी और बेवसी एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी है । आज गांवों के रहने वाले लोगों की हालत यह हो रही है कि जब वे मजदूरी के लिये जाते हैं तो उनको कोई काम नहीं मिलता है । पढ़े लिखे लोग गांवों में बेकार बैठे हुये हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं । यही नहीं, मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं उस क्षेत्र का स्तर और वहां के लोगों की हालत बहुत ही गिरी हुई ह । वह हालत यहां तक पहुंच गई है कि औरतों और बूढ़ों के पीठ और पेट एक दूसरे से चिपक गये हैं । तो मैं आज जिम्मेदारी के साथ इस सदन में आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि आज गांवों में भोजन की समस्या तो है ही, किन्तु वहां पर उन लोगों को पीने के लिये पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है । आज ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों की जो दुर्दशा हो रही है उसका यदि पूरा विवेचन आपके सामने किया जाय तो आपको ताज्जुब होगा । कुछ चीजें वहां पर ऐसी हैं जिनमें कि पैसे की आवश्यकता नहीं हैं, जिसमें किसी व्यय और खर्चे की आवश्कता नहीं है, बल्कि सरकारी सिद्धान्तों की केवल जिनम आवश्यकता है । जिन सिद्धान्तों को अपनाने से गांवों की बेकारी और बेरोजगारी दूर हो सकती है । मान्यवर, इस पर आप विचार करें । आज कई एसी ग्राम सभायें हैं जिनमें तालाब नहीं हैं । यदि तालावों की व्यवस्था वहां पर हो जाय तो उसमें वे लोग मछली-पालन कर सकते हैं और कई अन्य बातें हो सकती हैं । मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री जी सिंगाड़ा जानत भी हैं या नहीं जो जानते हैं और यदि नहीं जानते हैं तो उनको समझना चाहिए कि कोई इस प्रकार की योजना बनाई जाय जिससे ग्राम सभाओं की तरक्की हो सकती है । कई ग्राम सभाओं की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है और सरकार का उन पर कोई दृष्टिकोण नहीं है । आज गावों में कुछ जमीन ऐसी पड़ी है जहां पर पशुपालन की योजना बनाई जा सकती है । उसके लिये ग्रामीण लोगों को पशुओं को पालने के लिये सहायता दी जानी चाहिये, सब्सिडी दी जानी चाहिये और उस पर टैक्स लगाना चाहिये । तभी इन ग्राम सभाओं की उन्नति हो सकती है । उसमें कुछ लोगों को काम के जरिये मिल सकते हैं, किसी हद तक बेरोजगारी भी दूर हो सकती है मगर पंचायतों की तरक्की के बारे में इस सरकार की कोई धारणा नहीं हैं । मान्यवर, आज ९० फीसदी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर जब से पंचायत का चुनाव हुआ है दो चार बार ही शायद मीटिंग हुई हों, आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई है । ये सरकारी अफसर चाहे वह स्टेट स्तर के हों या जिला स्तर के हों, यह देखते नहीं हैं, पूछते तक नहीं हैं कि ग्राम पंचायत की बैठक हुई या नहीं हुई है । मैं प्रदेश की नहीं, बाराबंकी की बात कहना चहता हूं वहां ९० फीसदी ग्राम पंचायतों की मीटिंग नहीं हुई हैं । जो चक वगैरह छूटे थे उनको गुडों और लफंगों ने अपने कब्जे में कर लिया है, रास्ते बन्द हो गये हैं । श्रमदान के जरिय से गांव में छोटे-छोटे

[श्री गिरजाशंकर तिवारी]

मोटे काम होते थे जिससे मालूम होता था कि पंचायतें कुछ काम कर रही हैं, मगर लगातार चुनाव न होने के कारण आज अदालत का कार्य समाप्त सा हो गया है। आज झगड़ों के नाम पर गांव में पहुंचना मुश्किल हो गया है। जहां तक न्याय पंचायतों का सवाल है, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अदालत पंचायत के सरपंच के पास किसी प्रकार का कोई चपरासी भी नहीं है कि जो समन तामील कर सके। मंत्री जी, जहां-जहां बीहोदार हैं, थोड़ा सा वेतन अगर उनको दे दें, तो अदालत पंचायत के पंच और सरपंच की जो प्रतिष्ठा है वह कायम रहे और न्याय पंचायतों के काम में भी सुविधा हो जाय। जहां तक पीने के पानी की समस्या है, आज मेरे क्षेत्र में ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, कुछ ऐसे उनके छोटे सहायक गण हैं जहां एक भी कुआं नहीं है। न एक हैन्डपंप है। उसी में किसान नहाता है, उसी में जानवर नहाते हैं, वे बरतन साफ करते हैं, उसी के पानी को पीते हैं। तो ऐसे पंचायत मंत्री या पंचायतराज विभाग से क्या कोई आशा की जाय कि वह आज देहात के रहने वालों के लिए पानी की व्यवस्था करेगा? सिर लज्जा से झुक जाता है। जहां तक विकास समितियों का संबंध है, उनकी बैठकें नहीं होती, सूचना मिलती भी है तो प्रधान इकट्ठे नहीं होते। कारण यह है कि हमारी बैठकों में हमारे निर्णयों पर सरकारी अधिकारी अमल नहीं करते। प्रधान के पास भी अपना काम होता है। वहां के निर्णयों पर अमल होना आवश्यक है। मेरा जो विकास क्षेत्र दरियाबाद है वहां दो चार बार उद्योग किया गया लोगों को इकट्ठा किया गया, निर्णय लिये, मगर विकास खंड ने कोई ध्यान नहीं दिया। जिला स्तर पर जिला परिषद् का जो फर्ज है और हर विभाग से संबंधित एक-एक कर्मचारी वहां बैठता है वह भी नहीं देखता कि उसके विभाग का क्या काम चल रहा है। नतीजा यह है कि विकास समितियों में ग्राम प्रधान भाग नहीं देते। होमगार्ड के जरिये से सुरक्षा के नाम पर जो हो सकता था वह नहीं हो रहा है उलटा होमगार्ड और सुरक्षा दल के नाम पर वहां फर्जी लोग भरती हो गये और बुलाकर के उनका भत्ता निकाला गया। बाराबंकी जिला परिषद् की हालत यह है कि साल भर में आपने तीन ट्रांसफर किये। इस जिला परिषद् का जो कार्याधिकारी जा चुका था उसको फिर से बुला लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर खुले रूप में भ्रष्टाचार हो रहा है। अध्यापकों की यह हालत है कि वे दलबन्दी के हिसाब से सस्पेंड किये गये हैं। उनको सस्पेंड हुए ७-८ महीने हो गये है। लेकिन उनको न तो नोटिस दिया गया और न उनके खिलाफ चार्ज शीट लगाई गई है। केवल वे आया जाया करते हैं। इस तरीके के भ्रष्ट तरीके अपनाये जा रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि यदि उसका पंचायती राज में विश्वास है तो सरकार को जिला परिषदों, विकास समितियों तथा पंचायतों का चुनाव जल्द कराना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं।

*श्री रामचरण त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सोहनलाल जी ने लिखा है कि "हमारा हिन्दुस्तान वही जहां हमारे गांव बसते हैं"। हमारे गांवों में ८३ परसेंट जनता रहती है। वह नर्क के समान अपना जीवन बिता रही है। लखनऊ और दिल्ली का समाजवाद देश के काम नहीं आयेगा और न यहां का जनतंत्र ही काम आयेगा। १२ साल से ग्राम सभाओं का चुनाव नहीं हुआ। एक मृत प्राय संस्था की तरह से वे पड़ी हुई हैं। बी० डी० सी० में प्रधान को नहीं बुलाया जाता है। उनकी राय नहीं ली जाती है और बुलाया भी जाता है तो उनके ग्रामों के लिये कोई अनुदान नहीं है जिससे उनकी कुछ रुचि हो कि वे ग्राम सभा को आगे बढ़ाने के लिए कोई बात सोचें।

पहले जब सरकार की तरफ से ग्राम सभाओं को अनुदान मिलता था तो बी० डी० सी० में जाने का प्रधान का एक औचित्य था। ग्राम सभाओं के लिये वे बी० डी० ओ० और ए० डी०

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ए० डी० ओ० से पैसा मांगते थे, सड़कों के लिये पेय जल योजना के लिये और उनको पैसा मिलता था। लेकिन अब वह व्यवस्था समाप्त हो गई है। ग्राम सभाओं के पास न कोई आर्थिक व्यवस्था है, न इतना धन है कि वह ग्रामों की तरक्की कर सके। जो पैसा गांवों से राजस्व के रूप में लिया जाता है वह जिला के हैड क्वार्टर पर चला जाता है। फिर लखनऊ आता है और दिल्ली चला जाता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि जिस ग्राम सभा से जितना राजस्व प्राप्त हो उसका आधा भाग उसको दिया जाय। यदि नहीं दिया जाता है तो उनका विकास रुका रहेगा।

हर ब्लाक में क्षेत्र विकास अधिकारी रहता है और उसके नीचे सहायक विकास अधिकारी (कृषि) पंचायत, समाजसेवा आदि इस तरह से ४/५ रहते हैं इन अधिकारियों की कोई आवश्यकता नहीं है और न विकास अधिकारी की आवश्यकता है। इसलिये कि उनका गांव सभाओं तथा बी० डी० सी० से कोई संबंध नहीं है। व तो एक कड़ी हैं जो किसानों को बैंक से और कोआपरेटिव सोसाइटी से कर्जा दिलाते हैं। केवल इतना ही उनका काम रह गया है। इस काम को ग्राम सेवक तथा ए० डी० ओ० कर सकता है। बी० डी० ओ० की आवश्यकता नहीं रह गई है। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के अधिकारियों को दूसरे विभागों में लगा दिया जाय। जो क्षेत्र विकास अधिकारी हैं उनको हटा दिया जाय।

एक बात और बता दूं कि ग्राम सभाओं से ही जनतंत्र ट्रेनिंग शुरू होती है और वहीं से हम देशवासियों को बता पाते हैं कि जनतंत्र और समाजवाद क्या है। मान्यवर, चाहे संविद की सरकार हो या यह सरकार हो जितने दिनों तक तक चुनाव बढ़ते चले जा रहे हैं उतनी ही जनतंत्र की हत्या होती जा रही है। केवल विधान सभाओं के चुनाव, केवल लोक सभाओं के चुनावों से लोकतंत्र नहीं पनप सकता, न बढ़ सकता है। मान्यवर, एक बात और कह दूं, मंत्री जी को शायद यह विदित होगा कि गांव सभाओं ने अपने अपने जो सेक्रेटरी रखे हैं, न मालूम उनको यह नाम कहां से दे दिया गया लेकिन क्यों कि उसका यह नाम प्रचलित है, इस लिये मैं भी कर रहा हूं। वह सेक्रेटरी न तो राजकीय कर्मचारी है और न ग्राम समाज का कर्मचारी वह बेचारा दोनों ओर से मारा जाता है। उन लोगों की यह मांग है कि उन लोगों को ग्राम सेवक के समकक्ष में माना जाय। यह भी हो सकता है कि जो काम ग्राम सेवक से लिया जाता है वह उससे लिया जाय अगर ऐसा हो सका हो तो मंत्री जी उनको ग्राम सेवकों के स्थानों पर नामांकित करने की कृपा करें। उनको ग्राम सेवकों के समान सुविधायें दी जायं और वेतन भी उन्हीं के समान दिया जाय। उससे एक लाभ यह होगा कि ग्राम समाज के कागजों को जो दीमक खा रही है, इन लोगों को फिर यह चिन्ता हो जायगी कि वे कागजात खराब न होने पायें क्योंकि उनकी सारी जिम्मेदारी फिर उनके ऊपर होगी। आशा है माननीय मंत्री जी उनको सहूलियत देकर गांवों की समस्याओं पर ध्यान देंगे।

एक बात और यह कहना चाहता हूं कि ग्रामों की दुर्दशा के कारण से गांव के लोग शहरों की ओर खिसकते जा रहे हैं। गांधी जी का स्वप्न था कि गांवों को स्वर्ग बनाया जाय। लेकिन वे गांव को नरक बने हुए हैं और दिल्ली और और लखनऊ स्वर्ग बने हुये हैं। यहां पर हरी, लाल लाइट जलाने को है तो वहां मिट्टी का तेल भी नहीं है। जब तक गांवों के रहने वालों की हालत नहीं सुधरती तब तक यह हरी और लाल लाइट और फुहारों का कोई औचित्य नहीं है।

इसके अलावा ग्राम सभाओं का चुनाव जिस प्रणाली के द्वारा होता है वह भी एक अनुचित और प्रभावहीन प्रणाली है। चुनाव के बाद वहां पर पार्टियां बन जाती हैं। कुछ लोग हारे हुए प्रधान के साथ ही जाते हैं और लोग जीते हुए प्रधान के साथ। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि गुप्त दान के द्वारा चुनाव की व्यवस्था वहां करायी जाय जिससे गांवों में शांति का वातावरण फिर से कायम किया जा सके।

[श्री राम चरण त्रिपाठी]

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि ग्राम सभाओं से जो राजस्व वसूल किया जाता है उस टैक्स का कम से कम आधा ग्राम सभा को ही दे दिया जाय और जिस जिला परिषद से जितना टैक्स लिया जाता है उसका आधा जिला परिषद को दे दिया जाय।

जिला परिषदों की हालत यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उनका मालिक बना दिया गया है और पूरा तानाशाही का राज वहां कायम है। स्कलों में कहीं अध्यापक नहीं हैं, कहीं अध्यापक हैं तो विद्यार्थी नहीं हैं और कहीं स्कूल ही नहीं हैं। इस प्रकार की अव्यवस्था जिला परिषदों में चल रही हैं। उसका कारण यह है जिलाधिकारी के पास अनेक काम हैं जिनके कारण वह इनकी ओर देख नहीं पाता है। इसी तरह से गांवों के स्कूलों की दुर्दशा है। किसी पाठशाला में बच्चे पढ़ने के लिये नहीं हैं, तो कहीं टाटपट्टी नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। लड़के अपने-अपने घरों से टाट लेकर जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो मालूम पड़ता है कि पंडित जी या मौलवी साहब ही नहीं हैं और न मालूम आयेंगे भी या नहीं। जब तक गांव सभाओं के चुनाव नहीं होंगे तब तक उनकी यही हालत रहेगी। उसके जीवन से इसी प्रकार से खिलवाड़ होता रहेगा।

मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो सुझाव मैंने दिये हैं, वे उन पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही साथ उन्होंने जो अनुदान सदन से मांगा है मैं उसका समर्थन करता हूं और समझता हूं कि वह इसके लिये बहुत कम है और ज्यादा होना चाहिये था क्योंकि इसी के ऊपर तो देहातों की जिन्दगी, विकास खंडों की जिन्दगी निर्भर है। सदन को इसके लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया देना चाहिये।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सभाओं के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि यह लोकतंत्र की प्रथम इकाई है और इस इकाई की तरफ जब तक पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक लोकतन्त्र मजबूत नहीं होगा। जैसे नगरपालिका और टाउन एरिया में सफाई के लिये, पीने के पानी के लिये, सड़कों के लिये और स्कूलों के लिये अनुदान दिया जाता है उसी तरह से ग्राम पंचायतों को भी अनुदान देना पड़ेगा। तभी ग्राम पंचायतें तरक्की कर सकेंगी और और मजबूत होंगी। आज प्राइमरी पाठशाला है गांवों में वह ग्राम पंचायतों के मातहत नहीं है। नतीजा यह होता है कि अध्यापक १२ बजे आता है और ३ बजे चला जाता है। मैंने स्वयं बहुत जगह ऐसा देखा है। इसलिये मेरा सुझाव है कि गांवों के प्राइमरी पाठशालाओं का निरीक्षण और उन अध्यापकों की चरित्र पंजिका में लिखने का अधिकार ग्राम प्रधान को दिया जाय ताकि अध्यापकों को यह भय लगा रहे कि हमारा एक अधिकारी यहां है, हम समय से स्कूल नहीं पहुंचेंगे तो वह निरीक्षण पुस्तिका में लिख देगा इसलिये मेरा सुझाव है कि प्राइमरी स्कूलों को ठीक से चलाने के लिये प्रधान को अधिकार देना चाहिये और अनुदान देना चाहिये। उनके निर्माण का कार्य तो अनुदान से कराया गया है लेकिम कम से कम हर साल उनकी मरम्मत तो हो जाया करे क्योंकि वह गिर रह हैं। तो कुछ अनुदान मिले और कुछ गांवों से चन्दा मिला कर तब वहां पढ़ाई का इन्तजाम ठीक से और समय पर हो सकेगा।

दूसरी चीज सफाई की है। टाउन एरिया और नगरपालिका में तो सफाई के लिये इन्तजाम कर रहे हैं लेकिन गांवों में सफाई का इन्तजाम नहीं है। वहां नाबदान जो पानी निकलता है वह बहुत बदबू देता है। इसलिये एक अनुदान उसके लिये होना चाहिये ताकि हर गांव में काम से कम एक सफाई करने वाला आदमी रहे जो वहां की गन्दगी और नालियों को साफ करें जैसे कि आप टाउन एरिया और नगरपालिका में सफाई करने वालों को रखते हैं। तभी गांवों की सफाई होगी और वहां के रहने वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

पानी के इन्तजाम की जहां तक बात है, नगरपालिका वगैरह में तो वाटर वर्क्स बनाये जाते हैं मगर गांवों में पानी का कोई इन्तजाम नहीं है। मेरा सुझाव है कि गांवों में जगह-जगह हैन्ड पम्प लगा दिये जायं चाहे हरिजनों की बस्ती हो चाहे दूसरों की।

श्री उपाध्यक्ष––

एक तो पंचायत राज यहां चल रहा है दूसरी पंचायत वहां न जमायें।

श्री रामबचन यादव––

आज वहां कुओं का इन्तजाम नहीं हो पा रहा है तो कम से कम हैन्ड पम्प लगवा दिये जायं। बहुत से प्राइमरी स्कूलों में मैं गया वहां देखा कि लड़कों के पानी पीने का इन्तजाम नहीं है। इस लिये कोई ऐसा इन्तजाम होना चाहिये जिससे पीने के पानी के लिये हैन्ड पम्प लगाये जा सकें। बहुत से गांवों में पहुंचने का रास्ता नहीं है। तो सड़कों का इन्तजाम गांवों में होना चाहिये। शहरों में तो हम सड़कें बहुत अच्छी बनाते चले जाते हैं लेकिन गांवों की तरफ ध्यान नहीं है। हलांकि उत्पादन करने वाले भोजन पैदा करने वाले गांवों में ही रहते हैं। अगर मेहनत करके गांव के लोग अनाज पैदा न करें तो शहर के लोग भूखों मर जायं लेकिन गांवों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिये कम से कम ऐसा अनुदान होना चाहिये कि हर एक गांव सभा में ऐसा प्रबन्ध रहना चाहिये कि वह अपनी सड़कों को दूसरी सड़कों से मिला सके। अगर पक्की सड़क न हो सके तो कच्ची ही सड़क बना दी जाय और पुलिया की जरूरत हो तो उसकी भी व्यवस्था कर दी जाय ताकि पुलिया बनाकर आवागमन की सुविधा हो सके। यह सब कैसे होगा। जो पंचायत के कार्यकर्त्ता हैं पंचायत मंत्री जब तक इसकी जिम्मेदारी लेकर काम नहीं करेंगे तब तक हमारे गांवों की तरक्की, पंचायतों की तरक्की नहीं हो सकती। इसलिये पंचायत मंत्री को मेरी राय में सरकार को अपने नियंत्रण में लेना चाहिये और उनका वेतन दूसरे कर्मचारियों के वेतन के मुकाबले में कम नहीं रहना चाहिये। उनके मुकाबले में हर अदालत पंचायत में एक ग्राम सेवक काम करता है। मैं समझता हूं ग्राम सेवक को जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी पंचायत मन्त्री की है। उससे कम नहीं है। वह केवल यह देखता है कि कितना अनुदान दिया गया और कितना खर्च हुआ। अगर दोनों को मिला कर एक ही कर दिया जाय और जिम्मेदारी दे दी जाय तो सब कामों को वह अच्छी तरह से काम करेगा। वह तभी अच्छी तरह से कर सकेंगे जब पंचायत मंत्री का वेतन ग्राम सेवक को जो आप देते हैं उतना कर दिया जाय। जब उसको उतना ही वेतन मिलेगा तो वह दिल लगाकर काम करेगे। पंचायत मंत्रियों के सम्बन्ध में और कड़ाई करने की आवश्यकता है। उनका निरीक्षण करना भी जरूरी है। कोई ज्यादा खयाल पंचायत मंत्रियों की तरफ नहीं है। गांव की तरफ हमारे बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० फेल हो गये हैं। इनको फिर से जगाना पड़ेगा तभी पंचायत मंत्रियों से आप काम ले सकेंगे। तभी इनकी हिम्मत बढ़ेगी। जब आप इनके आंसू बन्द करेंगे तभी वह इस बात को समझेंगे कि हमारा वेतन ग्राम सेवक से कम नहीं है। यह नहीं कहेंगे कि ग्राम सेवकों को ज्यादा वेतन दिया जाता है और हमको कम दिया जाता है। इस लिये मेरा यह सुझाव है कि पंचायत मंत्रियों का वेतन ग्राम सेवक के बराबर कर दिया जाय।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग का चुनाव बहुत दिनों से नहीं हुआ है। हमारे जो प्रधान हैं वह सब ऐसे हो गये हैं कि कोई अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा है और उनको दिलचस्पी भी नहीं रह गई है क्योंकि उनका जो उत्साह था, उनकी जो दिलचस्पी थी बहुत कुछ घट गई है। उनके खिलाफ जनता की आवाज उठ गई है। यदि इस साल चुनाव हो जाय तो मेरा ऐसा खयाल है कि ७५ फीसदी पुराने प्रधान चुन कर नहीं आयेंगे। उन्होंने इतनी गड़बड़ कर दी है जमीन के मामले में कि गांव के लोग उनसे बहुत असन्तुष्ट हैं। इसलिये जल्द से जल्द चुनाव कराने में देर नहीं करनी चाहिये। बहुत देर हो चुकी है।

[श्री रामबचन यादव]

मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि चुनाव जल्द ही करा दें गांवों में जो प्रधान चुने जाते हैं उनकी उम्र कम से कम ३० साल की रखी गई है जब कि हम विधायकों की निम्न आयु २५ साल होती है। यह पढ़े लिखे इंतजाम करने वाले लोग होंगे, बहुत से गांवों में तो इतनी उम्र के पढ़ लिखे लोग मिलेंगे ही नहीं। हमारे आजमगढ़ जिले में घाघरा के किनारे दिवार में अगर आप ३० साल की उम्र रखेंगे तो बहुत सेगांव ऐसे हैं कि जहां आप को ऐसे इतनी उम्र का पढ़ा लिखा कोई मिलेगा ही नहीं और इस तरह से अगर चुनाव होगा तो काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि यह निम्नतम आयु ३० साल से घटा कर २५ साल कर दिया जाय। जो विधायकों के लिये निम्न आयु की सीमा है वही वहां के लिये भी रख दी जाय वर्ना वह नहीं मिलेंगे और हरिजन भाई तो कोई भी नहीं मिलेगा। हरिजनों की आयु तो और भी कम रखना चाहिये ताकि वह भी प्रधान बन सकें। मैंने इस चीज की अपने क्षेत्र भर में जांच किया कि वहां हरिजन प्रधान कितने चुने गये। हमारे यहां कुल २०० से उपर प्रधान हैं और पूरे क्षेत्र में केवल ५ ही हरिजन प्रधान चुने जा सकें। पिछड़ी जातियों के तो २५-३० प्रतिशत आ गये हैं लेकिन हरिजन ढाई प्रतिशत से अधिक नहीं आ सके। यदि उन की आयु सीमा ३० साल और पढ़े लिखे की शर्त रखेंगे तो यह कभी चुने ही नहीं जा सकेंगे इस लिये मेरा सुझाव है कि उनकी उम्र कम की जाय।

सामुदायिक विकास के अन्तर्गत जो गांव सभाओं का अनुदान मिलता है उनमें भ्रष्टाचार बहुत है और ग्राम सेवक और मंत्री लोग जो कई तरह के खाद वगैरा के सार्टीफिकेट देते हैं और जो निर्माण के सार्टिफिकेट देते हैं उसमें बहुत गड़बड़ होती है और पी० डब्लू० डी० के ओवरसियर की तरह उन का प्रतिशत वहां भी बंध गया है। कोई हरिजन मकान बनाता है तो वह भी बिना प्रतिशत दिये मकान नहीं बना सकता और उसको भी अनुदान नहीं मिलता। जब यह कार्य आरम्भ हुआ था हम ने समझा था कि यह ग्राम सेवक हैं और वहां के समाज की यह सेवा करेंगे ईमानदारी से चलेंगे लेकिन वह बात नहीं हुई। इन पंचायत मंत्रियों को, इन सेवा का काम करने वाले लोगों को सब को आप एक समान देखिए तभी उनका काम अच्छा होगा और गांव की तरक्की होगी। आज गांवों की अवहेलना हो रही है वहां की दशा यह है कि जो सामान गांवों में तैयार होता है वह सस्ता बिकता है और जो नगरों में उद्योगपतियों के द्वारा तैयार किया जाता है वह मंहगा बिकता है इस का नतीजा यह है कि पिछले साल जो सामान गांव म ५०० का तैयार हुआ वह ३०० में बिका और जिस कपड़े की बिक्री पहले ३०० में होती थी वही कपड़ा गांव के लोगों को ५०० रुपये में खरीदना पड़ा। उनकी आय बराबर कम हो रही है और वे कमजोर होते जाते हैं।

यदि गांवों की वाकई आप तरक्की चाहते हैं तो गांवों की दशा सुधारने के लिये सड़कों, शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य आदि के लिये अधिक अनुदान दिया जाय। तभी गांवों की उन्नति हो सकती है और आप का जो यह समाजवाद का नारा है वह सफल होगा। आज शहर के आदमी की आय २०० और २५० रुपया है जब कि देहात की १०० रुपया प्रति व्यक्ति भी नहीं है, उन में ढाई गुने और तीन गुने का फर्क है। वहां की उन्नति तभी हो सकती है जब गांव पंचायतों के लिये और अधिक अनुदान दिया जाय। इन शब्दों के साथ इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुहम्मद नबी खां (जिला बस्ती)--

उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री सामुदायिक विकास तथा पंचायत राज द्वारा प्रस्तुत अनुदान की धनराशि की मांग का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और इस के साथ ही सम्मारे विरोधी साथियों की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उस का मुझे विरोध करना है। यह

सामुदायिक विकास और पंचायती राज का मुहकमा इतना महत्वपूर्ण है कि प्रदेश की ग्रामीण जनता से इसका इतना बड़ा जबर्दस्त सम्बन्ध है कि ग्रामीण जनता की इक्तसादी हालत और उनकी तहजीबो तमद्दुन को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिये मुहकमा एक सबसे पहला और अहम जीना है। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश को आजादी मिलने के बाद १९४९ में पंचायती राज के अन्तर्गत जिला परिषदों की स्थापना की गई। ग्राम सभाओं के जिम्मे और जिला परिषदों के जिम्मे ग्रामीण जनता की तरक्की के सारे कान जिसमें प्राइमरी शिक्षा, सड़कें नहरें, खेती की तरक्की के सारे काम, गर्ज कि जिन्दगी के जितने काम हैं तरक्की के सब काम पंचायतों और जिला परिषदों के सुपुर्द किये गये। मगर आफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि हमारी गांव पंचायतें और जिला परिषदें अपने उद्देश्य को पूरा करनें में सही तौर पर काययाब नहीं हुईं जिसका हमें नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के ग्रामीण भाइयों को इसका दुःख रहा है। अगर इसमें काफी सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में भी रहेगा। मान्यवर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बहुत से विशेष कारणों की बिना पर जब यह हमारी पिछली सरकार जो बी० के० डी० और कांग्रेस की मिली जुली सरकार थी उस जमाने में जब सरकार ने यह सोचा कि जिला परिषदों और गांव सभाओं में अपने नस्बुल-ऐन को पूरी तरह पूरा नहीं कर रही है तो जिला परिषदों को तोड़ा गया और जिला परिषदों को तोड़कर उसके सारे अख्तियारात जिलाधीशों के हाथ में दिये गये। सरकार का ऐसा विचार था कि जिला का जिलाधीश बहुत बड़ा स्थान रखता है और वह पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने उसके जिम्में सौंपी है, थोड़ा बहुत जो कमियां हैं, भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, जिस तरह से शिकायतें आती हैं उनको दूर करने में जिलाधीश लोग कामयाब होंगे। लेकिन साल भर उनके हाथों में इन्तजाम रहा और हमारे जिले ने बल्कि सारे प्रदेश की जनता ने देखा उनको कोई सफलता नहीं हुई। वही रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि दिन दुगुना और रात चौगुना भ्रष्टाचार बढ़ता गया। मान्यवर, जिला परिषद के तोड़ देने से और जिलाधीश महोदयों के हाथों में जिला परिषदों को दे देने से ग्रामीण जनता के हकूक पामाली नहीं हुई। यह जम्हूरी सल्तनत है और इस सल्ननत में हर इन्सान-बालिग का यह फर्ज है कि वह किसी भी मुहकमे में अपनी राय को सही तरीके से पेश कर सके। लेकिन जिलाधीश के हाथों में जाने के बाद हम क्या हमारे सभी साथी इस चीज से वंचित रहे। वे अपनी कोई राय उनके सामने पेश नहीं कर सके। जबकि जिला परिषदों में और भ्रष्टाचार बढ़ता गया। मान्यवर, मैं ज्यादा दूर न जाकर–हमारे सभी साथियों ने विरोध पक्ष के भी साथियों ने बहुत से सुझाव दिये हैं और हम मंत्री जी से गुजारिश करेंगे कि वे इन सुझावों पर तवज्जह देने की कोशिश करेंगे और जो कमियां रही हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। कुछ विशेष बातें ऐसी हैं जिनकी ओर में आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बस्ती जिले में इसी दरम्यान जबकि जिला परिषद् जिलाधीश के हाथ में थी, मार्च ७० का जिक्र है, २१ मार्च, ७० को हमारे पंचायत अफसर के कार्यालय में १२ हजार २४० रुपये का गबन तिजोरी से हो गया। दो वाकयात इसके मुताल्लिक बताये गये। एक बात यह कही गयी कि यह रुपया २१ मार्च, ७० को पंचायतराज अफसर ने पंचायत मंत्रियों का वेतन देने के लिये कैशियर से निकलवाया और कहा कि हम ब्लाकों में जाकर वेतन का वितरण करेंगे। इस लिये उसने रुपया निकाल दिया। एक कुन्जी असिस्टेंट कैशियर के पास रहती है और दूसरी पंचायत अफसर के पास थी। तिजोरी बिना दोनों कुंजियों के न खुल सकती थी, न बन्द हो सकती थी। गरजे कि १२ हजार २४० रुपया निकाला गया दिन में, रात में नहीं। वह ले गये। रसीद खजाने में नहीं दी बल्कि कहा कि हम पंचायत मंत्रियों का वेतन देने के बाद रसीद देंगे। वहां से दो रोज बाद वापस आकर कहा कि रुपया खर्च हो गया। कैशियर को धमकाया गया और मजबूर किया गया कि आधा तुम जमा करो और आधा हम जमा करेंगे, वरना तुम भी जाओगे और हम भी जायंगे। चुनांचे उसने दौड़जधूप शुरु की। बाद में लिख कर कैशियर के खिलाफ मुकदमा कायम कराया और आफिस में बुला कर २५ मार्च ७० को डंडों से पिटवाया और जेल में बन्द करा दिया। कई रोज बाद उसकी जमानत हुई और तब वह छूटा। उसके

[श्री मुहम्मद नबी खां]

बाद उसने दरख्वास्तें दीं कि यह गबन पंचायत अफसर ने किया है लेकिन कुछ नहीं हुआ। जुलाई '७० में मैंने छः पेज की रिपोर्ट, सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद, भूतपूर्व पंचायतराज मंत्री श्री असरार अहमद साहब को दी कि इसमें मुकदमा कायम कराया जाय और जांच करायी जाय, वह क्रास केस होगा और सब चीजें सामने आयेंगी। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उस वक्त पंचायत अफसर महोदय का सरकार में कुछ जोर था। वह कामयाब हो गये। न उनका ट्रांसफर हुआ न उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई। इस वक्त हमारी सरकार ने थोड़ी बहुत छानबीन की। ट्रांसफर तो उनका हुआ अभी हाल में लेकिन मालूम हुआ है कि फिर दौड़ धूप करके रुकवा लिया है। श्री जगनन्दन राय उनका नाम है। मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वह इसकी जांच करायें और मेरी जो सूचना यह है उसको मैं उनको दूंगा, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो और उन्हें वहां से हटाकर जांच करायी जाय, वरना एक आदमी बेगुनाह मारा जायगा और जेल की हवा खानी पड़ेगी।

मान्यवर, बहुत सी कमियां, हैं गांव सभाओं और जिला परिषदों में। जिला परिषदों के मुतल्लिक हमारे बहुत से साथियों ने गुजारिश की है, मेरा भी सुझाव है---अभी चुनाव में तो देरी है---तो किसी तरह चुने हुए व्यक्तियों की एक कमेटी बना दी जाय और जिला परिषद उनके हाथ में सौंप दी जाय ताकि सही तरीके से काम हो और भ्रष्टाचार दूर हो।

इन लफ्जों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय कल्पनाथ सिंह जी, आप कितना समय लेंगे जवाब में ? १० मिनट ले लें क्योंकि फिर मंत्री जी भी जवाब देंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, दिक्कत यह हुई कि मैं यह समझता था कि शायद जो बातें माननीय सदस्यों के द्वारा कही गयी है उनका जवाब सरकार की तरफ से आ जायेगा और फिर हमको भी अपनी बात कहने में सहूलियत होगी, लेकिन सरकार की तरफ से उन बातों का जवाब नहीं आया। यह बात दूसरी रही कि उधर के जो माननीय सदस्य बोले उन्होंने कहा कि हम अनुदान का समर्थन करते हैं, लेकिन बातें सब वही कहीं जो इधर के बैठने वाले सदस्यों ने कही थीं, कमोबेश थोड़ा अन्तर रहा। मैं उन माननीय सदस्यों का हृदय से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स सही माने में इजहार कीं। यह दूसरी बात है कि औपचारिकता का निर्वाह करते हुए उन्होंने कहा कि इस अनुदान का समर्थन करते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन हो गयी है। माननीय कल्पनाथ सिंह ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया था। केवल ३ मांगें हमारी थीं---(१) जिला परिषदों के चुनाव कराए जाएं, (२) जिला परिषदों के लिए नामीनेशन न कराया जाए, तथा पंचायत सेक्रेटरियों तथा जिला परिषदों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाय। इन तीनों मांगों के बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, कुछ तो कह देते। कटौती कराने की विरोधी दल की इच्छा नहीं है, लेकिन इस अनरियलिस्टिक सिचुएशन में क्या बोलें और क्या न बोलें। मुख्य मंत्री जी तो ऐसे मौन हैं जैसे कभी बोले ही नहीं, ऐसा मालूम होता है।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, बोलना तो अब कृष्णानन्द जी ने ले लिया है। मुझसे जितना बुलवाना चाहें रोज-रोज, बोलूंगा। जब वे इधर बैठते थे तो कभी नहीं बोलते थे। आप मंत्री जी का उत्तर सुनें। यह मैं जरूर कह सकता हूं कि जो आपकी भावनाएं हैं उनसे मेरी सवा सोलह आने सहानुभूति है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई मंत्री जी के सहानुभूति के शब्द सुनकर और मैं उनकी सहानुभूति के लिए ही उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो और आगे बढ़ गये थे।

श्री राजितराम पांडेय

तो कटौती का प्रस्ताव वापस ले लो।

*श्री कल्पनाथ सिंह—

श्री लाल बहादुर सिंह ने कहा कि आर० एम० पी० में बहुत गड़बड़ियां हैं और उस संबंध में जांच होनी चाहिए। मैं उनकी इस राय से इत्तफाक करता हूं। अगर मंत्री जी समझते कि आर० एम० पी० में गड़बड़ियां हुयी हैं या कहीं पर हुई हैं तो उनकी जांच होना आवश्यक है। एक बात माननीय मलिखान सिंह जी ने कही कि इस प्रदेश के चारों क्षेत्रों के बारे में विचार होना चाहिए। उनकी निगाह में पूरब और पश्चिम के अतिरिक्त मध्य के क्षेत्र में भी विकास के कार्यों में गति धीमी रही है। मेरी उनसे कोई असहमति नहीं है। जहां इन कार्यों के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला परिषद है, क्षेत्र समितियां हैं और ग्राम पचायतें हैं वहां स्टेट लेविल पर एक ऐसी बाडी होनी चाहिए जो इन सारे कामों को देखती रहे, सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों और आदेशों को देख कर, उनकी कार्य पद्धति को देखकर सरकार को सुझाव देती रहे। इस समय इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि मत्री जी इस सिलसिले में अपने विचार व्यक्त करेंगे।

श्री शिव कुमार मिश्र ने जो बहुत सारी बातें जिला परिषदों में भ्रष्टाचार के बारे में, कलेक्टरों के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में कहीं, मैं उन्हें नहीं कहना चाहता हूं,। करीब-करीब सभी लोगों ने इस तरह की बातें कही हैं। एक बात उन्होंने प्रत्यक्ष चुनाव की कही। उस सिलसिले में मैं माननीय मत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी कृपा उनकी होगी कि वह इनडाइरेक्ट चुनाव के स्थान पर जिला परिषदों में डाइरेक्ट चुनाव करायें क्योंकि इसके पूर्व भी बहुत सारी सिफारिशें इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय स्तर पर जो कमेटियां बैठी थीं उनकी निकली थीं। उनकी यह राय थी कि जिला परिषदों में डाइरेक्ट चुनाव होना चाहिए। जिस रिपोर्ट के विषय में मैं बता रहा हूं उसके पृष्ठ ८७ पर साफ लिखा है। जून, १९६२ में एम० पीज० का कैंप आरगेनाइज किया गया था। यह मिनिस्ट्री आफ कम्युनिटी डेवलपमेंन्ट की तरफ से था। उसमें बहुत से मेम्बर्स थे। उन लोगों की यह आम राय थी कि पार्टी पालिटिक्स से पंचायत राज इन्स्टीच्यूशन्स को अलग रहना चाहिए। उन्होंने कहा इस संबंध में डाइरेक्ट इलेक्शन अच्छे होंगे। यद्यपि एकाध लोगों की राय इससे भिन्न थी लेकिन आमतौर पर राय डाइरेक्ट चुनाव की थी। महाराष्ट्र में ऐसा होता है और दो एक अन्य प्रान्तों में भी ऐसा होता है। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की जो टीम थी उनकी भी यही राय थी। डिस्ट्रिक्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

बोर्ड के जमाने में भी डाइरेक्ट चुनाव होते थे। उसका नतीजा ज्यादा अच्छा था। सीधे-सीधे पब्लिक पार्टीसिपेशन होता था। इलेक्शन में पब्लिक जानती थी कि हम किस आदमी को भेज रहे हैं। वह उसका सही रिप्रेजेन्टेटिव होता था लेकिन इनडाइरेक्ट इलेक्शन में यह नहीं हो पायेगा। जैसा कि मैंने कहा था कि यह हार्सट्रेडिंग होगी और लोगों को गलत काम करने का अवसर मिलेगा। और हम लोग भी कह सकेंगे कि सरकारी पक्ष के मेम्बर की राय होने पर भी सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया। श्री सजीवन लाल जी ने कुछ प्वाइन्ट्स उठाए थे। उन्होंने बहुत सही ढंग से बहुत सारी बातें कहने की कोशिश की।

मैं इस संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि उनके सुझावों को मंत्री जी स्वीकार करें। मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि गांवों में जितने भी पिछड़े लोग हैं जैसे नाऊ, मल्लाह, बढ़ई, वगैरह आर्टीजन रहते हैं। उनको सहकारी समितियां बनाकर काम दिया जाय या पंचायती राज उद्योग की तरफ से उनको काम दिया जाय। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। इस प्रदेश में मल्लाहों की काफी संख्या है। वे लोग खेती नहीं करते। जबसे पंजायती राज आया है उनको दिक्कतें हो रही हैं। अक्सर प्रधानों और मल्लाहों में झगड़ा भी घाट या मछली के संबंध में हो जाया करता है। मल्लाहों के जो घाट थे और उन्हें मछली मारने का जो अधिकार था वह सुरक्षित रहे और अगर इसके लिए आवश्यकता पड़े तो आप ऐक्ट में भी संशोधन करने की कोशिश करें।

श्रीमन्, मैं एक निवेदन और कर देना चाहूंगा कि इस बात को आमतौर से खुले या दबे शब्दों में भी सभी लोगों ने कहा कि किसी भी तरह से जिला परिषदों में नामजदगी सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिए और अगर इस प्रकार की नामजदगियां होती हैं तो इसे राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग कहा जायेगा। श्रीमन् जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह शीर्षासन करने की व्यवस्था सरकार चलाना चाहती है और ऊपर से नीचे धीरे-धीरे पंजायत राज के अन्दर बैड पालिटिक्स की भावना ला रही है। आजकल हर बात पालिटिक्स के नाम पर है। अगर जुआरी जुआ खेलता है तो वह भी कह देगा कि यह पालिटिक्स है। मेरा उनसे निवेदन है कि वह पालिटिक्स के शब्द को विकृत होने से बचाए और इस बात की घोषणा कर दें कि किसी भी प्रकार की नामजदगी नहीं होगी, पंचायत मंत्री सरकारी कर्मचारी होंगे, जिला परिषद् के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी घोषित किये जायेंगे, मल्लाहों को उनके ठेके और मछली मारने का अधिकार दिया जायगा, लुहार, बढ़ई या और जो छोटी-छोटी जाति के लोग हैं उनके लिए उद्योग धन्धे खोले जायेंगे और गांव में बेकारी दूर करने के लिये प्रोग्राम चलाये जायेंगे और जिले के स्तर पर एग्रीकल्चर, एनीमल हसबैन्ड्री या कोआपरेटिव में जो रुपया खर्च होता है वह पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन्स के माध्यम से खर्च होगा, इन बातों को सरकार कबूल कर ले और मंत्री जी अपना जवाब दे दें तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने के लिये तैयार हूं।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने प्रस्तुत अनुदान पर अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किये। कई तरह के सुझाव प्रस्तुत अनुदान पर माननीय सदस्यों ने दिये हैं। मैं शायद सबका उत्तर न दे सकूं पर मेरा यह जरूर इरादा है कि मैं उन समस्त बातों को लाने की कोशिश करूं और उनका जवाब दूं, जो यहां पर सवाल उठाये गये हैं। मान्यवर, सबसे अधिक कहा गया है कि ग्राम सभाओं का चुनाव बहुत देर से अब तक नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि १९६०–६१ में ग्राम सभाओं का चुनाव हुआ था और तब से अब तक, परिस्थिति चाहे जो भी रही हों, चुनाव नहीं हो सके हैं। मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि सरकार का इरादा अगले दिसम्बर और जनवरी में चुनाव कराने का है और सरकार ने इसके लिए एक कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिया है। मैं इस संबंध में साफ तौर से बता देना चाहता हूं कि ६ दिसम्बर से ३१जनवरी के अन्दर ग्राम सभाओं के चुनाव समाप्त

हो जायेंगे। क्षेत्र समितियों के चुनाव एक फरवरी से ९ अप्रैल के अन्दर समाप्त हो जायेंगे मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर कोई परिस्थिति विशेष उत्पन्न न हुई तो निश्चय ही यह इलेक्शन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अवश्य हो जायेंगे। (व्यवधान)

एक बात मौजूदा अधिनियम में परिवर्तन की कही गयी। (व्यवधान) ग्राम सभाओं के चुनाव के सिलसिले में मैं इतना और कह देना चाहता हूं कि उनका चुनाव गुप्त मतदान द्वारा कराया जायगा और असेंम्बली की मददाता सूचियों के अनुसार उनका चुनाव होगा। मेरा अपना ऐसा विश्वास है कि ग्राम सभाओं के चुनाव इस प्रकार पूर्ण होने के पश्चात ग्रामीण जीवन में और जन साधारण में जन जागृति पैदा होगी, जो असंतोष आज व्याप्त है वह दूर होगा और लोगों में एक नई चेतना, नयी स्फूर्ति आयेगी। साथ ही जो काम हमारे गांवों में रुके पड़ ह वे भी पूरे होंगे और गांव की हालत में निश्चय ही परिवर्तन आयेगा।

मेरे दोस्तों ने यह सवाल उठाया कि जिला परिषद् के चुनाव भी होने चाहिए। माननीय दोस्त श्री कल्पनाथ सिंह जी ने आलोचना की दृष्टि से तो बहुत सारी बातें कहीं, मगर सुझाव बहुम कम दिये। जो सुझाव दिये उनके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि जो मौजूदा अधिनियम हैं उसके अन्तर्गत प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हो सकेंगे। अगर प्रत्यक्ष चुनाव की तैयारी करनी होगी तो उसमें निश्चय ही विलम्ब होगा और विलम्ब होने से निश्चय ही आपका असंतोष बना रहेगा और फिर अधिक अधिनियम में संशोधन लाने के प्रश्न पर भी सोचना पड़ेगा। हमारे यहां ५१ जिला परिषदें हैं। जिस समय जिलाधीशों के हाथों में उनका प्रशासन दिया गया था तो यह सोचा गया था कि दो साल के भीतर ही कोई अच्छा अधिनियम तैयार करा दिया जायगा और चुनाव करा दिये जायेंगे, किन्तु परिस्थिति ऐसी कुछ हुई कि न तो अधिनियम में ही परिवर्तन हो सका और न ही चुनाव ही कराये जा सके। अब ७-८ महीने ही शेष रह गये हैं। ३१ मार्च, १९७२ को उनका कार्यकाल समाप्त हो जायगा। इसलिये अब पुराने अधिनियम के मुताबिक ही चुनाव कराना संभव हो पायेगा। मैंने जो अभी ५१ जिला परिषदें बतलायीं, उनके अलावा ३---चमोली, पिथौरागढ़, और उत्तरकाशी की जो सीमान्त जिलों की हैं वहां के लिये भी सरकार का इरादा है कि वहां पर भी दूसरे जिलों की तरह क्षेत्र समिति जिला परिषद आदि बना दी जाएं।

एक बात और इस अवसर पर माननीय सदस्यों की सूचना के लिये कह देना चाहता हूं। ग्राम पंचायतों के संबंध में जो हमारा अधिनियम है उसमें भी संशोधन की आवश्यकता है। अनेक माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिये कि ग्राम सभाओं को अधिकार मिलने चाहिए उनको अपने यहां मार्ग निर्माण का अधिकार मिलना चाहिये। अन्य कार्यों को करने का भी उनको अधिकार होना चाहिए ताकि वे सिंचाई आदि की व्यवस्था कर सकें। इस संबंध में सभी बातों पर विचार के लिये सरकार एक समिति गठित कर रही है वह पंचायतों के संगठन पर, उसके कर्त्तव्य पर तथा उसके आर्थिक साधनों पर विचार करेगी, तथा संबंधित अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करेगा, उसके बाद इन सब बातों पर विचार करने के बाद वह सरकार के सामने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और सरकार उस पर विचार करके निर्णय लेगी। शीघ्र ही उस समिति का गठन करने का सरकार का विचार है। मेरे कुछ मित्रों ने भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है कि विकास खण्डों में भ्रष्टाचार है। यह ठीक है कि पंचायत राज से सामुदायिक विकास का भी संबंध है और कई विभागों का संबंध है, क्योंकि हम जो सामुदायिक विकास खण्ड चलाते हैं, वे सारे विभागों से समन्वय करके ग्राम विकास का काम आगे बढ़ाते हैं। मैं नहीं कह सकता कि अनुभव के आधार पर ऐसा विचार प्रकट किया गया है। यदि ऐसी कोई स्थिति है तो उसको देखने की आवश्यकता है। निश्चय ही आज की यह सरकार भ्रष्टाचार को कदापि बरदाश्त नहीं कर सकती, उसका अस्तित्व यदि किसी स्थान पर, किसी कोने में विद्यमान है तो उसको समाप्त करने के लिये यह सरकार अवश्य प्रयास करेगी।

श्री रामकुमार—

मैंने तो कानपुर जिले के तीन ब्लाकों के भ्रष्टाचार के उदाहरण आपको स्पष्ट रूप से दिये हैं कि बिल्हौर ब्लाक में ९० हजार, डेरापुर ब्लाक में ८० हजार और मैथा ब्लाक में ६० हजार का गबन है जो आपके विकास अधिकारियों ने किया है। उसके बारे में आप स्पष्ट कर दें।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, जिला परिषदों को इस भावना से समाप्त किया गया था कि वहां पर बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन जब यह जिलाधीशों के कब्जे में आई तो भ्रष्टाचार उनका घटा नहीं है बल्कि बहुत बढ़ गया है, जिसे सदन में व्यक्त किया गया है। मैंने गोंडा जिले के भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण आपके सामने रखा था कि ३१ मार्च तक एकाउन्ट क्लोज होना चाहिऐ, लेकिन उस समय वहां पर १२ लाख ९५ हजार ९६२ रुपया भुगतान होने को शेष था, जिसे ५ अप्रैल को भुगतान किया गया है। कहा यह गया है कि यह इसलिए हुआ कि जिलाधीश महोदय मौजूद नहीं थे, लेकिन वास्तविकता यह है कि ३१ मार्च को पेमेंट इसलिये नहीं किया गया कि ठेकेदारों से कमीशन नहीं मिला था। क्या आप इसकी पूरी जांच करेंगे?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

माननीय दीक्षित जी ने कानपुर के तीन ब्लाकों का जिक्र किया और उधर से भी माननीय सदस्य ने भी शिकायत की है, मैं उन ब्लाकों को देखूंगा और साथ ही यह भी अनुरोध कर देना चाहता हूं कि जिस किसी ब्लाक या अधिकारी के भ्रष्टाचार के बारे में स्पेसिफिक केसेज हों तो वह हमें लिखकर दें, उन पर कार्यवाही कर ली जाएगी।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

पंचायत मंत्रियों के बारे में भी कुछ कह दें।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मैं एक यह स्पष्टीकरण चाहता हूं....

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह, अनुदान पर हुये विवाद पर मंत्री जी द्वारा उत्तर दिये जाने का समय है और उनको उत्तर देना चाहिए। किन्तु यदि बीच-बीच में खड़े होकर इस प्रकार से माननीय सदस्य व्याख्यान देने लगेंगे तो काम ही रुक जाएगा।

(श्री राम गोपाल संड के खड़े होने पर)

आप बैठें मैं खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी की सारी बातों को सुन लेने के बाद यदि किसी को किसी प्रकार का स्पष्टीकरण करना हो तो कर लेना चाहिए, लेकिन इस तरह से बीच-बीच में खड़े होकर कहना उचित नहीं है। लेकिन बीच में अगर पांच-पांच मिनट का व्याख्यान होने लगे तो बड़ा मुश्किल हो जायगा। यह कोई परम्परा और नियम भी नहीं है।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मान्यवर, पंचायत मंत्रियों के बारे में यहां सदन के दोनों तरफ के बैठने वालों ने चर्चा की है। उनके वेतन के बारे में, उनके पदों के बारे में, उनकी सेवाओं को सरकारी बनाने के बारे में, ये चर्चाएं दोनों तरफ से हुई हैं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में समस्त प्रदेश के पंचायत मंत्री लखनऊ में इकट्ठा हुये थे और उन्होंने प्रदर्शन करने का प्रयास किया था और वह नहीं कर पाये। बाद को उन्होंने अपनी सब मांगों को आदरणीय मुख्य मन्त्री महोदय के सुपुर्द कर दिया। मैं इस अवसर पर इतना कह देना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री और उनकी सरकार उन मांगों पर सहानुभूति के साथ विचार कर रही

हैं। मैं इतना कह देना चाहता हूं कि निकट भविष्य में ही माननीय सदस्यों को सरकार के निर्णय की सूचना मिल जायेगी। इस समय इतना ही मैं इस सम्बन्ध में कहूंगा। निश्चय ही जब से पंचयत राज की स्थापना हुई तब का वेतनक्रम ५०-८५ था लेकिन इसको ८५-११५ कर दिय गया। इसके साथा-सथा सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

इस वर्ष नहीं।

श्री बलदेव सिंह आर्य---

गत वर्ष से लीजिये। पिछले वर्ष से ७५, ११५ वेतनक्रम निश्चित कर दिया गया है। इसके साथ ही जो हर पर वेतन आयोग का गठन हुआ है वेतन आयोग को महंगाई वेतन सम्बन्धी समस्याएं सुपुर्द कर दी गई हैं। निश्चय ही वेतन आयोग उस पर विचार करेगा। बाकी जो उनकी मांगें हैं उन पर सरकार सहानुभूति के साथ और जल्दी से जल्दी विचार करके निर्णय करने वाली है।

जिला परिषद् के कर्मचारियों का भी यहां पर उल्लेख किया गया है। आपको शायद स्मरण होगा कि आठ रुपये अतरिम सहायता जिला परिषद के कर्मचारियों को पंचायत राज मंत्रियों को और राज कर्मचारियों को १० रुपये महीने अंतरिम सहाता दी गयी है। जिला परिषद् के कर्मचारियों को वह अंतरिम सहायता प्राप्त हुई है। हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि उनकी कठिनाइयों क देखते हुई मं गाई को देखते हुए उनको कुछ मदद दे जाय उस पर भी सरकार विचार कर रही है ओर जल्दी ही उसकी भी जानकारी माननीय सदस्यों को हो जायगी।

एक बात और कहना चाहता हूं। जिला परिषद के कर्मचारियों की ग्रेज्युटी और पेंशन का मामला है। ४५ जिला परिषदों ने नियम बना कर भेजे हैं, ग्रेज्युटी के लिए। वह स्वीकार कर लिये गये हैं। पेन्शन नियम प्रकाशन के लिये जाने वाले हैं। शीघ्र ही प्रकाशित करके सुझाव और आपत्तियां मांगेंगे। उसके बाद उनका अन्तिम निर्णय होगा। इतना मैं इस सबन्ध में आपसे कह देना ठीक समझता हूं। यह ठीक कहत है कि हमारे प्रदेश में जिला परिषद् के जो स्कूल हैं उनके भवनों की स्थिति संतोष जनक नहीं है। हमारा प्रयास होगा कि जिहने हमारे साधन हैं उन साधनों के भीतर हम जिला परिषद के स्कूलों के भवनों का नये ढंग से निर्माण कर सकें। मरम्मत तलब हैं उनकी मरम्मत करा सकें। इसका प्रयास हमारी ओर से अवश्य होगा। जिला परिषद की जिम्मेदारी है कि वह अपने भवनों का ठीक से निर्माण करे और अपने अध्यापकों को ठीक समय पर वेतन दे और उनकी जो कठिनाइयां हैं उसको दूर करे और सरकार से मांगे। जिला परिषद् के कर्मचारियों के वेतन के सम्बन्ध में वेतन आयोग को यह प्रस्ताव भेजा गया है। वेतन आयोग जिला परिषद् के कर्मचारियों की मांगों पर भी विचार कर रहा है। मान्यवर, पंचायत उद्योगों और गांवों में जो बेकारी है उनके बारे में भी यहां पर चर्चा हुई है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे इस प्रदेश में ४८ जिलों में ६७ पंचायत उद्योग चल रहे हैं और वे उद्योग बड़ी सफलता के साथ चल रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि इन पंचायत उद्योगों में जो माल तैयार हुआ है वह १,०२,०१,१०० रुपये की कीमत का बिका है और उसमें नेट प्रफिट ९ लाख ४० हजार रुपये का हुआ है। ये उद्योग धीरे-धीरे उन्नति करते जा रहे हैं और प्रचलित होते जा रहे हैं ये वे उद्योग है जिनसे कृषि करने वालों को मदद मिलती है। ये उद्योग कृषि यंत्रों का निर्माण करते हैं। हमारे प्रदेश में इन उद्योगों को धीरे-धीरे प्रारम्भ किया गया है और ये आगे बढ़ रहे हैं।

[श्री बलदेवसिंह आर्य]

मान्यवर, एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि सरकार ने पंचायत मन्त्रियों के लिये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है। इसमें पुराने ४०० पंचायत मन्त्री प्रशिक्षित हो चुके हैं और इस वर्ष २०० पंचायत मन्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जाने वाला है। इसके लिये हमने इस बजट में प्राविधान भी कर दिया है जिसे कि आपने देख ही लिया होगा। उसमें यह कोशिश की जा रही है कि जो ८०० पुराने पंचायत मंत्री हैं उनको भी फिर से दो महीने का रिफ्रेशर कोर्स की ट्रेनिंग दे दी जाय जिससे कि वे अपने देहात में जाकर काम करने में सक्षम हो सकें। हमारे प्रदेश में २० ट्रेनिंग सेन्टर्स हैं इनमें से ७ प्रशिक्षण केन्द्रों में पंचायत मन्त्रियों का प्रशिक्षण होगा। इस तरह से हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में जो ग्राम सभायें हैं जो कि लोकतन्त्र की बुनियादी इकाई हैं वह मजबूत हों और वे अपना कार्य करने में सक्षम हों, उनको अधिक से अधिक मजबूत करने की कोशिश करें और उसमें ऐसे कार्यकर्ता रखे जायं जैसे कि हमारे माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कहा है कि इन पंचायत मन्त्रियों में ऐसे भी लोग हैं जो स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी हैं। तो निश्चय ही जो स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी होगा वह आपके इस लोकतंत्र के मजबूत करने में अपनी जी-जान से प्रयास करेगा। ऐसी हम उनसे उम्मीद करते हैं। मैं उन सभी लोगों से उम्मीद करता हूं जो कि लोकतंत्र के हामी हैं कि वे इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने में सहयोग दें ताकि समाजवाद का नया रूप कायम हो सके। मैं समझता हूं कि इन ग्राम सभाओं की स्थापना इसी उद्देश्य से की भी गई थी। यह ठीक है कि इसका चुनाव विलम्ब से होने जा रहा है। उसमें जो शिथिलता आई है उसको समाप्त करना चाहिये और भविष्य में जो निर्धारित समय है उसके अन्दर ही इनके चुनाव हो जायेंगे यह आशा की जाती है।

एक निवेदन और आपके सम्मुख कर देना चाहता हूं कि हमारे यहां न्याय पंचायतों के बारे में बहुत सी शिकायतें आई हैं। निःसन्देह और हो सकता है कि जब बड़े-बड़े लोगों पर ऊंचे दर्जे के लोगों पर आक्षेप कर सकते हैं तो न्याय पंचायतों के जो सदस्य हैं वह तो हमारे ही लोगों के बनाये हुये हैं और हमने ही उनको न्याय पंचायतों का काम सौंपा हुआ है। किन्तु इन सब बातों के बावजूद भी हमारे प्रदेश में सन् १९७०–७१ में जिसके कि आंकड़े इस समय मेरे पास मौजूद हैं कि २७ हजार मुकदमे दाखिल हुये, ६ महीने के भीतर १८,१७५ मुकदमों पर निर्णय लिया गया और १०,३४३ मुकदमों को आपसी समझौता से निपटाया गया इस तरह आज न्याय पंचायतों का महत्व भी बहुत अधिक है। ये न्याय पंचायतें गांवों के गरीब लोगों को सहायता पहुंचाती हैं। आप और हम सब जानते हैं कि अदालतों में दूर देहात से आकर लोगों को अधिक धन व्यय करना पड़ता है। तब भी उनको न्याय सुलभ नहीं हो पाता तो इसकी जरूरत है। ग्राम पंचायतों के जैसे ही चुनाव होंगे उसके तुरन्त बाद ही न्याय पंचायतें भी बन जायंगी। ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारे लोकतंत्र की सब बुनियादी इकाई हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम इन्हें और मजबूत बनाने का प्रयत्न करेंगे।

माननीय सदस्यों ने अनेक सुझाव दिये हैं। उनके उत्तर सदन में मैं दे सका या नहीं, लेकिन उन पर विचार अवश्य होगा और अवश्य कार्यवाही करूंगा, यह मैं आश्वासन देते हुए आशा करता हूं कि श्री कल्पनाथ सिंह जो अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेंगे और इस अनुदान को निर्विरोध पास होने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संपूर्ण संख्या १२ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १२—गांव सभायें और पंचायतों के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,१८,९९,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम ५६ तथा ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

आज ५६ में तो कोई स्वीकार नहीं की गयी है। इसमें एक तो माननीय त्रिवेणी सहाय, गंगा प्रसाद और विजयपाल सिंह की है—गोंडा जिले में गत दो वर्षों से असामयिक वर्षा के फलस्वरूप फसल की हानि। और दूसरी है मा० नित्यानन्द स्वामी की—प्रदेश के ५ लाख अराजपत्रित कर्मचारियों के साथ महंगाई भत्ते देने में असमानतायें अस्वीकृत हैं।

नियम ५१ के अन्तर्गत भी सभी अस्वीकृत हैं ।

आज दो घंटे का विवाद है।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के संबंध में जानकारी (आगत)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

आपने जो विशेषाधिकार के संबंध में कहा था कि आपको बुलाऊंगा तो आपने बुलाया ही नहीं। डिस्कशन उस पर अलाऊ कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सोच लें। मैंने माननीय मंत्री जी को भेज दिया है। वह आज हमको दिखे नहीं।

श्री रामविलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

वह हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वित्त मंत्री जी ,एक अखबार में छपी हुई सूचना के आधार पर माननीय सदस्यों ने एक प्रश्न किया था। तो उसके बारे में क्या स्थिति है, बता दें ।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मुझे खेद है कि जो सूचना माननीय सदस्यों को मिली वह पूरे माने में सही नहीं है। यह सही है कि मैंने आजमगढ़ में एक गांव सभा में भाषण दिया और उसमें बंगला देश की समस्या के बारे में चर्चा की और यह भी सही है कि मैंने उसमें भारत सरकार की बंगला देश की नीति का समर्थन किया और मैंने यह भी उल्लेख किया कि मुक्तिवाहिनी बहुत अच्छी बहादुरी से लड़ रही है। लेकिन न तो मुझे कोई गोपनीयता का अधिकार था और न मुझे कोई गोपनीय बात मालूम थी कि क्या भारत सरकार कोई बात कर रही है या नहीं, मुझे कोई उसका ज्ञान नहीं था। तो मैंने जो मुक्तिवाहिनी के शौर्य की प्रशंसा की हो सकता है कि उसका अर्थ किसी संवाददाता ने यह लगाया हो कि जिसका उल्लेख समाचार-पत्र में किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था और न मुझे कोई गोपनीय बात

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मालूम थी और सम्मानित सदस्य इससे सहमत होंगे कि बंगला देश की समस्या और मेरे भाषण से इस कार्यवाही का कोई संबंध नहीं है। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि इसको विशेषाधिकार का विषय न समझें।

*श्री बंशीधर पांडेय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत साफ कही कि मेरी मंशा नहीं थी। लेकिन जब समाचार-पत्र में कोई ऐसी बात आती है तो आपका इन्फार्मेशन विभाग है वह संबंधित मंत्री के पास कटिंग भेज देता है इसको देख लिया जाय। वह आपके पास आई होगी। अगर नहीं आई तो मैं कहता हूं कि इसमें इतने व्योरे की बातें हैं कि भारत सरकार गोला बारूद देती है, बन्दूक देती है जिसके बल पर मुक्तिवाहिनी लड़ रही है। अगर सभा में आप से इस तरह की बात निकल जाती है तो आप को मालूम होना चाहिये कि पाकिस्तान का भारत सरकार के ऊपर वैसे आरोप है कि भारत सरकार बंगला देश को पाकिस्तान से लड़ाने की साजिश कर रही है जिसको भारत सरकार रिपयूट करती है अपने एम्बेसेडर्स द्वारा तथा समाचार-पत्रों द्वारा।

यह बड़ा नाजुक विषय है और सदन ने भी अपना प्रस्ताव पास किया है कि बंगला देश के जो सेनानी लड़ रहे हैं और जनतंत्र को बचाना चाहते हैं उसके प्रति सदन सहानुभूति प्रकट करता है। संसद ने भी ऐसा ही प्रस्ताव पास किया है। ९ तारीख को आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं। प्रधान मन्त्री की नीति यह है कि अभी एप्रोप्रियेट टाइम नहीं है कि जब हम इसको मान्यता दें। जब वह समय आयेगा तो अवश्य देंगे। अगर किसी प्रदेश के मंत्री ने, हो सकता है और मैं आपकी कठिनाई जानता हूं, जनता में मांग है कि बंगला देश को मान्यता दी जाय और ८०/९० प्रतिशत लोग इस बीज को चाहते हैं तो इस टैम्पटेशन में पड़ गये और जब दबाव डाला गया होगा तो आपने कह दिया होगा कि भारत सरकार लड़ा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इंदिरा जी के साथ जो देश की प्रधान मंत्री हैं, विदेश मंत्री के साथ, भारत सरकार की नीति के साथ, जो केवल अकेली सरकार ही सक्षम है, आपके इस प्रचार से उल्लंघन हो गया है। अगर इस प्रकार की बातें की हैं या नहीं की हैं तो समाचार जो छपा है उसका जोरदार शब्दों में कृपया खंडन कीजिये कि मैंने ऐसी बात नहीं कही और न मेरी पार्टी की ऐसी नीति है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर मैं, माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यह बड़ा नाजुक प्रश्न है और जैसी बात कही गई उसके कहने से पाकिस्तान जो कहता है उसको बल मिलता है। इसलिये मैं सम्मानित सदस्यों से अनुग्रह करूंगा कि यह उचित होता कि वह इस प्रश्न को न उठाते क्योंकि इस प्रकार की बातों से उसको और बल मिलता है। जहां तक जो अन्य बातें कही गयीं मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि ऐसी बातों में संतुलन से काम होना चाहिये। वह मौका भविष्य में, जब समय आयेगा, तो जल्दी आ सकता है जब बंगला देश के मामले में माननीय सदस्यगण और हम लोग एक ही बात बोलेंगे।

श्री रामविलास पाण्डेय—

मैंने इसको रखा था मेरी बात तो सुन ली जाय।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह एक बड़ा नाजुक प्रश्न है अगर सदन के सामने माननीय पांडेय जी ने अभी कहा कि ऐसा हो सकता है कि माननीय मंत्री जी ने जवाब में ऐसा कह दिया हो। तो माननीय सदस्य यह अन्दाजा ही लगा रहे हैं। इसलिये ऐसे अहम इश्य पर किसी तरह से खयालात के इजहार का मौका देना उचित नहीं है ।

प्रदेश के विभिन्न जिलों म बाढ़ के प्रकोप से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैंने कृष्णानन्द राय को बुला लिया है।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, बाढ़ के संबंध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैंने और श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने बाढ़ की चर्चा के बारे में दिया था । मेरा नाम उसमें नहीं छपा है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर उसमें आपका नाम होगा तो जोड़ दिया जायगा।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस समय हमारे प्रदेश की एक-तिहाई भाग बाढ़ के प्रकोप में फंसा हुआ है। और श्रीमन्, यह भी एक ट्रेजेडी है कि यह जो एक-तिहाई भाग है यह इस प्रदेश के जो मान्यता प्राप्त पिछड़े हुये इलाके हैं उन्हीं में यह प्रकोप चल रहा है। आपको मालूम है कि पहाड़ी इलाका, बुन्देलखंड का इलाका और पूर्वी जनपदों का इलाका इस प्रदेश के पिछड़े हुये इलाके हैं। पहाड़ों में अलकनन्दा और मन्दाकिनी की बाढ़, बुन्देलखंड में जमुना और बेतवा नदी की बाढ़ और पूर्वी इलाकों में गन्डक, सूरज और गंगा की बाढ़ ने इस समय तबाही कर रखी है। श्रीमन्, आप स्वयं भी पिछड़े हुये इलाके के हैं। आप जानते हैं कि जब इस प्रदेश में कोई भी आफत नहीं रहती , यह नामंल रहता है तब भी ये पिछड़े हुये इलाके भुखमरी का शिकार रहते हैं और कभी भी वहां के रहने वालों को दो जून की रोटी नहीं मिलती । ऐसे आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुये इलाके हैं उनमें इस समय बाढ़ आ गयी है। इस बाढ़ की एक और भी पृष्ठभूमि है जिसको मैं चाहूंगा कि सरकार समझने की कोशिश करे। यह सभी जानते हैं कि अप्रैल, मई और जून में देश में अत्याधिक वृष्टि हुई जिससे सारी रबी की फसल नष्ट हो गई, सारा अनाज खलिहानों में सड़ गया। अगर यह बाढ़ न आयी होती तो रबी की फसल का जो नुक्सान था वह खरीफ की फसल पैदा कर के किसान अपनी जीविका चला सकता था। लेकिन रबी की फसल के नुक्सान के बाद जब उसके पास अनाज नहीं था, चारा नहीं था और ये इलाके वैसे भी पिछड़े हुए थे जब प्रदेश के इन २१ जिलों में बाढ़ का प्रकोप हुआ और चारों तरफ जल हो गया तो आप स्वयं भी महसूस कर सकते हैं, इस स्थिति पर पहुंच सकते हैं कि यह भयावह स्थिति पैदा हो गयी है और जिन इलाकों में इस समय बाढ़ ह उनमें अ काल की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि बाढ़ की विभीषिका चल रही है सरकार उसकी गम्भीरता को महसूस करने के लिये तैयार नहीं है। आप देखें कि इन्होंने स्वयं जो स्टेटमेंट बांटा है उसमें ४० करोड़ रुपये की क्षति आंकी है विभिन्न जिलों में। लेकिन ४० करोड़ की क्षति होने के बावजूद अभी तक जो सरकार की तरफ से सहायता प्राप्त हुई है वह केवल २८ लाख रुपये की है। यह माल मंत्री की रिपोर्ट से स्पष्ट है। इसमें भी १५ लाख तकावी वगैरह बांटने के लिये है जो एक प्रकार से कर्ज है। केवल १२ लाख रुपये की सहायता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्द राय]

प्रेटुइशस रेलीफ के नाम पर प्रदेश के इन जनपदों में भेजी है। मैं सरकार की इस कठिनाई को भी महसूस करता हूं कि छितौनी बांध टूटा, इस सरकार ने इस सदन में कहा कि हमने केन्द्रीय सरकार को लिख दिया है कि हमको ५० करोड़ रुपये दिये जायं ताकि हम उसकी मरम्मत करवा सकें या उसे बनवा सकें। इसी प्रकार जब अतिवृष्टि हुई और किसानों के गल्ले का नुकसान हुआ तो स्वयं मुख्य मन्त्री जी का स्टेटमेंट आया कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार से ६५ करोड़ रुपये की मांग की है जिससे किसानों का खलिहान में जो गल्ला सड़ गया था उसकी पूर्ति की जा सके और आज जब बाढ़ आयी है तो सरकार का कहना है कि केन्द्रीय सरकार से ४० करोड़ रुपये की मांग की है जिससे बाढ़ में राहत का कार्य कर सकें। लेकिन आश्चर्य यह होता है कि इस रहस्य का उत्तर प्रदेश को पता नहीं है कि वह कौन सी शक्ति है जो केन्द्रीय सरकार पर प्रभाव डालती है जिससे प्रदेशीय सरकार आपदा के समय में सेंटर से जो डिमान्ड करती है उससे पैसा प्राप्त कर सके। छितौनी बांध टूटने के लिये आपने ५० करोड़ रुपया मांगा। उत्तर प्रदेश में जो गल्ला सड़ गया अतिवृष्टि के कारण उसके लिये आपने ६५ करोड़ रुपया मांगा। बाढ़-पीड़ितों को राहत देने के लिये जो आपने केन्द्रीय सरकार से ३० करोड़ की मांग की तो बावजूद आप ही की पार्टी की सरकार दिल्ली में स्थित है लेकिन आपको एक पैसा की भी इमदाद केन्द्रीय सरकार ने नहीं दी। मैं मुख्य मन्त्री जी को बतलाना चाहता हूं कि आपको एक पैसा भी इमदाद केन्द्रीय सरकार से प्राप्त नहीं होगा। इसके पीछे एक पृष्ठ-भूमि है। माननीय मुख्य मन्त्री जी को याद होगा कि १९६९ में उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई थी जिसमें १६ जिले बाढ़ से प्रभावित हुये थे। स्वयं प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा गांधी और कमलापति जी त्रिपाठी को उस समय यू० पी० सी० सी० के प्रेसिडेंट थे उनके साथ हैलिकाप्टर से उस बाढ़ इलाके का भ्रमण किया था और उन १६ जिलों को देखा था। इसी लखनऊ के हवाई अड्डे पर प्राइम मिनिस्टर ने एलान किया था कि बाढ़-पीड़ितों की अधिक से अधिक सहायता की जायगी लेकिन जब वह दिल्ली में गई तो उत्तर प्रदेश के १६ जिलों को जो बाढ़ से प्रभावित हुये थे उनको २, २।। करोड़ रुपया की प्रांट दी। आपको याद होगा कि उसी जमाने में मद्रास के ६ जिलों में बाढ़ आई थी। और उनको वहां पर २४ करोड़ रुपया वहां के लोगों को राहत के कार्य के लिये दिया था। अब यदि उत्तर प्रदेश की सरकार हर प्रश्न पर यह जवाब देना शुरू कर दे कि हमने केन्द्रीय सरकार के पास लिखा है कि हमको छितौनी बांध की मरम्मत के लिये रुपया दिया जाय, हमने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि हमको जो बाढ़ से नाश हुआ है उसकी राहत के लिए रुपया दिया जाय, हमने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि जो किसानों की फसल वृष्टि से नष्ट हो गई है उसके लिये रुपया दिया जाय तब तो यह उत्तर प्रदेश की जनता दिल्ली और लखनऊ की सरकार के माया जाल में फंस जायगी क्योंकि यदि दिल्ली की सरकार के पास हमारे मुख्य मन्त्री जी एक याचक के रूप में जाते हैं और एक भिखारी के रूप में दिल्ली जाते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता के लिये पैसे की मांग करते हैं तो आपको किसी प्रकार से भी पैसा नहीं मिलेगा जब तक कि मद्रास या और प्रदेशों की तरह से आपको हिम्मत और साहस न हो और आप हिम्मत के साथ इन सब चीजों के लिये वहां पर मांग न करें। श्रीमन्, आज उत्तर प्रदेशीय सरकार की तरफ से जो राहत कार्य बाढ़-पीड़ितों के लिये किया गया है वह इतना हास्यास्प्रद हो गया है कि देखने से बड़ा आश्चर्य मालूम होता है। आज हमारे सामने एक परचा बांटा गया है उसमें आप देखें कि हमीरपुर जिले में ९४ गांव बाढ़-पीड़ित हैं। हमीरपुर के साथ पूरी सहानुभूति है लेकिन इसी स्टेटमेंट में आप देखें कि गोरखपुर में ८०० गांव, बस्ती में ५०० गांव, गाजीपुर में ५०० गांव बाढ़-पीड़ित हैं। पूर्वी जिलों में गोरखपुर, बस्तीत देवरिया, बलिया, आजमगढ़, मिर्जापुर सब आते हैं। इन सब जिलों को देखा जाय तो मालूम होगा कि किसी में ८०० गांव, किसी में ५०० गांव, किसी में ६०० गांव, और किसी में ७०० गांव बाढ़ पीड़ित हैं लेकिन श्रीमन्, जो राहत दी गई है, वह स्टेटमेंट में देखने से पता चलेगा कि कहीं पर

१० हजार रुपया, कहीं पर २२ हजार रुपया है कहीं पर २५ हजार रुपया भेजा गया, लेकिन हमीरपुर जिले के लिये मिलिटरी से स्टीमर वोट दी गई है, मोटर वोट दी गई है। एक बात और निवेदन करूं कि बनारस में भी सेना को सहायता के लिये सतर्क कर दिया है। मैं और श्री बंशीधर पांडेय बनारस गये थे। वहां पर कुनिया गांव जो बाढ़ से घिरा हुआ था वहां तक गये और वहां पर बाढ़-पीड़ित गांव वालों से हमने पूछा कि अखबारों में पढ़ा था कि सेना को सहायता के लिये सतर्क कर दिया गया है तो बताओ तुमको क्या इमदाद दी गई। उन्होंने बताया कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी हम लोगों को बिलकुल भूल गये और हम लोग तो बाढ़ से एकदम पीड़ित हैं, खाने-पीने बिना भूखों मर रहे हैं और वह दिल्ली भाग गये हैं। वह तो बाढ़ के समय में यहां पर आये भी नहीं और पता नहीं कि वह सेना कहां सतर्क की गई है? हुआ वहां केवल इतना है कि हर गांव में ८–१० आदमियों को दस-दस रुपया सहायता और आधा बोतल मिट्टी का तेल दे दिया गया है। शर्मा जी भी इस को महसूस कर लें अगर समझ लें कि उनके अधिकारी इतने-भ्रष्ट हो गये हैं कि आपने जो सहायतार्थ रुपया भेजा है उसके बारे में माननीय कमलापति जी जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्हीं के जिले का ज्ञानपुर का तहसीलदार तहसील में बैठकर कहता है कि जिसकी गर्ज हो जिसको तकलीफ हो वह आकर हमसे सहायता ले ले हमारी कोई गर्ज नहीं है हम पानी में बारिश में वहां जाकर मरें। जब हमारे मिनिस्टर साहब भदोही की सड़क से निकलते हैं तो हमें बाढ़ में वहां जाने पर कुछ ईर्षा हो जाती है इसलिये नहीं कि वह मुख्य मन्त्री हैं बल्कि बनारस के लोग तो हम गाजीपुर वालों के बड़े भाई हैं और उन को ठीक है, गाजीपुर से ज्यादा राहत मिल जाती है बमुकाबले हमारे यहां के बाढ़ के इलाके के तो हमने वहां जाकर देखा, हम बंशीधर जी पांडेय के साथ गये थे, कि वहां लोगों को क्या मिला है तो दिये तले अन्धेरा वाली बात है, वहां के १०० गांव पानी के घेरे में हैं और लोग कहते हैं कि हमारे यहां जो आया उसको राहत मिली तो वहां की एक चीज सुनकर तो हमें ताज्जुब हुआ, नोट कर लें मन्त्री जी मेरी बात वहां के एक नायब तहसीलदार ने गांव के प्रधान से यह भी कहा कि तुम इस बात को एक सादे कागज पर लिख दो कि तुम्हारे गांव में राहत का रुपया बांटा गया। उस ने कहा कि आप ने तो कुल १३ आदमियों को ही दस-दस रुपया दिये हैं तो हम १३० रुपये की रसीद लिखे देते हैं। इस पर नायब तहसीलदार कहता है कि ठीक है हम तुमको समझ लेंगे। यह आपकी रेवेन्यू अथारिटीज की हालत है। आपने कुल मिलाकर १८ हजार रुपया बांटा है और ४० करोड़ में आप ने कुल २८ लाख रुपया ग्रेचुएटी के लिये भेजा है और उसके बांटने में भी रेवेन्यू अथारिटीज का यह हाल है। गाजीपुर के बारे में आप की ही रिपोर्ट है कि वहां के ३५० गांव बाढ़ में हैं जबकि हमारी सूचना के अनुसार तो वहां ४६५ गांव प्रभावित हैं और १०० गांव तो वहां चारों तरफ से पानी में घिरे हैं जमानिया और गाजीपुर के बीच में गंगा बहती है और जमानिया की साढ़े ३ लाख आबादी जो खतरे में है उसके लिये कोई इन्तजाम नहीं किया गया है और किसी स्टीमर या नाव का प्रबन्ध किया गया। जिस दिन वहां पर पुल बहा तो वहां छोटी-मोटी कोई नाव रही होंगी और वहां ७ आदमी डूब गये। मन्त्री जी लिखते हैं वहां केवल एक आदमी ही मरा है मिर्जापुर में भी ७ आदमी बाढ़ से मरे हैं, और गाजीपुर में भी ७ आदमी मरे हैं। बनारस में भी अभी तक १२ आदमी मरे हैं। पी० डब्लू० डी० की सड़कों की हालत यह है कि हम और बंशीधर जी मोटर से यहां से गये थे, लखनऊ से रायबरेली के बीच में ही एक बाई-पास है, वह सारी सड़क कट गई है और उससे क्षतिग्रस्त एक ट्रक हमें जाते हुये पड़ा मिला और लखनऊ से बनारस तक तो हमें ३ फियट कार, २ ट्रक, २–३ एमबेसेडर कार सड़क खराब होने के कारण बच्चों की तरह लुढ़की पड़ी हुई थीं। किसी का ड्राइवर मर गया किसी का ट्रक पलट गया। आप तो बाढ़ के मन्त्री बने हैं लेकिन ऐसा लगता है कि वर्षा के जमाने में बाढ़ से खराब सड़कों का पी० डब्लू० डी० से कोई सम्बन्ध ही नहीं है और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं मालूम होती। इलाहाबाद से बलिया तक पी० डब्लू० डी० या ठेकेदारों

[श्री कृष्णानन्द राय]

के संरक्षण में जितनी फेरीज हैं वे सब मिर्जापुर, गाजीपुर और बक्सर में सब टूट गई हैं और हजारों आदमी इधर के ऊधर और उधर के इधर रह गये हैं, एक मिनिस्टर साहब भी वहां गये और उन्होंने जनता के सामने एलान भी किया कि हम स्टीमर भेज रहे हैं लेकिन वहां ७ आदमी मर चुके हैं कोई स्टीमर आज तक नहीं पहुंचा है। गाजीपुर के फैरी घाट पर आज तक कोई स्टीमर नहीं आया। हमीरपुर के बारे में जरूर सुना कि छः स्टीमर बोट, आठ स्टीमर, और सारी पाकिस्तान की फौज हमीरपुर म ही ट्रांसफर कर दीं। स्वामी प्रसाद जी ने स्टेटमेंट पढ़ा। उससे पता चला कि हमीरपुर में कोई काम नहीं किया गया है। तो मैं श्रीमन, यह निवेदन कर रहा था कि मैं बाढ़ की समस्या को कोई दलीय समस्या नहीं बनाना चाहता। मैं निहायत संजीदगी से और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस साल की बाढ़ हर साल की बाढ़ से विचित्र परिस्थिति में आई है। मगर जून की वर्षा में न भूसा रह गया है न गल्ला रह गया है और न किसानों के पास पैसा रहा है और उस परिस्थिति में अब जब बाढ़ आई तो खरीफ भी नहीं बची और नतीजा यह निकला श्रीमन, यह सही चीज है जिन २१ जिलों में जो बाढ़ का प्रकोप है वह पिछड़े हुये इलाके हैं और वहां अकाल की स्थिति छा गई है। मैं मांग करूंगा कि जहां तक बाढ़ की विभीषिका का सवाल है फैक्ट्स में कोई कान्ट्रोवर्सी नहीं है। हम लोग मांग करेंगे श्रीमन, कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करें। २१ जिलों को जब घोषित करेंगे तो माननीय मुख्य मन्त्री को भी फायदा होगा और जो दिल्ली में क्रांतिकारी लोग हैं वे समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में २१ जिलों में अकाल आ गया है। अब तक जो स्थिति पैदा हो गई है यह प्रचार की चीज नहीं है। सही चीज है। माननीय मुख्य मन्त्री जी जो केन्द्रीय सरकार से सहायता की मांग करते हैं उनको सहायता मिल सकती है। एक चीज मैं और निवेदन करूंगा कि जो कल आपने लगान को, तकावी को और कर्जे को स्थगित कर दिया है इस स्थगित करने से कोई लाभ नहीं है। इनको रेमिशन कीजिये। आज हमारे उत्तर प्रदेश का हर किसान जिसके पास एक एकड़ खेत है दो हजार और कर्जा चाहे कोआपरेटिव से या गवर्नमेंट से ले चुका है। अब स्थगित कर दिया है। इनसे कोई भी लाभ नहीं होता है। आप इस प्रकार की घोषणा करें कि जितने सहकारी और जितने सरकारी कर्जे हैं कि जो इस खरीफ और रबी की फसल को बोने के लिये खो दिये हैं और उसने बीज की शक्ल में डाले हैं उनको माफ कर देंगे और बाढ़ के बाद बीज की आवश्यकता पड़ती है, चारे की आवश्यकता पड़ती है, अनाज की आवश्कयता है वह तो आप करेंगे ही और एक चीज और हम निवेदन करना चाहते हैं कि सन् ६९ की बाढ़ जो कि पूर्वी इलाकों में आई थी उस समय जितनी पुलिया, सड़क और बन्धे जो टूटे थे वे पुनः इस बाढ़ से टूट गये ह। आज आप इस बात का निरीक्षण करें। तीन चार महीनों के अन्दर जितनी सड़कें, पुलियां और बन्धे एम्फैन्कमेन्ट्स टूट गये हैं उनके लिये सारे कामों को प्लानिंग को छोड़कर उनकी ठीक तौर से तैयारी कर देंगे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में हम लोग इनका पूर्ण सहयोग दे रहे हैं उसी प्रकार से बाढ़ के मामले में पूर्णरूप से सहयोग देंगे यदि उत्तर प्रदेश की जनता के हित को ध्यान में रखकर उन क्षेत्रों को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करेंगे और और सारे ड्यूज के रैमिशन की घोषणा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले संक्षिप्त वक्तव्य हो गया कृष्णानन्द राय जी का अब उसका संक्षिप्त उत्तर होगा। फिर आपको समय मिलेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, अगर अन्त में उत्तर दे दें तो उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

कल जायसवाल जी ने शिकायत की थी। मन्त्री जी को बोलना पड़ा, जवाब देने के लिये कहना पड़ा। दोनों कैसे हों। नियम की स्थिति के बारे में ढील कर देते हैं आपके कहने पर तो कठिनाई होती है।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

जो जिले प्रभावित हैं, कम से कम वहां के एक-एक प्रतिनिधि को तो बुलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन जो बोल चुके हैं उन्हें फिर से बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन् माननीय मन्त्री जी इलाहाबाद के सम्बन्ध में कुछ कहें इससे पहले मैं जानना चाहता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष—

फिर आप नहीं बोलेंगे। आप ही के दल के माननीय नेता ने शिकायत की है, इसलिए नियमानुसार चलिए।

*राजस्व मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि इस वर्ष जो बाढ़ की आपदा हमारे प्रदेश में आई है वह अभूतपूर्व है। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि उससे अप्रत्याशित लोगों को तकलीफ हुई है, नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान हुआ, जन-धन का नुकसान हुआ। माननीय कृष्णानन्द राय जी ने यह कहा जरूर कि हम चाहते हैं कि इसका मुकाबला दलगत स्थिति से ऊपर उठकर किया जाय लेकिन उनके जो सुझाव आए और जो आलोचना हुई उससे ऐसा प्रतीत नहीं होता। कई बार कहा इस सदन के अन्दर भी और बाहर भी कि यदि आप कहीं पर भी कोई बात मुझे बता देंगे जिससे यह मालूम पड़ेगा कि जिस तरह से अधिकारियों को काम करना चाहिए वह उस तरह से नहीं कर रहे हैं तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम इस बात की कोशिश करेंगे और आपको कान्फीडेंस में लेकर कोशिश करेंगे कि हमसे जितना सम्भव हो सकता है किया जाय। उसको करने की हम बराबर कोशिश कर रहे हैं और हमको इस बात का पूरा ज्ञान है कि हमको क्या करना है।

श्रीमन्, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। माननीय कृष्णानन्द राय जी को न मालूम क्यों हमीरपुर से बड़ी चिढ़ हुई। कई बार उन्होंने हमीरपुर का जिक्र किया। पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि माननीय राजस्व मन्त्री जी यहां पर कह गए कि हम इलाहाबाद जाएंगे और हमीरपुर चले गये, जबकि मैं श्रीमन्, हमीरपुर नहीं गया था, बलिया गया था। तो इससे पता चलता है कि आप तो तुले बैठे हैं हमारी आलोचना करने के लिए कि कहीं से, किसी तरह से मौका मिल जाय और कहना शुरू कर दें कि राजस्व मन्त्री ने यह किया, वह किया और बंशीधर जी को गवाही में पेश कर दिया।

(व्यवधान)

तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि सब लोग जानते हैं कि प्रदेश में अभूतपूर्व बाढ़ है। लेकिन मान्यवर, हमीरपुर में वास्तव में अभूतपूर्व बाढ़ है। नदियों में पानी बहुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

ज्यादा बढ़ा हुआ है। यह सही है कि बलिया-बेरिया बांध के ऊपर खड़े होकर गंगा की तरफ देख तो समुद्र का नजारा दिखाई देगा। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बलिया में आज तक का जो रिकार्ड था हाइस्ट फ्लड लेविल का, उससे आगे नहीं गया है। केवल हमीरपुर ही एक ऐसा स्थान है जहां १९१६ का जो रिकार्ड था वह टूटा और उससे भी ज्यादा बाढ़ के पानी का स्तर हुआ।

श्रीमन्, मुझे यहां तो मालूम ही नहीं था। मैं जब हमीरपुर गया तब मुझे मालूम पड़ा। वहां के कलेक्टर ने झांसी के अधिकारियों को कान्टेक्ट किया था और उन लोगों ने नावें भेजी थीं। स्थिति ऐसी थी कि नावों के बिना काम भी नहीं चल सकता था। हमने देवरिया में नावें भेजीं। जब हमें मालूम पड़ा कि बलिया में बिना मिलिटरी की नावों के काम नहीं चल रहा है तो हमने वहां भी भेजीं। मैंने कहा कि हमीरपुर की नावें तुरन्त वहां से चली जायें क्योंकि बलिया में बाढ़ की स्थिति खराब थी। बलिया में तो मिलिटरी की बोट्स भी काम नहीं कर रही हैं। ५० हार्स पावर की ५ मिलिटरी की बोट्स वहां के लिये रवाना की गई और सम्भवतः कल वे पहुंच गई होंगी। हमन वहां पर ब्रिग्रेडियर मानसिंह को भेजा। वे वहां गये और स्थिति को देख कर लौटे। लौटने के बाद जो कुछ इंतजाम हो सकता था वह किया और उसके बाद फिर वहां पहुंच गये। फौज का एक पूरा दस्ता भी वहां पहुंच गया। विग्रेडियर मानसिंह और वहां के कमीश्नर पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने मांग की है कि उन्हें हवाई जहाज की सुविधा दिलाई जाय। हवाई जहाज की सुविधा भी वहां दिलाने वाले हैं। ब्रिगेडियर मानसिंह फौज के आदमी हैं और वे देवरिया में ही काम कर रहे हैं। इतना सब करने के बाद यह आरोप लगाना कि आपने हमीरपुर में यह काम कर लिया और दूसरी जगहों पर यह काम नहीं किया, मेरी समझ में नहीं आता है कहां तक उचित है। व्यक्तिगत आरोप लगाने के पश्चात् आप यह कैसे कहते हैं कि दलगत भावनाओ से ऊपर उठ कर इस विपत्ति का सामना करना चाहते हैं। आपने फर्माया कि ४० करोड़ रुपया का नुकसान हुआ और २८ लाख रुपया ही दिया गया। श्रीमन्, मैं इस बात को तसलीम करता हूं, सभी लोग इस बात को तसलीम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि जितना नुकसान हुआ है उतनी धनराशि देना इस सरकार के लिए ही असंभव नहीं है बल्कि और किसी भी सरकार के लिए सम्भव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बलिया गया और बांध पर गया, परन्तु कुछ लोगों नें कहा कि मैं तो सड़क से घूम कर लौट आया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क ही लौटने की वजह है। घाघरा की तरफ से और गंगा की तरफ से जितने लोग विस्थापित हुए हैं और बाढ़ से प्रभावित हुए ह वे वहां से भाग कर इस सड़क पर आ रहे ह। उसी सड़क से गांवों के नुकसान का अनुमान होता है और गांवों की स्थिति के बारे म भी मालूम होता है। वहीं से यह मालूम होता है कि क्या आवश्यकता है उस क्षत्र की। शायद ही कोई गांव हो जो जलमग्न न हो। जितन लोग मुझ से बन्धे पर मिल और नावों की मांग की, मैंने नावों की व्यवस्था कर दी, किन्हीं को एक और किन्हीं को दो, यह मैं बिला किसी अपवाद के कह रहा हूं। जिनको जितनी नावों की जरूरत थी मेरे सामने रवाना हुई। मैं २८ जुलाई को गया था और उस रोज यह ख्याल था कि यह बन्धा नहीं टूटेगा। वह बन्धा टूटा भी नहीं, मगर बिड़ला बांध टूट गया और इसके टूटने से २० गांव बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस बात की कोशिश की गई कि जितने आदमी लाये जा सकें, उनको लाया जाये और बसाया जाये। यह भी प्रयास है कि उनको स्थायी स्थान दिया जाय। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनके वास्ते छप्पर डालने की व्यवस्था हो। चाहे इलाहाबाद हो, हमीरपुर हो या और कोई जिला हो, बाढ़ के सम्बन्ध में हम इन्तजाम जरुर करेंगे। मैं यह निवेदन कर दूं कि यहां पर मैं अधिकारियों

की वकालत करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। हो सकता है कोई अधिकारी अच्छे न हों और वे अपने कर्त्तव्य का पालन न करते हो। यह दुर्भाग्य है कि हमारे सभी अधिकारी अच्छे नहीं हैं और उन पर हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ एसे अधिकारी हैं जो उतना अच्छा काम नहीं करते हैं। हमीरपुर के बारे में राजस्व मन्त्री को कोई श्रेय नहीं है, श्रेय तो वहां के कलेक्टर को है जिन्होंने स्थिति की गम्भीरता को समझा और फौरन मिलिटरी हेडक्वाटर्स को कनटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि बिला नावों के हमारा काम नहीं चल सकता है।

ान्यवर, इसके पहले जिस रोज वक्तव्य पेश किया गया था तो उस रोज माननीय शम्भूनाथ चौधरी ने मेरे ऊपर लांछन लगाया था कि मैंने अपने वक्तव्य में वहां के इंजीनियर और एस्सिटेंट इंजीनियर की तारीफ कर दी है। आपका यह ख्याल है कि वह भ्रष्ट अधिकारी हैं। आप न कहा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी की हम तारीफ करने जा रहे हैं। श्रीमन्, एसा नहीं है कि इस समय यह देखा जाय कि कौन भ्रष्ट है और कौन नहीं है, लेकिन यह देखना है कि कौन अधिकारी काम कर रहा है। माननीय शम्भूनाथ जी उस समय तक वहां नहीं गय थ लेकिन उन्होंन एसा कहा। हो सकता है उनको इत्तला रही हो और वह भ्रष्ट अधिकारी हो सकते हैं लेकिन बाढ़ के समय उन्होंने जो तोड़ कर काम किया तो क्या यह न कहा जाय। मैं हमीरपुर में गया। वहां के पी० डब्ल्यू० डी० के इन्जीनियर ने मैंने पाया कि अच्छा काम नहीं किया, तो मैंने लिख कर भेज दिया। ....व्यवधान.... तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर इस चर्चा में भाग लेते हुये अगर हम किसी अधिकारी से नाराज हैं इसलिए उस की आलोचना करेंगे तो अच्छा वातावरण पैदा नहीं हो सकता है और न चर्चा ही हो सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बाढ़ में जहां कहीं भी मकान गिरे हैं, उन को हम तकावी देंगे और सबसिडी भी देंगे, जिनको न मिले उसके बारे में मुझे आप लोग बताने की कृपा करें। यहां पर जो कुछ आप कह रहे हैं उस को सूचना मानकर हम कार्यवाही प्रारम्भ कर देंगे लेकिन अधिक अच्छा यह होगा कि आप लोग हमें कान्फिडेंस में लेकर बतलायें कि फलां जगह काम ठीक नहीं हो रहा है। उस पर फौरन कार्यवाही की जावेगी। मैंने श्री मैनेजर सिंह से सिर्फ यही कहा था कि अगर कलेक्टर ठीक काम नहीं कर रहा है तो वह मेरे कमरे में आयें, मैं उनके सामने कलेक्टर को फोन कर दूंगा और यदि वह चाहें तो वह बात कर लें, मैं कलेक्टर से कह दूंगा। मने यह इस दृष्टिकोण से नहीं कहा कि वह हमारी पार्टी क सदस्य थे, किसी भी विरोधी दल के सदस्य की ओर से मुझ कुछ बतलाया जायगा तो मैं उस पर विचार करूंगा। मैं निश्चयपूर्वक यह समझता हूं कि कोई काम नहीं हो सकता है और न कोई भी सरकार चल सकती है अगर हम अपना व्यवहार और दृटिकोण नहीं बदलेंगे। जो भी आलोचना हो कान्सट्रक्टिव होनी चाहिये। ऐसी बातें बतलायी जायें जिससे जो आपत्ति आयी है उसका बुकाबला करने की क्षमता पैदा हो सके। इसलिए मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह इस के लिए तयार रहें और मुझसे अलग-अलग आयें और बात करें, मैं सभी की सुनूंगा। आज आपदा आयी हुई है, तो उस को जल्दी से जल्दी दूर कर करने का प्रयत्न किया जाय, सरकार की पूरी मन्शा यह है कि अधिक से अधिक राहत लोगों को पहुंचायी जाय।

श्रीमन्, आपने भी आलोचना की है कि हम सेन्टर की तरफ देखते हैं। आप भी सरकार में बठे हैं। तो सेन्टर की ओर देखने में कोई ऐसी बात नहीं है कि गुनाह हो। यह ठीक है कि सेन्टर ने अभी सहायता नहीं दी है लेकिन कोई काम रुका तो नहीं है। हम काम तो बराबर करते चले जा रहे हैं। अगर हम काम न करें और आप से कहें कि फलां जगह नाव नहीं भेजेंगे जब तक कि सेन्टर से सहायता न मिल जाय, तो दूसरी बात है। श्रीमन्, जहां तक साधनों का सम्बन्ध है आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के साधन और संसाधन कितने हैं।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

उन संसाधनों के अन्दर कितना काम कर सकते हैं। दो तीन दिन में साधन जुटा दें और ४०, ५० करोड़ रुपया बांट द तो यह सम्भव नहीं है। यह आक्षेप कि सेन्टर की तरफ देखते हैं उचित नहीं है। जो सेन्टर को सहायता देनी चाहिये उस के लिए उन के पास जाते हैं। हम उनसे कहते हैं कि हमारे संसाधन इतने नहीं हैं कि इतनी बड़ी आपत्ति को हम अकेले वहन कर सकें। यह भी आप का ख्याल है कि वहां से पैसा नहीं मिलेगा। पैसा वहां से मिला है और भविष्य में भी मिलेगा। लेकिन उस पैसे के लिए हमारा कोई काम नहीं रुका है। लोगों को सहायता पहुंचाने का काम, उनके पुनर्वास का काम, मकान बनाने का काम, राशन देने का काम, कोई काम रुकेगा नहीं। आप साहबान भी जो बतायेंगे उस के अनुसार भी काम करेंगे।

विभिन्न समितियों के निर्वाचन कार्य-क्रम के संबंध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे सदन को एक सूचना देनी है। लोक लेखा समिति के लिए २१ सदस्य, प्राक्कलन समिति के लिए २५ सदस्य तथा मन्त्रियों को परामर्श देने वाली २५ स्थायी समितियों, प्रत्येक में १६-१६ सदस्यों के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :

१--नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय..	१७ अगस्त, १९७१ को सायंकाल ५ बजे तक।
२--नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय ..	१९ अगस्त, १९७१ को दिन के २ बजे तक सचिव के कमरे में।
३--नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय ..	२३ अगस्त, १९७१ को ११ बजे से ५ बजे तक होगा।

४--निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो विधान वाचनालय में दिनांक ३० अगस्त, १९७१ को ११ बजे से ५ बजे तक होगा।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ के प्रकोप से हुई क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष--

दूसरी सूचना यह है कि १२-१३ जुलाई को जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया था उनके नाम पढ़े देता हूं :--सर्वश्री रामधारी शास्त्री, चन्द्र प्रतापनारायण सिंह, बीप-नारायण त्रिपाठी, बांके लाल, रियासत हुसेन, रामकरण सिंह, नित्यानन्द स्वामी, हरीवंश सहाय, बैजनाथ, माधवप्रसाद त्रिपाठी, शिवराज सिंह, सुरेन्द्र विक्रम, मैनेजर सिंह, शम्भूनाथ चौधरी, इन्द्रमणी, चन्द्रभान शर्मा, शिवकुमार पान्डेय, गोविन्द सिंह, रघुनाथ सिंह, भानुप्रताप सिंह, राजित राम पान्डेय।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

बाढ़ पर हम नहीं बोले थे। छितौनी बांध की डिबेट अलग थी। नियम ५१ में हमने प्रश्न दिया है। हरिद्वार में सारी सड़क टूट रही है।

श्री उपाध्यक्ष---

जिन्होंने सूचना दी है उनको न मौका मिले क्या ?

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं केवल पांच मिनट बोलूंगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

कुछ माननीय सदस्यों को सम्बद्ध विषय पर समय मिल चुका है । जो माननीय सदस्य आज के हस्ताक्षरी हैं उन्हें समय मिलने में कठिनाई होगी ।

(व्यवधान) ।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

एक-एक स्पीकर को इतना टाइम दे देते हैं कि वह १५ से १८ मिनट ले लेता है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आपने लिखकर भी भेजा है । आपको समय मिला है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

(व्यवधान) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने चर्चा में २-३ को भाग नहीं लिया था लेकिन...

श्री उपाध्यक्ष---

१२-१३ जुलाई की बात मैं बता रहा था...(व्यवधान) आप कृपा करके आसन ग्रहण करें ।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

जिन जिलों में मुस्तकिल हानि हुई है...

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इस तरह से समय नहीं दूंगा, यह गलत तरीका है ।

*श्री राम प्यारे---

मान्यवर, सारा सदन यह जानता है कि मिर्जापुर एक ऐसा जनपद है जो सदा ही प्राकृतिक आपदाओं से बरबाद होता रहा है । सन् ६६ में माननीय राजस्व मन्त्री जी ने मिर्जापुर जनपद के तमाम गांवों का दौरा किया था और वहां की कठिनाइयों को समझा था । वहां पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम पियारे]

सोन नदी और गंगा के कारण आज अभूतपूर्व बाढ़ आयी हुई है और ४५० गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मैं वहां के जिलाधिकारियों की नीयत पर हमला नहीं करता, वे अपना काम तो कर रहे हैं, वे तत्पर हैं, मगर जो सहायता यहां से दी जा रही है वह बहुत कम है, वह नगण्य है जिसके कारण वे अपने को असमर्थ पाते हैं। उन लोगों के लिए जो बाढ़-ग्रस्त हैं, बहुत कम सहायता दी जा रही है। उनके खाने-पीने का भी उचित प्रबन्ध नहीं हो पा रहा है। मिर्जापुर के संसाधनों को देखते हुए, वहां पर बाढ़ की भीषण स्थिति को देखते हुये, मैं सरकार से मांग करता हूं कि सहायता और अधिक बढ़ायी जाय। इसके पहले दिन मैं वहां गया भी था और वहां पर मीटिंग में जिलाधिकारी से हम लोगों ने कहा भी था कि सहायता अधिक मांगी जाय। आज मान्यवर, किसी को ५ रुपया, किसी को १० रुपया मिल रहा है। आप सोच सकते हैं कि जिसका मकान बह गया हो, सारी फसल नष्ट हो गयी हो, वह ५–१० रुपये से क्या कर सकता है? उनके लिए टेन्ट लगवायें जायं और उनके रहने की उचित व्यवस्था करायी जाय।

मान्यवर, मिर्जापुर में ५ जून से लगातार वर्षा हो रही है। इस असामयिक अतिवृष्टि के कारण केवल बाढ़ का क्षेत्र ही नहीं, अन्य पूरे क्षेत्र में भी फसल बुरी तरह नष्ट हो गयी है और सैकड़ों मकान गिर गये हैं। एक ओर बाढ़ से क्षति हुई है, दूसरी ओर जहां बाढ़ नहीं आयी है, वहां अतिवृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ है। सरकार को चाहिये कि वह वहां के जिलाधीशों को आदेश दे कि वह सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराये और अतिवृष्टि से जो गांवों में घिर गय ह, उनकी भी सहायता करें और जहां फसल नष्ट हो गयी है उसके लिए वह तकावी तथा अन्य सुविधायें दें। कृष्णानन्द राय जी की जो बातों का अभी उत्तर दिया गया, उन्होंने बड़ी मौलिक बात उठायी कि जो पिछड़े जिले हैं, जो सदा दैवी प्रकोप से पीड़ित होते रहते हैं, उनको सरकार अविलम्ब अकाल जिले घोषित करे। नहीं तो ऐसी स्थिति आने वाली है जो आपके संभाले नहीं संभलेगी, स्थिति आप की शक्ति के बाहर हो जायगी। रबी की हालत क्या होगी, लेकिन जो खरीफ की हालत है, उसको देखकर मैं कह सकता हूं मिर्जापुर से दुद्धी और राबर्ट्सगंज में स्थायी रूप से अकाल की स्थिति पैदा हो गयी है जहां गंगा की बाढ़ का प्रकोप है, वह ५–६ दिन से बिलकुल स्थिर है, वह बिलकुल कम नहीं हो रहा है। उस से गांव वालों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। जो लोग इधर-उधर हटाये गये हैं, उन की सुरक्षा का, खाने पीने का, रोशनी का और दवादारू का प्रबन्ध होना चाहिये। नये तरीके से—युद्ध स्तर पर आप उन की मदद करने के लिए तैयार हों तभी वहां का जनजीवन बचाया जा सकता है। मैं मन्त्री जी को कुछ रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूं। जो आपने धन दिया है, वह काफी नहीं है, उसमें वृद्धि की जाए। आप जिलाधिकारी को कहें कि वह शेड्स बनाने के लिए, झोंपड़े बनाने के लिए, हर प्रकार से उन की मदद करे, जहां के रास्ते अवरुद्ध हो गय ह, वहां पर नावों की व्यवस्था करे, जिससे वह वहां पर आ जा सकें और अपनी कठिनाइयों को आप तक पहुंचा सकें।

आप वहां के स्कूल कालेजों को बन्द कर दें, चूंकि वहां पढ़ाई नहीं हो सकती है। मन्त्री जी आज सदन में ऐलान करें कि जो बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र के पढ़ने वाले लड़के हैं उन की फीस माफ कर दी जायेगी। इस के अलावा आप यही घोषणा कर कि जिन्होंने तकावी या दूसरे प्रकार के कर्ज ले रखे हैं उन को माफ कर दिया जायगा। स्थगित करने से काम नहीं चलेगा, स्थगित करने से हमारे जनपद के लोगों की रीढ़ ही टूट गयी है, क्योंकि हर साल बाढ़, सूखा, अकाल आता है और उन के लिए पिछला बकाया अदा करना असम्भव रहता है। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप मिर्जापुर की स्थिति को देखते हुये उन के कर्ज और तकावी माफ करने की घोषणा करें।

(श्री कल्पनाथ सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री चन्द्रभान शर्मा--

मुरादाबाद में २ करोड़ का नुकसान हुआ है, उस पर···

श्री नित्यानन्द स्वामी--

यह ऐसा प्रश्न है जो केवल कुछ जिलों का नहीं है । जैसे मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेन्ट करता हूं, आप भले ही ५–५ मिनट दे दें, लेकिन सबको दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपने दल से नाम भेज दें ।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप देख लें, नियम ५१ में मेरा नाम है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

जिनके नाम मैंने अभी लिये हैं, जो बोल चुके हैं, यदि समय मिलेगा तो हम उनको भी समय देंगे । आप लोग अब बैठ जाइये ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपके सचिवालय ने मेरा नाम गलत छाप दिया है, रामगोपाल सिंह कर दिया है । सचिवालय को निर्देश दें कि गलत नाम न छापें ।

श्री उपाध्यक्ष--

गलत नहीं छपेगा । शुद्ध कर दिया जायगा । "राम गोपाल संड" नाम है ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

५२ में जिनकी सूचना है उन्हें तो समय देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

दे रहे हैं । लेकिन चलने नहीं देते हैं ।

चौधरी रामपालसिंह यादव (जिला कानपुर)--

हमारा भी नाम ५१ में बाढ़ के सम्बन्ध में है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री बैजनाथ (जिला वाराणसी)--

वाराणसी में बाढ़ का बड़ा भारी प्रकोप है । दो मिनट का समय वाराणसी के ऊपर प्रकाश डालने के लिए जरूर दे दें क्योंकि वहीं के पंडित जी रहने वाले हैं, कोई व्यवस्था वहां पर नहीं कर रहे हैं । वहां की बात कहने के लिए दो मिनट का समय जरूर दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने कहा आप अपने दल से क्यों नाम नहीं भेजवा देते हैं ? दो मिनट के बजाय पांच मिनट समय दे दूंगा ।

श्री बैजनाथ (वाराणसी)---

दल के लोग क्या करेंगे, इससे मुझे मतलब नहीं है । मैं आप से प्रार्थना कर रहा हूं । आप दो मिनट का समय दे दीजिये ।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)---

उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि हाउस में व्यवस्था के नाम पर, अव्यवस्था होती है । जब तक आप इजाजत न दें, मान्यवर, यह प्रक्रिया नियमावली में भी है, आप के पास भी है और मेरे पास भी है, आप जब तक माननीय सदस्य का नाम न लें, तब तक व्यवस्था कह कर बोलने लगते हैं इस तरह से हाउस की प्रक्रिया नहीं चल सकती, व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था फैलती है । आप व्यवस्था दें कि आप नाम लें तब आदमी बोल सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

व्यवस्था की बात आपने ठीक उठायी लेकिन गलत ढंग से उठायी । मैंने आपको नहीं बुलाया था लेकिन आप व्यवस्था कह के बोलने लगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शुक्रगुजार हूं राजस्व मन्त्री का जिन्होंने इस बात का प्रयास किया लोगों को समझाने का कि वह किसी प्रकार दलीय भावना से प्रेरित नहीं होंगे । मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने माननीय कृष्णानन्द राय के भाषण में राजनीति की गन्ध पायी हो तो वह मेहरबानी करके इस बात को छोड़ दें । लेकिन इतनी बात सही है चाहे मन्त्री जी के मन में यह बात हो या न हो, लेकिन जिस तरह से इस सरकार का बरताव है, विरोधी दल के सदस्यों के साथ, इस माननीय सदन में ही जिस तरह का बरताव किया जा रहा है उसको देखते हुये जिला का अधिकारी यह समझता है कि इस आदमी के ऊपर माननीय मुख्य मन्त्री जी की या इस सरकार की कृपा नहीं है और उस के साथ नहीं है तो दूसरे जो मतदाता हैं, उनके साथ भी उसी प्रकार के मतभेद करने की बात उसके दिमाग में आ सकती है । मेहरबानी करके हमारे साथ आप जितनी ज्यादती आप कर पायें कर लीजिये, लेकिन आप जो विचार रखते हैं बाढ़ के सम्बन्ध में मैं उनका स्वागत करता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि हरगिज-हरगिज इस बात को....

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे साथ अन्याय न करें, बल्कि अगर यह कहना उचित हो तो निवेदन करूं कि अन्याय ही नहीं अत्याचार न करें, क्योंकि यह कहना कि विरोधी दलों के साथ जैसा बरताव हो रहा है, विरोधी दल के साथ वैसा बरताव हो रहा है, वैसा करना चाहता हूं, वैसा करूंगा जैसा अपने साथियों के साथ करता हूं ।

*श्री कल्पनाथ सिंह---

मुझे प्रसन्नता है अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी की ऐसी भावना है । मैं वह बात छोड़ देता हूं । अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी जानना चाहेंगे तो मैं उस बात को बता दूंगा ।

लेकिन, श्रीमन्, मैं तो दूसरी ही बात कह रहा था और वह यह है कि जो इमरजेंसी रिलीफ कमेटियां जिलों में बनी हुई हैं, जो इस काम को जिला स्तर पर करती हैं उनके सम्बन्ध में मेरा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सुझाव है कि स्टेट लेविल पर भी इस समस्या को सुलझाने के लिए आपस में सलाह-मशविरा करने हेतु एक समिति बना दी जाय, जो ठीक उसी प्रकार काम करें जिस प्रकार कि जब कोई बिल इस सदन में आता है और उस पर विचार-विमर्श के लिए एक सेलेक्ट कमेटी बना दी जाती है और तब वह अपनी रिपोर्ट इस सदन को देती है । तो मेरा सुझाव है कि माननीय राजस्व मन्त्री जी और माननीय मुख्य मन्त्री जी इस काम के लिए इस सदन की एक कमेटी बना दें, क्योंकि इस सदन में सभी माननीय सदस्य अपनी बात इस सम्बन्ध में कहना चाहते हैं और सभी अपने-अपने दुःख-दर्द को आपके सामने रखना चाहते हैं । तो जो भी माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अपनी बात कहना चाहें, जो भी चिट्ठी या रिपोर्ट पढ़ना चाहें, वह उस कमेटी के सामने आ जायेंगी और उसके बाद वह रिपोर्ट सरकार के पास भी आ जायेगी और फिर यह सदन भी उस पर विचार कर सकेगा । एक निवेदन माननीय राजस्व मन्त्री जी से यह भी करना चाहता हूं कि यह सही है, मैं इन्कार नहीं करता कि जो रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो रही हैं हमीरपुर जिले या किसी अन्य जिले की, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, किन्तु सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि गोरखपुर, बलिया, देवरिया या बनारस में बाढ़ इससे पूर्व जितना आयी हो, वह इस साल से अधिक हो, किन्तु कहीं-कहीं यह भी है कि वह बाढ़ इससे पूर्व आई हुई बाढ़ों से अधिक हो । उसका स्तर ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता । सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले देवरिया में घाघरा नदी के द्वारा कटाव की भीषण समस्या उत्पन्न हो गयी है । लोग वहां पर बे घरबार हो गये हैं और यहां तक कि लोगों के लिए भोजन का प्रश्न भी पैदा हो गया है, क्योंकि कटाव के कारण उनके घर और जायदाद पानी में विलीन हो गये हैं । अतः मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो रिपोर्ट देते हैं उसमें अगर आप देखें, तो गोरखपुर जिले में क्षतिग्रस्त घरों की संख्या ४७० है । ये ४७० तो वे घर हैं जो अब तक क्षतिग्रस्त हुये हैं और उसके बाद भी कटाव ज्यों का त्यों बढ़ता जा रहा है । लोगों के घर उजड़ते जा रहे हैं । अतः मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहूंगा कि जिन लोगों के लिए भोजन की समस्या पैदा हो गई है, छप्पर उजड़ गये हैं उनको कम से कम रहने भर तक के लिए कोई कोई व्यवस्था करादें । इस तरफ सरकार क ध्यान जाना चाहिये । देवरिया जिले में आप देखें एक गांव बिलकुल मेरी कांस्टीट्यूएन्सी से सटा हुआ और लगा हुआ है उसका नाम है नगवाखास । उस गांव के इस बाढ़ से दो हिस्से हो गये हैं । वहां के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि जब हम वहां गये तो वहां की स्थिति बड़ी दयनीय और भयंकर हो रही है । इसी प्रकार की स्थिति हमारे जिले में भी गांवों की हो गई है । लेकिन ऐसे भी गांव हैं जो नदियों और नालों के बीच में बस जाते हैं क्योंकि उसके उत्तर में गंडक, बीच में राप्ती और दक्षिण में घाघरा और उसके बीच छोटी-छोटी आमी, राप्ती कुआनों आदि नदियां हैं । तो गोरखपुर जिला नदियों के बीच में बसा हुआ है उसकी स्थिति यह है कि एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ कटाव की समस्या खड़ी हो गई है ।

एक निवेदन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं कि हमारे जिले में कुछ बांध बनाये गये टस्ट वर्क से, और उन सभी बांधों की अपनी-अपनी उपयोगिता है ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने बलिया के बेरिया बांध की उपयोगिता कबल की है कि वह बांध हिफाजत का काम कर रहा है ऐसा उन्होंने कबूल किया है । श्रीमन्, इसी प्रकार और कई बांध हमारे जिले में हैं जो बावजूद इसके कि वह सरकारी नहीं हैं, उनका रख-रखाव सरकार की तरफ से नहीं होता,लेकिन या तो वे श्रमदान द्वारा बनाये गये हैं या टेस्ट वर्क द्वारा बनाये गये हैं सरकार की देख-रेख में । जहां तक मैं समझता हूं इन पर सरकार ने काम कराया तो इनके मेन्टीनेन्स की जिम्मेदारी सरकार पर है । क्षेत्र समिति, जिला परिषद् इस स्थिति में नहीं है कि वे उसका बचाव करें । सेवरा नाले पर कोयला खाल, सेमरा और ददरी सेमरा बांध है और फरेंदा तहसील में २–३ बांध हैं, राप्ती के किनारे क बांध ऐसे हैं जिनसे काफी बचाव का काम हो

[श्री कल्पनाथ सिंह]

रहा है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिला अधिकारियों को आप इस सिलसिले में हिदायत दे दें कि वह इस बात को देखें कि ये किसी तरह भी टूटने न पायें। क्योंकि बाढ़ का दौर लम्बा है, सितम्बर के आखिर तक खतरा बना रहता है। खास तौर से गोरखपुर के जिला अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दिला दें कि इनको देखें और जहां तक संभव हो सके उनको बचाने की कोशिश करें। जिलाधिकारियों के मार्ग में पैसे की बाधा आ सकती है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जिलाधिकारी का हाथ इतना छोड़ दिया जाय, इतना पैसा दे दिया जायकि वह खर्चा करके यदि उसको बचा सकता है तो पचाये और यदि कहीं कोई मरम्मत का काम तत्काल किया जा सकता है तो कर दें।

एक निवेदन और है कि आज जैसा कि रामधारी जी ने कहा कि बाढ़ पीड़ित इलाकों के विद्यार्थियों की फीस की व्यवस्था, चारे की समस्या, अनाज की समस्या, काम की समस्या ये सर्वोपरि बनी हुई हैं और आप जल्दी से जल्दी अगर कैश प्रोग्राम को उस इलाके में चालू कर जहां काम दिया जा सकता है बगैर इसका इंतजार किये कि रिपोर्ट आती है या नहीं, तुरन्त जिलाधिकारियों से बाढ़ पीड़ित इलाकों में टेस्टवर्क चालू करें जोकि कैश प्रोग्राम कम्युनिटी डेवलपमेन्ट के माध्यम से चल रहा है, उसको चला कर अविलम्ब काम दे दें। यह नहीं कि सौ आदमियों को ब्लाक में काम दे दिया। जिनने भी उस काम पर आना चाहें उन सब लोगों को काम पर लगाने की व्यवस्था होनी चाहिये। यह मेरा माननीय मंत्री जी, सरकार और मुख्य मंत्री जो सब लोगों से निवेदन है कि मेहरबानी करके आप इस समस्या को ऐसे रूप में लीजिये मालूम हो सके कि यह सचमुच ऐसी समस्या है जिसपर हमारी सरकार, विधान सभा का और सूबे का दरामोदार है।

*श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश-व्यापी बाढ़ के संदर्भ में जिले इटावा में दो भयंकर नदियों में बाढ़ आई हुई है। राजस्व मंत्री जी को मालूम होगा कि इटावा में ही चम्बल और कुंवारी नदियां पचनदा स्थान पर मिलती हैं वहां से लेकर केओंटरा तक २५ मील के बीच में यमुना नदी ने जो प्रलयंकर रूप धारण किया है उसका प्रभाव हरौली, केथाली और किरयावली से लेकर हरैया तक है। केओंटारा हमारी हरैया तहसील का सब से बड़ा गांव है, ६,००० आबादी है और कभी भी आज तक का रेकार्ड है कि वहां कभी भी यमुना का पानी नहीं आया। इस बार वहां भी प्रवेश कर गया और नदी के किनारे के ६५ हरिजनों के मकान खंडहर बन गये। उनको खंडहरों की शक्ल में मैं स्वयं देख कर आया हूं। उनके मकानों में जो उन्होंने लावनी करके थोड़ा बहुत गल्ला था अब हालत यह है कि उनके पास एक दाना नहीं है, न पहिनने को कपड़ा, न बच्चों के रहने की व्यवस्था है। जिलाधिकारियों ने जो आंकड़े भेजे हैं उनपर आप भरोसा करते हैं। वर्षा के कारण तभी से खलिहानों में गल्ला सड़ गया था, उसके जो आंकड़े उन्होंने भेजे, राजस्व मंत्री को संभवतः मालूम होगा कि उनके दल के लोगों ने भी उन गलत आंकड़ों के विरोध में गत ३० तारीख को प्रदर्शन भी किया था और वह गलत आंकड़े भेजने की वजह से बहुत अर्से तक लगान की वसूली मुल्तवी नहीं हो सकी। जब माननीय राजस्व मंत्री जी का इधर ध्यान दिलाया गया तो कहीं जाकर लगान की वसूली मुल्तवी हुई। लेकिन आबपाशी और तकावी की वसूली अब भी सख्ती के साथ जारी है। मैंने पिछले दिनों माननीय उप मंत्री जी से मिल कर कुछ गांवों में जबर्दस्ती लगाये गये तावान की वसूली को रोकने के लिये निवेदन किया था और उन्होंने इसका आश्वासन भी दिया था कि इसकी वसूली को स्थगित करेंगे और जांच करायेंगे। लेकिन इसके बावजूद सख्ती के साथ, नेहगवां गांव में जहां का गल्ला सड़ गया है, तावान की वसूली जारी है।

यमुना की बाढ़ के साथ साथ क्वारी नदी के पास जो औरया तहसील के गांव हैं चौरेला से लेकर जहां यमुना में क्वारी नदी मिलती है वहां फसल बहुत बड़ी तादाद में बर्बाद हुई है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसानों ने जो चारा अपने जानवरों के खाने के लिये बोया था वह बर्बाद हो गया है। उनके खेतों में कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। जानवर भी बड़ी बुरी हालत में हैं। भयंकर बाढ़ और तबाही से मवेशियों में रोग फैल रहा है और सैकड़ों गाय, बैल मर चुके हैं और हजारों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है और जो आंकड़े पेश किये गये ह वह बिलकुल गलत हैभ्रम में डालने वाले हैं। मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इटावा जिले के उस इलाके में यानी यमुना और क्वारी के बीच में बसे हुए ग्रामों में जहां सैकड़ों घर बर्बाद हुए हैं, वहां सभी प्रकार की वसूली को स्थगित करेंगे। जहां हरिजनों के रहने के लिये कोई स्थान नहीं रह गया है वहां पर जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा था कि वे छप्पर की व्यवस्था करने के लिये तैयार हैं तो वे इन हरिजनों के रहने के लिये ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करें।

जिलाधिकारी जो वहां पर गये हैं वे ५–५ रुपये दे आये हैं और उन्होंने उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं निवेदन करूंगा कि जिन लोगों के लिये रहने की कोई व्यवस्था नहीं है उनके लिये छप्पर आदि की व्यवस्था करें। इसके साथ ही साथ उनके खाने के लिये तकाबी के रूप में अन्न की व्यवस्था करें। आज उनके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और दूसरे ड्यूज की वसूली जारी है उसको स्थगित करने की कृपा करें।

यहां बताया गया है कि ४३ हजार रुपये के घरों का नुकसान हुआ है। इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि छोटे से छोटा मकान भी एक हजार रुपये में नहीं बन सकता है। जिलाधिकारियों ने केवल ४३ हजार के घरों का नुवसान हुआ है। फसलों का ४.३८ लाख का नुवसान हुआ है, २२३ घर गिरे हैं। अब यह सोचने की बात है कि ये घर कितने में बनेंगे। इसका अन्दाजा राजस्व मंत्री जी लगा सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अधिकारियों ने जिस तरहसे गलत आंकड़े दे कर सरकार को भरमाया है जिसके कारण लगान आदि की वसूलीमें गरीब किसानों के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है। इसके लिये अधिकारी दोषी है। उसी तरह से जो नुवसान वर्षा से हुआ और जो गलत आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उसको देखने का कष्ट करें।

हमारे जिले में बाबरपुर से लेकर दिबियापुर जाने वाली १६ मील लम्बी सड़क पानी में डूबी हुई है। दिबियापुर, फंफूद आदि जगहों पर पानी भरा हुआ है। इस सड़क पर यातायात भी ठप्प हो गया और कई कई फुट गहरे गड्ढे हो गये हैं। इस पानी को निकालने के लिये जिलाधिकारियों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। बहुत से यात्री घायल हो गये, बहुत सी बसें पानी में फंस गई और सड़क पर से पानी निकालने की दिशा में अधिकारियों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान उस अव्यवस्था की ओर दिलाते हुए कहता हूं कि जिस तरह से बुलन्दशहर का इलाका पिछड़ा हुआ है उसी प्रकार से यह भी पिछड़ा हुआ इलाका है और यमुना चंबल की बाढ़ में आ जाता है। यहां पर लोगों को खाने और रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां के गरीब और बेरोजगार हरिजनों के कोई रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी––

(श्री महीपाल का नाम पुकारे जाने पर) हमारे यहां सारे क्षेत्र में बाढ़ आयी हुई है। मुझे आप दो तीन मिनट का समय दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष––

जो पहले बोल चुके हैं उनको बाद में समय दिया जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी––

वह तो एक टैक्नीकल डिफेक्ट की वजह से था और उसी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था। यह सारे प्रदेश में आयी बाढ़ से संबंधित है।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी तो जिन्होंने सूचना दी है उसमें से श्री विश्वनाथ कपूर, श्री बंशीधर पांडेय, श्री रामकुंवर सिंह आदि कई लोग यहां बैठे हुए हैं। इनके अलावा कांग्रेस की ओर से श्री राम लखन जी का नाम आया है। ३ नाम और आये हैं---(व्यवधान) श्री वीरेन्द्र वर्मा, श्री महीलाल और श्री त्रिलोक चन्द के।

(व्यवधान)

श्री राम गोपाल संड का नाम तो है, वे क्यों खड़े हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमान, मेरा नियम ५२ आपने स्वीकार किया है। मैंने कहा है कि हरद्वार-ऋषीकेश रोड कट रही है। सारे पर्वतीय क्षेत्र का संबंध टूट गया। अगर स्वीकार किया है तो समय दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य जानते हैं कि केवल एक स्वीकार किया जाता है और बाकी के नाम उसके साथ जोड़ दिया जाते हैं। मैं माननीय महीलाल जी को बुला चुका हूं। २-२, ४-४ मिनट देने की कोशिश करूंगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादबाद)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। जिन माननीय सदस्यों ने १२ तारीख को छितौनी बांध के बारे में बोल लिया है। वह तो एक निश्चित प्रश्न के संबंध में था। इसको आपने नियम ५२ में स्वीकार किया है और यह समस्त प्रान्त की बाढ़ के विषय में है। इन दोनों को आप क्यों जोड़ रहे हैं। आप उन लोगों को बोलने का मौका क्यों नहीं देना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं किसी को बोलने से वंचित नहीं करना चाहता लेकिन जिन्होंने सूचना दी है उनको प्राथमिकता तो देनी ही होगी। जो कभी नहीं बोलते हैं उनको भी प्राथमिकता देनी होगी। दूसरे वे लोग हैं जो किसी संबद्ध विषय पर बोल चुके हैं। यह मैं मानता हूं कि उनको भी बोलने का अधिकार है लेकिन समय मिला तो।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन---

इधर से कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं और सरकार की नीति की आलोचना कर चुके हैं। इस तरफ के किसी भी माननीय सदस्य को, मंत्री जी के अलावा, मौका नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर समय मिला तो आपको दे दूंगा।

श्री रियासत हुसैन---

इस तरफ के बैठने वालों को आप मौका तब देंगे, जब समय मिलेगा ?

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ कपूर---

सरकारी बेंचों पर तो इस समय केवल ६ सदस्य ही बैठे हैं। सरकारी पक्ष को इस बाढ़ के मामले में कितनी दिलचस्पी है, यह तो स्पष्ट ही है।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

इन्हें बाढ़ में कोई दिलचस्पी नहीं है।

(व्यवधान—कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको समय दिया जाता है। जब आपका नाम नहीं भी था तब भी आपको समय मिला।

*श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—

मैं सब से पहले तो अपने साथियों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कृपया मुझे अपनी बात कह लेने दें। रियासत हुसैन साहब से तो यह कहूंगा कि उनकी स्थिति अब बदल गयी है, वह शासक दल के हैं, वह तो अपने मन की बात मंत्री जी के कान में कह लेंगे और मनवा भी लेंगे। वह भूल जांय कि अब वह विरोधी दल के हैं। इसलिये हम लोगों का ज्यादा समय न लें।

मान्यवर, दुर्भाग्य से मैं ऐसे जिले से आता हूं जो प्रति वर्ष बाढ़ से पीढ़ित होता है और मुझे यह कहते हुये और भी अफसोस है कि मैं स्वयं एक बाढ़ पीढ़ित क्षेत्र का निवासी हूं। मेरा घर भी बह गया है और जमीन भी कट गयी है इसलिये स्वयं अनुभवी हूं उन तमाम परिस्थितियों का जो बाढ़ पीड़ित पर बीतती हैं। केवल मौखिक सहानुभूति से बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं होने वाली है। मुझे क्षमा करें, जैसा कि कल्पनाथ सिंह जी ने भी कहा, माननीय मंत्री जी ने भी कहा, यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिसको राजनैतिक दृष्टि से देखा जाय। हमारा काम यह होना चाहिये कि हम शासन के सामने अपने ठोस सुझाव रखें, दो भागों में बांट कर। एक तो यह कि तत्कालीन क्या सहायता बाढ़ पीड़ितों की की जा सकती है और शासन को क्या करना चाहिये और दूसरे यह कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लिये स्थायी रूप से ऐसे कौन से कार्य हो सकते हैं जिससे हमारे भाई जो बाढ़ से प्रति वर्ष पीड़ित होते हैं और जो इस वर्ष विशेष रूप से हुए हैं, वह उससे बच सकें। चाहे शासक दल के लोग हों, चाहे विरोधी दल के लोग हों, दुखी परिवारों से हम सब को समान हमदर्दी है। इसलिये दुखी लोगों की स्थिति पर हमें उसी गम्भीरता से विचार करना चाहिये जितना गम्भीर यह प्रश्न है। केवल अखबारों में हमारा नाम आ जाय, हमें बोलने का मौका मिल जाय, अपने क्षेत्र के लोगों को दिखा दें कि हम भी बोले थे, उससे मेरे जैसे बाढ़ पीड़ितों की सहायता होने वाली नहीं हैं।

मैं अपनी बात का पहला भाग यहां से शुरू करता हूं कि तत्कालीन सहायता क्या होनी चाहिये। पहली बात तो यह है कि जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के विद्यार्थी इस वक्त शिक्षा संस्थाओं में पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा में धन की कमी के कारण या आने-जाने के मार्ग में अवरोध के कारण बाधा नहीं पड़नी चाहिये। माननीय मंत्री जी को अबिलम्ब ऐसा आदेश करना चाहिये जिससे शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के रास्ते में जो आर्थिक कठिनाइयां हैं वह समाप्त हो जांय। जिलाधीश शिक्षा संस्थाओं को सूचना दे दें कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिये उनकी किताबों की, फीस की वह व्यवस्था करेगा और उनके स्कूल आने जाने के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिये शहर में जहां वह शिक्षा संस्थायें हैं अस्थायी रहने की व्यवस्था कर दी जाय।

दूसरे, गांवों में जब पानी आता है तो सब से पहली बात यह आती है कि अपनी और अपने बच्चों की जान कैसे बचाई जाय। सन् २४ की बाढ़ जब आयी थी उस समय मैं ५ साल का था। तो पेड़ पर चढ़ा कर सब से पहले अपनी और हम बच्चों की जान की रक्षा की, न घर की परवाह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महीलाल]

की, न जानवरों की परवाह की और न सम्पत्ति की परवाह की। माननीय, मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री जी जानते हैं कि इस साल हमारे प्रदेश में इतनी अतिवृष्टि हुई थी और शुरू में हुई थी कि जिसका भय शासन के सामने पहले से था कि बाढ़ आयेगी लेकिन नाव की जो सुविधा होनी चाहिये थी वह नहीं की गई। जहां तक मेरी जानकारी है जिलों के स्तर पर बाढ़ समिति की मीटिंग पहले से नहीं बुलाई गई.....

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

मैं एक स्पष्टीकरण माननीय सदस्य से चाहता हूं कि आपके घर में बाढ़ आई और आप बाढ़-पीड़ित हैं उसके बाद यहां पर बोलने के लिये इतने हट्टे-कट्टे तगड़े हैं कि अगर बाढ़ न आई होती तो खुदा जानें क्या करते ?

श्री महीलाल--

यह तो मेरे मित्र जो उधर बैठते हैं उस बात की मुझे खुशी है। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जब पानी उतर जाता है तो लोग पेड़ों से नीचे आते हैं और आबादी में जल भरा रहता है। तो ऊंची जमीन की तलाश होती है। एक ऐक्ट हमारे यहां फ्लेड रिलीफ ऐक्ट बना हुआ है। उसमें एस० डी० एम० को पावर है कि उनके बसाने के लिये जमीन एक्वायर करे और उनको बसाये। मेरा अनुभव यह है कि उसमें लापरवाही होती है। एस० डी० एम० अपनी जिम्मेदारी अनुभव नहीं करते हैं। अगर किसी बड़े आदमी की जमीन है तो ३, ३ साल तक लोगों को बसाने का मौका नहीं मिलता है। इसलिये मन्त्री जी को इस तरफ ध्यान करना चाहिये और इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिये कि जो जमीन ऊंची से ऊंची मिल सकती है उसको लेकर लोगों को आबाद कर दिया जाय।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि पूर्वी जिलों में गांवों को ऊंचा करने की एक स्कीम कई साल पहले चली थी। तब हमारे मुख्य मंत्री सिंचाई मंत्री थे। उस पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ था। पूर्वी जिलों में कागज पर गांव ऊंचे किये गये। और रुपया नेताओं की जेब में चला गया। तो जरूरत इस बात की है कि जो रुपया यहां से जाता है वह पूरा का पूरा बाढ़पीड़ितों के पास पहुंचता है या नहीं इस बात का पता लगाना जरूरी है और इसका चेक होना चाहिये। अगर इस काम में शासक दल के लोग और इधर के लोग तथा नान आफिशियल भी मिलकर काम करें तो यह काम हो सकता है। इस बात का पता लगाया जाय कि पैसा पहुंचा या नहीं। इसकी तरफ ध्यान रहना चाहिये।

२०० करोड़ रुपये का नुकसान मुरादाबाद में दिखाया गया है। गंगा, रामगंगा, कोसी नदियों से यह जिला घिरा है और वहां पर बाढ़ हर साल आती रहती है। हसनपुर तहसील में कभी एक काली कमली वाले बाबा पैदा हुये थे। उन्होंने वहां पर अपने श्रमदान से एक बांध बनवाया था जिससे लाखों व्यक्तियों की रक्षा हुई थी। अब उसी से वहां पर लोगों को राहत मिलती है। मेरा निवेदन यह है कि यह जो कैश प्रोग्राम गवर्नमेंट आफ इंडिया का है ६ करोड़ जो स्टेट को देते है तो उस रुपये को बांध के लिये खर्च कराया जाय और उस पूरे के पूरे रुपये को बाढ़पीड़ितों पर खर्च किया जाय जिससे उन लोगों की रक्षा हो और जो उनको तकलीफ होती है वह भी दूर हो।

*श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। पारसाल बड़ी भारी बाढ़ इलाहाबाद में आई थी। उस समय जो इस प्रदेश के मुख्य मंत्री चरण सिंह जी थे उनके समय में वह आई थी। मैं कल्पमाथ सिंह जी को याद दिलाऊं कि वह ६९ नहीं था बल्कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

७० था। माननीय इन्दिरा गांधी जी २४ अगस्त को इलाहाबाद पधारीं थीं। वहां से कमलापति जी त्रिपाठी उनको लेकर रायबरेली चले आये थे। उस साल १ करोड़ रुपये की इलाहाबाद के अन्दर क्षति हुई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जब वहां जलील साहब गये तो वहां के लोग समझते थे कि विरोधी दल के लोगों को भी जिलाधीश साथ ले चलेंगे और जिन गांवों के ऊपर बाढ़ का प्रकोप हुआ है जिनके नाम लालापुर, मझियारी, अरैल, लवायन कलां, केनुवां, ओठगी तराई।

इन गांवों में तमाम लोगों के मकान गिर गये हैं और सारा सामान उनका क्षतिग्रस्त हो हो गया है। नार्दन इंडिया पत्रिका और डी० एम० की विज्ञप्ति में ५ हजार छपा है जब कि इलाहाबाद के जो १४ निर्वाचन क्षेत्र हैं वहां बहुत हानि हुई है। माननीय राजेन्द्र कुमारी जी बाजपेयी यहां से चली गयीं उनके निर्वाचन क्षेत्र में भी इलाहाबाद शहर के ममफोर्डगंज में भी नाव चली और मालवीय नगर की जो एक घनी बस्ती है उसके तीन चौथाई भाग में पानी भर गया और बहुत बड़ा नुकसान वहां के लोगों का हुआ है। हमने एक ठोस योजना आनन्द भवन में जाकर इन्दिरा जी के सामने रखी उस समय विरोधी दल के सदस्य भी थे और उन्होंने सबके सामने वादा भी किया था कि इलाहाबाद में बांध को ऊंचा करने के लिये १ करोड़ रुपया जहां से पानी इलाहाबाद में घुसता है उसको रोकने के लिये और पम्पिंग सेट से निकालने के लिये केन्द्र से दिलायेंगी लेकिन बड़े दुःख की बात है कि केन्द्र की यह नीति है कि प्रदेश की सरकारों के साथ पक्षपात होता है और जैसा कि श्री कृष्णानन्द राय जी ने भी कहा था कि तामिलनाद की सरकार को पिछली बार २४ करोड़ रुपया दिया गया और हमारा प्रदेश जो तामिलनाड से ढाई तीन गुना बड़ा है और जिस की आबादी भी तिगुनी है वहां कुछ नहीं दिया गया। हमारे यहां बलिया बेरिया बांध के लिये ५० करोड़ रुपया, छतौनी बांध के लिये ५० करोड़ रुपया और अन्य सहायता कार्यों के लिये जो छोटी अन्य नदियों का प्रकोप है उसके लिये ५० करोड़ की आवश्यकता हैं लेकिन कोई विशेष अनुदान केन्द्र की तरफ से नहीं दिया गया। जब तकक यह बांध ठीक से नहीं बनाये जायंगे तब तक यह जितने जिले ह, इलाहाबाद, बलिया, मिर्जापुर, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, देवरिया। यह सब तबाही में हर साल पड़ते रहेंगे और हम हर साल यह नियम ५१ के और ४९ के प्रश्न उठाते रहेंगे और रोज यहां छतौनी और बेरिया बलिया बांध की चर्चा होती रहेगी। मैं कुछ सुझाव जल्दी से और दे देना चाहता हूं। श्री सर्वसुख सिंह जी चले गये, वह और श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा के जो क्षेत्र हमारे जिले के वहां पर दो हजार परिवार प्रभावित हुये हैं। लगभग ढाई तीन सौ हरिजन परिवार तबाह हो गये है। उनको देने के लिये माननीय राजस्व मंत्री जी ने वादा किया था लेकिन वह, इलाहाबाद की जगह बलिया चले गये। मेरा अनुरोध है कि वह पुनः इलाहाबाद जायं और उन गांवों का दौरा करें और वहां के लोगों को राहत दिला कर उनके कष्ट को दूर करें। लेकिन राहत के कामों में बहुत भ्रष्टाचार है इसलिये राहत देने के काम में विधायकों को भी रखा जाय ताकि वह उसको सही रूप से बटवाने मे ठोस सझाव दे सकें और प्रतिनिधि होने के नाते जो भी योजना माननीय राजस्व मंत्री जी हमीरपुर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, वाराणसी, गाजीपुर और मिर्जापुर आदि प्रभावित जिलों के लिये बनाएंगे हम उसमें उनके साथ हैं और पूरी सहायता देंगे।

श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)---

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं उस जिले से आया हूं जो...

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आपने जो व्यवस्था रखी है कि जिनका नियम ५१ का प्रश्न है उनको मौका नहीं देंगे। इसके विरोध स्वरूप मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री नित्यानन्द स्वामी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष---

स्वामी जी के इतने आग्रह के कारण मैंने उस नियम म अब यह संशोधन कर दिया जैसी आप की राय है कि हर दल के एक सदस्य को बोलने का मौका दिया जाय।

*श्री रामलखन सिंह---

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्व मंत्री जी यहां बैठे हैं वह अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि कई दिन हुए वह वहां का दौरा कर चुके हैं। परन्तु अपने क्षेत्र के नुकसान की जो रिपोर्ट यहां आई है वह बिल्कुल असत्य है। उन को सही ज्ञान नुकसान का है ही नहीं। हमारे यहां घाघरा के किनारे पर और कोआनों नदी के किनारे जो घाट थे वह सब बह गये और सारा क्षेत्र जल मग्न हो गया। वहां के आदमियों के लिये और पशुओं तक के लिये चारा नहीं रह गया है वहां पर जलमग्न क्षेत्र से लोगों को निकालना तक मुश्किल है। तीन-तीन, चार-चार मील का चक्कर लगा कर वहां जाने का मौका मिलता है और मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक गांव है माझा तेजपुर वह करीब करीब पहले कट चुका था। वह पूरा माझा कट रहा है। किसान भाग-भाग कर कहीं न कहीं अपना गुजारा कर रहा है। उसके न बैठने का ठिकाना है और न उठने का। सरकारी कर्मचारी जाते हैं पर कोई सहायता उनकी नहीं कर पाते हैं। मंत्री जी मेरे साथ चलें मैं उनको सब दिखाऊंगा। अगर किसानों की भलाई के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया तो किसान बरबाद हो जायेगा। इसी तरह से ढौलहट गांव कट गया है। आधा गांव कट गया है। गांव की कुछ दूरी पर काफी बंजर जमीन पड़ी हुई है। वहां का प्रधान जबरदस्त आदमी है। वह किसानों को कोई जगह नहीं देता है। सरकारी कर्मचारियों को वहां चल कर उन किसानों को वहां बसाना चाहिये। गांव की जमीन कट जाने के बाद वहां के हरिजन किसान मारे-मारे फिरते रहेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने कई बार दरख्वास्त दी कि रामजानकी रोड बनने से बाढ़ नहीं आयेगी। वहां नदी के आगे एक छोटी सी पुलिया थी। उसके कारण बाढ़ का पूरा पानी बह नहीं पाता था। सरकार ने वहां पुलिया बांध दी। उस पुलिया के बंध जाने से दस बारह गांव जल मग्न हो जाते हैं। बाढ़ खत्म हो जाने के बाद भी पानी भर जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि उसको देख लें। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि मनोनदी कट कर बैलात बांध से मिल कर करीब १२ गांव नष्ट कर देती है और वे गांव खेती के काबिल नहीं रह पाते हैं। ये गांव हैं---भोतहां, हरवंशपुर, ढौलहट, ऊंजो, माझा कलां, बैसनीपुर, गौसीपुर, पीपरपाती, बयसिया, टिगरिया बाबू, टिगरिया राजा, मांझा, कुदरहा तथा सेमरा। इन सब गांवों में पानी भरा हुआ है। लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है। समुद्र की तरह से पानी भरा हुआ है और गांव के लोग जैसे चिड़िया डाल पर बैठती है वैसे गुजर बसर कर रहे हैं। उनको हर तरह की परेशानी है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि राजस्व मंत्री ने दौरा किया है पर हरैया तहसील का दौरा नहीं किया है। उस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त।

(श्री रूपनाथ सिंह यादव का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

*श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, इलाहाबाद में जो क्षति हुई है वैसी पिछले १४-१५ वर्षों के अन्दर आज तक नहीं हुई। एक गांव लोलापुर कलां है जो अन्डमान निकोबार द्वीप बन गया। माननीय मंत्री जो इलाहाबाद गए लेकिन वहां नहीं गए। मैं गया तो मैंने देखा कि हरिजनों की बस्ती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पानी से भरी हुई थी। चार-पांच सौ हरिजनों को तीन दिन से खाना नहीं मिल रहा है। हमने तहसील के लोगों से पूछा तो मालूम हुआ कि ऊपर से कोई आदेश नहीं है कि खाना दिया जाय। केवल आधा लीटर तेल और एक माचिस देने का आदेश है। श्रीमन्, इलाहाबाद में १ लाख ५१ हजार व्यक्ति प्रभावित हुए हैं और ७२ हजार एकड़ जमीन प्रभावित हुई हैं। २ करोड़ की अति माननीय मंत्री जी ने मानी हैं जब कि क्षति चार-पांच करोड़ से कम नहीं है। वाराणसी में केवल २२ हजार लोग प्रभावित हैं और १२ हजार एकड़ जमीन प्रभावित हैं, और सहायता वहां इलाहाबाद के मुकाबिले ज्यादा दी गयी है। तो श्रीमन्, इलाहाबाद के लिए ५० लाख रुपया कम से कम जरूर होना चाहिए, नहीं तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। श्रीमन्, फूलपुर का क्षेत्र प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी जी का क्षेत्र इलाका रहा है। चुनाव में आश्वासन दिया गया था कि तीन ठोस काम हो जायं तो समस्या सुलझ जाएगी। मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन आश्वासनों को पूरा करें। नीलीगांव से एक मील दूर बांध बनवा दें। एक मील लम्बा और ५० फीट ऊंचा। दूसरे, जमनीपुर से दखनीपुर एक नाला जाता है, वह बड़ा खतरनाक है। वहां दो पुलियों की जरूरत है। तीसरे झूंसी से बदरा तक एक बांध और पुलिया बनवा दें।

इसी तरह से फूलपुर क्षेत्र में गरीब विद्यार्थियों के लिए फीस की और किताबों की कोई व्यवस्था नहीं हैं। इण्टर, बी० ए० या किसी क्लास का भी विद्यार्थी हो उनकी फीस माफ होनी चाहिए। जो हरिजन बस्तियां घिरी हुई हैं उनके मकान बनाने के लिए और भोजन के लिए व्यवस्था की जाय। तकावी के लिए भी और रुपया दिया जाय। जिन पर तकावी का रुपया है उस सबको माफ किया जाय, स्थगित करने से काम नहीं चलेगा।

श्रीमन्, इलाहाबाद सूखे और बाढ़ दोनों से प्रभावित रहा है। इलाहाबाद को सूखे से बचाने के लिए वहां नलकूपों की जो संख्या दी जा रही है, जो सिचाई मंत्री जी ने बतायी है, वह केवल ३० नलकूप हैं। उसकी संख्या बढ़ायी जाय और कम से कम १०० राजकीय नलकूप वहां बनाए जायं, तो कमी पूरी हो जाएगी। इसलिए इलाहाबाद के साथ अन्याय न हो। वह हिन्दुस्तान के इतिहास में हमेशा आगे रहा है। माननीय मंत्री जी से वहां के लोग मिले भी हैं, लेकिन कुछ किया नहीं गया।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय कृष्णानन्द राय जी, आप कितना समय लेंगे ?

श्री कृष्णानन्द राय---

केवल ३ मिनट।

एक सदस्य---

श्रीमन्, किस क्रम से काम हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। हम लोग दो घंटे से उठक-बैठक कर रहे हैं, पता नहीं नम्बर आएगा या नहीं।

श्री विश्वनाथ कपूर---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री रामकुंवर सिंह (जिला आजमगढ़)---

कृपया इधर भी ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी नहीं।

श्री रामकुंवर सिंह---

लिस्ट में हमारा नाम पढ़ा था, पता नहीं हम चार आदमियों का नाम कब आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका नाम और श्री राम बिलास पांडेव का नाम है जो अभी नहीं बोले हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

यह आपकी ज्यादती है।

श्री उपाध्यक्ष--

फिर कहते हैं कि आपको मौका नहीं मिला है, आप ही के दल के आदमी बोले हैं।

माननीय रामबिलास पांडेय और माननीय राम कुंवर सिंह नहीं बोले हैं। सचेतक, श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा ने कहा था कि हर दल के एक-एक आदमी को बोलने का अवसर दिया जाये। मैं उसी के हिसाब से हर एक दल को समय दे रहा हूं। अगर कोई फिर बोलना चाहते हैं तो थोड़ा समय और दे देंगे।

श्री बैजनाथ (जिला वाराणसी)---

उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप आसन ग्रहण करें। आप बतायें मैं कैसे चलूं, सब को समय कैसे दिया जा सकता है। मैं औचित्य से और ढंग से चल रहा हूं। आप बीच में टोकते हैं और समय नष्ट करते हैं।

एक सदस्य---

समय को नष्ट करने की मंशा नहीं है। मैं केवल २ मिनट का समय चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं समय देने की कोशिश कर रहा हूं, आपको दिया और महीलाल जी को दिया।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)---

हमारे ऊपर भी कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष---

आप देख नहीं रहे हैं, कैस करें ?

श्री विश्वनाथ कपूर---

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी ने कहा कि विरोधी पक्ष तो केवल आरोप लगाता है। मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शासक दल की कथनी और करनी में अन्तर है असामयिक वर्षा और बाढ़ में भी अन्तर है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि फैजाबाद जिले में असामयिक वर्षा हुयी थी और उसमें ५ करोड़ रुपये की हानि दिखायी गयी। ३१ मई को कलेक्टर ने लिखा कि ८० प्रतिशत की क्षति जिले भर में हुयी है। प्लानिंग कमीशन की टीम आयी और श्री वोहरा ने वहां पर बातचीत की। प्लानिंग कमीशन के एडवाइजर की यह राय थी कि जिले में शासन ने कोई काम नहीं किया। माल सेक्रेटरी भी मौजूद थे और मैं भी मौजूद था। जब उन्होंने पूछा कि क्या कार्य किया गया है तो अधिकारियों ने कहा कि यहां तो सारा काम हो गया है और कोई काम बाकी नहीं है। जब यह पूछा गया कि रबी की

फसल के बारे में क्या किया गया है तो उस समय डिप्टी डायरेक्टर को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष खरीफ के लिए १,१६,००,००० रुपये की खाद बंटी थी और इस मर्तबा जब असामयिक वर्षा हुयी तो ६० लाख रुपये की बंटी। इस पर उन्होंने कहा कि आपके यहां कोई काम नहीं हुआ है। उसी टीम ने यह कहा कि यह सरकार निकम्मी है। उन्होंने गवर्नमेंट आफ इंडिया को रिकमेन्ड किया कि इनको पैसा न दिया जाये और करीब साढ़े ६ करोड़ की बात कही है। जब ये कुछ नहीं करते हैं तो फिर भारत सरकार से कैसे मांगते हैं। यह सरकार असामयिक वर्षा के सम्बन्ध में खिलवाड़ कर रही है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

क्या आपके पास गवर्नमेंट आफ इन्डिया का कोई पत्र आया है कि यू० पी० की सरकार कुछ नहीं कर रही है और यह बड़ी निकम्मी है। अगर आपके पास कोई वहां से पत्र आया है तो ठीक है नहीं तो गवर्नमेंट आफ इंडिया रोज हमसे पूछ रही है कि कितना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इतना तो हम इम्मीडिएटली नहीं दे सकते हैं। कुछ लिखा भी गया है, पढ़ा भी गया है। जो प्लानिंग कमीशन की टीम आयी थी उससे हमारी भी भेंट हुयी थी, उनसे हमारी बात भी हुयी थी। ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उन्होंने यह जरूर कहा था कि जितना हम मांग रहे हैं वह ज्यादा मालूम पड़ रहा है और इतना पैसा हम नहीं दे सकेंगे, कुछ पैसा तो जरूर दे देंगे।

श्री विश्वनाथ कपूर--

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं बतला दूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

बाढ़ के सम्बन्ध में अब उन्होंने देना शुरू किया है। पांच करोड़ रुपया भेज चुके हैं और कहा है कि आगे भी जो होगा देंगे।

श्री विश्वनाथ कपूर--

मैं ३ जुलाई की बात कर रहा था। सर्किट हाउस में मौजूद था, सरकार साहब कमिश्नर, प्लानिंग कमिश्नर, श्री बोहरा भी थे। रेवेन्यू सेक्रेटरी भी मौजूद थे। मुख्य मंत्री जी उनसे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर, श्री एस० एन० सिंह से पूछा गया कि पिछले वर्ष कितने की खाद बांटी गई। उन्होंने कहा कि १ करोड़ १० लाख की। इस वर्ष के लिये पूछने पर उन्होंने सिर्फ ६० लाख बतलाया,। इस पर उन्होंने राय जाहिर की कि कुछ काम नहीं हुआ है। मैं भी इस संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि सरकार को यह नहीं मालूम है कि जो टीम आई थी उसकी क्या राय है। इसके माने यह हैं कि रेवेन्यू सेक्रेटरी ने सही रिपोर्ट मंत्री जी को नहीं दी। जब फैजाबाद की बात आई तो बतलाया गया कि ३१ जुलाई तक ५९ गांव जलमग्न हुए और ३,००० एकड़ जमीन क्षतिग्रस्त है। श्रीमन्, मैं चुनौती देता हूं कि ये सारी फिगर्स गलत हैं। ७०,००० एकड़ भूमि जलमग्न हुई है और ५,३६२ गांव प्रभावित हुए हैं। तो पता नहीं है कि यह सरकार क्या कर रही है और क्या करेगी। अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि मैं श्री कृष्णानन्द राय जी की बात का समर्थन करता हूं कि रबी की फसल असामयिक वर्षा से खतम हो गई, खरीफ की फसल बाढ़ से खतम हो गई, तो किसान पैसा कहां से देंगे। इसी कारण से रिजर्व बैंक आफ इन्डिया ने कोआपरेटिव बैंक्स को मुहलत दी थी कि पेइंग कैपेसिटी हो जाय तब रुपया वसूल किया जाय। अगर आप इसको माफ नहीं कर सकते हैं तो जो रिजर्व बैंक ने किया है वैसा तो कर ही सकते हैं।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, कानपुर के संबंध में रिपोर्ट सही नहीं है। (व्यवधान) मैं इसके विरोध में सदन त्याग करता हूं।

(चौधरी रामपाल सिंह यादव सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम कुंवर सिंह---

घाघरा नदी फैजाबाद से बलिया तक गई ह । इसके बीच में ५० मील का एरिया आता है। घाघरा बहराइच में आती है, बस्ती में आती है। आगे चल कर इसका ५० मील का क्षेत्र है। यह आजमगढ़ के सगड़ी इलाके में पड़ता है। मैं बतलाना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में एक माह से ऊपर बाढ़ का पानी रहा है। सिचाई मंत्री जी ने कहा था कि घाघरा के पानी को जो बाढ़ आई थी वह एक महीने तक रही लेकिन फिर भी वह बाढ़ से कैसे वंचित रहा और वहां फसल एक महीना पानी में रहने के बाद कैसे जीवित बची होगी। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह क्षेत्र सदैव से ही उपेक्षित रहा है। वहां न सड़क है, न पुल है। क्रमशः वह सारा क्षेत्र हर तरह की सुविधाओं से वंचित है और बाढ़ का जो प्रकोप आता है वह अलग से आता है। मेरा खयाल है कि मुख्य मन्त्री जी और राजस्व मन्त्री जी भी जानते हैं कि उस जिले की हालत खराब है। उस क्षेत्र में एक महीने बाढ़ का पानी भरा रहा। मैं यह निवेदन करूंगा कि महूलागडबल बन्ध को पक्का करा दिया जाय और वहां बिजली की लाइन लगा दी जाय तो उस क्षेत्र का कल्याण हो सकता है। उससे सिचाई की भी व्यवस्था हो सकती है। अगर यह कर दें तो वह क्षेत्र बहुत ही आभारी होगा। वहां ५० गांवों में इस तरह से कटान हो रहा है कि लोगों के लिए दाना-दाना मिलना मुश्किल हो गया है। इन गांवों को अलग से बसाने की व्यवस्था न की गई तो वहां के लोग परेशान हो जायेंगे। उदिहा, इस्माइलपुर, दिवारा खास, राजा चक्की हाजीपुर, गांगेपुर, महुला, रामपुर, धनौली, मठिया आदि गांव बहुत प्रभावित हैं। यहां पर कटाव शुरू है। अगर बन्धे और घाघरा के बीच कोई ठोस व्यवस्था न हुई तो लोग बहुत परेशान होंगे। एक निवेदन और करूंगा कि ३० हजार रुपया आजमगढ़ के लिये मिला है बाढ़ सहायता के लिए। मैं आपको बताता हूं कि एक लिस्ट जो निकली है जिसमें १६६ गांव दिखलाये गये हैं तो वह सही संख्या नहीं है। कम से कम सगरी क्षेत्र में ही ५०० गांव प्रभावित हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप समाप्त करें।

श्री रामकुंवर सिंह--

और अधिक न कह कर एक बात और कहूंगा। जैसा माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि पार्टी से, दलबन्दी से उठकर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की सहायता होनी चाहिए। मैं कोई चार्ज नहीं लगाता लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि राजस्व मन्त्री और वित्त मन्त्री, दोनों ही सरकार के वरिष्ठ मन्त्री हैं, आजमगढ़ गये थे अपने पार्टी के स्कूल का उद्घाटन करने या उनके बताये गये स्थानों पर मीटिंग करने। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन यह अवश्य कहूंगा कि राजस्व मन्त्री जी ने जो अपनी भावनाएं यहां व्यक्त कीं तो क्या उनको यह जिम्मेदारी नहीं थी कि विरोधी दल के लोगों को भी बुलाकर वहां के क्षेत्र की जानकारी हासिल करते। पार्टी की बात अलग है लेकिन इस तरह के कामों के लिए हर आदमी का सहयोग लेना चाहिए।

श्री बैजनाथ (जिला वाराणसी)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत अभारी हूं कि आपने बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का समय दिया। मैं आपके माध्यम से वाराणसी जनपद की समस्या मुख्य मन्त्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं। मुख्य मन्त्री जी उस इलाके के चप्पे-चप्पे से परिचित हैं। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां कि मुख्य मन्त्री जी न गये हों। वाराणसी जनपद का दो तिहाई भाग जलमग्न है। वहां के गरीब किसान भूखों मर रहे हैं। असामयिक वर्षा से सारी फसल मारी गई। आज सबसे बड़ी समस्या उस इलाके में चारे की है। हाल ही में मैं अपने क्षेत्र में गया था। वहां देखा कि जानवरों के लिए भूसा १५ रुपए मन बिक रहा है।

किसानों के पास चारा नहीं है। चारे की सबसे बड़ी समस्या है। मैं निवेदन करूंगा कि चारे की समस्या, जो किसानों के सम्मुख इस समय है, उसकी अविलम्ब व्यवस्था करें। वहां पर बीज की भी भीषण समस्या पैदा होने वाली है जिस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। जो थोड़ी बहुत सहायता दी जा रही है वह नाम मात्र की है। ३-४ गांवों के बीच में एक नाव दी जाती है। उस पर भी जो सक्षम लोग हैं, धनीमानी हैं वे तो अपने बच्चों को लेकर, अपने सामान तथा जानवरों आदि को लेकर इस पार से उस पार तक चले जाते हैं, जो हरिजन और गरीब लोग हैं उनका नम्बर बाद में आता है, वे वहीं घिरे हुये कष्ट उठाते रहते हैं। जो सामान तहसील के माध्यम से बांटा जाता है वह भी उन्हीं लोगों को मिलता है जो स्वयं सक्षम हैं और खरीद सकते हैं। वह सामान भी गरीब लोगों को नहीं मिलता है। इसलिये मैं माननीय राजस्व मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के आदेश दे कि वह सामान उन्हीं लोगों को दिया जाय जिन्हें वास्तव में जरूरत है, जो गरीब हैं। सन् ६७ में जो बाढ़ आई थी उसका भी मैं कुछ जिक्र कर दूं...

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठें, समय नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न है, आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं, आपने आज भी कहा था बोलने दिया जायगा (व्यवधान) मैं, चूंकि आप गोंडा जिले के बारे में मुझे बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं, सदन का त्याग करता हूं।

(श्री त्रिवेणी सहाय सदन त्याग कर चले गये।)

श्री कन्हैयालाल सोनकर—

श्रीमन्, मुझे भी मौका दें बोलने का।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, आप अभी तो आये हैं...

श्री कन्हैयालाल सोनकर—

यह आप मेरे ऊपर गलत आक्षेप लगा रहे हैं कि मैं अभी आया हूं। मैं कई [बार खड़ा हो चुका हूं।

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

(व्यवधान)

जब कभी मैं खड़ा हुआ आपने मुझे बोलने का समय नहीं दिया। दो मिनट का मुझे भी समय दे दें। (व्यवधान) आप समय नहीं दे रहे हैं, इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री शिवदास सदन त्याग कर चले गये।)

श्री कृष्णानन्द राय—

इस सदन में मान्यवर, दो घंटे से जो विवाद चल रहा है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो राहत दी है उससे केवल वे ही सन्तुष्ट हैं, सदन का और कोई भी माननीय सदस्य उससे सन्तुष्ट नहीं है। जितने भी लोगों ने इस डिबेट में भाग लिया, सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा है कि जो रिलीफ दी गई है वह नहीं के बराबर है, वह अपर्याप्त है।

[श्री कृष्णानन्द राय]

श्रीमन्, इस सरकार की कार्य क्षमता आप इसी से देख सकते हैं कि जो रिपोर्ट है उससे साबित है कि प्रदेश में बाढ़ से ४० करोड़ रुपये की क्षति हुई है। जो जिलों के कलेक्टर्स ने इनसे मांग की है तो किसी ने ४ लाख और किसी ने ५ लाख इसी तरह से मांग की है, इस तरह कुल ८-१० करोड़ की मांग हो गई। ४० करोड़ की कुल क्षति हुई है, जिसके विपरीत अधिकारियों ने १० करोड़ की मांग की है, जब कि केन्द्रीय सरकार ने ५ करोड़ रुपया दिया है। हमारे बाढ़ मन्त्री २८ लाख रुपया जिलों को दे चुके हैं, जिसमें से १५ लाख रुपया तकावी के लिये भेजा है, जिसका बंटवारा वहां अभी तक नहीं हुआ है। शेष १२ लाख रुपये का केवल बंटवारा हो चुका है। आप कहते हैं कि दलीय दृष्टि से न काम किया जाए। गाजीपुर के कलेक्टर ने ४ लाख रुपये की मांग की थी, जिसमें कुल आपने २८ हजार रुपया भेजा है। इनकी रिपोर्ट आप देख लें—हमीरपुर में प्रभावित ग्रामों की संख्या ९४ है, जब कि गाजीपुर में ५३० है, हमीरपुर में प्रभावित जनसंख्या ४२,१३५ है जबकि हमारे गाजीपुर में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या १,६१,९६५ है, हमीरपुर में १ करोड़ रुपये की फसल की क्षति हुई है और उसके विपरीत गाजीपुर में डेढ़ करोड़ रुपये की फसल की क्षति हुई है। गाजीपुर में इतना भीषण बाढ़ का प्रकोप हुआ है फिर भी आपने उसके लिए ३० हजार रुपये का अनुदान भेजा है और हमीरपुर के लिए ५० हजार का भेजा है। तकावी के लिए आपने हमीरपुर को डेढ़ करोड़ रुपया भेजा है और गाजीपुर को ५० हजार। तो यह आप की भेदभाव पूर्ण नीति है और यही नीति बनारस, देवरिया, बस्ती आदि जिलों के साथ भी बरती गई है। मन्त्री जी ने कहा कि ५ करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार ने नहीं दिया है, तो क्या वह इसे स्वीकार नहीं करते की अप्रैल, मई व जून में अतिवृष्टि के कारण जब सारी फसल नष्ट हो चुकी थी, उसके बाद यह बाढ़ आई है। जिसने की एक भीषण अकाल की स्थिति पैदा कर दी है। अतः में मन्त्री जी से जोरदार शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इन बाढ़ पीड़ितों क्षेत्रों को वह अकालग्रस्त यानी स्कौर्सिटी एरिया जरूर घोषित करें और उसका जो फारमूला होता है, उसको अपनाकर वहां के लोगों को राहत दें। यदि सरकार इतना भी करने को तैयार नहीं है तो मैं समझता हूं कि आपके दिल में उनके प्रति कोई भी सहानुभूति और दया नहीं है।

श्री उमाकान्त बाजपेयी की रिहाई के संबंध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको एक सूचना दे दूं। श्री उमाकात बाजपेई, विधान सभा सदस्य को जेल से छोड़ दिया गया है।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ के प्रकोप से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा (क्रमागत)

*राजस्व मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

मान्यवर, मुझे फिर थोड़ा सा कृष्णानन्द राय जी से निवेदन करना पड़ेगा कि वह जरा अपने दृष्टिकोण को उदार बना लें और केवल गाजीपुर और हमीरपुर की बात न देखें। सब जगहों को देखने का कष्ट करें तो बड़ा अच्छा होगा। हमीरपुर और गाजीपुर का कोई मुकाबला नहीं है। गाजीपुर तो बहुत बड़ा जिला है और हमीरपुर बहुत छोटा है। वह स्वयं भी बहुत बड़े हैं और मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं। मैं बहुत आभारी हूं सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने अभी सुझाव दिए हैं। उनमें से कुछ बहुत अच्छे हैं। मेरा ख्याल है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको मानने में हमको दिक्कत नहीं होगी। जो श्री कल्पनाथ सिंह जी ने सुझाव दिया कि कोई एक कमेटी प्रान्तीय स्तर पर बना दी जाय, मेरी समझ से वह उचित सुझाव है, सरकार को भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप सब के सहयोग से काम करूं। इससे आप की ही आलोचनाएं कम होंगी।

जहां तक जिला स्तर पर कमेटियां बनाने का सवाल है यह वह कमेटी कर लेगी कि बनाना चाहिए या नहीं बनना चाहिए क्योंकि उसमें बड़ी खींचातानी हो जाती है। प्रान्तीय स्तर पर कोई कमेटी बने, जिसमें मुझे कोई बड़ी दिक्कत नहीं मालूम पड़ती, वह सुझाव अच्छा है, उसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। उसमें ज्यादा जिम्मेदार लोग बैठ कर बात करेंगे और हम लोग किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं।

जहां तक रेमिशन का ताल्लुक है रेमिशन के वास्ते बनी हुई पद्धति है। मैं नियम की बात नहीं कहता। मालूम हो जाता है कि उस पद्धति के मुताबिक पहुंच गये। रेमिशन ऐसी चीज है कि जिस समय हम निश्चय पूर्वक समझ लें कि अब कोई सूरत रह गई देने की तब उस की स्थित पैदा होती है। माननीय कृष्णनन्दराय को बहुत ज्यादा तसल्ली हो जाती अगर यहां पर फैमिनि की स्थिति घोषित कर दी जाय। शायद इसके अर्थ यह है कि फैमिन बोर्ड स्थापित करें। मैं निवेदन करूं कि पहली बात तो यह है कि महीने १५ दिन में यह आपत्ति निकल जायगी। इसलिये इसमें फैमिन की स्थिति किसी काल के लिए घोषित करना मुनासब नहीं है। नम्बर दो, यह निवेदन करूंगा कि जहां तक फैमिन कोड का सम्बन्ध है उसके हिसाब से काम करेंगे तो कोई काम नहीं करा सकेगा न किसी को सन्तोष हो सकेगा। फैमिन कोड की मजदूरी चाहे जितनी भी बढ़ जाय उस मजदूरी पर कोई मजदूर काम करने पर तैयार नहीं होगा। इसलिये वह बात को छोड़कर जो वास्तव में काम होगा, उसकी तरफ हम ध्यान दें। इसमें कोई सन्देह नहीं कि दूसरी बात जो मैरूण्ड हैं उनको निकालने का प्रश्न है, अस्थायी और स्थायी बसाने का, मैं इस सबमें आप सब का कोआपरेशन चाहता हूं। जिन लोगों को बाढ़ से निकाला जा रहा है उनके आवास की व्यवस्था हमें करनी है। जो लोग बाढ़ से वापस जाने वाले हैं उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। जो लोग बाहर होंगे, थोड़ी सी दिक्कत मैंने यह भी पाई, मैंने उनसे बात की है, वह लोग तैयार नहीं होते कि दूसरी जगह बस जाय। लेकिन जहां पर ऐसी स्थिति पाई कि बाढ़ की लपेट में हमेशा पड़ता है, उस जगह पर रहना मुनासिब नहीं है, और वह दूसरी जगह रहने के लिए तैयार हो गये तो जरूर उनको भूमि ढूंढ़ कर देंगे उनकी निवास स्थान के वास्ते मदद करेंगे। हो सकता है कि जितना चाहिए उतनी माकूल सहायता न दी गई हो। इसके बाद ही फौरन मैं जांच करूंगा और लोगों से कहूंगा कि जिन लोगों के मकान गिरे हैं, उनको दस, बीस, पचास रुपये नहीं देंगे, अधिक देंगे। उनको दो सौ, तीन सौ, रुपये देंगे और ग्रच्युटी देंगे। जो आपने कहा, उस सम्बन्ध में जानकारी हासिल करेंगे और कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि चारे कि समस्या आने वाली है। उसका इन्तजाम करना है। यह बात सही है कि प्रदेश में आसामयिक वर्षा से हम छुटकारा नहीं पाये थे कि बाढ़ का प्रकोप आ गया। उसने हालत को खराब कर दिया। चारा बिलकुल नष्ट हो गया। हम पूरी तरह भूसा मगा कर देने की कोशिश करें और वाजिब दाम पर देने की कोशिश करें, यह नहीं कि इतने दाम पर भूसा मिले जिसको खरीदना उनकी बित्त के बाहर हो।

श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)—

माननीय, एक जानकारी चाहता हूं माननीय मंन्त्री जी से, हमारे जिले में कुछ ऐसे गांव है जिनके खेत कटकर बह गये हैं अतः उनके रहने के लिये आप कोई माकूल इन्तजाम करें और जो जमीन उनकी कटकर बह गई है उसको भी दिलाने की व्यवस्था करेंगे और यहां अधिकारियों को इस प्रकार के आदेश जारी करेंगे...

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, जहां तक भोजन का ताल्लुक है मैं कह रहा हूं कि जहां-जहां हमको ऐसे लोग मिलेंगे उनके लिये भोजन दिये जाने की समुचित व्यवस्था की जायेगी और यह कोशिश भी करेंगे कि जो जमीन उनकी बह गई है उसके सम्बन्ध में भी कुछ करेंगे। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जहां बाढ़ आती है उस जमीन की पैदावार दुगुनी और तिगुनी बढ़ जाती है।

मान्यवर, फीस के बारे में भी कहा गया है। यह बात वाजिब भी है। सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जिन लोगों के घर जमीन बह गये है और बेघरबार हो गये हैं और जिनको वर्षा से नुकसान हो गया है उनके बच्चों की फीस माफ करने का प्रबन्ध भी हम करेंगे।

गैर सरकारी बांधों के बारे में भी कहा गया है कि उनके रख-रखाव के लिये प्रबन्ध किया जाय। यह बात भी सही है। पहले इस बात की कोशिश हुई भी और आगे भी जितनी भी सरकार अथवा गैर सरकारी बांध जो है और गांवों की हिफाजत के लिये बने हुए हैं उनकी देखरेख भी हम इस तरह से करेंगे जिस तरह से कि बाढ़ की सहायता से लोगों को करनी चाहिए।

मैं ज्यादा डिटेल में न जाकर एक बात कहूंगा कि माननीय विश्वनाथ जी ने कहा कि असामयिक वर्षा के वास्ते एक टीम उनके पास आई थी इसके बारे में मैं निवेदन कर दूं कि पता नहीं वह टीम न माननीय मुख्य मन्त्री को मिली न राजस्व मन्त्री को मिली और न ही राजस्व सचिव को ही मिली किन्तु सिर्फ कपूर साहब से ही उस टीम ने जिक्र किया और हो सकता है कि उसने समझा हो कि सरकार निकम्मी है अतः सरकारी लोगों के पास कुछ कहने से काम नहीं चलेगा कपूर साहब से ही कह लें। हमसे मिलना उस टीम ने पसन्द नहीं किया। अगर ऐसा होता तो उसी मद में केवल ५ करोड़ रुपया हमको केन्द्रीय सरकार न भेजती...

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

मैं तो असामयिक वर्षा के बारे में कह रहा था।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैं उसी असामयिक वर्षा के बारे में कह रहा हूं। इसकी यहां पर चर्चा भी नहीं हो रही थी, विषयान्तर हो गया। किन्तु आज की जो बाढ़ की समस्या है उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जब बाढ़ आती है तो सबसे पहला काम यह होता है कि जो लोग बाढ़ से घिर जाते हैं उनको बाहर निकाला जाय और उनको रहने की व्यवस्था सुलभ की जाय, उनके लिये खाने पीने का इन्जाम किया जाय, उन को किसी प्रकार की तकलीफ न होने पाये, उनके लिये रोशनी की व्यवस्था की जाय। हमने इसका इन्तजाम किया है हम उन्हें पैसा देंगे और दिया भी है। जहां-जहां मैं गया हूं मैंने वहां के लोगों से पूछा भी है कि उनको राशन वगैरह ठीक से दी जाती है या नहीं। जहां कहीं शिकायतें आती हैं उनको हम देख लेंगे। इलाहाबाद के बारे में हम खासतौर से देख लेंगे क्योंकि वहां अधिक शिकायतें आई हैं.....

श्री राम कुंवर सिंह (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, एक जानकारी चाहता हूं। घाघरा आजमगढ़ में जाकर मिलती है। वहां पर भी बाढ़ से जमीन कट गई है और घर पानी से घिर गये हैं उसके सम्बन्ध में भी बता दिया जाय.....

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह तो कोई तरीका नहीं है, जब मैं बोल रहा हूं तो आप सुन लें और बाद में कहें जो कुछ आपको कहना हो.....सर्व प्रथम हमन इस बात की कोशिश की है कि जिनके पास रहने के लिये जगह नहीं है उनको शेल्टर दिया जाय और जिन लोगों को फौरन वापस जाने की गुंजायश नहीं है उन लोगों को तो वहां पर रहना ही पड़ेगा....(व्यवधान) इस तरह से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से आये हुय है उनके लिय दवा-दारू की व्यवस्था भी होनी चाहिए इसकी तरफ फौरन ध्यान देना पड़ता है। मेरा ख्याल है, और यह सभी बातों का जवाब है इसमें हम तो निश्चयपूर्वक आपका सहयोग लेना चाहते हैं। और आपका सहयोग लेकर ही इतनी बड़ी जो आपत्ति आई है उसका सामना करना चाहते है अपनी सारी शक्ति के साथ सामना करना चाहते हैं। हमें आशा है कि सेंटर हमारी मदद करेगा, हमारा विश्वास है, लेकिन अगर नहीं भी करेगा तो हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जितने हमारे साधन हैं उनम हम कोई कमी नहीं करेंगे। जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें हम आपको भी विश्वास में लग तभी यह काम हो सकेगा। मैं फिर यह निवेदन करता हूं सदस्यों से कि जहां कहीं भी उनको इन बातों को शिकायत मिले वह लिखकर के या मुझको बुला कर कहने की कृपा करें। उससे शायद ज्यादा में उपयोगी सिद्ध हो सकूंगा, बनिस्बत इसके कि हम उनको अपने पास रखें रहें और सदन म कह द। आप कहें कि ऐसा है और मैं कहूं कि एसा नहीं है। दो रोज या चार रोज पहले कह देते तो उसकी जानकारी भी हासिल कर लेता या पूछ लेता कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसी लिहाज से हम अगर मिल कर इस बाढ़ का मुकाबला करेंगे तो हमें कोई सन्देह नहीं है कि जिन लोगों को वास्तव म राहत की जरूरत है उनको दिलाने में हम सफल होंग। मैं धन्यवाद देता हूं कि .... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ७ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
४ अगस्त, १९७१।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०२ पर)

प्रश्न से संबंधत चेकिंग के विवरण की तालिका

इन अस्थाई परमिटों से संबंधित गाड़ियों को निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा चेकिंग की गई। चेकिंग का विवरण भी प्रत्येक के सम्मुख दिया जा रहा है :—

चेकिंग अधिकारी	कितने अवसरों पर चेकिंग की	कितने वाहन किये
१—कोतवाली पुलिस, बस्ती	५	५
२—मालवर अधिकारी, गोरखपुर	६	..
३—यात्रीकर अधीक्षक, गोरखपुर	१२	..
४—यात्रीकर अधीक्षक, बहराइच	११	..
५—सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), आजमगढ़ ..	१	..
६—सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), फैजाबाद	१६	२
७—सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), इलाहाबाद । ..	५	५
८—मालवर अधिकारी, इलाहाबाद	१	..
९—थाना अध्यक्ष, नवाब गंज, गोंडा	७	७
१०—पुलिस, प्रतापगढ़	४	४

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०८ पर)

तालिका १

विधायक जिन्हें फरवरी, १९६९ से ३० अप्रैल, १९७१ तक एक से अधिक कार आबंटित की गई।

क्रम-संख्या	विधायक का नाम,	कार जो आबंटित की गई	तिमाही कोटा	आबंटन पत्र की संख्या व तिथि
१	श्री अनन्त राम जायसवाल, एम० एल० ए०	एम्बेसेडर	अगस्त-अक्टूबर, १९६९।	५४९९—बी सी ओ, दिनांक ११—९—१९६९
		एम्बेसेडर	नवम्बर, ६९ जनवरी,७०	५९८०—बी सी ओ, दिनांक १५—१०—१९७०।
२	श्री भानु प्रताप सिंह, एम० एल० ए०	फियेट	फरवरी—अप्रैल,७०	३५२ (१) बी०सी०ओ/७०, दिनांक २०—१—७०
		फियेट	नवम्बर—जनवरी, १९७१	२९९ बी सी ओ/७१, दिनांक २०—१—१९७१

तालिका २

विधायक जिन्हें फरवरी, १९६९ से ३० अप्रैल, १९७१ तक कार और इसके अतिरिक्त स्कूटर आबंटित किया गया।

क्र० सं०	नाम सदस्य	तिमाही कोटा	आबंटन पत्र की संख्या व तिथि
१—श्री जंगबहादुर सिंह, एम० एल० ए०, आजमगढ़	नवम्बर–जनवरी १९७०	फियेट	६४७९ बीसीओ, दिनांक २९–११–१९६९ ।
	दिसम्बर–फरवरी, १९७०	वेस्पा	३५९१७० दिनांक २१–१–१९७० ।
२—श्री हृदय नारायण सिंह.. एम० एल० सी०	फरवरी–अप्रैल, १९७०	एम्बेसडर	४०५ बी सी ओ/७०, दिनांक २२–१–७० ।
	सितम्बर–नवम्बर, १९६९	लम्ब्रेटा	६४३८ बीसीओ/६९, दिनांक २५–११–६९ ।
३—श्री भानु प्रताप सिंह, .. एम० एल० ए०, बरेली	नवम्बर–जनवरी, १९७१	फियेट ..	२९९ बी सी ओ/७०, दिनांक २०–१–७० ।
	फरवरी–अप्रैल, १९७०	फियेट	३५२ (१) बी सी ओ/ ७०, दिनांक २०–१–७० ।
	सितम्बर–नवम्बर, १९६९	लम्ब्रेटा	६४३ बी सी ओ/६९, दिनांक २५–११–६९, ।
	सितम्बर–नवम्बर, १९७०	वेस्पा	१९२१ बी सी ओ/७१, दि ०१५–१–१९७१ ।
४—श्री विक्रम सिंह, .. एम० एल० ए०, मेरठ	मई–जुलाई १९७०	फियेट	४३०१ बी सी ओ/७०, दिनांक २७–७–१९७० ।
	सितबर–नवम्बर, १९६९	वेस्पा	६४३७ बी सी ओ/६९, दिनांक २५–११–६९ ।
५—श्री चिरंजीलाल, .. एम० एल० ए०, एटा	अगस्त–अक्टूबर १९७०	एम्बेसेडर	४४५७ बीसी ओ/७०, दिनांक २०–१–७० ।
	जून–अगस्त, १९६९	वेस्पा	५०५७ बी सी ओ/६९, दिनांक १४–८–६९ ।
६—श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी, एम० एल० ए०, गढ़वाल	नवम्बर–जनवरी, १९७१	फियेट	३०७ बी सी ओ/७०, दिनांक २०–१–७० ।
	जून-अगस्त, १९६९	वेस्पा	५००७ बी सी ओ/६९, दिनांक १४–८–६९ ।
७—श्री एच० पी० शाही, .. एम० एल० ए०, गोरखपुर ।	फरवरी–अप्रैल १९७०	फियेट	३५२ बी सी ओ/७०, दिनांक २०–१–७० ।
	दिसम्बर–फरवरी, १९७१	वेस्पा	१७८ बी सी ओ/७१, दिनांक १५–१–७१ ।
८—श्री प्रताप नारायण, .. एम० एल० ए०, हमीरपुर	अगस्त–अक्टूबर, १९६९	एम्बेसेडर	५४९९/बी सी ओ/ दिनांक ११–९–७१ ।
	सितम्बर–नवम्बर, १९६९	लम्ब्रेटा	६४१८ बी सी ओ/६९, दिनांक २५–११–७१ ।

तालिका ३

विधायक जिन्हें फरवरी, १९६९ से ३० अप्रैल, १९७१ तक एक से अधिक स्कूटर आबंटित किये गये

क्रम संख्या	नाम सदस्य	तिमाही कोटा	आबंटन-पत्र संख्या व तिथि
१	श्री भानु प्रताप सिंह, .. एम० एल० ए०, बरेली	सितम्बर-नवम्बर, १९६९ लम्ब्रेटा	६४३८ वी सी ओ/६९, २५-११-६९ ।
		सितम्बर-नवम्बर, १९७० वेस्पा	१९४ वी० सी० ओ० /७१, १५-१-७१ ।
२	श्री जैनारायण सिंह, एम० एल० ए०, फतेहपुर	सितम्बर-नवम्बर, १९६९ लम्ब्रेटा	३४३८ बी० सी० ओ० /६९, २५-११-१९६९
		जून-अगस्त, १९७० वेस्पा	३८५३ वी० सी० ओ०/७०, २२-८-१९७० ।
३	श्री मुंशीलाल चमार, एम० एल० ए०	दिसम्बर-फरवरी, लम्ब्रेटा १९७०	८६६ वी० सी० ओ० /७०, १३-२-१९७० ।
		मार्च-मई, १९७० वेस्पा	११८० वी० सी० ओ/७१, २४-५-१९७१ ।
४	श्री राम प्रकाश, एम० एल० सी०	सितम्बर-नवम्बर, लम्ब्रेटा १९६९	६४३ वी० सी० ओ०/६९ २५-११-६९ ।
		दिसम्बर-फर०, १९७० वेस्पा	५०८ वी० सी० ओ०/७०, २६-१-१९७० ।
५	श्री रामकरन, .. एम० एल० ए०, गाजीपुर	सित०-नव०, १९६९ लम्ब्रेटा	६४३८ वी० सी० ओ०/६९ २५-११-६९ ।
		मार्च-मई, १९७० वेस्पा	१४०७ वी० सी० ओ०/७० २०-४-१९७० ।
६	श्री विश्राम दास, .. एम० एल० ए०, इलाहाबाद	सित०-नव०, १९६९ लम्ब्रेटा	६४३८ वी० सी० ओ०/६९, २५-११-१९६९ ।
		दिस०-फर०, १९७० वेस्पा	५०८१ वी० सी० ओ०/७०, २६-११-१९७० ।
७	श्री वंश गोपाल शुक्ल, एम० एल० ए०, लखनऊ	दिस०-फर०, १९७० वेस्पा	६६९३ वी० सी० ओ०/६९, ९-१२-१९६९ ।
		दिस०-फर०, १९७१ वेस्पा	१८४ वी० सी० ओ०/७१, १५-१-१९७१ ।
८	श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, एम० एल० ए०, बदायूं	दिस०-फर०, १९७० लम्ब्रेटा	८६६ वी० सी० ओ०/७०, १३-२-१९७० ।
		दिस०-फर०, १९७१ वेस्पा	१७९ वी० सी० ओ०/७१, १५-१-१९७१ ।
९	श्री ईश्वर दयाल, .. एम० एल० ए०, मेरठ	सित०-नव०, १९६९ लम्ब्रेटा	६४३८ वी० सी० ओ०/६९, २५-११-१९६९ ।
		दिस०-फर०, १९७१ लम्ब्रेटा	१४५ वी० सी० ओ०/७१, १५-१-१९७१ ।
१०	श्री नयन सिंह, .. एम० एल० ए०, मुजफ्फरनगर	दिस०-फर०, १९७१ लम्ब्रेटा	१४७ वी० सी० ओ/७१, १५-१-१९७१ ।
		मार्च-मई, १९७१ लम्ब्रेटा	९९२ वी० सी० ओ०/७१, १२-४-१९७१ ।

क्रम-संख्या	नाम सदस्य	तिमाही कोटा	आवंटन-पत्र संख्या व तिथि
११	श्री उमाकान्त बाजपेई, एम० एल० ए०, फतेहपुर	सित०-नव०, १९६९ लम्ब्रेटा	६४३८ वी० सी० ओ/६९, २५-११-१९६९
		सित०-नव०, १९७० लम्ब्रेटा	१५१ वी० सी० ओ०/७१, १५-१-१९७१
१२	श्री विश्वंभर सिंह यादव, एम० एल० ए०, इटावा	सित०-नव०, ७० लम्ब्रेटा	१४९ वी० सी० ओ०/७१, १५-१-१९७१
		मार्च-मई, १९७१, वेस्पा	१००१ वी० सी० ओ०/७१, १६-४-१९७१
१३	श्री रामगोपाल संड, एम० एल० ए०, इलाहाबाद	दिस०-फर०, १९७०, वेस्पा	१९३ वी० सी० ओ०/ १५-१-१९७१
		सित०-नव०, ६९ वेस्पा	६४२७ वी० सी० ओ०/, २५-११-१९६९
१४	श्री महीरध्वज सिंह, एम० एल० ए०, बांदा	जनवरी-अगस्त १९६९ वेस्पा	
१५	श्री सूबेदार सिंह, .. एम० एल० ए०	दिसम्बर-फरवरी, ७० लम्ब्रेटा सितम्बर-नवम्बर ७०, वस्पा	
१६	श्री सच्चिदानन्द गुप्त, एम० एल० ए०, लखनऊ	जनवरी-अगस्त, ७० लम्ब्रेटा दिसम्बर-फरवरी, १९७ वेस्पा	
१७	श्री राम पाल सिंह, .. एम० एल० ए०, कानपुर	जनवरी-अगस्त, ६९ वेस्पा दिसम्बर-फरवरी, ७० लम्ब्रेटा	

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१७ पर)

परियोजना चरण २ के सिविल कार्यों के निर्माण के लिए किए गए अनुबन्धों म टनल की खुदाई के ओवर एक्सकेवेशन की छूट नियंत्रण के लिए मूल प्राविधान इस प्रकार है।

(i) *Minimum Excavation line:*

The minimum excavation line is the external face of the concrete lining. This line represents the absolute minimum section of excavation of the tunnel, cavities and shafts and no projections of unexcavatedmaterials of any kind, timbering and metallic or other suppnts for sides, roofs or other parts of the tunnel, cavities and shafts shall be permitted within the line

(ii) *Payment line.*

The payment line is a line parellel to the minimum excavation line and fifteen centimeteres away from it towards the rock face. The quantity of excavation to be measured and Paid for at the unit rate will be the quantity included within the payment line, irrespective of the actual profibexcavated, in cases of natural damages, etc. in the rock and specifically provided for in class 19.11/18.11 or where secifically allowed in writing by the engineer-in-charge to suit the site conditions. The quantity of excavation shall be measured as solid excavation in situ.

(iii) *Variation of payment line due to overbreak in exceptional cases during excavation (clause* 19.11*l*18.11 *as reffered under item (ii)above)*

In case of overbreaks extending more than 30 centimetres beyond the payment line and caused due to concealed joints, faults and other structural defects in rocks and not due to lack of reasonable care and skill in excavation on the part of the contractor, a new payment line will be established by the engineer-in-charge for payment of overbreak provided that in any single round of advance the additional quantity of rock in such overberak or overbreaks beyond the original payment line is not less than 3 cubic meters. The basis for establishing the new payment line will be such as to pay the contractor for actual overbreak in exceptional cases beyond 30 centimeters above the original 'payment line'. The quantity of additional excavation to be paid in case of such overbreaks shall be measured between the original payment line and the newly established payment line or lines along such overbreaks in any single round and shall be paid for at a rate equal to 2*l*3rd the rate for excavation in that particular work. The decision of the engineer-in-charge regarding the position of new payment lineshall be final and binding upon the contractor.

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१९ पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र १९७१ के चौथे बुधवार के लिए निर्धारित श्री बासुदेव सिंह वैद्य द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २७ के उत्तर में उल्लिखित तालिका

तहसील	वर्ष १९७०–७१ में राजकीय नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि का विवरण	वर्ष १९७०–७१ में राजकीय नलकूपों की निकासी का औसत	
		फसल खरीफ	फसल रबी
कैसरगंज	२३९१ एकड़	२२८९७ गैलन प्रति घन्टा	२३४०९ गैलन प्रति घन्टा
बहराइच	१२७५४ एकड़	३१७८२ गैलन प्रति घन्टा	३१९८१ गैलन प्रति घन्टा
नानपारा	४५२६ एकड़	३१४४० गैलन प्रति घन्टा	२९८८८ गैलन प्रति घन्टा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १५४ एल० ए०—१९७२—८४५ ।